छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2026 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योग</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

1. (*क्र. 2262) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली कुल कितनी औद्योगिक इकाईयां (लघु, मध्यम, बड़े उद्योग) प्रचलन में हैं? औद्योगिक इकाई का नाम, पता उसके अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के विवरण सहित जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन करना, अपशिष्ट की रोकथाम करना पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण करने की क्या व्यवस्था किन-किन प्रक्रियाओं के माध्यम की जा रही है? सम्पूर्ण विवरण ईकाईवार देवें? **(ग)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रदेश के कितने हानिकारक प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले उद्योगों में आनलाईन एमिशन मानीटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है? इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? कितनी व्यय हुई? कितनी शेष है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली कुल 665 औद्योगिक इकाईया (लघु, मध्यम बड़े उद्योग) प्रचलन में है औद्योगिक इकाई का नाम, पता उसके अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के विवरण सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।**(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।**(ग)**वर्ष 2024-2025 एवं 2025-2026 में प्रदेश के कुल 19 उद्योगों में ऑनलाइन एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है । एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राशि स्वीकृत नहीं की गई है। उद्योगों को जारी जल, वायु सम्मति में ऑनलाइन एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापना का शर्त निहित होता है। तदानुसार उद्योगों द्वारा स्वयं के व्यय से चिमनियो में ऑनलाइन एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की जाती है ।

<u>छ.ग. में सप्तपर्णी (छातिम) वृक्ष के रोपण पर रोक</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

2. (*क्र. 2445) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि देश के विभिन्न राज्यों में सप्तपर्णी (छातिम) वृक्ष के स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों को देखते हुए इनके रोपण पर रोक लगाई गई है ? **(ख)** छ.ग. में पर्यावरण विभाग सप्तपर्णी (छातिम)) द्वारा स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में इनके रोपण पर प्रतिबंध लगाने एवं पूर्व से रोपित किए गए सप्तपर्णी

(छातिम) वृक्षों को हटाकर उन्हें अन्य स्थानीय वृक्षों से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है? पर्यावरण विभाग द्वारा छातिम के दुष्प्रभावों से जनमानस को बचाने हेतु क्या कार्ययोजना है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क) जी, नहीं। वन विभाग या पर्यावरण विभाग द्वारा रोक नहीं लगाई गई है।**(ख)** कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त जानकारी अनुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वर्तमान में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव/कार्ययोजना नहीं है। पर्यावरण विभाग द्वारा सप्तपर्णी (छातिम) वृक्षों को हटाकर उन्हें अन्य स्थानीय वृक्षों से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित नही है, शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है।

<u>प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा एनपीएस से ओपीएस योजना का चयन</u>

[वित्त]

3. (*क्र. 2591) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** एनपीएस से पुनः ओपीएस योजना के विकल्प का चयन प्रदेश के कुल कितने अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा किया गया है? वर्ष 2004 से पूर्व नियुक्त और वर्ष 2004 के पश्चात् नियुक्त पुनः ओपीएस का विकल्प चयन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना का संचालन व कार्यप्रणाली क्या है? **(ख)** कंडिका (क) अनुसार वर्ष 2004 के पूर्व नियुक्त व वर्ष 2004 के पश्चात् नियुक्त पुनः ओपीएस का विकल्प चयन करने वाले अधिकारी-कर्मचारी का जीपीएफ कटौती का प्रबंधन किस-किस प्रकार किया जा रहा है? क्या दोनों का प्रबंधन अलग-अलग किया जा रहा है? यदि हॉ, तो क्यों ? एक ही प्रकार से प्रबंधन कब तक किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने और पेंशन के भुगतान के प्रभावी प्रबंधन के लिए बनाई गई वित्तीय योजना छ.ग. पेंशन निधि में दिनांक 15/02/2026 तक कितनी राशि जमा कर कुल कितनी राशि की निधि तैयार की गई है? क्या यह योजना किसी वित्तीय वर्ष में पेशन व्यय के 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर अतिरिक्त भुगतान इस निधि से किये जाने हेतु या कोई अन्य सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी बनाई गई है? यदि हॉ, तो इससे अब तक कितनी राशि निकाली गई है? वर्षवार, मदवार जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) एनपीएस से पुन: ओपीएस योजना का विकल्प का चयन प्रदेश के कुल 2,91,797 अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया गया है।वर्ष 2004 के पूर्व नियुक्त और वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त OPS विकल्प वाले सभी शासकीय सेवकों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है।**(ख)** वर्ष 2004 के पूर्व नियुक्त शासकीय सेवकों का जीपीएफ कटौती का प्रबंधन महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा तथा वर्ष 2004 के पश्चात पुन: ओपीएस का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों का जीपीएफ कटौती का प्रबंधन संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि, छ0ग0 द्वारा किया जा रहा है। जी हॉ, दोनो का प्रबंधन अलग अलग किया जा रहा है। एक ही प्रकार से प्रबंधन किया जाना विचाराधीन नहीं है।**(ग)** छत्तीसगढ़ पेंशन निधि में दिनांक 15.02.2026 तक की स्थिति में कुल 1,068 करोड़ राशि जमा कर 1120.53 करोड़ की निधि तैयार की गई है। किसी वित्तीय वर्ष में पेंशन व्यय के 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर अतिरिक्त भुगतान इस निधि से किये जाने का प्रावधान है। अभी तक इस निधि से कोई भी राशि नहीं निकाली गई है।

<u>विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत मैनपाट में स्थित कर्मा एथनिक रिसोर्ट का संधारण</u>

[पर्यटन]

4. (*क्र. 2165) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत मैनपाट में स्थित कर्मा एथनिक रिसोर्ट किस मद की भूमि पर व

कितने हैक्टेयर पर अवस्थित है? निर्माण वर्ष सहित इसकी कुल लागत क्या थी एवं निर्माण DPR में क्या-क्या सम्मिलित थे? वर्तमान में इस पर क्या सभी सुविधाएँ संचालित हैं ? जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** रिसोर्ट के मंथली मेंटेनेंस हेतु राशि कितनी है ? इसमें क्या-क्या कार्य शामिल हैं? जानकारी प्रदान करें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत मैनपाट में स्थित कर्मा एथनिक रिसॉर्ट **''पहाड़ व चट्टान मद''** की भूमि पर व 8.093 हेक्टेयर पर अवस्थित है। कर्मा एथनिक रिसॉर्ट का निर्माण वर्ष 2019 से 2021 में राशि रू. 2137.38 लाख की लागत से किया गया तथा निर्माण DPR में ट्रायबल वर्कशाप सेंटर, सायकल ट्रैक, दो इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्राफ्ट एवं हर्बल हाट (आर्टिसन,सेंटर), कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप, टूरिस्ट रिसेप्शन एंड फेसीलिटेशन सेंटर, पगोड़ा, ओपन एम्फीथिएटर, ट्रायबल इंटरप्रिटेशन सेंटर, पार्किंग, ओवर हेड टैंक, सम्पवेल, बोरवेल एवं वाटर सप्लाई पाईप लाईन, पम्प हाऊस, गार्ड रूम, लैंड स्केपिंग, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार, टेंट प्लेटफार्म, टायलेट, सोलर प्रकाशीकरण, ईको कुकिंग स्पाट, डे शेल्टर, वाक वे एवं प्रोटेक्टिव्ह रेलिंग, ब्रिज, पाथ वे/सीसी रोड लास्ट माईल कनेक्टिविटी, चेन लिंक फेंसिंग, साईनेजेस, सालिड वेस्ट मैंनेजमेंट के कार्य सम्मिलित थे। वर्तमान में इस पर सायकल ट्रेक, दो इलेक्ट्रीक व्हीकल, क्राफ्ट एवं हर्बल हाट (कक्ष), कैफेटेरिया (रेस्टोरेंट), पगोड़ा, ओपन एम्फीथियेटर, पार्किंग, ओवर हेड टैंक, सम्पवेल, बोरवेल एवं वाटर सप्लाई पाईप लाईन, पम्प हाऊस, गार्ड रूम, गार्ड रूम, लैंड स्केपिंग, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार, टायलेट, ईको कुकिंग स्पॉट, डे शेल्टर, वाक वे एवं प्रोटेक्टिव्ह रेलिंग, ब्रिज, पाथ वे/सी.सी. रोड लास्ट माईल कनेक्टिविटी, चेन लिंक फेसिंग एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग (संचालित) किया जा रहा है।**(ख)**रिसोर्ट के मंथली मेंटेनेंस हेतु माह जनवरी 2026 में राशि रू. 67,630.00 है। इसमें प्लंबिंग कार्य एवं गार्डन रख-रखाव कार्य शामिल है।

<u>डोंगरगढ़ में ''प्रसाद योजना'' के तहत श्री यंत्र भवन निर्माण में अनियमितता</u>

[पर्यटन]

5. (*क्र. 2808) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या डोंगरगढ़ में ''प्रसाद योजना'' के तहत श्री यंत्र भवन का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो उक्त भवन के निर्माण हेतु कुल कितनी-कितनी राशि केन्द्रांश/राज्यांश के द्वारा स्वीकृत की गई तथा अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? निर्माण कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि क्या है? क्या कार्य समय सीमा में पूर्ण हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो विलंब के कारण क्या हैं? **(ख)** निर्माण कार्य किस एजेंसी/ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है? कार्यादेश की तिथि क्या है? क्या निर्माण कार्य का गुणवत्ता परीक्षण कराया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो परीक्षण की रिपोर्ट क्या है? क्या निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता/शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत के विरुध्द क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण जानकारी देवें ? **(घ)** क्या उक्त निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा कोई समिति /संरक्षक बनाया गया ? जिसकी निगरानी व देखरेख में कार्य पूर्ण कराया गया हो ? यदि हाँ, तो उस समिति में कौन-कौन जनप्रतिनिधि/अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं? पूर्ण जानकारी देवें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जी हॉ। डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत् श्री यंत्र भवन का निर्माण कराया गया है। डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत श्री यंत्र भवन के निर्माण हेतु रू. 2106.99 लाख केंद्रांश के द्वारा स्वीकृत की गयी है। राज्यांश राशि निरंक है। उक्त कार्य हेतु कुल राशि रू. 1658.37 लाख का भुगतान किया गया। उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि 08.01.2021 है तथा कार्य पूर्णता तिथि 25.02.2025 है। कार्य को पूर्ण करने में दी गई समय-सीमा से अधिक समय लगा। परियोजना में विलम्ब के मुख्य कारण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** निर्माण कार्य टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से निष्पादित किया गया है। कार्यादेश की तिथि 26.11.2020 है। भवन की कांक्रीट संरचना

का परीक्षण NIT रायपुर के माध्यम से कराया गया है तथा NIT रायपुर के रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 अनुसार कार्य संतोषप्रद है। निर्माण कार्यों के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत/अनियमितता प्राप्त नहीं हुई है। **(घ)** डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा 02 समितियों का गठन किया गया है, जिसका आदेश **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

सक्ती जिले अंतर्गत संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत सांस्कृतिक कार्यक्रम

[संस्कृति]

6. (*क्र. 2872) श्री रामकुमार यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सक्ती जिले अंतर्गत अप्रेल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 तक कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम, किन-किन ग्रामों में किन-किन कलाकारों के स्वीकृत किये गये हैं ? विकासखंडवार, वर्षवार विवरण देवें? **(ख)** कंडिका ''क'' के अनुसार क्या इन कलाकारों का भुगतान पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कलाकारों का भुगतान कर लिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ? **(ग)** विभाग के द्वारा संस्था में पंजीकृत कलाकारों को 01 वित्तीय वर्ष में कितने कार्यक्रम प्रति कलाकारों के कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की जाती है ? **(घ)** विभाग द्वारा प्रदेश भर के क्षेत्रीय/स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने हेतु क्या-क्या कार्य योजना बनाई गई है ? विवरण देवें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) सक्ती जिले अंतर्गत अप्रैल 2024 से 02 फरवरी 2026 तक स्वीकृत कार्यक्रमों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** 'क' अनुसार भुगतान पूर्ण कर लिया गया है। **(ग)** विभाग द्वारा पंजीकृत कलाकारों को 'छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021' अंतर्गत 01 वित्तीय वर्ष में ग्रेड अनुसार स्वीकृति की अधिकतम सीमा निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्रेड	वित्तीय वर्ष में अवसरों की अधिकतम सीमा
1	ए +++	10
2	ए ++	20
3	ए +	
4	ए 1	
5	ए	
6	बी+ एवं बी	24

(घ) प्रदेश के क्षेत्रीय/स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

शहीद वीर नारायण सिंह एवं आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय अंतर्गत प्लेसमेंट कर्मचारी

[आदिम जाति विकास]

7. (*क्र. 1058) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** शहीद वीर नारायण सिंह एवं आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, नवा रायपुर अंतर्गत संग्रहालय के संचालन हेतु किन-किन प्लेसमेंट एजेन्सियों को किस प्रक्रिया के तहत्, किन नियम-शर्तो पर और कितनी अवधि के लिये चयन किया गया है? **(ख)** उक्त प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा संग्रहालय में उपलब्ध घटनाओं की जानकारी/प्रस्तुतीकरण कैसे किया जाता है? क्या एजेंसी से इन कार्यो के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी मांगे गये थे या कर्मचारियों को बाद में प्रशिक्षण दिया गया? यदि हां, तो कितने प्रशिक्षित हुये हैं और किन-किन विषयों में प्रशिक्षित किया गया और किस संस्था द्वारा कब प्रशिक्षण दिया गया? कितनी लागत आयी? **(घ)** उक्त प्लेसमेंट

कर्मचारियों का मानदेय/वेतन भत्ते/अन्य सुविधायें क्या-क्या प्रदाय की जा रही हैं? इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया है और प्लेसमेंट संस्था को प्रति कर्मचारी कितनी राशि भुगतान की जा रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के संचालन हेतु किसी भी प्लेसमेंट एजेन्सी को आबंटित नही किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>प्रदेश में कृषि विभाग की योजनांतर्गत ट्रैक्टर क्रय हेतु प्राप्त व लंबित आवेदन</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

8. (*क्र. 2903) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जनवरी, 2024 से फरवरी, 2026 तक प्रदेश के कितने कृषकों द्वारा कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर क्रय किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था ? आवेदन के विरूद्ध कितने आवेदकों को ट्रैक्टर क्रय किए जाने हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया था ? दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक ट्रैक्टर क्रय किए जाने हेतु कितने आवेदन लंबित हैं ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें ? **(ख)** ट्रैक्टर क्रय किए जाने हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश के माध्यम से आवेदकों को कुल कितनी राशि का अनुदान प्रदान किया जाता है तथा किस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर खरीदी के लिए आवेदन लिया जाता है? **(ग)** प्रश्नांश ''क' अनुसार प्रदेश के कितने आवेदकों/किसानों को ट्रैक्टर प्रदान किया गया है ? वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) संचालनालय कृषि के तहत कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (एस.एम.ए.एम.) अंतर्गत वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 तक), 2024-25 एवं 2025-26 में (दिनांक 20.02.2026 तक) अनुदान पर ट्रैक्टर क्रय करने हेतु प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन एवं लाभांवित हितग्राहियों की वर्षवार, जिलेवार एवं योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी द्वारा जनवरी, 2024 से फरवरी, 2026 तक जिला महासमुन्द में नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयॅल-ऑयल पॉम योजना अंतर्गत केवल 1 कृषक द्वारा ऑयल पॉम रोपण कार्य हेतु ट्रैक्टर क्रय किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके विरुद्ध राशि ₹2.00 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया था। दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक ट्रैक्टर क्रय किए जाने हेतु कोई भी आवेदन लंबित नही हैं। **(ख)** कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत कृषकों द्वारा कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर क्रय करने हेतु आवेदन दिया जाता है। योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार यंत्र/उपकरणों पर देय अनुदान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार** है। अनुदान में केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का प्रतिशत क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत होता है। संचालनालय उद्यानिकी द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयॅल-ऑयल पॉम योजना के प्रावधान अनुसार 3.00 हे. या उससे अधिक रकबे पर ऑयल पाम पौध रोपण करने पर 20 हॉर्स पॉवर तक के ट्रैक्टर (ट्राली सहित) पर केन्द्रांश एवं राज्यांश के माध्यम से राशि ₹2.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। **(ग)** प्रश्नांश "क" अनुसार अनुदान में ट्रैक्टर से लाभांवित हितग्राहियों की वर्षवार, जिलेवार एवं योजनावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** कंडिका 'क' अनुसार उक्त अवधि में संचालनालय उद्यानिकी द्वारा वर्ष 2025-26 में जिला महासमुन्द के 01 कृषक को 20 हॉर्स पॉवर के ट्रैक्टर (ट्राली सहित) अनुदान पर प्रदान किया गया है।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल कार्य

[वित्त]

9. (*क्र. 2912) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न विभागों के अंतर्गत सम्मिलित कार्यों में से ऐसे कितने कार्य हैं जिनकी विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् प्रशासकीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के पास लंबित है? लंबित कार्यों की संख्या, राशि एवं लंबित रहने के कारण सहित जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित कार्यों में से विभागों द्वारा प्रेषित कोई भी प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के पास लंबित नही है। अत: लंबित कार्यों की संख्या, राशि एवं लंबित रहने के कारण की जानकारी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

आश्रम शालाओं/ छात्रावासों व अन्य जगहों में सोलर लाईट की स्वीकृति

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

10. (*क्र. 2460) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024 से 15.02.2026 तक विधानसभा क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत आश्रम शालाओं/छात्रावासों व अन्य जगहों में सोलर लाईट की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है और उक्त कार्यों की निविदा/टेंडर की प्रक्रिया किस माध्यम से कब की गयी है ? **(ख)** निविदा में किन-किन एजेंसियों ने भाग लिया तथा किसका चयन कर कार्यादेश कब जारी किया गया? कार्य की प्रगति रिपोर्ट से अवगत करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी नहीं। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनधिकृत विकास के नियमितीकरण के लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति

[आवास एवं पर्यावरण]

11. (*क्र. 2823) श्री भूपेश बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या शासन ने अनधिकृत विकास के नियमितीकरण हेतु वर्ष 2022 के अधिनियम को 2024 में संशोधित किया और आदेश क्र. एफ 07-11-2020/32 (दिनांक 30.04.2025) द्वारा समस्त कलेक्टरों को त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया? **(ख)** दुर्ग जिले सहित प्रदेश भर में दिसंबर, 2025 की स्थिति में 'ग्राम एवं नगर निवेश विभाग' के पास कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने लंबित हैं? (जिलेवार एवं आवासीय/गैर-आवासीय वार जानकारी दें)? **(ग)** शासन के स्पष्ट निर्देशों के बाद प्रकरणों के लंबित होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या उनके विरुद्ध जवाबदेही तय की गई है? **(घ)** लंबित प्रकरणों के निपटारे हेतु कोई निश्चित समय-सीमा घोषित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जी, हाँ। शासन ने अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण हेतु वर्ष 2022 के अधिनियम को 2024 में संशोधित किया और आदेश क्र. एफ 07-11-2020/32 (दिनांक 30.04.2025) द्वारा समस्त कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत नियमितिकरण हेतु प्राप्त समस्त लंबित प्रकरणों का, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2024 एवं उक्त जारी निर्देश के परिपालन में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।**(ख)**दुर्ग जिले सहित प्रदेश भर में दिसंबर 2025 की स्थिति में 'ग्राम एवं नगर निवेश विभाग' के पास कुल

48096 आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कुल 15599 आवेदन वर्तमान में लंबित है। जिलेवार एवं आवासीय/गैर-आवासीय वार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ग)** शासन के निर्देशानुसार प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(घ)** वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

जिला राजनांदगांव में लोक मड़ई का आयोजन

[संस्कृति]

12. (*क्र. 2892) श्री दलेश्वर साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिला में लोक मड़ई के आयोजन हेतु तत्कालीन विभागीय मंत्री द्वारा सदन में राशि में बढोतरी की घोषणा/वक्तव्य दिया गया है ? यदि हां, तो घोषणा के पूर्व कितनी राशि स्वीकृत की जाती थी एवं वर्ष 2024 में घोषणा के अनुरूप कितनी राशि की बढोतरी कर राशि की स्वीकृति जिले को जारी की गयी ? क्या वर्ष 2025-26 में घोषणा अनुरूप राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है या राशि में कोई कटौती की गयी है? यदि कटौती की गयी है तो कारण सहित जानकारी देवें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : राजनांदगांव जिला में लोक मड़ई के आयोजन हेतु तत्कालीन विभागीय मंत्री द्वारा सदन में राशि बढ़ोत्तरी की घोषणा/वक्तव्य संबंधी पत्राचार अप्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2023 में राशि रू. 8.00 लाख,वित्तीय वर्ष 2024 में राशि रू. 15.00 लाख,वित्तीय वर्ष 2025 में राशि निरंक,वित्तीय वर्ष 2026 में राशि रू. 8.00 लाख कलेक्टर जिला राजनांदगांव को आबंटित किया गया है।

कांकेर विधानसभा क्षेत्र में राम वन गमन पथ पर्यटन विकास कार्य

[पर्यटन]

13. (*क्र. 753) श्री आशा राम नेताम : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर विधानसभा क्षेत्र के किन-किन स्थलों को राम वन गमन पर्यटन परिपथ घोषित किया गया है? जानकारी देवें? **(ख)** घोषित स्थलों के विकास हेतु कितनी राशि किन-किन कार्यो के लिए आबंटित की गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) कांकेर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी स्थल को राम वन गमन पर्यटन परिपथ हेतु चिन्हांकित नहीं किया गया है । **(ख)** उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

धार्मिक न्यास, ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतु साव मठ, पुरानी बस्ती, रायपुर की भूमि का अधिग्रहण

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

14. (*क्र. 934) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले धार्मिक न्यास, "ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतु साव मठ, पुरानी बस्ती, रायपुर" के नाम पर रायपुर जिला अंतर्गत ग्राम- सेजबहार, धरमपुरा, देवपुरी , गुजरा, भरेंगाभाठा, भटगांव में कितनी कितनी भूमि धारित की जाती है? कृपया ग्रामवार धारित खसरा व रकबा की जानकारी देवें? **(ख)** क्या उक्त मठ की ग्राम सेजबहार एवं देवपुरी स्थित भूमि का अधिग्रहण शासन द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो अधिग्रहण वर्ष व प्रकरण क्रमांक, अधिग्रहित खसरा व रकबा तथा प्रदाय की गयी मुआवजा राशि की जानकारी देवें? **(ग)** मुआवजा के रूप में प्राप्त राशि को ट्रस्ट द्वारा किस बैंक खाते में प्राप्त किया गया है? प्राप्त मुआवजा राशि को ट्रस्ट द्वारा किन-किन प्रयोजनों के लिए किस व्यक्ति के माध्यम से तथा किसकी अनुमति से आहरित किया गया है? जमा राशि पर क्या कोई ब्याज अर्जित किया गया है? कृपया विवरण देवें? **(घ)** वर्तमान में लोक न्यास अभिलेख

अनुसार ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतु साव मठ ट्रस्ट का सञ्चालन किन किन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है? क्या किसी न्यायालय से इस ट्रस्ट के सञ्चालन समिति/सञ्चालक मंडल/ट्रस्टी मंडल को भंग कर दिया गया है? यदि हाँ तो किस न्यायालय द्वारा किस तिथि से भंग किया गया है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** शासन द्वारा अधिग्रहित मठ की भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-ग्राम सेजबहार, भू-अर्जन प्र.क्र. 10/अ-82, वर्ष 2010-11, अधिग्रहित ख.नं. 509/1,अर्जित रकबा 13.055 हेक्टेयर, अवार्ड पारित मुआवजा राशि 11,05,25,536 रुपये ।ग्राम देवपुरी, भू-अर्जन प्र.क्र. 07/अ-82, वर्ष 2010-11, अधिग्रहित ख.नं. 401/1,410/1, 404/1, 404/7, 418/2, 320/1, अर्जित रकबा 0.202, 0.251, 0.255, 0.202,0.020, 0.032 हेक्टेयर, कुल खसरा 06 कुल रकबा 0.962 हेक्टेयर, कुल अवार्ड पारितमुआवजा राशि 1,46,46,450 रुपये ।**(ग)** 1/ ग्राम सेजबहार में अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि को कलेक्टर, रायपुर के पत्र क्र. 603 दिनांक 03.07.2015 के परिपालन में कलेक्टर एवं श्री रामचंद्र स्वामी जैतुसाव मठ सार्वजनिक न्यास के नाम पर संयुक्त एफ.डी. किया गया है।ग्राम देवपुरी में अधिग्रहित कुल 06 खसरों की भूमि में से कुल 05 खसरों की भूमि हेतु निर्धारित मुआवजा राशि 86,88,625 रुपये दिनांक 20.08.2019 एवं राशि 30,75,450 रूपये दिनांक 02.02.2023 को ट्रस्ट के नाम से संधारित बैंक युनियन बैंक आफ इंडिया, लिली चौंक शाखा, रायपुर में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया गया है। 2/ प्राप्त मुआवजा राशि को ट्रस्ट द्वारा किन-किन प्रयोजनों के लिए किस व्यक्ति के माध्यम से तथा किसकी अनुमति से आहरित किया गया है एवं जमा राशि पर अर्जित ब्याज के संबंध में जानकारी सार्वजनिक न्यास शाखा में उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त संबंध में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।**(घ)** वर्तमान में कार्यालय में उपलब्ध लोक न्यास पंजी के अनुसार कुल 11 ट्रस्टी क्रमशः 1/ कलेक्टर, 2/ वासुदेव हरहर मोकासदार, 3 /जिवेन्द्रनाथ ठाकुर, 4 / ग्वालदास डागा, 5/ किशनलाल सिंघानिया, 6/नंदकुमार दानी, 7 /महेन्द्र अग्रवाल, 8/ रामकिशोर लाल, 9 रमेश कुमार अग्रवाल, 10/ अजय तिवारी, 11 /शिवकुमार अग्रवाल कार्यरत है। में न्यायालय से ट्रस्ट के संचालन समिति / संचालन मण्डल / ट्रस्टी मण्डल को भंग करने के संबंध में पारित आदेश या निर्देश की जानकारी लोकन्यास शाखा उपलब्ध नहीं है अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

धमतरी जिला में मछली पालन से लाभान्वित कृषक

[मछली पालन]

15. (*क्र. 2223) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिले में मछली पालन विभाग को वर्ष 2023-24 से 15.02.2026 तक मत्स्य पालन हेतु कितनी-कितनी राशि, कौन-कौन सी योजना में कहॉ-कहॉ प्रदाय की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार कुल कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया है ? कृषकों को कितना-कितना अनुदान दिया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदाय करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) धमतरी जिले में मछली पालन विभाग को वर्ष 2023-24 में राशि रू. 284.10 लाख, वर्ष 2024-25 में राशि रू. 192.69 लाख एवं वर्ष 2025-26 में 15.02.2026 तक राशि रू. 120.03 लाख मत्स्य पालन हेतु विभिन्न योजनाओं में प्रदाय की गई है। विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है**।**(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार कुल 4213 मत्स्य कृषकों को लाभान्वित किया गया है। कृषकों को प्रदाय अनुदान राशि की विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**

मत्स्यपालन नीति में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जलाशयों हेतु प्रावधान

[मछली पालन]

16. (*क्र. 2923) श्री कवासी लखमा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में लागू मत्यस्यपालन तथा मत्स्याखेट नीति क्या है ? उसकी प्रति उपलब्ध कराएं? क्या अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 प्रभावशील होने के पश्चात् मत्स्यपालन तथा मत्स्याखेट की नीति में ऐसा परिवर्तन किया गया था कि वन अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित हो सके? **(ख)** प्रदेश में वन भूमि पर स्थिति बड़े जलाशयों यथा मिनीमाता (हसदेव बांगो), गंगरेल, मुरूमसिल्ली, दुधवा आदि जो वन भूमि स्थित हैं, को मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट के लिये मत्स्य महासंघ के टेंडर में वन अधिकार अधिनियम का पालन क्यों नहीं किया जाता है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में वर्तमान में "नवीन मछलीपालन नीति-2022" लागू है। "नवीन मछलीपालन नीति-2022" की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**जी नहीं, नवीन मछली पालन नीति-2022 में वन अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित होने के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अपितु नवीन मछलीपालन नीति-2022 के कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 2.1, 2.8, कण्डिका क्रमांक 6, 7 एवं 15 में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधान है। **(ख)** प्रदेश में वन भूमि पर स्थिति बड़े जलाशयों यथा मिनीमाता (हसदेव बांगो), गंगरेल, मुरूमसिल्ली, दुधवा आदि जो वन भूमि स्थित हैं, को नवीन मछलीपालन नीति-2022 में वन अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित होने के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से जारी नीति में निहित प्रावधानों के तहत् टेंडर की कार्यवाही की जाती है।

पशुधन विकास विभाग द्वारा बकरियों की नस्ल सुधार हेतु किए गए कार्य

[पशुधन विकास]

17. (*क्र. 1668) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**विगत दो वर्षों (वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंडवार कितनी "पशु सखियों" को बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान (AI) के माध्यम से नस्ल सुधार कार्य हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है? कृपया विकासखंडवार एवं वर्षवार विवरण प्रदान करें? **(ख)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में बकरी नस्ल सुधार, उन्नत प्रजनन तकनीक के विस्तार एवं चारा प्रबंधन (हरित चारा विकास, चारा बैंक, साइलो पिट, आदि) के संबंध में वर्तमान में कौन-सी कार्ययोजना संचालित है? **(ग)** आगामी दो वर्षों हेतु नस्ल सुधार एवं चारा विकास को सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा क्या विशेष कार्ययोजना प्रस्तावित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रश्नांक 'क' की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में बकरी नस्ल सुधार तथा उन्नत प्रजनन तकनीक के विस्तार हेतु अनुदान पर बकरा वितरण योजना अंतर्गत उन्नत नस्ल का बकरा वितरण, बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम एवं राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना संचालित है। चारा प्रबंधन (हरित चारा विकास, चारा बैंक, साइलो पिट आदि) के संबंध में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विभागीय कार्ययोजना संचालित नहीं है। **(ग)** जी हॉ। वित्तीय वर्ष 2026-27 नवीन मद अंतर्गत सरगुजा संभाग में उन्नत नस्ल की बकरी इकाई वितरण एवं पीपीपी मोड में हरा चारा विकास कार्यक्रम संचालन के लिए विशेष कार्ययोजना प्रस्तावित है।

कटघोरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण का निराकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

18. (*क्र. 1072) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कटघोरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कोयला खदान क्षेत्र दीपका, गेवरा, कुसमुंडा में पर्यावरण प्रदूषण से वायु और जल में क्या प्रभाव पड़ रहा है ? खदानों के कारण प्रभावित गांवों मे पीने का पानी और स्वास्थ सुविधाओं के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : कटघोरा विघानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) के कोयला खदान क्षेत्र मेसर्स दीपका ओपनकास्ट कोलमाईन, एसईसीएल, दीपका क्षेत्र, मेसर्स गेवरा ओपनकास्ट कोलमाईन, एसईसीएल गेवरा क्षेत्र एवं मेसर्स कुसमुण्डा ओपनकास्ट कोलमाईन, एसईसीएल, दीपका क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विगत एक वर्ष में किये गये वायु एवं जल गुणवत्ता मापन अनुसार परिणाम निर्धारित मानक के भीतर पाये गये हैं। कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड-कोरबा (छ.ग.) द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार कोयला खदान एस.ई.सी.एल. के प्रभावित 42 ग्रामों में विभाग द्वारा पेय जल व्यवस्था के तहत 729 हैण्डपंप, 107 एकल फेस पॉवर पंप, 04 स्थल जल प्रदाय योजना एवं 09 नलजल प्रदाय योजना स्थापित की गयी है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-कोरबा (छ.ग.) द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार जिला-कोरबा अंतर्गत दीपका, गेवरा, कुसमुण्डा खदान प्रभावित क्षेत्रो में प्रत्येक तीन हज़ार की जनसंख्या पर उपस्वास्थ्य केंद्र / आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है तथा दीपका में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रभावित गांवों में पेय जल व्यवस्था के तहत बोरवेल निर्माण, तालाब निर्माण, टैंकर से पानी की आपूर्ति आदि उपाय भी किये गए है। एस.ई.सी.एल.द्वारास्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गतगेवरा क्षेत्र में 01 एनसीएच अस्पताल, स्वास्थ्य शिविर, कुसमुंडा क्षेत्र में 02 डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल मेडिकल यूनिट (मोबाइल एम्बुलेंस) एवं दीपका क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर संचालित है।

प्रदेश में संचालित शासकीय/निजी कोल डिपो को पर्यावरणीय स्वीकृति

[आवास एवं पर्यावरण]

19. (*क्र. 2846) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में वर्तमान में संचालित निजी/शासकीय कोल डिपो की जिला-वार संख्या एवं प्रत्येक का पंजीयन विवरण क्या है? क्या इन कोल डिपो को पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NoC) प्राप्त है? विगत एक वर्षों में इन कोल डिपो के विरुद्ध प्रदूषण, धूल उत्सर्जन अथवा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? कितने कोल डिपो की नियमित जांच में अनियमितता पाई गई एवं कार्यवाही की गई? जिलावार जानकारी देवें? **(ख)**क्या बिल्हा विधानसभा अंतर्गत कई कोल डिपो आबादी क्षेत्र के समीप संचालित हो रहे हैं? क्या विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण/जांच किया जा रहा है? यदि हाँ, तो निरीक्षण की आवृत्ति क्या है? कितने व कौन-कौन से कोल डिपो बिना वैध पर्यावरणीय अनुमति के संचालित पाए गए? क्या विभाग अवैध कोल डिपो को बंद कराने एवं धूल नियंत्रण हेतु किस कार्य योजना पर विचार कर रही है? जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा पंजीयन नहीं किया जाता है, अपितु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत सम्मति जारी की जाती है, राज्य में वर्तमान में संचालित निजी/शासकीय कोल डिपो की जिलावार संख्या एवं जारी सम्मति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क अनुसार** है। कोल डिपो को

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। विगत एक वर्ष (मार्च 2025 से 10 मार्च 2026 तक) में इन कोल डिपो के विरूध्द प्रदूषण, धूल उत्सर्जन अथवा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन संबंधी 07 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसके अतिरिक्त 01 कोल डिपो की नियमित जाँच में अनियमितता पाई गई, उक्त पर की गई कार्यवाही की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ख अनुसार** है।**(ख)**जी हाँ, बिल्हा विधानसभा अंतर्गत 35 कोल डिपो संचालित हैं, इनमें से कुछ कोल डिपो आबादी क्षेत्र के समीप संचालित है। जी हाँ। सभी कोल डिपो के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्गीकरण अनुसार हरे श्रेणी के लघु उद्योग होने के कारण इनका निरीक्षण प्रत्येक 02 वर्ष में किये जाने की आवृति है। निरीक्षण के दौरान बिल्हा विधानसभा अंतर्गत कोई भी कोल डिपो बिना वैध सम्मति के संचालित नहीं पाये गये। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

<u>जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आर.के.एम. कंपनी के द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

20. (*क्र. 2863) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सच है कि जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आर.के.एम. कंपनी द्वारा ग्राम कांशीगढ़ ख.न. 2124/1, ग्राम खैरझिटी ख.न. 206/1, ग्राम सिरली ख.न. 881/4, 1250/1 पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर राखड़ डंपिंग की कार्यवाही की जा रही है? जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के अनुसार अवैध डंपिंग एवं पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर फरवरी, 2026 तक प्लांट प्रबंधन व ट्रांसपोर्टर पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि लंबित है तो उसका क्या कारण है? जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांक ''क'' के अनुसार नियमों के उल्लंघन की समय-सीमा में जांच कर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जी नहीं। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम-कांशीगढ़ के ख. नं. 2124/1, ग्राम खैरझिटी के ख. नं. 206/1 तथा ग्राम सिरली के ख. नं. 881/4, 1250/1 की शासकीय भूमि में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, संबंधित ग्राम पंचायतों की अनापत्ति उपरांत, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारियों द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण के आधार पर मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड को क्रमशः दिनांक 09/02/2026, 22/09/2025 तथा 07/11/2025 को उपरोक्त स्थलों पर फ्लाई ऐश भराव हेतु विधिवत अनुमति जारी की गई है।**(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्नांश **(ख)** उपस्थित नहीं होता है।**(ग)**प्रश्नांश (क) के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्नांश (ग) उपस्थित नहीं होता है।

<u>ग्राम पंचायत सेजबहार एवं ग्राम धरमपुरा में ट्रस्टों/मठों की जमीन</u>

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

21. (*क्र. 2905) श्री मोतीलाल साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सेजबहार एवं धरमपुरा में ट्रस्ट/मठ की भूमि की जानकारी संस्थावार, खसरा नंबर एवं रकबा सहित देवें ? **(ख)** क्या ट्रस्ट/मठ की जमीन को विक्रय किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो प्रावधान की जानकारी देवें ? **(ग)** उक्त प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत-सेजबहार एवं धरमपुरा में ट्रस्ट/मठ की कितनी जमीन का विक्रय किया गया है ? संस्थावार, क्रेता के नाम व पता, खसरा नंबर एवं रकबा सहित जानकारी देवें ? **(घ)** उक्त प्रावधान के विपरीत ग्राम पंचायत-सेजबहार एवं धरमपुरा अंतर्गत ट्रस्ट/मठ की कितनी जमीन का विक्रय किया गया है ? उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी संस्थावार, क्रेता के नाम व पता, खसरा नंबर एवं रकबा सहित देवें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सेजबहार एवं

धरमपुरा में ट्रस्ट/मठ की भूमि की जानकारी निम्नानुसार हैः-ग्राम सेजबहार:- भूमि स्वामी-श्री रामचन्द्र जी स्वामी सरवराकार महंत लक्ष्मीनारायण दास, ख.नं. क्रमशः- 25/1 शामिल 25/5 33/1, 45/2 205/2 205/4, 228, 322, 323, 324/1, 375/1, 396, 494, 498/4 रकबा क्रमशः -0.765, 0.349, 0.008, 0.910, 1.550, 0.555, 1.028, 0.445, 2.954, 0.057, 0.478, 1.234, 0.033 हेक्टेयर, कुल खसरा 13, कुल रकबा 10.366 हेक्टेयर ग्राम धरमपुरा:- भूमि स्वामी- श्री रामचन्द्र जी स्वामी सरवराकार महंत लक्ष्मीनारायण दास, ख.नं. क्रमशः 4, 21/2/ख, 21/2/ज, 21/2/छ, 31/1 270, 09/1, 24/2, 88/2 222/2 333/2, 24/3, 109, 233/9 रकबा क्रमशः 3.177, 2.800, 3.157, 0.890, 0.263, 0.134, 1.154, 0.065, 0.020, 0.987, 0.502, 0.405, 0.028, 1.146 हेक्टेयर, कुल खसरा 14, कुल रकबा 14.728 हेक्टेयर**(ख)** ट्रस्ट/ मठ की जमीन को विक्रय किये जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान हैः- छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14. लोक न्यास से संबद्ध सम्पत्ति आदि के लिए पंजीयक की पूर्व स्वीकृति (1) न्यास विलेख में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन अथवा किसी न्यायालय द्वारा इस या अन्य किसी विधि के अधीन दिये गए निर्देश के अध्यधीन-(अ) किसी अचल संपत्ति का विक्रय, बंधक, विनिमय अथवा दान नहीं किया जाएगा; और (ब) कृषक भूमि के मामले में सात वर्ष से अधिक की कालावधि या अकृषिक भूमि अथवा भवन के मामले में तीन वर्ष से अधिक की कालावधि का कोई पट्टा जो लोक न्यास द्वारा धारित हो, पंजीयक की पूर्व स्वीकृति के बिना विधि मान्य नहीं होगा। (2) पंजीयक उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी संव्यवहार के संबंध में अपनी मंजूरी देने से इंकार नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में में ऐसा संव्यवहार लोक न्यास के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला न हो।**(ग)** उक्त प्रावधान के तहत् लोकन्यास पंजी में दर्ज अनुसार ग्राम सेजबहार में रा.प्र.क्र 01/ब-113 (3) वर्ष 1964-65 आदेश दिनांक 12.01.1965 के माध्यम भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई विस्तृत जानकारी निम्नानुसार हैः-

स.क्र.	क्रेता का नाम	ख.नं.	रकबा
1	विशाल एवं रामनाथ	32/1 का भाग	1.00 एकड
2	चौतराम पिता सुकलाल	32/1 का भाग	1.25एकड
3	विष्णु एवं बिसाहू	32/1 का भाग	1.90 एकड
4	अभयराम पित्ता दुलार	24 का भाग	0.80 एकड़
5	अभयराम पिता दुलार	25/1 का भाग	1.20 एकड़
6	मोतीराम पिता गुहा	32/1 का भाग	2.00 एकड़
7	पतिराम पिता गुहा	32/1 का भाग	3.00 एकड़
8	बाहरन पिता पंडा	32/1 का भाग	2.13 एकड
9	प्यारी पिता बिसेलया	32/1 का भाग	1.30 एकड

पंजी में अनुमति संबंधी अन्य प्रविष्टियों उल्लेखित/दर्ज नहीं है।**(घ)** उक्त प्रावधान के विपरीत ग्राम पंचायत सेजबहार एवं धरमपुरा में श्रीरामचंदजी स्वामी जैतूसाय मठ के द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से जमीन बिक्री की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर जॉच की जा रही है, प्रकरण विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा रहा है। विचाराधीन प्रकरणों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

बीज निगम द्वारा किसानों को वितरित बीज का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

22. (*क्र. 2831) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में 15-02-2026 तक रबी और खरीफ सीजन में क्या बीज उत्पादक किसानों को उनके उत्पादों का भुगतान लंबित है? यदि लंबित है तो कितना? **(ख)** 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान बीज निगम में किसानों का पंजीयन एवं बीज उपार्जन (बीज निगम द्वारा) बढ़ा है अथवा घटा है? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**

प्रदेश में बीज निगम के द्वारा क्रय बीजों की मात्रा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

23. (*क्र. 2849) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** बीज विकास निगम की क्या-क्या योजनायें है? किसानों/सोसायटी/सहकारी समिति/अशासकीय फर्मो/संस्थाओं से बीज खरीदने की नियमावली क्या है? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्ष 2023 से फरवरी, 2026 तक छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के द्वारा कुल कितने प्रकार की बीजों की कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन संस्थाओं, फर्म व सहकारी या निजी सोसायटियों के माध्यम से खरीदी की गयी है ? जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या वर्तमान में बीज खरीदी की कोई योजना है? बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. में पृथक से कोई योजना संचालित नहीं है। प्रदेश में प्रमाणित बीजों की आपूर्ति हेतु विभाग के आदेश क्रमांक 5467 दिनांक 20.12.2011 एवं आदेश पत्र क्र. 987/एफ-04-09/ बीनि/2011/14-2 दिनांक 28.02.2025 के द्वारा विभिन्न बीज प्रदायक संस्थाओं से सीधे दर बुलाकर प्रमाणित बीज कय करने के लिये भण्डार कय नियम-2002 के नियम 4 में निविदा आमंत्रित करने की शर्तों में छूट प्रदान की गई है। उपरोक्त आदेश के अंतर्गत प्रमाणित बीज क्रय हेतु नियमावली का विवरण निम्नानुसार है:-

सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जायेगा। इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, मध्यप्रदेश बीज महासंघ की समितियों, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंन्ट्रल एजेंसी को बीज निगम द्वारा जारी आफर लेटर से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से की जावेगी।

(ख) वर्ष 2023 से फरवरी 2026 की अवधि में बीज की आपूर्ति हेतु विभिन्न बीज प्रदायक संस्थाओं से क्रय बीज का फसलवार, संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।(ग)** आगामी वर्ष में खरीफ/रबी सीजन हेतु विभाग की आंकलित बीज मांग की पूर्ति बीज निगम द्वारा स्वयं उत्पादित बीज से किये जाने के उपरांत आपूर्ति हेत शेष बीज/किस्मों की व्यवस्था कंडिका"क" में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार की जायेगी।

छत्तीसगढ़ में सी-बीड जेल, ह्यूमिक एसिड एवं समकक्ष उत्पादों का विक्रय एवं दर

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

24. (*क्र. 2884) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में क्या वर्ष 2024 -25 तथा 2025 -26 में सी-बीड जेल, ह्यूमिक एसिड एवं समकक्ष उत्पादों का विक्रय (शासकीय प्राथमिक सहकारी विपणन संस्थाओं के माध्यम से) कृषकों को किया गया ? यदि हां तो उक्तावधि में विक्रय किए गए उत्पादों की मात्रा वर्षवार, जिलावार बताएं ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के उत्पादों को कृषकों के उपयोग के लिए अनुशंसा व विक्रय दर का निर्धारण कब तथा किस प्रक्रिया में किया गया? **(ग)** क्या प्रश्नांश 'क' के उत्पादों को कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निष्फल मानते हुए पत्राचार किया गया ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या उक्त उत्पादों की सफलता (गुणवत्ता) का परीक्षण कराया जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी नही। **(ख)** कंडिका "क" में उल्लेखित उत्पादो को दिनांक 12 सितम्बर 2024 से 16 फरवरी 2026 के मध्य विभिन्न राजपत्रों में प्रकाशित कर उर्वरक (नियंत्रण)

आदेश, 1985 में "जैव उत्प्रेरक" की श्रेणी में रखा गया है तथा इनके विभिन्न संघटन (कम्पोजिशन) विशिष्ट फसलवार उपयोग संबंधी उल्लेख अनुसूची में शामिल है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 भारत की संसद द्वारा अधिनियमित है, अतः अनुशंसा की प्रक्रिया का उत्तर इस स्तर से दिया जाना संभव नही है। विक्रय दर का निर्धारण विनिर्मिताओ/विपणनकर्ताओ द्वारा किया जाता है। अतः विक्रय दर निर्धारण प्रक्रिया का विवरण दिया जाना संभव नही है। **(ग)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता है।

जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बिरगहनी-च में अवैध फ्लाई एश भंडारण

[आवास एवं पर्यावरण]

25. (*क्र. 2858) श्री ब्यास कश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष 2025 से 20 फरवरी, 2026 तक जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिरगहनी-च में कुछ व्यवसायियों द्वारा अवैध रूप से फ्लाई एश का बड़े पैमाने पर खुले में भंडारण करने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हॉ, तो उन पर की गई कार्रवाई का विवरण दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - छ:"]

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व भू अभिलेख में दोरला जाति त्रुटि सुधार संबंधी

[आदिम जाति विकास]

1. (क्र. 370) श्री विनायक गोयल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत ग्राम ककनार, चंदेला, काटाबांस, करेकोट, सतसपुर, पालम में वर्ष 1944 से दोरला जाति निवासरत हैं किंतु उच्चारण त्रुटिवश होने के कारण राजस्व भू अभिलेख में दोरला को दोरा अभिलिखित होने से उक्त जाति समुदाय के लोग शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हैं? **(ख)** क्या उन्हें सरकार द्वारा संज्ञान में लेकर प्राथमिकता के आधार पर उच्चारण संबंधी त्रुटि सुधार किये जाने का प्रावधान है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या बस्तर जिले में निवासरत दोरला जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किये जाने हेतु फरवरी, 2026 तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करेगें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी नहीं। छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में दोरा जाति शामिल नही है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी हां। मात्रात्मक/वर्तनीय/उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक एवं स्थानीय बोलचाल के कारण पूर्वजों के स्वतंत्रतापूर्व के अभिलेखों में इंद्राज जाति नाम जो भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित जनजाति नामों से भिन्नता संबंधी त्रुटि सुधार के निराकरण हेतु भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। **(ग)** कार्यालय आदिमजाति अनुसंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के पत्र दिनांक 30.10.2023 एवं 03.07.2024 के माध्यम से दोरला/दोरा समाज प्रमुख को प्राथमिक जानकारी/अभिलेख चाही गई थी। समाज से प्राप्त जानकारी का उपलब्ध स्वतंत्रता पूर्व संदर्भ साहित्यों, जनगणना प्रतिवेदनों के आधार पर परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चित्रकोट जलप्रपात में पर्यटन विकास हेतु प्रयास

[पर्यटन]

2. (क्र. 393) श्री विनायक गोयल : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र चित्रकोट जलप्रपात के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? **(ख)** क्या पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए जगह-जगह शौचालय, बैठक व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था एवं साफ-सफाई की व्यवस्था की गयी है? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांक ''क'' अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2023-24 से फरवरी, 2026 तक कितनी योजनाओं में कितनी राशि प्रदान की गयी है? यदि नहीं तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा विधानसभा चित्रकोट जलप्रपात के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों/निर्माण कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जी हां, पर्यटन विभाग के द्वारा चित्रकोट में पर्यटक रिसॉर्ट का निर्माण कराया गया है, जहां पर्यटकों हेतु सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है एवं पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटकों को प्राकृतिक अनुभव प्रदान करने के लिए नेचर ट्रेल एवं गार्डन का विकास किया गया है जिसमें पर्यटकों के बैठने एवं शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के द्वारा बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, हाईमास्ट लाईट एवं नौकायान की सुविधा उपलब्ध

करायी गयी है। **(ग)** प्रश्नांक ''क'' अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2023-24 से फरवरी, 2026 तक विभाग द्वारा दो योजनाओं में कुल राशि रु. 119.14 लाख की स्वीकृति जिला प्रशासन को जारी की गयी है एवं जिला प्रशासन स्तर पर दो योजनाओं में कुल राशि रु. 49.54 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक

[आदिम जाति विकास]

3. (क्र. 828) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक प्रत्येक कितने माह में किए जाने का प्रावधान है तथा उस प्रावधान के अनुसार फरवरी, 2026 तक पिछले 5 वर्षों में कितनी बैठकें हुई हैं? समय पर बैठक नहीं करवाने के दोषी कौन हैं और विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक प्रति छः माह में साधारणतया एक बार अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए स्थान पर और तारीख को कराये जाने का प्रावधान है। फरवरी 2026 तक पिछले 5 वर्षों में (1) दिनांक 16-07-2021 (2) दिनांक 09-07-2022 (3) दिनांक24-11-2022 (4) दिनांक 16-01-2023 (5) दिनांक 11-03-2025 को जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित हुई हैं। उल्लेखनीय है कि जनजाति सलाहकार परिषद का पुनर्गठन 8.11.2024 को किया गया है तदोपरांत 11.03.2025 को परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। विभाग द्वारा परिषद की बैठक का आयोजन परिषद के माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किया जाता है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी विकास विभाग द्वारा कोंडागांव जिला में परियोजना सलाहकार मंडल गठन

[आदिम जाति विकास]

4. (क्र. 930) श्री नीलकंठ टेकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या आदिवासी विकास विभाग द्वारा कोंडागांव जिला में परियोजना सलाहकार मंडल का गठन किया गया है ? **(ख)** यदि हां, तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी दी जावे तथा परियोजना सलाहकार मंडल की जनवरी, 2024 से जनवरी, 2026 तक कितनी बैठक संपन्न की गयी है? बैठक का एजेंडा एवं लिए गये निर्णय की जानकारी देवें? **(ग)** यदि बैठक नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी नहीं। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। **(ग)** परियोजना सलाहकार मण्डल गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परियोजना सलाहकार मण्डल गठन पश्चात बैठक आयोजन संबंधी कार्यवाही की जावेगी। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय में निर्माणाधीन कार्यों की मां पुस्तिका खो जाने की जांच

[पशुधन विकास]

5. (क्र. 972) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग से संबद्ध पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, बिलासपुर में क्या निर्माणाधीन कार्यों की माप पुस्तिका खो जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या इस अनियमितता की जांच हेतु कोई जांच समिति गठित की गई है? **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार यदि कोई जांच समिति गठित कर जांच की जा रही है तो प्रथम दृष्टया किन-किन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों

को इस कृत्य के लिए जिम्मेदार पाया गया है? क्या जांच की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है? **(ग)** इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी नहीं, अपितु तत्कालीन कार्यपालन अभियंता द्वारा कुलसचिव दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय को सहायक अभियंता द्वारा माप/देयक पुस्तिकायें कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने संबंधी पत्र लेख किया गया है तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुसंशा की गई है। अनियमितता की जॉच हेतु तत्कालीन निदेशक विस्तार शिक्षा, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में जॉच समिति गठित की गई। **(ख)** जाँच समिति द्वारा सहायक अभियंता द्वारा माप पुस्तिकायें जमा नहीं किये जाने के कारण यह निष्कर्ष निकाला गया की माप पुस्तिकायें उन्ही के पास है। **(ग)** सहायक अभियंता द्वारा माप पुस्तिकायें उपलब्ध नहीं कराये जाने पर तत्कालीक कार्यपालन अभियंता द्वारा शासकीय दस्तावेजों को गुमाने/चोरी करने के संबंध में पुलिस चौकी प्रभारी, अंजोरा दुर्ग को सहायक अभियंता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज किये जाने पत्र लिखा गया है।

<u>छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम अंतर्गत बीज उत्पादन</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

6. (क्र. 1059) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक किसानों द्वारा खरीफ/रबी फसलों के लिये कितनी-कितनी मात्रा में मांग की गयी? मांग के अनुरूप बीज की उपलब्धता कितनी रही तथा बीज उपलब्ध कराने की अवधि क्या तय की गयी है? **(ख)** उक्त वर्ष में खरीफ/रबी फसल के लिये बीज निगम अंतर्गत कितने किसान एवं किन-किन निजी संस्थाओ ने पंजीयन कराया गया तथा किसान/बीज निगम का फर्म/निजी संस्थाओं द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी फसलों का उत्पादन किया गया? कितनी-कितनी राशि, किस दर पर, कितनी अवधि के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी? **(ग)** राज्य में बीज उत्पादन व आत्मनिर्भरता के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये तथा इसके लिये क्या नीति एवं कार्यक्रम किये गये तथा उसका परिणाम क्या रहा? इसके लिये कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है? किन-किन कार्यो के लिये कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? उक्त वर्षवार अलग-अलग बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क), **(ख)** एवं **(ग) जानकारी संकलित की जा ही है।**

<u>बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खरीफ/रबी सीजन के दौरान खाद-बीज की कमी एवं कालाबाजारी</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

7. (क्र. 1678) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान सीजन (खरीफ/रबी 2025-26) में यूरिया, डीएपी और धान/गेहूं के उन्नत बीजों की कितनी मांग निर्धारित की गई थी और अब तक कितनी आपूर्ति सोसायटियों और निजी केंद्रों में की गई है? पृथक-पृथक विवरण देवें। **(ख)** क्या बिलाईगढ़ की सहकारी समितियों में खाद की कमी के कारण किसानों को निजी दुकानों से ऊंचे दामों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर है? यदि नहीं, तो सोसायटियों में वर्तमान स्टॉक की स्थिति क्या है? **(ग)** क्या शासन को बिलाईगढ़ क्षेत्र में खाद-बीज की कालाबाजारी या अमानक (नकली) खाद-बीज की बिक्री की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए शासन ने क्या ठोस कदम उठाए हैं, ताकि बुआई प्रभावित न हो?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखण्ड बिलाईगढ़ हेतु खरीफ वर्ष 2025 एवं रबी वर्ष 2025-26 में यूरिया एवं डीएपी की आँकलित मांग और दिनांक 10.03.2026 तक सहकारी समितियों एवं निजी केन्द्रों में की गई आपूर्ति की मौसमवार, उर्वरकवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** उक्त अवधि में विकासखण्ड बिलाईगढ़ में धान एवं गेंहूं फसल के प्रमाणित बीज की आंकलित मांग एवं दिनांक 10.03.2026 तक सहकारी समितियों में की गई आपूर्ति की मौसमवार, फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** विभाग द्वारा निजी क्षेत्र को बीज की आपूर्ति नहीं की जाती। **(ख)** जी नहीं। बिलाईगढ़ विकासखण्ड की सहकारी समितियों में दिनांक 10.03.2026 की स्थिति में रासायनिक उर्वरकों का कुल 2220.400 मेट्रिक टन स्कंध शेष है। सहकारी समितिवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।(ग)** प्रश्नांकित अवधि में बिलाईगढ़ विकासखण्ड में रासायनिक उर्वरक एवं बीज की कालाबाजारी अथवा अमानक (नकली) उर्वरक एवं बीज की बिक्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(घ)** किसानों को समय पर उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराने के लिये मांग के अनुरूप सहकारी समितियों में रासायनिक उर्वरकों एवं प्रमाणित बीजों का अग्रिम भंडारण खरीफ एवं रबी मौसम प्रारंभ होने के पूर्व ही कराया जाता है तथा विभागीय मैदानी अमलो के माध्यम से अग्रिम भंडारण का व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को अग्रिम उठाव हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड द्वारा भवन अनुज्ञा प्राप्त न किए जाने से राजस्व हानि

[आवास एवं पर्यावरण]

8. (क्र. 1729) श्री रिकेश सेन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या दुर्ग जिला अंतर्गत मलपुरी खुर्द में स्थित जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड द्वारा भवन निर्माण हेतु नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं संबंधित निकाय से विधिवत भवन अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो बिना भवन अनुज्ञा निर्माण कार्य किए जाने से राज्य शासन को कितने राजस्व की हानि हो रही है? **(ग)** क्या उक्त कंपनी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है? यदि हॉ तो क्या? यदि नहीं तो इसके लिए कौन से अधिकारी दोषी हैं? तथा कंपनी पर जुर्माना अधिरोपित कर राजस्व वसूली की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से भवन अनुज्ञा हेतु अनापत्ति प्राप्त की गई है, संबंधित निकाय से भवन अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है।**(ख)** नगर पालिका परिषद् अहिवारा से प्राप्त जानकारी अनुसार राजस्व हानि की गणना वर्तमान में किया जाना संभव नहीं है।**(ग)** जी, हां। नगर पालिका परिषद्, अहिवारा द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

किसानों को समय पर उर्वरक एवं बीज उपलब्ध न हो पाना

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

9. (क्र. 1940) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या यह सत्य है कि वर्ष 2025-26 में राज्य के अनेक किसानों को समय पर उर्वरक एवं बीज उपलब्ध नहीं हो पाया? यदि हॉ तो जिलेवार विवरण दे? **(ख)** कितने जिलों में बीज और उर्वरक की कमी होने की शिकायत प्राप्त हुई?जिले का विवरण दे? **(ग)** राज्य में जिलेवार बीज उर्वरक की आवश्यकता क्या थी और कितनी मात्रा में उपलब्ध कराया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क), (ख) एवं **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**

जिला गरियाबंद में आश्रम/छात्रावासों में सुदृढ़ीकरण/ उन्नयन/ मरम्मत कार्य

[आदिम जाति विकास]

10. (क्र. 2027) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आदिवासी विकास विभाग द्वारा जिला गरियाबंद में वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में आश्रम/छात्रावासों में सुदृढ़ीकरण/ उन्नयन/ मरम्मत के कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्यवार, ग्रामवार, लागत सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांक "क" में वर्णित कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्या है? कार्यवार, ग्रामवार, लागत सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला गरियाबंद में आश्रम/छात्रावासों में सुदृढ़ीकरण/उन्नयन/मरम्मत के वर्ष 2023-24में कुल 134 कार्य, वर्ष 2024-25 में कुल 14 कार्य, वर्ष 2025-26 में कुल 65 कार्य इस प्रकार कुल 213 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, कार्यवार, ग्रामवार, लागत सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

11. (क्र. 2095) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 से 10 फरवरी 2026 तक कितने किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा कराया गया है ? प्रति एकड़ फसल बीमा की राशि क्या है ? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका ''क'' के उक्त किसानों में से कितनें किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया एवं कुल कितनी प्रीमियम राशि जमा कराई गई ? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) फसल बीमा योजनाओ में जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है और बीमित राशि प्रति हेक्टेयर जिलावार अधिसूचित की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खुज्जी विधानसभा से संबधित तहसीलो में मौसम खरीफ वर्ष 2023 में 51134, रबी वर्ष 2023-24 में 6680, खरीफ वर्ष 2024 में 50134, मौसम रबी वर्ष 2024-25 में 4889 एवं खरीफ वर्ष 2025 में 50034, मौसम रबी वर्ष 2025-26 दिनांक 10 फरवरी 2026 तक 4643 कृषकों द्वारा फसल बीमा आवरण प्राप्त किया गया है। फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषको की संख्या और प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत मौसम खरीफ वर्ष 2023 में 294, रबी वर्ष 2023-24 में 772, खरीफ वर्ष 2024 में 356, मौसम रबी वर्ष 2024-25 में 366 एवं खरीफ वर्ष 2025 में 340, मौसम रबी वर्ष 2025-26 दिनांक 10 फरवरी 2026 तक 607 कृषकों द्वारा फसल बीमा आवरण प्राप्त किया गया है। फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषको की संख्या और प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में वर्ष 2023-24 से 10 फरवरी 2026 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक

संख्या एवं क्रियान्वयक बीमा कंपनी को भुगतान किये प्रीमियम की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार **जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

प्रदेश में ग्रामीण विस्तार अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त एवं कार्यरत् पद

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

12. (क्र. 2096) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में ग्रामीण विस्तार अधिकारी के कितनें पद स्वीकृत है? स्वीकृत पद के विरूध्द कितनें पद भरे है एवं कितनें रिक्त हैं? और रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जावेगी? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को बीज निगम में बीज प्रबंधक पद एवं अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है ? यदि हॉ तो किन-किन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को से किस-किस आधार पर प्रतिनियुक्ति प्रदान की गयी है और उन्हें कब तक मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में ग्रामीण विस्तार अधिकारी के 4456 पद स्वीकृत है। स्वीकृत पद के विरूद्ध 3136 पद भरे है एवं 1320 रिक्त है। रिक्त पद की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। (ख)** जी हाँ। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीयों के मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

धमतरी जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना

[पर्यटन]

13. (क्र. 2226) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिले में पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख रूप से कौन-कौन से पर्यटन/स्थल/स्मारक स्थित है ? शासन ने जिले में पर्यटन को बढ़ावा देनें, सैलानियों को आकर्षित करने हेतु कौन-कौन से पर्यटन स्थलों को विकसित करने की क्या योजना बनाई है ? **(ख)** सिहावा श्रृंगी ऋषि /नरहरा जलप्रपात/निराई माता/माडमसिल्ली डैम को टूरिस्ट स्थल के रूप में विकसित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्पॉट बनाने की क्या योजना है ? **(ग)** वर्तमान में सिहावा श्रृंगी ऋषि/नरहरा जलप्रपात/निराई माता माडमसिल्ली डैम में पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के मनोरंजन, आवास, भ्रमण व प्रदर्शिनी आदि की क्या-क्या व्यवस्था, संसाधन व सुविधाएं है ? कौन-कौन से संसाधन व सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है ? इस संबंध में जिला प्रशासन व राज्य पर्यटन निगम के द्वारा क्या प्रयास किये गये है ? विकास की क्या योजना बनाई है ? कृपया अवगत करावें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) धमतरी जिले में पर्यटन की दृष्टि से चिन्हांकित किए गए पर्यटन स्थलों की सूची **संलग्न प्रपत्र- अ** अनुसार है। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने, सैलानियों को आकर्षित करने हेतु विभाग द्वारा एवं जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसका विवरण **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है।**(ख)** प्रस्तावित स्थल सिहावा श्रृंगी ऋषि एवं नरहरा जलप्रपात को टूरिस्ट स्थल के रुप में विकसित करने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जिसका विवरण **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है। वर्तमान में निराई माता के पर्यटन विकास हेतु कोई योजना प्रस्तावित नही है। **(ग)** जिला कलेक्टर से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में सिहावा श्रृंगी ऋषि/नरहरा जलप्रताप/निराई माता/माडमसिल्ली डैम में पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के मनोरंजन हेतु आकर्षक चित्रकारी, आवास हेतु होमस्टे को प्रोत्साहन, भ्रमण व प्रदर्शनी

हेतु स्थानीय रूप से गठित समिति के माध्यम से पर्यटकों को उस क्षेत्र की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। भविष्य में प्रदेश में चिन्हांकित पर्यटन स्थल एवं नए स्थलों का सर्वे कराकर जिला स्तरीय पर्यटन समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर नवीन पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया जायेगा एवं बजट उपलब्धतानुसार आवश्यक संसाधन एवं पर्यटक सुविधाएं विकसित करने की कार्यवाही की जायेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

भटचौरा स्थित 50 सीटर छात्रावास भवन में तीन प्री-मैट्रिक छात्रावासों का एक साथ संचालन

[आदिम जाति विकास]

14. (क्र. 2442) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या यह सत्य है कि भटचौरा स्थित 50 सीटर छात्रावास भवन में एक ही परिसर में तीन-तीन छात्रावास प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मानिकचौरी, प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भटचौरा एवं प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भटचौरा संचालित किए जा रहे हैं? **(ख)** यदि हॉ तो एक ही 50 सीटर भवन में तीन छात्रावास संचालित करने की प्रशासनिक स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा, कब और किन शर्तों के आधार पर प्रदान की गई? क्या इसके लिए पृथक-पृथक अधीक्षक,भोजन व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था स्वीकृत हैं? **(ग)** वर्तमान में प्रत्येक छात्रावास में स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध वास्तविक निवासरत छात्रों की संख्या कितनी है? क्या मूलभूत सुविधाएँ-शौचालय, स्नानघर,पेयजल, अध्ययन कक्ष एवं शयन व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) जी हाँ। प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मानिकचौरी, प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भटचौरा एवं प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भटचौरा का संचालन एक ही परिसर प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भटचौरा में संचालित किया जा रहा है। **(ख)** प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भटचौरा का स्वयं का भवन न होने से प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भटचौरा के भवन में संचालित किया जा रहा है। प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मानिकचौरी किराए के भवन में संचालित था किन्तु किराये के भवन में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण एवं मानिकचौरी में किराये का भवन एवं अन्य शासकीय भवन उपलब्ध न होने से तात्कालिक व्यवस्था अंतर्गत दिनांक 05.07.2024 से संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। छात्रावास संचालन की दृष्टि से कार्यालय द्वारा मौखिक रूप से संचालन करने की अनुमति दी गई। वर्तमान में दो अधीक्षकों (1. अधीक्षक श्री तरूण केशरवानी, प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भटचौरा एवं 2. अधीक्षक श्री आलोक शर्मा, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भटचौरा) की पदोन्नति हो गई है। चूंकि तीनों संस्था एक ही परिसर में होने के कारण एक ही अधीक्षक द्वारा तीनों छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। तीनों छात्रावासों के भोजन व्यवस्था एक ही परिसर में संचालित होने से संयुक्त मेस संचालन एवं सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** जी हाँ, छात्रावास में मूलभूत सुविधाएं-शौचालय, स्नानागार, पेयजल, विद्युत, अध्ययन कक्ष एवं शयन व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

आवासीय शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यसंचालन

[आदिम जाति विकास]

15. (क्र. 2547) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला बस्तर में आदिवासी विकास विभाग के अधीन संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण

संस्थान (खेल परिसर, प्रयास विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय) के लिए स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त सहित इन संस्थानों में बच्चों/ प्रशिक्षणार्थियों की दर्ज संख्या अद्यतन स्थिति में बतावें? **(ख)** इन संस्थानों के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्राप्त बजट एवं व्यय की स्थिति मदवार बतावें? **(ग)** इन संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी दे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''स''** अनुसार है।

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[पशुधन विकास]

16. (क्र. 2549) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022-23 की स्थिति में छ0ग0 राज्य के जिलों में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद की स्थिति सहित 2022-23 के बाद नवीन सृजित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद के विरूद्ध कार्यरत एवं रिक्तता की स्थिति बतावें ? **(ख)** छ0ग0 राज्य अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र, पशु चिकित्सालय, शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र तथा कार्यालय उपसंचालक एवं सयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवा कार्यालय हैं जहां सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत की स्थिति शून्य (निरंक) है ? **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के परिपेक्ष्य में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की पदस्थापना की स्थिति निरंक होने पर विभागीय कार्यक्रमों, योजनाओं का क्रियान्वयन(टीकाकारण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, पशु- पक्षी उपचार, हितग्राहियों को पशु-पक्षियों का वितरण कार्य) की कार्यवाही की स्थिति बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022-23 की स्थिति में छ.ग. राज्य के जिलों में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 2175 पद स्वीकृत, 1172 पद कार्यरत एवं 1003 पद रिक्त थे। वर्ष 2022-23 के बाद नवीन सृजित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद के विरूद्ध कार्यरत एवं रिक्तता की स्थिति निम्नानुसार है-

क्र.	संस्था का नाम	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद की स्वीकृति		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	25 नवीन पशु औषधालय की स्वीकृति अंतर्गत	25	4	21
2	17 पशु औषधालय से पशु चिकित्सालय में उन्नयन अंतर्गत	17	3	14
3	17 नवीन जिलों में जिला रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की स्वीकृति अंतर्गत	15	0	15
योग		57	7	50

(ख) छ.ग राज्य अंतर्गत पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र, पशु चिकित्सालय, शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र तथा कार्यालय उपसंचालक एवं संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवा कार्यालय, जहां सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत की स्थिति निरंक है की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र अनुसार है।(ग)** प्रश्नांक **(ख)** के परिपेक्ष्य में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की पदस्थापना की स्थिति निरंक होने पर विभागीय कार्यक्रमों, योजनाओं का क्रियान्वयन (टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, पशु-पक्षी उपचार, हितग्राहियों को पशु-पक्षियों का वितरण कार्य) की कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार हैं-

संस्था का नाम	कार्य का विवरण	रिमार्क
पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालय	टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, पशु-पक्षी उपचार, हितग्राहियों को पशु-पक्षियों का वितरण कार्य	निकटस्थ संस्था के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाकर तथा संस्था में पदस्थ अन्य कर्मचारियों, प्रशिक्षित गौसेवको, प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं, मैत्री वर्कर, तथा पशु सखियों के सहयोग से विभागीय कार्यक्रमों, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता हैं।
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र,एवं मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, पशु-पक्षी उपचार, हितग्राहियों को पशु-पक्षियों का वितरण कार्य	निकटस्थ संस्था के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाकर तथा संस्था में पदस्थ अन्य कर्मचारियों, प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं तथा मैत्री वर्कर के सहयोग से विभागीय कार्यक्रमों, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता हैं।
शासकीय प्रक्षेत्र (पशु/पक्षी)	प्रक्षेत्र प्रबंधक के निर्देशानुसार आवंटित कार्य का सम्पादन	प्रक्षेत्र में पदस्थ अन्य कर्मचारियों से कार्य लिया जाता है।
कार्यालय संयुक्त संचालक/उप संचालक,प.चि.से.एवं जिला रोग अन्वेषण प्रयोगशाला	कार्यालय प्रमुख के निर्देशानुसारआवंटित कार्य का सम्पादन	पदस्थ अन्य कर्मचारियों के सहयोग से कार्य का सम्पादन किया जाता है।

कृषि विभाग के अंतर्गत निदेशालय, कृषि यंत्री कार्यालय एवं सहायक कृषि यंत्री कार्यालय का गठन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

17. (क्र. 2590) श्री देवेन्द्र यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बजट वर्ष 2024-25 के बजट भाषण दिनांक 09.02.2024 में छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि के आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण एवं तकनीकी सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कृषि अभियांत्रिकी हेतु एक पृथक निदेशालय, 02 कृषि यंत्री कार्यालय (दुर्ग एवं सरगुजा) तथा 07 सहायक कृषि यंत्री कार्यालय (बेमेतरा, कोरबा, बलरामपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव एवं कोंडागांव) के गठन हेतु बजट प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई थी? **(ख)** यदि हां, तो क्या उक्त कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय तथा 02 कृषि यंत्री कार्यालय एवं 07 सहायक कृषि यंत्री कार्यालयों का विधिवत गठन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उनकी वर्तमान प्रशासनिक एवं क्रियात्मक स्थिति क्या है? **(ग)** यदि इन कार्यालयों का गठन अब तक नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं तथा कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ वर्तमान में लंबित हैं? **(घ)** उक्त निदेशालय एवं कार्यालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील किए जाने की संभावित समय-सीमा क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2024-25 के बजट भाषण दिनांक 09.02.2024 में छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि अभियांत्रिकी हेतु एक पृथक निदेशालय, 02 कृषि यंत्री कार्यालय (दुर्ग एवं सरगुजा) की स्थापना किये जाने सम्बन्धी उल्लेख था। **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार कार्यालयो के गठन संबंधी प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है वर्तमान में वित्तीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाहियां प्रक्रियाधीन है।

(ग) कंडिका 'ख' अनुसार वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है। **(घ)** कंडिका "ग" के परिपेक्ष्य में निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नही है।

कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रवेश

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

18. (क्र. 2613) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कुल कितने शासकीय एवं निजी कृषि अभियांत्रिकीय महाविद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं? महाविद्यालयों में कुल स्वीकृत छात्र-छात्राओं की प्रवेश संख्या कितनी है तथा वर्तमान में कितने अध्ययनरत हैं? स्थानवार, जिलावार बतावें। **(ख)** कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंगेली में विभिन्न संवर्गो के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं, रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगीं समयावधी बतावें। **(ग)** कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं विषयों की क्या आर्हताएं है? प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के अलावा अन्य राज्यों तथा आईसीएआर कोटा से प्रवेश हेतु भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के विद्यार्थीयों को भी प्रवेश देने हेतु कोई योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हां, तो कब की जावेगी, यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) प्रदेश में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधीन शासकीय एवं निजी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें स्वीकृत प्रवेश संख्या एवं वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंगेली में विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।**(ग)** कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विज्ञान समूह- भौतिक, रसायन, गणित में 12वीं (10+2) उत्तीर्ण है। जी नहीं, भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के विद्यार्थियों को प्रवेश देना विचाराधीन नहीं है, अतः शेष जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

केन्द्र तथा राज्य योजनाओं के अंतर्गत किसानों/हितग्राहियों को वितरित कृषि उपकरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

19. (क्र. 2614) श्री अनुज शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**जिला रायपुर में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 15/02/2026 तक केन्द्र तथा राज्य योजनाओं के अंतर्गत कितने-कितने किसानों/हितग्राहियों को कौन-कौन से कृषि उपकरण एवं कितनी-कितनी अनुदान राशि का वितरण किया गया?योजनावार ,वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)**प्रश्नांक 'क' अवधि में कितने-कितने तथा कौन-कौन से कृषि उपकरणों की खरीदी किन माध्यमों से विभाग के द्वारा की गई?विवरण प्रदान करें? **(ग)**प्रश्नांक 'ख' अनुसार उपकरण/यंत्रों की खरीद में क्या निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी? यदि हां तो किन-किन निविदाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया में भाग लिया? विवरण प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) संचालनालय कृषि अंतर्गत जिला रायपुर में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 15/02/2026 तक केन्द्र तथा राज्य योजनाओं के अंतर्गत कुल 1809 हितग्राहियों को लाभांवित कर राशि ₹905.02 लाख अनुदान प्रदाय किया गया है। अनुदान पर वितरित कृषि यंत्रों/उपकरणों व अनुदान राशि की वर्षवार, योजनावार एवं विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत जिला रायपुर में वर्ष 2024-25 में केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय बागवानी

मिशन अंतर्गत 89 कृषकों को उनके द्वारा क्रय किये गए पावर वीडर एवं पावर स्प्रेयर पर राशि ₹55.12 लाख का अनुदान उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया। वर्षवार, योजनावार एवं विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** वर्ष 2025-26 में में दिनांक 15/02/26 तक कृषकों को प्रदाय अनुदान की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार संचालनालय कृषि अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 15.02.2026 तक राज्य पोषित योजना जैविक खेती मिशन अंतर्गत अंबिका पेडीवीडर एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजनांतर्गत नैपसेक स्प्रेयर जेम पोर्टल (सीमित निविदा पद्धति) के माध्यम से खरीदी की गई है। वितरित यंत्रों का योजनावार, यंत्रवार **विवरण संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी द्वारा कोई भी कृषि उपकरण की खरीदी नहीं की गई है, अतः जानकारी निरंक है।**(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार संचालनालय कृषि अंतर्गत जेम पोर्टल में सीमित निविदा पद्धति से क्रय किया गया है। क्रय की प्रक्रिया में दरों के तुलनात्मक विवरण में संस्थाओं एवं प्रोपराईटर के नाम प्रदर्शित नहीं होते। न्यूनतम दर के चयन उपरांत इससे संबंधित आपूर्तिकर्ता संस्था/प्रोपराईटर का नाम प्रदर्शित होता है जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

जलाशयों/जलक्षेत्रों को मछुआ समिति/ग्राम पंचायत या निकायों को आबंटित किये जाने की प्रक्रिया

[मछली पालन]

20. (क्र. 2623) श्री अनुज शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**रायपुर जिले अंतर्गत किन-किन जलाशयों/जलक्षेत्रों को किन-किन मछुआ समिति/ग्राम पंचायत या निकायों को कितने-कितने वर्ष की लीज अवधि/ठेेके पर आबंटित किया गया है? विकासखण्ड़ व ग्राम पंचायतवार विवरण प्रदान करें? **(ख)**प्रश्नांक 'क' अनुसार इन जलाशयों/जलक्षेत्रों को किन-किन नियमों तथा कितनी-कितनी राशि पर इन समितियों को प्रदाय किया गया? क्या निर्धारित नियमों के तहत इनका संचालन किया जा रहा है? **(ग)**प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या किसी जलाशय/जलक्षेत्र में समितियों अथवा ग्राम में विवाद की स्थिति निर्मित हुई है? यदि हां, तो क्या और विभाग द्वारा इस विवाद को सुलझाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)**पूर्व में आबंटित जलाशय की लीज/ठेके को बदल कर नयी समितियों को आबंटन किये जाने की क्या प्रक्रिया हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) रायपुर जिले अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतों व नगरीय निकायों के अधिनस्थ जलाशयों/तालाबों को 10 वर्षीय लीज़ पर मछुआ सहकारी समिति/समूह/व्यक्ति को आबंटित किया गया है, त्रि-स्तरीय पंचायतों की विकासखण्डवार/ग्राम पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है**तथा नगरीय निकायों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार इन जलाशयों/तालाबों को नवीन मछलीपालन नीति-2022 में निहित निर्देश/प्रक्रिया के तहत् आबंटित किया गया है, पट्टाधारकों से प्राप्त प्रारंभिक पट्टा राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है।**जी हां, निर्धारित नियमों के तहत इनका संचालन किया जा रहा है। **(ग)** जी हां, प्रश्नांक 'क' अनुसार मानपुर जलाशय के पट्टा आबंटन में 03 मत्स्य सहकारी समितियों के मध्य में विवाद की स्थिति निर्मित हुई, विभाग द्वारा नवीन मछलीपालन नीति में निर्धारित नियमों के तहत् सबसे पुरानी क्रियाशील मत्स्य सहकारी समिति को पट्टा आबंटन हेतु अनुमति दिया गया है। **(घ)** यदि पूर्व में आबंटित पट्टाधारक द्वारा मछली पालन नीति अनुरूप निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो नियमानुसार आबंटन निरस्त कर नए सिरे से पट्टा आबंटन की कार्यवाही किए जाने की प्रावधान है।

खाद बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

21. (क्र. 2647) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 15/02/2026 तक कौन-कौन से एवं कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज की मांग थी ? मांग के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई ? उनमें से निजी संस्थाओं एव सरकारी संस्थाओं को किस अनुपात में देने का प्रावधान है और किस अनुपात में, कितनी-कितनी मात्रा में, किस दर पर निजी संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया ? इन निजी संस्थाओं द्वारा किसानों को कितने मूल्यों पर विक्रय किया गया ? जानकारी अलग-अलग बतायें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार किसानों की मांग के अनुरूप कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक व बीज की कमी आयी एवं सहकारी संस्था को वितरण की गयी? रासायनिक खाद / उर्वरक एवं बीज को किसानों को कितनी-कितनी दरों पर विक्रय किया गया ? क्या कालाबाज़ारी, जमाखोरी एवं अनियमित वितरण पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**

जिला धमतरी में मछली पालन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों को लाभ वितरण

[मछली पालन]

22. (क्र. 2815) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022-23 से15-02-2026 तक जिला धमतरी व कांकेर में मछली पालन विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है तथा इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है? विकासखण्ड-वार विवरण दें? **(ख)** क्या धमतरी एवं कांकेर जिलों में तालाबों के जीर्णोद्धार, बीज मछली की उपलब्धता तथा आहार वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या जाँच की गई? दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण क्या है? **(ग)** मछुआ समुदाय की आय में वृद्धि एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कार्ययोजना बनाई गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022-23 से 15.02.2026 तक जिला धमतरी व कांकेर में मछली पालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 6257 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है तथा इस पर कुल राशि रू. 3179.65 लाख व्यय की गई है, विकासखण्डवार, योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।(ख)** जी नहीं, धमतरी एवं कांकेर जिलों में तालाबों के जीर्णोद्धार, मछली बीज की उपलब्धता तथा आहार वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। **(ग)** जी हां, मछुआ समुदाय की आय में वृद्धि एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु विभागीय प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाकर एवं शासन की राज्य पोषित व केन्द्र पोषित योजनाओं से लाभान्वित करके आय में वृद्धि की जा रही है। उक्त हेतु शासन द्वारा नवीन मछलीपालन नीति-2022 जारी की गई है।

मछली पालन विभाग में तालाब पट्टा, अनुदान वितरण एवं निगरानी व्यवस्था

[मछली पालन]

23. (क्र. 2816) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022-23 से 15-02-2026 तक जिला धमतरी में कितने शासकीय/पंचायती तालाब मछली पालन हेतु पट्टे पर दिए गए हैं तथा उनसे शासन को कितनी राजस्व प्राप्ति हुई है? विकासखण्ड-वार विवरण दें? **(ख)** क्या

उक्त जिले में तालाब पट्टा वितरण एवं अनुदान स्वीकृति में अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो अब तक की गई जाँच एवं निरस्तीकरण की संख्या कितनी है? **(ग)** मछुआ सहकारी समितियों को सशक्त बनाने एवं विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या निगरानी व्यवस्था लागू की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022-23 से 15-02-2026 तक जिला धमतरी में 306 शासकीय/पंचायती तालाबों को मछली पालन हेतु पट्टे पर दिए गए हैं तथा उनसे शासन को राशि रू. 17.58 लाख राजस्व प्राप्ति हुई है। विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।(ख)** जी हां, उक्त जिले में तालाब पट्टा वितरण एवं अनुदान स्वीकृति में अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिए जाने की 01 शिकायत प्राप्त हुई है। जाँच प्रक्रियाधीन है एवं निरस्तीकरण की संख्या निरंक है। **(ग)** मछुआ सहकारी समितियों को सशक्त बनाने हेतु नवीन मछलीपालन नीति-2022 अंतर्गत पट्टा आबंटन में प्रथम प्राथमिकता क्रम, विभागीय योजनाओं में प्राथमिकता, नवीन गठित मछुआ सहकारी समितियों को प्रधानमंत्री कृषक सह समृद्धि योजनांतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु योजनांतर्गत किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन के पश्चात् अनुदान राशि का डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किए जाने की व्यवस्था लागू है।

दंतेवाड़ा के किरंदुल में खनिज अवशेष को नदी किनारे डंप किया जाना

[आवास एवं पर्यावरण]

24. (क्र. 2818) श्री विक्रम मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** किरंदुल स्थित आर्सेलर मित्तल कम्पनी से प्रतिदिन कितना खनिज अवशेष (लाल मिट्टी) का उत्सर्जन होता है? लाल मिट्टी के सुव्यवस्थित निस्तारण हेतु पर्यावरण संरक्षण विभाग एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की गाईड लाईन क्या है? क्या नियम का पालन आर्सेलर मित्तल कंपनी द्वारा किया जा रहा है? **(ख)** ग्राम पूरन तराई में डंकिनी शंखिनी संगम के पास कम्पनी से निकलने वाले खनिज अवशेष (टेलिंग्स) को नदी तट से कितनी दूर पर डम्प किया जा रहा है? क्या इस हेतु विधिवत अनुमति ली गई है? यदि हां तो अनुमति का विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार निकलने वाले खनिज अवशेष के प्रभाव से कितने क्षेत्रफल की खेती प्रभावित हो रही है? कितने ग्रामों में भूजल से लाल पानी (आर्सेनिक युक्त) आ रहा है? विवरण देवें? **(घ)** एन.जी.टी. के निर्देशों एवं गाईड लाइन का उल्लंघन करने पर कम्पनी के विरूद्ध पिछले दो वर्षो में प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही का ब्यौरा देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) मेसर्स आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, आयरन ओर बेनीफिकेशन प्लांट, किरंदुल, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से प्रतिदिन लगभग 1300 टन आयरन ओर टेलिंग्स जनित होता है। जनित आयरन ओर टेलिंग्स के निस्तारण के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा खदान को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981के अंतर्गत जारी की जाने वाली संचालन सम्मति में आयरन ओर टेलिंग्स के डंपिंग हेतु उपयुक्त स्थल का चयन, गारलैंड ड्रेन एवं चेक डैम का निर्माण, ओवरबर्डन का भराव सामग्री के रूप में पुनः उपयोग, भंडारण स्थल पर लीचेट उत्पन्न होने से रोकने हेतु आवश्यक उपाय आदि शर्तें निहित की जाती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। उद्योग मेसर्स आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा उक्त नियमों का पालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टेलिंग्स के सुरक्षित भंडारण हेतु मिनी टेलिंग पॉण्ड, मेन टेलिंग्स स्टोरेज फेसिलिटी की व्यवस्था की गई है। भंडारण स्थल पर लीचेट उत्पन्न होने से रोकने हेतु आवश्यक उपाय यथा सैन्ड बैग, टो-वाल, गारलैण्ड ड्रैन, सेटलिंग पॉण्ड आदि की व्यवस्था की गई

है।**(ख)** मेसर्स आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा ग्राम पूरनतराई मे आयरन ओर टेलिंग्स को डंकनी नदी तट से लगभग 114 मीटर की दूरी पर डम्प किया जा रहा है। डम्पिंग स्थल डंकनी-शंखिनी नदी संगम स्थल से लगभग 1.40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त स्थल पर आयरन ओर टेलिंग्स की डम्पिंग हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 05/01/2026 तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा दिनांक 16/01/2026 को सशर्त अनुमति जारी की गई है।**(ग)** कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत किरंदुल क्षेत्र एवं आसपास के प्रभावित माने जाने वाले ग्रामों में कृषि विभाग को किसी भी किसान द्वारा खनिज अवशेष (लाल मिट्टी) के कारण खेती प्रभावित होने के संबंध मे कोई भी लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खंड, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार खनिज अवशेष (लाल मिट्टी) के प्रभाव से कोई भी ग्राम में भूजल से लाल पानी (आर्सेनिक युक्त) नहीं आ रहा है।**(घ)**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को उद्योग के विरूद्ध पिछले दो वर्षों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोल ब्लाक की वन स्वीकृति

[आदिम जाति विकास]

25. (क्र. 2819) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जिला पंचायत सभागार अंबिकापुर में सुनवाई आयोजित कर दिनांक 04.11.2024 को प्रेषित प्रतिवेदन में हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोल ब्लाक के प्रभावित ग्राम साल्ही, हरिहरपुर, फतेहपुर में फर्जी ग्राम सभाओं के आयोजन की शिकायत की गई है? **(ख)** क्या आयोग की जांच में फर्जी एवं कूटरचित ग्राम सभा प्रस्ताव का विधि विरूद्ध जनसुनवाई किये जाने का तथ्य पाया गया अथवा नहीं? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार आयोग द्वारा शासन और संबंधित विभाग को प्रेषित जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां। **(ख)** उक्त शिकायत के संबंध में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिनांक 10.09.2024 को जिला पंचायत सभागार अंबिकापुर में सुनवाई की गई थी। शिकायत सही पाये जाने पर आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा पत्र क्रमांक 4307 दिनांक 04.11.2024 द्वारा कलेक्टर, जिला- सरगुजा को जांच प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। **(ग)** इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उदयपुर, जिला सरगुजा ने अपने पत्र क्रमांक-155 दिनांक 26.02.2026 जो सचिव, छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को संबोधित है के साथ पत्र क्रमांक 1378 दिनांक 31.12.2018 संलग्न किया गया है, जिसमें दिनांक 24.01.2018 को हरिहरपुर, दिनांक 27.01.2018 को ग्राम साल्ही, दिनांक 26.08.2017 को ग्राम फत्तेपुर एवं दिनांक 22.04.2018 को ग्राम घाटबर्रा में ग्राम सभा का आयोजन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिये वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

खूटाघाट बांध में स्वीकृत ग्लास हाउस रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य

[पर्यटन]

26. (क्र. 2825) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिले में पर्यटन विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य योजना हॉटल मोटल एवं कॉटेज का संचालन किया जा रहा है? **(ख)** क्या बिलासपुर जिले के खूटाघाट बांध में ग्लास हाउस रेस्टोरेंट और कॉटेज निर्माण की

कोई योजना प्रस्तावित अथवा स्वीकृत है? अगर हॉ तो योजना अथवा कार्य का नाम वर्ष एवं राशि का विवरण क्या है? **(ग)** प्रश्न के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? अगर हॉ तो कब जारी की गई है और कितनी राशि जारी की गई है? **(घ)** क्या ग्लास हाउस रेस्टोरेंट और कॉटेज निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है? अगर हॉ तो कब प्रारंभ किया गया है? निर्माण एंजेसी कौन है? अगर नहीं तो किन कारणों से लंबित है और कब से निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा? 15/02/2026 तक निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) बिलासपुर जिले में ग्राम विजयपुर में विजयपुर मंदिर किला में राशि रुपए 20.00 लाख से शेड निर्माण का कार्य जिला कलेक्टर के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर जिले में पर्यटन विभाग द्वारा कुरदर हिल ईको रिसॉर्ट, कुरदर (वुडन कॉटेज) का संचालन माह अगस्त 2019 से किया जा रहा है।**(ख)** जी हॉ। वर्ष 2022-23 में बिलासपुर जिले के खूंटाघाट बांध में राशि रू. 295.45 लाख के ''खारंग जलाशय के बांयी तट स्लूस गेट के समीप टापू में ग्लास हाउस (रेस्टोरेंट) का निर्माण कार्य'' प्रस्तावित है। **(ग)** जी हॉ। खूंटाघाट बांध में ग्लास हाउस रेस्टोरेंट निर्माण कार्य हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 3128 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर को प्राक्कलित लागत राशि रू. 295.45 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दिनांक 18.11.2022 को राशि रू. 10.00 लाख जारी किया गया था। **(घ)** ग्लास हाउस रेस्टोरेंट और कॉटेज निर्माण का कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। कार्यालयीन पत्र दिनांक 14.11.2022 के द्वारा कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर को कार्यादेश प्रदाय कर निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, नवा रायपुर के पत्र में दिए गए निर्देशानुसार प्रस्तावित स्थल पर कार्य नही कराया जा सकता। तत्संबंध में निर्माण स्थल में परिवर्तन होने से पुनः प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कलेक्टर जिला बिलासपुर को पुनः खूंटाघाट जलाशय के पूर्व प्रस्तावित आईलैण्ड की भूमि में ग्लास हाउस व कॉटेज आदि का निर्माण नही कराने तथा जल संसाधन विभाग द्वारा नवीन प्रस्तावित ''ब'' बांध के समीप 1 हेक्टेयर भूमि में कार्य कराये जाने के संबंध में नवीन प्रस्तावित स्थल का परीक्षण कराकर उपर्युक्त प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लेख किया गया, तत्संबंध में कलेक्टर, जिला बिलासपुर से प्रस्ताव अप्राप्त है ।

<u>जिला रायगढ़ में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु जा रहे प्रयास</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

27. (क्र. 2826) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए पिछले 03 वर्षों में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं व कृषि विभाग के द्वारा इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए हैं? क्या विभाग के प्रयासों से जैविक खेती करने वाले किसानों की आय में वृद्धि हुई है? विकासखंडवॉर जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अवधि से 15/02/2026 जनवरी, तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, विकासखंडवॉर जानकारी देंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला रायगढ़ में जैविक कृषि को बढ़ावा देने लैलूंगा विकासखण्ड को चिन्हांकित किया गया है। पिछले तीन वर्षों में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन तथा केन्द्र प्रवर्तित परम्परागत कृषि विकास योजना संचालित है। विभाग द्वारा योजना के प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम, जैविक कम्पोस्ट उत्पादन, जैविक फसल प्रदर्शन, पी.जी. एस. प्रमाणीकरण, कीटनाशी अवशेष परीक्षण, जैविक उत्पादों के विपणन व प्रचार-प्रसार हेतु जैविक किसान मेला का आयोजन आदि के माध्यम से जैविक खेती के अंगीकरण हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जा रहे है। लैलूंगा विकासखण्ड के कृषकों द्वारा मुख्य रूप से धान एवं उड़द फसलों की जैविक खेती की जाती है। जैविक उत्पादों का विक्रय मूल्य सामान्य उत्पादों से अधिक प्राप्त होता है। सामान्य रूप से उत्पादित धान की अपेक्षा जैविक

धान का विक्रय मूल्य लगभग 45 से 48 प्रतिशत अधिक तथा जैविक उड़द का विक्रय मूल्य लगभग 85 से 87 प्रतिशत अधिक प्राप्त होता है। किसानों की आय में वृद्धि का पृथक से आंकलन विभाग द्वारा नहीं किया जाता, अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। **(ख)** प्रश्नांक (क) अवधि से 15/02/2026 तक जिला-रायगढ़ के लैलूंगा विकासखंड के कुल 1762 किसान लाभान्वित हुए हैं।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत स्वीकृति ग्राम

[आदिम जाति विकास]

28. (क्र. 2834) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत वर्ष 2023-24 से 31 जनवरी, 2026 तक प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.ए.जी.वाय) के तहत कितने ग्रामो का चयन किया गया है? जिले में चिन्हित ग्रामों की जानकारी विकासखंडवार देवें। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार चिन्हित ग्रामों में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कब-कब किये गये है? कार्यवार, जानकारी देवें। **(ग)** उक्त योजना के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लिए किस-किस प्रकार की सामाजिक और वित्तीय सुधार के कार्य किये जाने की योजना बनाई गई है? जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किये गए है? विकासखंडवार, ग्रामवार व्यय राशि की जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.ए.जी.वाय) के तहत जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत 89 ग्रामों का पूर्व में चयन किया गया है। वर्ष 2023-24 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में चयन नहीं किया गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख)** प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना हेतु दी गई वित्तीय स्वीकृति में जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी शामिल नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जनजातीय समुदाय के सामाजिक और वित्तीय सुधार के लिए योजना के दिशा-निर्देशानुसार जनजातीय क्षेत्रों के विकास/सुधार हेतु ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है जिसमें निम्नांकित क्षेत्रों जैसे- स्वास्थ्य और पोषण, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, मकान, कौशल प्रशिक्षण, विद्युत वितरण, संपर्क सड़क, मोबाईल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, कृषि और गैर-कृषि गतिविधियां, कौशल और उद्यमिता विकास, बाज़ार हस्तक्षेप, वित्तीय समावेश, सामाजिक सुरक्षा एवं डिजिटाइजेशन इत्यादि क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य लिये जाने का प्रावधान है। **(घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

आदिम जाति विकास विभाग में सामग्री क्रय की जांच

[आदिम जाति विकास]

29. (क्र. 2836) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया व गरियाबंद जिला में वर्ष 2023-2024 एवं 2024-2025 में छात्रावास/आश्रम हेतु फर्नीचर, बर्तन अन्य सामग्रियों का क्रय किया गया है ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में, किस दर पर व क्या-क्या, एवं किन संस्थानों द्वारा ? **(ख)** क्या विभाग द्वारा सामग्री क्रय करने हेतु नियम बनाया गया है एवं क्रय करते समय इन नियमों का पालन किया जा रहा है ? **(ग)** क्या प्रश्नांक 'क' में उल्लेखित अवधि में सामग्रियों के क्रय बाजार भाव से ज्यादा था ? यदि हां, तो कितना ज्यादा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां, जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित प्रावधान अनुसार सी.एस.आई.डी.सी. ई-मानक तथा Gem Portel के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की गई है। **(ग)** प्रश्नांक ''क'' के संबंध में नियमानुसार

क्रय की कार्यवाही की गई है। तत्समय सी.एस. आई.डी.सी. ई-मानक तथा Gem Portelमें प्रचलित दर से किया गया है।

राज्य के मोवार/मौवार जाति को अ.ज.जा. में शामिल किया जाना

[आदिम जाति विकास]

30. (क्र. 2837) श्री फूलसिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सत्य है कि लेकिन मात्र राज्य के कई जिलों में निवासरत मोवार/मौवार जाति को अ.ज.जा. का दर्जा प्राप्त है कोरबा, जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले के मोवार/मौवार जाति को अ.ज.जा. का दर्जा प्राप्त नहीं है यदि हॉ तो अ.ज.जा. का दर्जा देने हेतु क्या कार्चवाही की जा रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी नहीं। राज्य के किसी भी जिले में मोवार/मौवार जाति को अ.ज.जा. का दर्जा प्राप्त नहीं है। मोवार/मौवार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में प्राप्त आवेदन के तारतम्य में कार्यालयीन पत्र कं/जा.प./मोवार (मन्नेवार)/08/4451 दिनांक 23.08.08 के माध्यम से उक्त जाति के नृजातीय अध्ययन हेतु समाज प्रमुखों से प्रारंभिक जानकारी यथा शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एवं जनसांख्यिकी संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, परंतु वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त रही है। समाज द्वारा उक्त जानकारी प्रदाय किये जाने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन

[आवास एवं पर्यावरण]

31. (क्र. 2838) श्री दिलीप लहरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चिल्हाटी में मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित ओपन कास्ट पद्धति से केप्टिव चूना पत्थर खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति किन शर्तों के साथ प्रदान की गई थी? विवरण देवें? **(ख)** क्या खदान संचालन के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित डस्ट सप्रेशन सिस्टम, नियमित जल छिड़काव, हरित पट्टी विकास, ओवरबर्डन डंपिंग का वैज्ञानिक प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी, अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिल्हाटी में संचालित मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड को भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में ओपन कास्ट मेकेनाईज़्ड पद्धति से खनन करने, माइनिंग लीज क्षेत्र के बाउन्ड्री पर सघन वृक्षारोपण करने, ठोस अपशिष्ट यथा टॉप सॉइल एवं ओवरबर्डन डम्प को निर्धारित स्थान पर डम्प करने, फ्यूजिटीव डस्ट के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था तथा मिनरल्स का ढककर परिवहन करने, जल स्त्रोतों की नियमित मॉनिटरिंग करने, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग करने, कॉलोनी हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करने, परिवेशीय वायु गुणवत्ता का नियमित मापन करने, ध्वनि स्तर को निर्धारित मानक के भीतर रखने, शिवनाथ नदी, जल स्त्रोतों तथा निकटतम ग्रामों पर विपरीत प्रभाव न पड़े इस हेतु सुरक्षात्मक उपाय करने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था करने की प्रमुख शर्तें निहित हैं। **(ख)** जी नहीं। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

नवीन मछली पालन नीति की अवहेलना कर तालाब एवं जलाशय का आबंटन

[मछली पालन]

32. (क्र. 2841) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में कितने मछुवारा समिति एवं मछुआ समूह पंजीकृत हैं? क्या नवीन मछली पालन नीति में (सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा एवं मल्लाह के) पंजीकृत समूहों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है? यदि हां तो वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितने तालाबों एवं जलाशयों के आबंटन हेतु उक्त मछुवारा समाज के पंजीकृत समितियों ने आवेदन किया? उसमें से कितने समूहों को आबंटित किया गया एवं कितने को नहीं व क्यों? विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** उक्त अवधि में गैर मछुवारा समाज के मछुवा समिति को आबंटित तालाबों की सूची पृथक से उपलब्ध करावें? **(ग)** विगत दो वर्षों में जांजगीर-चाम्पा जिले में मछली पालन नीति का उल्लंघन कर तालाबों/जलाशयों का आबंटन करने संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, शिकायतवार जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में 103 मछुवारा समिति पंजीकृत है, पंजीकृत मछुआ समूह की जानकारी निरंक है। जी हां, नवीन मछली पालन नीति में सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा एवं मल्लाह के पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति एवं मछुआ समूह को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 133 तालाबों एवं जलाशयों के आबंटन हेतु उक्त मछुवारा समाज के पंजीकृत समितियों ने आवेदन किया, जिसमें से 74 समितियों को तालाब/जलाशय आबंटित किया गया एवं 51 समितियों को आबंटित नहीं किया गया है, विकासखण्डवार, वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** उक्त अवधि में गैर मछुवारा समाज के मछुवा समिति को आबंटित तालाबों की सूची **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग)** विगत दो वर्षों में जांजगीर-चाम्पा जिले में मछली पालन नीति का उल्लंघन कर तालाबों/जलाशयों का आबंटन करने संबंधित 03 शिकायतें प्राप्त हुई, प्राप्त शिकायतों पर जांच प्रक्रियाधीन है। वर्षवार, शिकायतवारजानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

बेमेतरा जिले के विकासखण्ड साजा में हार्टिकल्चर कॉलेज का निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

33. (क्र. 2844) श्री ईश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विकासखण्ड- साजा में निर्माणाधीन हार्टिकल्चर कॉलेज वर्तमान में पूर्ण हो चुका है? **(ख)** यदि हाँ तो उसका 15.02.2026 लोकार्पण क्यों नहीं हुआ है तथा कब तक होगा? **(ग)** यदि नहीं, तो इस हेतु दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विकासखण्ड-साजा में अधीक्षक भौतिक संयंत्र, इंदिरा गाधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा हार्टिकल्चर कॉलेज भवन एवं बालिका छात्रावास भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बालक छात्रावास भवन का निर्माणाधीन कार्य दि. 31.03.2026 तक पूर्ण होना संभावित है। **(ख)** शेष निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्मित भवन महात्मा गाधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, दुर्ग को हस्तांतरण पश्चात् लोकार्पण किया जायेगा, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** "ख" के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

बीज विकास निगम में बीज प्रदाय करने वाले किसानों को मंडी निधि की राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

34. (क्र. 2853) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** निगम द्वारा किसानों से क्रय की जाने वाली बीज (धान) का निर्धारित दर क्या है? जांजगीर-चाम्पा जिले में कितने किसान बीज विकास निगम में बीज प्रदाय करने हेतु पंजीकृत हैं? खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में उनके द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में बीज (धान) प्रदाय किया गया? प्रदाय किए गए बीज में से कितने किसानों के बीज मानक एवं कितने किसानों के बीज अमानक पाए गए? किसानों को कितना भुगतान किया गया? कितना शेष है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या वर्ष 2024-25 के आपूर्तिकर्ता किसानों का मंडी निधि की राशि का भुगतान लंबित है? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं एवं कब तब भुगतान कर दिया जावेगा? **(ग)** क्या विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष पंजीयन करने वाले किसानों में कमी आई है? प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने वाले बीज की दर में बढ़ोतरी की क्या कार्य योजना है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बीज निगम द्वारा वर्ष 2025-26 में उत्पादित धान बीज का किसानों से क्रय किये जाने हेतु निर्धारित उपार्जन दर निम्नानसार हैः-

(रु. प्रति क्वि.)

क्र.	फसल	विपणन वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित धान बीज उपार्जन दर	कृषक उन्नति योजनान्तर्गत देय राशि	कुल देय राशि
1	धान (मोटा)	3050/-	731	3781
2	धान (पतला)	3211/-	711	3922
3	धान (सुगंधित)	4221/-	711	4932

जिला जांजगीर चांपा में धान बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु वर्ष 2023-24 में 308 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया था। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 250 किसानों द्वारा 31880.00 क्विं. उत्पादित धान बीज (कच्चा बीज) बीज निगम को प्रदाय किया गया। जिसमें से 238 किसानों से प्राप्त 26109.80 क्विं. बीज मानक तथा 12 किसानों से प्राप्त 1044.15 क्विं. बीज अमानक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में धान बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु 329 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया था। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 271 किसानों द्वारा 42860.00 क्विं धान बीज (कच्चा बीज) बीज निगम को प्रदाय किया गया, जिसमें से 261 किसानों से प्राप्त 34695.45 क्विं. बीज मानक तथा 10 किसानों से प्राप्त 1611 क्विं. बीज अमानक पाया गया। विस्तृत **विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** जी हां। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से मंडी निधि से राशि का मांग प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण राशि का भुगतान लंबित है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर विधिवत भुगतान की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अधीन कार्यरत बीज प्रक्रिया केन्द्र खोखसा जिला जांजगीर चांपा में जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती के किसानों द्वारा वर्ष 2023-24 में 1263.70 हे. हेतु 538 किसान एवं वर्ष 2024-25 में 1572.54 हे. हेतु 721 किसानों द्वारा धान बीज उत्पादन हेतु पंजीयन कराया गया है। वर्तमान वर्ष 2025-26 में 1957.98 हे. हेतु 855 किसानों का धान बीज उत्पादन हेतु पंजीयन किया गया है। इस प्रकार विगत 02 वर्षों की तुलना में वर्ष 2025-26 में धान बीज उत्पादन हेतु पंजीकृत किसानों की संख्या में कमी परिलक्षित नहीं हुई है। धान बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीयन की तुलनात्मक **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने वाले बीज की दर में बढोतरी संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठारह"]

जांजगीर-चांपा जिले के पर्यटन स्थलों की पहचान एवं विकास

[पर्यटन]

35. (क्र. 2859) श्री ब्यास कश्यप : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिले में कितने स्थल पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचित हैं? **(ख)** जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे विष्णु मंदिर जांजगीर, भीमा तालाब, हसदेव तट, कलेश्वरनाथ मंदिर पीथमपुर सहित स्थानीय प्राचीन मंदिर एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण एवं विकास हेतु विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में क्या कार्य किए गए हैं? **(ग)** क्या जिले के कई पर्यटन स्थल मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उपेक्षित हैं? यदि हां, तो इनके विकास हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में सात पर्यटन स्थल चिन्हांकित किए गए हैं। जिसका विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** विगत तीन वर्षों में कराए गए कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है।**(ग)** जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के पर्यटन स्थल उपेक्षित नही है। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा जिले के अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों एवं अन्य पर्यटन महत्व के स्थलों के विकास हेतु भविष्य में प्रदेश में नए स्थलों का सर्वे कराकर जिला स्तरीय पर्यटन समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर नवीन पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया जायेगा एवं बजट उपलब्धतानुसार उन्हें विकसित करने की कार्यवाही की जायेगी। चिन्हांकित पर्यटन स्थल एवं उसके आस-पास पर्यटन विकास, अधोसंरचना एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु भूमि बैंक की स्थापना हेतु जिला प्रशासन से भूमि चिन्हांकित कर प्रस्ताव मांगे गये है। जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने उपरान्त बजट उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

[मछली पालन]

36. (क्र. 2864) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-2025 और 2025-26 में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मत्स्य पालन विभाग की किन-किन योजनाओं के अंतर्गत क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? योजनावार लक्ष्य एवं वर्तमान भौतिक प्रगति का विवरण देवें?**(ख)** प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिलाईगढ़ क्षेत्र में अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने स्वीकृत किए गए? ग्राम और विकासखंड सहित उपलब्ध कराएं? **(ग)** प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हितग्राहियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सामग्रियों (जैसे जाल, मोटर, फीड, बायोफ्लॉक यूनिट आदि) का विवरण दें? क्या इन सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित है?**(घ)** विगत दो वर्षों में बिलाईगढ़ क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन, सामग्री वितरण या चयन प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर विभाग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-2025 और 2025-26 में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मत्स्य पालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि की योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिलाईगढ़ क्षेत्र में अब तक 110 आवेदन प्राप्त हुए और 84 स्वीकृत किए गए हैं, ग्राम और विकासखंड सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग)** प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हितग्राहियों को

प्रदान की जाने वाली आवश्यक सामग्रियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है**। जी हां, इन सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच हेतु मापदण्ड निर्धारित है। **(घ)** जी नहीं, विगत दो वर्षों में बिलाईगढ़ क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन, सामग्री वितरण या चयन प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर विभाग को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

किसानों को शासकीय अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

37. (क्र. 2868) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या राज्य के किसानों को कृषि यंत्र शासकीय अनुदान पर वितरण CHAMPS के माध्यम से किया जा रहा है? **(ख)** क्या कंडिका "क" की योजनांतर्गत वितरित कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन वर्तमान में निजी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है? **(ग)** कंडिका "क" के अंतर्गत CHAMPS योजना के माध्यम से कृषि यंत्रों के वितरण में विलंब, आवेदक कृषकों से अधिक पैसों की मांग एवं अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो विगत 03 वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और दोषियों के ऊपर क्या कार्यवाही हुई है? **(घ)** कंडिका "क" योजनांतर्गत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कितने आवेदकों को कृषि यंत्र वितरण किया गया है एवं कितने लंबित हैं? लंबितों का निराकरण कब तक कर लिया जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कंपोनेंट क्रमांक-1 कृषि यंत्रों पर अनुदान के तहत चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से वर्तमान में कृषकों को अनुदान पर शक्ति चलित कृषि यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कंपोनेंट क्रमांक-2 एवं 3 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के तहत कृषकों द्वारा ट्रेक्टर, कम्बाईन हार्वेस्टर एवं शक्ति चलित यंत्रों के क्रय पर अनुदान दिया जा रहा है। **(ख)** जी हां, कंडिका 'क' में उल्लेखित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कंपोनेंट क्रमांक-1 के तहत वितरित कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार तृतीय पक्ष भौतिक सत्यापन एजेंसी के माध्यम से जीपीएस बेस मोबाईल एप के द्वारा हितग्राही, स्थल एवं साम्रगी का जियो टैग बेस के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जाता है। कंपोनेंट क्रमांक-2 एवं 3 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना अंतर्गत संभागीय कृषि यंत्री एवं संबंधित बैंकों के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन किया जाता है। **(ग)** जी हां, कंडिका 'क' के अंतर्गत चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से कृषि यंत्रों के वितरण में विलंब, आवेदक कृषकों से अधिक पैसों की मांग एवं अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विगत 03 वर्षों में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(घ)** योजना के अंतर्गत अनुदान पर वितरित यंत्रों की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार संधारित नहीं की जाती है, अपितु विकासखण्डवार की जाती है। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड में कंपोनेंट क्रमांक-1 कृषि यंत्रों पर अनुदान (चैम्प्स) एवं कंपोनेंट क्रमांक-2 तथा 3 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना हेतु कृषको के प्राप्त आवेदन, लाभान्वित कृषक, लंबित आवेदन एवं निराकृत प्रकरणों की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2025-26 में बीमा दावा निर्धारण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

38. (क्र. 2869) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला बिलासपुर अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2025-26 में बीमा दावा निर्धारण हेतु कुल कितने फसल कटाई किये जाने का लक्ष्य था, जिनमें से कितनी कटाई की गयी एवं कितनी लंबित रही? **(ख)** क्या यह भी सत्य है कि कंडिका "क" के तहत बिलासपुर नगर निगम अंतर्गत कृषि भूमि के स्थान पर गैर-कृषि भूमि में फसल कटाई प्रयोग किया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है एवं उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या कंडिका "क" की योजना के तहत फसल कटाई प्रयोग हेतु कृषि भूमि के स्थान पर गैर-कृषि भूमि करने के कारण किसानों के बीमा दावा निर्धारण में त्रुटि हुई है? यदि हाँ, तो इससे कितने किसान प्रभावित हुए हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला बिलासपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम खरीफ वर्ष 2025 में बीमा दावा निर्धारण हेतु कुल 4,902 फसल कटाई प्रयोग किए जाने का लक्ष्य था, जिसमें से 4,816 फसल कटाई प्रयोग संपादित किया गया है एवं अधिसूचित फसल उपलब्ध नहीं होने के कारण 86 फसल कटाई प्रयोग संपादित नहीं किये जा सके है। **(ख)** जी नही। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** कंडिका 'ख' में उल्लेख अनुसार प्रश्न उपस्थित नही होता है।

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत खाद एवं बीज का प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

39. (क्र. 2873) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अप्रेल, 2024 से चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 02 फरवरी, 2026 तक खरीफ एवं रबी फसल हेतु किस-किस प्रकार के कितनी मात्रा में रासायनिक खाद एवं बीज की मांग के विरूद्ध केन्द्र शासन द्वारा कितनी मात्रा में आबंटन दिया गया ? **(ख)** प्रश्नांक अवधि में चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र के कृषकों द्वारा किस-किस प्रकार के बीज एवं किस-किस प्रकार की रासायनिक खाद की मांग के विरूद्ध कितनी मात्रा में खाद एवं बीज का प्रदाय किया गया ? क्या राज्य शासन द्वारा किन्हीं अन्य माध्यम/एजेंसी से भी रासायनिक खाद एवं बीज की खरीदी की गईं ? यदि हां तो कितनी मात्रा में कितनी राशि की ? वर्षवार विकासखण्डवार बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र से सबद्ध विकासखण्ड डभरा एवं मालखरौदा में अप्रैल 2024 से दिनांक 02 फरवरी 2026 तक खरीफ एवं रबी मौसम हेतु रासायनिक उर्वरकों की मांग एवं केन्द्र शासन द्वारा आबंटित (भंडारित) मात्रा की वर्षवार, विकासखण्डवार, मौसमवार, उर्वरकवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रदेश की बीज मांग ना ही भारत सरकार को प्रेषित की जाती है और न ही भारत सरकार द्वारा बीज आबंटित की जाती है। प्रदेश मे आँकलित बीज मांग छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाता है। चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र से सबद्ध विकासखंड डभरा एवं मालखरौदा में अप्रैल 2024 से दिनांक 02 फरवरी 2026 तक खरीफ एवं रबी मौसम हेतु बीज की मांग एवं बीज निगम द्वारा भंडारित मात्रा की वर्षवार, विकासखण्डवार, मौसमवार, फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक अवधि में चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र से सबद्ध विकासखण्ड डभरा एवं मालखरौदा में रासाययनिक उर्वरको एवं बीजों की आँकलित मांग, भंडारण तथा किसानों द्वारा किये गये उठाव का वर्षवार, विकासखण्डवार, मौसमवार, उर्वरकवार एवं फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरक की खरीदी किसी भी माध्यम/एजेंसी

से नहीं की गई है। अन्य माध्यम/एजेंसी से क्रय किये गये बीज की मात्रा एवं राशि की वर्षवार, विकासखण्डवार, मौसमवार, फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के सीमेंट संयंत्रों के विरुद्ध प्राप्त पर्यावरणीय शिकायतों की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

40. (क्र. 2876) श्री संदीप साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विभिन्न सीमेंट संयंत्रों के विरुद्ध प्राप्त पर्यावरणीय शिकायतों के आधार पर सितंबर, 2025 के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण विभाग/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को जांच आदेश प्रेषित किए गए हैं? यदि हाँ, तो सितंबर, 2025 के पश्चात किन-किन सीमेंट संयंत्रों (संयंत्र का नाम, स्थान एवं प्रबंधन का नाम सहित) के विरुद्ध जांच आदेश प्राप्त हुए? तिथि-वार विवरण प्रदान करें? **(ख)** प्राप्त शिकायतों का स्वरूप क्या था? जैसे—वायु प्रदूषण, धूल उत्सर्जन, भूजल प्रदूषण, पर्यावरण स्वीकृति शर्तों का उल्लंघन, अपशिष्ट प्रबंधन में अनियमितता आदि की जानकारी देवें? **(ग)** राज्य पर्यावरण विभाग/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उक्त जांच आदेशों के पालन में क्या-क्या जांच की गई? जांच दल की संरचना, निरीक्षण की तिथि तथा प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट का सारांश क्या है? **(घ)** जांच में किन-किन संयंत्रों में अनियमितताएँ पाई गईं? उनके विरुद्ध क्या दंडात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई (नोटिस, जुर्माना, उत्पादन पर रोक, आंशिक/पूर्ण सीलिंग, पर्यावरण क्षतिपूर्ति आदि) की गई ? विवरण दें? **(ङ)** क्या किसी संयंत्र के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में लंबित है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति विवरण दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जी हाँ। दिनांक 01/09/2025 से 28/02/2026 तक की अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्थापित सीमेंट संयंत्र को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को 01 शिकायत मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट लिमिटेड (ए यूनिट ऑफ श्री सीमेंट) ग्राम-खपराडीह, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के विरुद्ध जाँच हेतु दिनांक 13/10/2025 को प्राप्त हुई है।**(ख)**दिनांक 01/09/2025 से 28/02/2026 तक की अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्थापित सीमेंट संयंत्रों के विरुद्ध वायु प्रदूषण, धुल उत्सर्जन, भूजल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन में अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि दिनांक 13/10/2025 को मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट लिमिटेड (ए यूनिट ऑफ श्री सीमेंट) ग्राम-खपराडीह, तह.-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत में उल्लेखित मुख्य बिंदुओं का विवरण निम्नानुसार है :-(1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 11/09/2019 में ई.आई.ए. आंकलन की अनियमिताऍं।(2) जारी जल एवं वायु स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की मिलीभगत।(3) राजस्व हानि व अवैध खनन।(4) चरणबद्ध आपत्तियाँ और शिकायतों की अनदेखी।(5) लोकसभा ओर विधानसभा में तथ्य प्रस्तुतीकरण में विसंगति।**(ग)**शिकायत के बिंदु क्रमांक 1 - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 (यथा संशोधित) के प्रावधनों के तहत उद्योग को क्लिंकर क्षमता - 13.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष, सीमेंट क्षमता - 16.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं अन्य उत्पादों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 11/09/2019 को जारी की गई है। अत: अनियमिताऍं की स्थिति नहीं है। शिकायत के बिंदु क्रमांक 2 -छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर उद्योग को क्लिंकर क्षमता - 13.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष, सीमेंट क्षमता - 16.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं अन्य उत्पादों हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 12/02/2020 को जारी की गई है । तत्पश्चात दिनांक

24/03/2022 को क्लिंकर क्षमता - 12.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं अन्य उत्पादों हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति जारी की गई है। अत: मिलीभगत का कथन निराधार है। शिकायत के बिंदु क्रमांक 3 - उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये खदान एवं क्लिंकर के उत्पादन आकडे की जानकारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सम्मति में दी गई क्षमता के भीतर है। अत: अवैध एवं राजस्व हानि जैसी स्थिति नहीं है। शिकायत के बिंदु क्रमांक 4 - उद्योग के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सम्मति में दी गई क्षमता के भीतर ही उत्पादन किया गया है। अत: चरणबद्ध आपत्तियाँ और शिकायतों की अनदेखी की स्थिति नहीं है।शिकायत के बिंदु क्रमांक 5 -प्राप्त शिकायत के संबंध में पूर्व में कोई विधानसभा प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है। अत: कोई विसंगति की स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 06/03/2026 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिवस उद्योग संचालित पाया गया एवं उद्योग वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित ई.एस.पी., बैग फिल्टर इत्यादि का संचालन किया जाना पाया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु दूषित जल के उपचार हेतु स्थापित एस.टी.पी./ई.टी.पी. संचालित पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई है।**(घ)**प्राप्त शिकायत के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ नहीं पाई गई है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।(ङ)जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में स्थित सीमेंट संयंत्रों के विरूद्ध न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रकरण लंबित नही है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

Ultra Tech Cement की गुमा-2 खदान परियोजना के खदान-क्षेत्र में सम्मिलित चरनोई-भूमि

[आवास एवं पर्यावरण]

41. (क्र. 2877) श्री संदीप साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या Ultra Tech Cement की गुमा-2 खदान परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पर्यावरण-स्वीकृति में यह शर्त निहित है कि खदान-क्षेत्र में सम्मिलित चरनोई-भूमि ग्राम-गुमा रकबा 27.722 हेक्टेयर के बदले समतुल्य-भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? यदि हाँ, तो क्या चरनोई भूमि के बदले समतुल्य भूमि उपलब्ध करा-दी-गई है? यदि हाँ, तो उपलब्ध कराई गई भूमि का खसरा-नंबर, रकबा, ग्राम, तहसील, भू-स्वामित्व की स्थिति एवं हस्तांतरण की तिथि का विवरण दें? यदि नहीं, तो खनन अनुमति किस आधार पर प्रदान की गई? **(ख)** क्या खनन अनुमति एवं जारी खनन कार्य के कारण स्थानीय पशुधन (गोधन) के चराई-क्षेत्र में जाने का पारंपरिक-मार्ग अवरुद्ध/लैंड-लॉक हो गया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग को प्राप्त शिकायतों की संख्या का विवरण दें? क्या विभाग/जिला प्रशासन द्वारा स्थल निरीक्षण कराया गया है? निरीक्षण प्रतिवेदन का सारांश दें? **(ग)** पर्यावरण-स्वीकृति की शर्तों, खनिज नियमों एवं ग्राम्य-चरागाह संरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत क्या कंपनी को वैकल्पिक चराई मार्ग/एप्रोच रोड, अंडरपास/ओवरपास अथवा सुरक्षित कॉरिडोर उपलब्ध कराने हेतु बाध्य किया गया है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? **(घ)** यदि पर्यावरण-स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन पाया गया है, तो कंपनी के विरुद्ध अब तक क्या दंडात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ। जी नही। प्रश्न उपस्थित नही होता है। उक्त चरनोई भुमि पर खनन अनुमति नही है।**(ख)** जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ग)** जी नही। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(घ)** पर्यावरण -स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन नहीं पाया गया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कृषि का रकबा एवं खाद बीज की मांग/वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

42. (क्र. 2880) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितना कृषि रकबा है? विकासखंडवार जानकारी

देवें? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 में उर्वरक (खाद) एवं प्रमाणित बीज की मांग, उनके भंडारण तथा किसानों को किए गए वितरण की वास्तविक स्थिति की वर्षवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि रकबे की जानकारी का संधारण विकासखण्डवार किया जाता है। कार्यालय भू-अभिलेख, जिला-कबीरधाम से प्राप्त जानकारी अनुसार पंडरिया विधान सभा क्षेत्र से सम्बद्ध विकासखंड कवर्धा, पंडरिया एवं सहसपुर लोहारा अंतर्गत कुल कृषि रकबा 1,46,124 हेक्टेयर है। विकासखंडवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विकासखंड का नाम	कुल कृषि रकबा (हे.)
1	कवर्धा	43727
2	पंडरिया	54315
3	सहसपुर लोहारा	48082
योग		**146124**

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 (दिनांक 06.03.2026 तक) में उर्वरक एवं प्रमाणित बीज की मांग, भंडारण एवं वितरण की वर्षवार, मौसमवार, विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र- ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

कबीरधाम जिले के आदिवासी आश्रम, शालाओं एवं छात्रावासों में रिक्त पद

[आदिम जाति विकास]

43. (क्र. 2881) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कबीरधाम जिले में आदिम जाति विकास मंत्रालय अंतर्गत संचालित आश्रम, शालाओं एवं छात्रावासों में शिक्षकों व अधीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** जिले में आदिवासी विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रोत्साहन राशि पिछले दो वर्षों से विलंब से क्यों मिल रही है? इस विलंब के लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा भविष्य में समय पर नियमित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग अंतर्गत कबीरधाम जिले में संचालित आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में अधीक्षक के 44 पद रिक्त हैं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हुई है, केवल 02 विद्यार्थियों का आधार सीडिंग एवं खाता बंद होने के कारण भुगतान असफल रहा है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अध्ययनरत् विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र से नवीन व्यवस्था के तहत् भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

छत्तीसगढ़ प्रदेश के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा सामग्री क्रय व भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

44. (क्र. 2885) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दुर्ग जिले के किन-किन फर्मों ,एजेंसियों से कृषि व अन्य सामग्री का क्रय एवं भुगतान किया गया ? जिलावार ,वर्षवार बताएं? **(ख)** क्या उक्त अवधि में किसान

एग्रोटेक दुर्ग की कंपनी का जीएसटी निलंबित था, जिससे उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा लेनदेन किया गया है? यदि हां तो इस अनियमितता पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** किसान एग्रोटेक दुर्ग कंपनी जीएसटी निलंबित होने के बावजूद किन-किन जिलों में डीबीटी के माध्यम से लेनदेन (उक्तावधि में) किया? उक्त (लेनदेन) व्यापार संबंधी शिकायत व जांच तथा कार्यवाही 2024- 25 ,2025 -26 का वर्षवार जिलावार बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दुर्ग जिले की फर्मों/एजेंसियों से संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी द्वारा क्रय की गई कृषि व अन्य सामग्री तथा उसके भुगतान की जिलावार, वर्षवार एवं एजेंसीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र क्रमशः प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।(ख)** अधीक्षक, जीएसटी रेज-2, डिवीजन-1, भिलाई, जिला-दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त अवधि में किसान एग्रोटेक, दुर्ग की कंपनी का जीएसटी निलंबित नहीं था। अतः उक्त के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश "ख" के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

राज्य के उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

45. (क्र. 2888) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 से 20 फरवरी, 2026 तक कितने औद्योगिक/ऊर्जा संयंत्रों ने निर्धारित उत्सर्जन मानकों से अधिक उत्सर्जन किया और इनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई? जानकारी दें ? **(ख)** राज्य सरकार व पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा वायु गुणवत्ता सुधार हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? क्या एनजीटी ने छत्तीसगढ़ की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के संदर्भ में कोई कमेटी गठित की है? यदि हाँ, तो उसमें कौन-कौन सदस्य हैं और किन मुद्दों पर जांच/रिपोर्ट तैयार की है? **(ग)** क्या राज्य में अब तक 'नॉन-अटेनमेंट शहरों' के लिए कोई ठोस व्यवस्था की गई है और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) प्रभावी रूप से लागू हुआ है? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख)**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रदूषणकारी उद्योगों में उनकी प्रकृति के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण यथा ईएसपी, बैग फिल्टर, स्क्रबर, साईक्लोन, डस्ट कलेक्टर आदि स्थापित कराये गये हैं। उद्योगों पर सतत निगरानी रखी जाकर इन उपकरणों का सतत संचालन सुनिश्चित करवाया जाता है। उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। उद्योगों के रॉ-मटेरियल, उत्पाद, ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले वाहनों से परिवहन के दौरान धूल उत्सर्जन नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार वाहनों की निगरानी कर उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। जी हाँ, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 175/2025 (सी.जेड.) में पारित आदेश दिनांक 16/01/2026 में छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर, भिलाई व कोरबा शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के सन्दर्भ में समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के प्रतिनिधि एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि सदस्य हैं। प्रकरण में जाँच रिपोर्ट तैयार किया जाना शेष है।**(ग)**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नॉन अटेनमेंट शहर के रूप में रायपुर, भिलाई एवं कोरबा को चिन्हित किया जाकर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सिटी एक्शन प्लान बनाया गया है। उक्त एक्शन प्लान में सम्मिलित कार्यों के अंतर्गत डस्ट रोकथाम हेतु वॉटर केनन, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हॉपर टिप्पर एवं ट्रैक्टर क्रय, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापना का कार्य, फाउंटेन लगाना, जन जागरूकता

से संबंधित कार्य, वृक्षारोपण, डामरीकरण, पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य एवं गार्डन निर्माण कार्य जैसे अन्य कार्य कराये गए हैं। उक्त के अतिरिक्त, उपरोक्त नॉन अटेनमेंट शहरों हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) भी तैयार किया गया है। उक्त ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को गंभीर परिस्थितियां यथा वायु गुणवत्ता ख़राब अथवा बहुत ख़राब होने पर लागू करने एवं वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य होने पर वापस लेने का प्रावधान है। उक्त ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का क्रियान्वयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

महासमुंद जिले के छात्रावासों एवं आश्रमों हेतु सामग्री क्रय

[आदिम जाति विकास]

46. (क्र. 2889) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2023-24 से दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक महासमुंद जिले के छात्रावासों/आश्रमों में कौन-कौन सी सामग्री किस-किस दर पर कब-कब क्रय की गई है ? सामग्री का नाम, राशि की जानकारी विधानसभावार बताएं ? **(ख)** क्या सामग्री खरीदी में गड़बड़ी या अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो की गई कार्रवाई की जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। विधानसभावार सामग्री क्रय नही किया जाता है। **(ख)** किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितत की शिकायतें प्राप्त नही हुई है। अतःप्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

लोक संगीत अकादमी एवं लोकगीतों का संरक्षण

[संस्कृति]

47. (क्र. 2893) श्री दलेश्वर साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2022-23 से फरवरी, 2026 तक योजना क्रमांक 8975, छ.ग लोक संगीत अकादमी एवं लोकगीतों का संरक्षण एवं योजना क्रमांक 5753, समारोह हेतु अनुदान के तहत कितनी-कितनी राशि किन-किन संस्थाओं, विभागों एवं अन्य को किन-किन कार्यक्रमों के लिए कब जारी किया गया है? कितने कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विभागीय या संचालक स्तर, जिला कलेक्टर स्तर, संस्था स्तर पर कहॉ-कहॉ पर आयोजन किया गया है एवं उक्त आयोजनों में कितनी राशि किन-किन मदों में व्यय की गयी है? जिलेवार, आयोजन संस्थावार, मदवार, राशिवार, व्यय प्रतिशतवार एवं जनप्रतिनिधिवार अनुशंसा की जानकारी देवें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : प्रदेश में वर्ष 2022-23 से फरवरी 2026 तक योजना क्रमांक 8975, छ.ग. लोक संगीत अकादमी एवं लोकगीतों का संरक्षण मद में संस्थाओं को अनुदान की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-अ अनुसार तथा योजना क्रमांक 5753, समारोह हेतु अनुदान के तहत जिला कलेक्टर को आबंटित राशि की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। उक्त योजना क्रमांक 8975 में कलाकारों का मानदेय हेतु 45 प्रतिशत, लाईट-माईक-टेंट हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत तथा अन्य आकस्मिक व्यय (स्वल्पाहार, आमंत्रण पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल-श्रीफल, स्टेशनरी, फ्लैक्स, फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी) हेतु 25 प्रतिशत राशि व्यय किया जाता है एवं योजना क्रमांक 5753 में कलाकारों का मानदेय हेतु 45 प्रतिशत, लाईट-माईक-टेंट हेतु अधिकतम 40 प्रतिशत तथा अन्य आकस्मिक व्यय (स्वल्पाहार, आमंत्रण पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल-श्रीफल, स्टेशनरी, फ्लैक्स, फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी) हेतु 15 प्रतिशत राशि व्यय किया जाता है तथा जनप्रतिनिधियों

के अनुशंसाओ पर स्वीकृत कार्यक्रमों में 100 प्रतिशत कलाकारों पर व्यय किया गया है। जनप्रतिनिधिवार अनुशंसा की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

प्रदेश में संचालित उद्योगों के द्वारा पर्यावरणीय नियम के उल्लंघन की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

48. (क्र. 2896) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितने लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग संचालित हैं ? जिलेवार उद्योगों की संख्या की जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के संचालित लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के संचालन में क्या-क्या पर्यावरणीय नियम/ मापदंड निर्धारित हैं ? संचालित उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय नियम के पालन की जांच किन-किन बिंदुओं के आधार पर की जाती है? क्या वर्ष 2024 से फरवरी, 2026 तक बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, कोरबा एवं बलौदा बाजार जिला में संचालित उद्योगों की जांच की गई? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया? नियम विरुद्ध संचालित उद्योगों पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पंजीयन विभाग द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर रोजगार एवं युवा विकास पर अधिरोपित उपकर

[वाणिज्यिक कर]

49. (क्र. 2897) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या पंजीयन विभाग द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर रोजगार एवं युवा विकास उपकर अधिरोपित किया गया था? यदि हां तो कब से एवं क्या वर्तमान में यह उपकर प्रभावशील है? इस उपकर को लगाने का क्या उद्देश्य है? **(ख)** प्रश्नांश "क" के कर से प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन मदों हेतु किया जाता है? इसके लिए क्या नियम / निर्देश बनाये गये हैं? राशि स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है? **(ग)** इस उपकर के लागू दिनांक से फरवरी, 2026 तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? जिलेवार बतावें ? **(घ)** प्रश्नांश "ग" की प्राप्त राशि में से कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई? क्या निर्धारित नियम के विरुद्ध राशि व्यय करने की शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां तो क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जी हाँ, अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाले ग्रामीण विकास उपकर के अलावा रोजगार एवं युवा विकास उपकर अधिरोपित किया गया है।अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी 2023 के द्वारा अभिलेखों के पंजीयन पर प्रभार्य उपकर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है जो वर्तमान में प्रभावशील है। उपकर का उद्देश्य ग्रामीण विकास निधि एवं छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना से संबंधित प्रयोजनों के लिए है।**(ख)** उपकर के रूप में गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि महालेखाकार के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट मद में अंतरित की जाती है। उपकर की राशि का उपयोग किये जाने हेतु मदों का निर्धारण एवं उसके नियम / निर्देश बनाने तथा स्वीकृति की प्रक्रिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है**(ग)**· रोजगार एवं युवा विकास उपकर अधिरोपित किये जाने के दिनांक 22 फरवरी 2023 से फरवरी, 2026 तक प्राप्त उपकर की कुल राशि **308.93 करोड़** है। पंजीयन जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**अनुसार है।**(घ)**प्रश्नांश **(ग)** में उल्लेखित उपकर राशि राज्य की संचित निधि में जमा हुई है, अतः राशि का उपभोग किन-किन कार्यो हेतु किया गया है, की वन-टू-वन मैपिंग संधारित नहीं होती है, विवरण दिया जाना संभव नहीं है। व्यय के संबंध में पंजीयन विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

उद्योगों/संयंत्रों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु उद्योगों में लगाये गये उपकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

50. (क्र. 2904) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित कौन-कौन से उद्योगों/संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु कौन-कौन से विशेष यंत्र लगाये गए हैं तथा उससे प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई ? उद्योगवार/संयंत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या प्रश्नांक ''क'' के संचालित उद्योगों में प्रदूषण की मात्रा को कम करने हेतु विभाग द्वारा उद्योगों में विशेष यंत्र लगाने हेतु अनिवार्य निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां तो प्रति उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रश्नांक ''क'' अंतर्गत संचालित उद्योगों का विगत तीन वर्षों में किस-किस स्तर के किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण में कितने उद्योगों/संयंत्रों में निर्धारित पर्यावरणीय नियमों एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना पायी गई ? विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार, जानकारी उपलब्ध करावें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषि तथा उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत संचालित योजनायें एवं लाभान्वित हितग्राही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

51. (क्र. 2908) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 20 फरवरी, 2026 की स्थिति में बालोद जिले में कृषि तथा उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत किसानों के हितार्थ कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक कृषि तथा उद्यानिकी विभाग जिला बालोद को पृथक-पृथक किन-किन योजनाओं/मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन योजनाओं/मदों के अंतर्गत किन-किन कार्यों के लिए कितना-कितना किया गया है? वर्षवार, योजनावार/मदवार कार्यों के नाम सहित जानकारी देवें ? **(ग)** कण्डिका 'क' की समयावधि में बालोद जिले में कहॉं-कहॉं पर विभाग द्वारा कौन-कौन से शिविरों का आयोजन किया गया है? उक्तावधि में जिले के कितने हितग्राहियों को विभाग की किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दिनांक 20 फरवरी, 2026 की स्थिति में बालोद जिले में किसानों के हितार्थ विभाग के अधीन संचालित योजनाओं की कृषि विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ** एवं उद्यानिकी विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक जिला बालोद को विभागीय योजनाओ के अंतर्गत आबंटित एवं व्यय राशि की वर्षवार, योजनावार, घटकवार कृषि विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** एवं उद्यानिकी विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार है। (ग)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में बालोद जिले के चयनित 84 ग्रामों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया है। स्थानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-फ अनुसार है।** उक्त अवधि में योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियो की कृषि विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** एवं उद्यानिकी विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार है।**

किसानों द्वारा कराये गये फसल बीमा के विरूद्ध भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

52. (क्र. 2909) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ एवं रबी मौसम वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक बालोद जिले के कितने किसानों ने अपने कृषि एवं उद्यानिकी फसलों का बीमा करवाया है एवं कृषक प्रीमियम के रूप में इनसे कितनी राशि ली गई है? वर्षवार, तहसीलवार जानकारी देवें ? **(ख)** कण्डिका 'क' की समयावधि में बीमा करवाने वाले कितने किसानों की कितनी राशि के फसल की क्षति आंकलित की गई है तथा इनमें से कितने किसानों को बीमा की राशि किस दर से भुगतान की जा चुकी है एवं दिनांक 20 फरवरी, 2026 की स्थिति में कितने किसानों की कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है? वर्षवार, तहसीलवार बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बालोद जिले से संबंधित तहसीलों में कृषि फसलों के बीमा हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले 1,23,005 कृषकों से ₹14.25 करोड़, वर्ष 2024-25 में 1,18,414 किसानों से ₹14.35 करोड़ एवं वर्ष 2025-26 में दिनांक 20 फरवरी 2026 की स्थिति में 1,24,568 कृषकों से ₹14.43 करोड़ फसल बीमा प्रीमियम के कृषक अंश के रूप में प्राप्त की गई है वर्षवार, मौसमवार एवं तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।**उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले 831 कृषकों से ₹14.17 लाख, वर्ष 2024 में 862 कृषकों से ₹20.63 लाख एवं वर्ष 2025-26 में दिनांक 20 फरवरी 2026 तक 1,018 कृषकों से ₹17.90 लाख फसल बीमा प्रीमियम के कृषक अंश के रूप में प्राप्त की गई है वर्षवार, मौसमवार एवं तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।(ख)** कंडिका क की अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों को फसल क्षति एवं पात्रता के आधार पर वर्ष 2023-24 में 6,230 कृषकों को ₹8.04 करोड, वर्ष 2024-25 में 6,092 कृषकों को ₹11.12 करोड़ का बीमा दावा भुगतान क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा किया गया है। मौसम खरीफ वर्ष 2025 में दावा गणना एवं मौसम रबी 2025-26 में फसल कटाई प्रयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रश्नाधीन अवधि तक किसी भी कृषक को बीमा दावा भुगतान किया जाना लंबित नहीं है। वर्षवार, मौसमवार एवं तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** योजनांतर्गत क्षति प्रतिशत के आधार पर जिलावार निर्धारित फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के अनुसार बीमा दावा राशि का भुगतान क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। जिला बालोद में कृषि फसलो के फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमांकित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों को फसल क्षति एवं पात्रता के आधार पर वर्ष 2023-24 में 304 कृषकों को ₹10.29 लाख, वर्ष 2024-25 में 710 कृषकों को ₹44.56 लाख का बीमा दावा भुगतान क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा किया गया है। मौसम खरीफ वर्ष 2025 हेतु अधिसूचित उद्यानिकी फसलो की जोखिम अवधि समाप्त नहीं हुई है जबकि मौसम रबी 2025-26 में फसल बीमा का कार्य प्रगतिरत है। प्रश्नाधीन अवधि तक किसी भी कृषक को बीमा दावा भुगतान किया जाना लंबित नहीं है। वर्षवार, मौसमवार एवं तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** योजनांतर्गत क्षति प्रतिशत के आधार पर जिलावार निर्धारित फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के अनुसार बीमा दावा राशि का भुगतान क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। जिला बालोद में उद्यानिकी फसलो के फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमांकित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

प्रदेश में संचालित कोल वाशरियां तथा कोल डिपो एवं उनका निरीक्षण

[आवास एवं पर्यावरण]

53. (क्र. 2916) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में निजी क्षेत्र में कोल वाशरियां तथा कोल डिपो कहां-कहां स्थित हैं उनका संचालन कौन-कौन कर रहा है, क्षमता कितनी-कितनी है तथा कब-कब से स्थापित हैं? **(ख)** कोल वाशरियों का निरीक्षण जनवरी, 2024 से फरवरी, 2026 तक चालू स्थिति में तथा बंद स्थिति में कब-कब, किसके-किसके द्वारा किया गया, और क्या-क्या कमियां पाई गईं तथा क्या-क्या कार्यवाहियां की गईं? **(ग)** कोल वाशरियों के द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में जनवरी 2024 से फरवरी, 2026 तक प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाहियों का विवरण देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।**(ख)जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।**(ग)जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है।

मिनीमाता (हसदेव बांगो) जलाशय में मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट ठेका एवं केज कल्चर

[मछली पालन]

54. (क्र. 2917) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में मिनीमाता (हसदेव बांगो) जलाशय में मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट का ठेका किसे तथा किस अवधि के लिये दिया गया है? ठेके पर दिये जाने से अब तक कितना मछली का उत्पादन हुआ है, माहवार बताएं? इस जलाशय में कितने मछुआरे कार्य करते है? उनकी कितनी सहकारी समितियां हैं तथा कितने-कितने सदस्य हैं? **(ख)** क्या उक्त जलाशय में केज कल्चर पद्धति से भी मछली पालन किया जाता है? यदि हां तो कितने केज स्थापित हैं तथा किसको-किसको आबंटित हैं? कितने मछुआरों को केज आबंटित नही है और क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्तमान में मिनीमाता (हसदेव बांगो) जलाशय में मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट का ठेका श्री छत्रपाल पटेल, भरत नगर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 12.11.2025 से 15.06.2035 तक की अवधि के लिये दिया गया है। ठेके पर दिये जाने से अब तक पट्टाधारक द्वारा मत्स्याखेट कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण प्रश्नांकित अवधि तक मछली का उत्पादन निरंक है। इस जलाशय में 792 मछुआरे कार्य करते है। उनकी कुल 23 सहकारी समितियां हैं तथा समितिवार सदस्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** जी हां, उक्त जलाशय में केज कल्चर पद्धति से भी मछली पालन किया जाता है। कुल 1525 केज स्थापित हैं जिसमें से 11 मछुआ सहकारी समितियों के 200 सदस्यों तथा 44 व्यक्तिगत आबंटित है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण 245 मछुआरों को केज आबंटित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"]

अधिसूचित रेत खदानें एवं पर्यावरणीय विधि विधान का पालन

[आवास एवं पर्यावरण]

55. (क्र. 2918) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में ऐसे अधिसूचित रेत खदानों की जिलावार तथा रकबा सहित सूची बताएं जिनमें रेत का उत्खनन करने के पूर्व पर्यावरण संबंधी विधि-विधान के अन्तर्गत स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से एनवायरमेंट क्लीयरेंस आवश्यक होता है? **(ख)** एनवायरमेंट क्लीयरेंस प्राप्त रेत खदानों तथा क्लीयरेंस हेतु प्रक्रियाधीन रेत खदानों की जिलावार सूची देवें? **(ग)** एनवायरमेंट क्लीयरेंस के टर्मस एंड कंडीशन्स तथा राज्य पर्यावरण संरक्षण

मंडल के द्वारा अधिरोपित टर्मस एंड कंडीशंस को सुनिश्चित करने के लिए जनवरी, 2024 से फरवरी, 2026 तक किन-किन रेत खदानों का निरीक्षण किया गया है और क्या पाया गया है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना**,** 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् सभी रेत उत्खनन परियोजनाओं को स्टेट लेवल इन्व्हायरन्मेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी**,** छत्तीसगढ़ से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म**,** छत्तीसगढ़ से प्राप्त जिलावार तथा रकबा सहित प्रदेश मे अधिसूचित रेत खदानों की सूची **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)** स्टेट लेवल इन्व्हायरन्मेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी**,** छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त रेत खदानों की जिलावार सूची **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-ब अनुसार** है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु स्टेट लेवल इन्व्हायरन्मेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी**,** छत्तीसगढ़ में प्रक्रियाधीन रेत खदानों की जिलावार सूची **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-स अनुसार** है।**(ग)** जनवरी 2024 से फरवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा रेत खदानों में किये गये निरीक्षण तथा पाई गई स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार** है।

छ.ग. टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्मित अधोसंरचनाएं एवं उनकी स्थिति

[पर्यटन]

56. (क्र. 2920) डॉ. चरण दास महंत : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छ.ग. टूरिज्म बोर्ड तथा छ.ग. पर्यटन विकास निगम के द्वारा राज्य के किन-किन स्थानों पर होटल, मोटल, रिसोर्ट, पर्यटन सुविधा केन्द्र आदि संरचनाओं का निर्माण एवं विकास कब-कब, कितनी-कितनी लागत से, कितने-कितने क्षेत्रफल में किया गया था ? **(ख)** उपरोक्त संरचनाओं की वर्तमान स्थिति क्या-क्या है, किसको-किसको लीज आदि पर किन-किन शर्तों पर दिया गया है, कौन-कौन केन्द्र कब से तथा क्यों बंद हैं, किसका संचालन बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है, प्रत्येक केन्द्र/संरचना का पृथक-पृथक बताएं?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड तथा छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास निगम के द्वारा राज्य के किन-किन स्थानों पर होटल, मोटल, रिसॉर्ट, पर्यटन सुविधा केंद्र आदि संरचनाओं का निर्माण एवं विकास कब-कब, कितनी-कितनी लागत से, कितने - कितने क्षेत्रफल में किया गया था, की जानकारी **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र- अ** अनुसार है।**(ख)** उपरोक्त संरचनाओं की वर्तमान स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र- ब,** लीज एवं उसकी शर्तों की जानकारी **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र- स**, इकाईयों के बंद रहने के संबंध में जानकारी **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द** में एवं बोर्ड के द्वारा संचालित इकाईयों की जानकारी **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र- इ** अनुसार है।

सुरजपुर जिले में स्थित मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भास्कर पारा कोल माईन की स्वीकृति

[आवास एवं पर्यावरण]

57. (क्र. 2921) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सुरजपुर, तहसील भैयाथान अंतर्गत ग्राम बड़सरा, खाड़ापारा, बस्करपारा, कुर्रीडीह, केवरा, दनौलीखुर्द, कुसमूसी में मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित भास्कर पारा कोल खनन परियोजना 920 हेक्टेयर की जनसुनवाई के दौरान स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कोल खनन परियोजना का विरोध किया गया ? जानकारी देवें ? **(ख)** क्या अंग्रेजी में उपलब्ध ईआईए रिपोर्ट स्थानीय भाषा में अनुवाद न कर उपलब्ध करने तथा अखबारों में उचित प्रचार-प्रसार न होने की शिकायत ग्रामीणो द्वारा दर्ज की गयी ? यदि

हां, तो दर्ज शिकायतों की जानकारी देवें ? **(ग)** क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त कोल खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के पुन: परीक्षण हेतु पुन: समीक्षा किया जाना विचाराधीन है ? कब-तक ? उक्त कोल खनन परियोजना को एनजीटी व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया ? विवरण देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ। मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ग्राम भास्करपारा, खाडापारा, बड़सरा, कुर्रीडीह, कुसमुसी, दनौलीखुर्द एवं केवरा, तहसील भैयाथान, जिला सूरजपुर में कुल क्षेत्रफल 932 हेक्टेयर में प्रस्तावित ओपनकास्ट एवं अंडरग्राउंड कोल माईन क्षमता–1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष की जनसुनवाई दिनांक 09/11/2022 में जनसुनवाई के दौरान स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से आवेदन प्रस्तुत कर विरोध किया गया।**(ख)** प्रस्तावित कोल माइन की जनसुनवाई के संबंध में अंग्रेजी में उपलब्ध ई आई ए रिपोर्ट स्थानीय भाषा में अनुवाद कर उपलब्ध नहीं कराने की 01 शिकायत ग्रामीणों द्वारा दर्ज की गई है। जनसुनवाई के संबंध में अखबारों में उचित प्रचार-प्रसार नहीं होने की कोई शिकायत ग्रामीणों द्वारा दर्ज नहीं की गई है।**(ग)** कोल माइन परियोजना को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18/09/2023 को कुल क्षेत्रफल 932 हेक्टेयर में प्रस्तावित ओपनकास्ट एवं अंडरग्राउंड कोल माईन क्षमता – 1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा उक्त कोल खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के पुनः परीक्षण विचाराधीन नही है। एन.जी.टी. द्वारा उक्त कोल खनन परियोजना का निरीक्षण किये जाने की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को नहीं है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विगत वर्ष 2025 में खदान का दिनांक 05/02/2025, 17/04/2025, 22/07/2025, 09/10/2025 एवं 22/10/2025 को निरीक्षण किया गया है।

सरगुजा जिले में अर्दन डैम, चेक डैम, स्टाप डैम हेतु स्वीकृत राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

58. (क्र. 2922) श्री प्रबोध मिंज : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में सरगुजा जिले में अर्दन डैम, चेक डैम, स्टाप डैम कहां-कहां एवं कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति दी गई ? उसमें कितनी-कितनी राशि खर्च की गई एवं कितने का मूल्यांकन किया गया एवं कितनी-कितनी राशि शेष है? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** उक्त कार्य की निर्माण एजेंसी कौन-कौन थे? **(ग)** क्या निर्माण कार्य में शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां तो उन पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में सरगुजा जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास घटक 2.0 योजनांतर्गत अर्दन डैम, चेक डैम, स्टाप डैम के कुल 09 कार्यों के लिए राशि रू. 128.08 लाख की स्वीकृति दी गई। जिसमें राशि रू. 86.28 लाख खर्च की गई एवं राशि रू. 41.80 लाख शेष है। उक्त समस्त कार्यों का मूल्यांकन किया गया है। विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** उक्त कार्य की निर्माण एजेंसी जलग्रहण समिति है। **(ग)** नहीं, निर्माण कार्य में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थी, अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के घटक एवं भौतिक-वित्तीय स्थिति

[आदिम जाति विकास]

1. (क्र. 1060) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितनी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना लागू हैं? उसके कौन-कौन से घटक हैं? इसके अंतर्गत कौन-कौन से योजना/प्रोजेक्ट संचालित है एवं इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन-कौन सी है? **(ख)** उक्त परियोजना अंतर्गत विगत 3 वर्षो में क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुये हैं तथा उन कार्यो की भौतिक स्थिति क्या है? कितने लाभार्थी हुये और कितने का लक्ष्य रखा गया था? **(ग)** उक्त परियोजना की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार है? राज्य एवं केन्द्र सरकार का अलग-अलग बतायें? विगत तीन वित्तीय वर्षो में कितनी राशि का अनुदान केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है तथा उक्त स्वीकृत कार्यो के अनुरूप कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से योजना/प्रोजेक्ट अंतर्गत किन-किन कार्यो में व्यय की गयी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना संचालित हैं। सेक्टरवार घटक क्रमशः शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, विद्युतीकरण, पेयजल, आवास, संपर्क सड़को का निर्माण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को गतिमान्य बनाना, शैक्षणिक संस्थाओं के भवन मरम्मत कार्य इत्यादि है। विभाग द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 275(1), विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम के अधीन प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। क्रियान्वयन एजेंसी का चयन स्वीकृत कार्य के प्रकृति के आधार पर किया जाता है। **(ख)** जानकारी **''पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ग)** उक्त परियोजनाओं को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु राज्य सरकार/विभाग के माध्यम से ग्रांट इन एड के रुप में शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जानकारी **''पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

जिला महासमुंद में छात्रावासों हेतु क्रय सामग्री में भंडार क्रय नियमों का पालन

[आदिम जाति विकास]

2. (क्र. 1187) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2022-23 से 15 फरवरी 2026 तक की स्थिति में छात्रावासों के लिए क्या-क्या सामग्री, किस-किस दर पर किस फर्म से खरीदी गई है? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या उपरोक्त सामग्री क्रय में छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है? यदि नहीं तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार

है। विकासखण्डवार खरीदी नहीं किया जाता है। **(ख)** जी हाँ, सामग्री क्रय में छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बस्तर संभाग में औद्योगिक इकाईयों की पर्यावरणीय स्वीकृति

[आवास एवं पर्यावरण]

3. (क्र. 1507) श्री विक्रम मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में बस्तर संभाग में नए उद्योग स्थापना हेतु कितनी ईकाईयों को किन-किन स्थलों में उद्योग स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है? कितने आवेदन विचाराधीन एवं प्रक्रियाधीन हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वर्ष 2023-24 2024-25 एवं 2025-26 में बस्तर संभाग में 01 उद्योग मेसर्स एन.एम.डी.सी. सी.एम.डी.सी. लिमिटेड को स्क्रीनिंग कम बेनिफिकेशन प्लांट (750 टीपीएच ऑफ 4 लाइन्स इच) अलोंग विथ 2200 टी.पी.एच. डाउनहिल कन्वेयर एंड लोडिंग फैसिलिटीज इन फारेस्ट एरिया-100.077 हेक्टेयर एंड रिवेन्यू लैंड (गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड बड़े झाड़ के जंगल)– 22.4658 हेक्टेयर लोकेटेड ऐट आउटसाइड द माइनिंग लीज एरिया ऑफ़ बैलाडीला आयरन ओर डिपाजिट–4 ऐट ग्राम भंसी, तहसील-बड़े बचेली, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाडा, छत्तीसगढ़ हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। वर्तमान में बस्तर संभाग में नए उद्योग स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का कोई भी प्रकरण विचाराधीन एवं प्रक्रियाधीन नहीं हैं।**(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में उद्योग स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बजट 2024-25 एवं 2025-26 में सम्मिलित अधोसंरचना कार्यों की स्वीकृति

[वित्त]

4. (क्र. 1915) श्री दीपेश साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-बेमेतरा अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सम्मिलित अधोसंरचना विकास कार्यों में से कितने कार्यों को तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है? कार्यवार विवरण, प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की तिथि, स्वीकृत राशि तथा संबंधित विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। साथ ही, उक्त वर्षों में जिन अधोसंरचना कार्यों को तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, उनका कार्यवार एवं विधानसभा क्षेत्रवार विवरण तथा स्वीकृति न मिलने के कारणों की जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्न **(क)** के परिप्रेक्ष्य में, उक्त कार्यों के बजट में सम्मिलित होने के बावजूद तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति में विलंब के लिए क्या किसी की जवाबदेही निर्धारित की गई है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? जानकारी देवें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) एवं **(ख)** जिला बेमेतरा में बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सम्मिलित अधोसंरचना विकास कार्यों की विभिन्न विभागों से संकलित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) में शामिल कार्य एवं राशि अनुमान होते हैं। विभागों द्वारा सामान्यतः नवीन मद में अपरीक्षित मद के कार्य शामिल कराये जाते हैं,जिनकी स्वीकृति विभाग अपनी आवश्यकता एवं औचित्य के अनुसार प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए करता है। बजट में नवीन मद में शामिल कार्यों को प्रावधानित वित्तीय वर्ष अथवा आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। उल्लेखनीय है कि सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत संबंधित विभाग द्वारा ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है। इसी प्रकार निर्माण विभाग द्वारा ही विस्तृत प्राक्कलन, नक्शा, डिजाइन, मात्रा तथा दरों की सक्षम

अभियंता द्वारा जाँच कर तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है। प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभागों को वित्त निर्देश 25/2012 दिनांक 01 मई 2012 द्वारा रू. 3 करोड़ के अधिकार प्राप्त थे, जिसे स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 दिनांक 14.05.2025 द्वारा बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है, ताकि कार्यों की स्वीकृति में गति आए। वित्त विभाग द्वारा 5 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति पर केवल सहमति दी जाती है।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व द्वारा किये गये कार्य एवं व्यय

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

5. (क्र. 1942) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा राज्य में कौन कौन से कार्य किये जाते है? **(ख)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किये गये कार्य एवं व्यय का जिलेवार विवरण क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) विभाग द्वारा प्रदेश के मंदिरों के जीर्णोंद्वार, धर्मशाला का निर्माण, धार्मिक न्यास, सिन्धु दर्शन एवं मानसरोवर यात्रा, राजिम कुम्भ (कल्प) मेला, गिरोधपुरी एवं लालपुर मेला, दामाखेड़ा मेला, बस्तर दशहरा, जशपुर दशहरा तथा डोगरगढ़ मेला संबधी कार्य संपादित किया जाता है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की लंबित श्रम सम्मान राशि का भुगतान

[आदिम जाति विकास]

6. (क्र. 2073) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य शासन द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रति माह ₹4000 श्रम सम्मान राशि देने का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अगस्त 2023 से भुगतान रोका गया है? यदि हां तो क्यों? **(ख)** वर्तमान में कितने कर्मचारी प्रभावित हैं तथा कुल कितनी राशि लंबित है? **(ग)** अन्य विभागों (PWD एवं वन विभाग) में नियमित भुगतान होने के बावजूद आदिम जाति विकास विभाग में भुगतान न होने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रस्तावित है? **(घ)** सरकार प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत सभी लंबित राशि का भुगतान किस निश्चित तिथि तक अनिवार्य रूप से करेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में पात्रता नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है।**(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिलें में बीज विकास निगम द्वारा कृषि उपकरण व अन्य सामग्री की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

7. (क्र. 2097) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिलें में बीज विकास निगम द्वारा जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2026 तक कौन-कौन से कृषि उपकरण व अन्य सामग्री कितनी-कितनी राशि से किन-किन फर्म/एजेंसियों से क्रय की गई ? वर्षवार, जिलेवार, विकास खण्डवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के अवधि में क्रय की गई सामाग्री कितनें हितग्राहियों को वितरित की गई ? सामाग्रीवार, विकासखण्डवार, हितग्राहियों की सूची सहित जानकारी देवें ? **(ग)** क्या उक्त की गई सामाग्री/उपकरण खरीदी में गुणवत्ता व अन्य संबधित शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हॉ तो किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2026 तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिलें में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा कृषि उपकरण व अन्य सामग्री का क्रय नहीं किए जाने के कारण वांछित जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

अमानक बीज, नकली उर्वरक, व कीटनाशक दवाई का विक्रय/भण्डारण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

8. (क्र. 2098) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिलें में वर्ष 2023-24 से 10 फरवरी 2026 तक अमानक बीज, नकली उर्वरक, व कीटनाशक दवाई विक्रय/भण्डारण किए जाने के संबध में किन-किन कंपनियों, व्यापारियों के विरूध्द शिकायत प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायत के विरूध्द क्या कार्यवाही की गई है ? वर्षवार, विकासखण्डवार, कंपनियों, व्यापारियों के नाम सहित जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त अवधि में किन-किन कंपनियों के विरूध्द खरीदे गये फसल की राशि तथा फसल क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायत पर उनके विरूध्द क्या कार्यवाही की गई है ? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राजनांदगांव जिलें में वर्ष 2023-24 से 10 फरवरी 2026 तक नकली उर्वरक के संबंध में प्राप्त शिकायत की वर्षवार, विकासखण्डवार, व्यापारियों के नाम सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** प्रश्नांकित अवधि में राजनांदगांव जिले में अमानक बीज और नकली कीटनाशक तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में अमानक बीज, नकली उर्वरक व कीटनाशक के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ख)** उक्त अवधि में किसी कंपनी के विरूद्ध खरीदे गये फसल की राशि तथा फसल क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

कृषि विज्ञान केंद्रों में अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

9. (क्र. 2153) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्रों में अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान में केन्द्रांश और राज्यांश राशि कितना है एवं कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? केद्रवार बताएं। **(ख)** यह भी बताएं कि राज्यांश राशि का भुगतान नियमित रूप से होता है या नहीं? यदि नहीं तो प्रश्नांकित अवधि तक कुल कितना राशि वेतन भुगतान हेतु शेष है और कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? **(ग)** कृषि विज्ञान केंद्रों में अधिकारी/कर्मचारियों को राज्यांश राशि का नियमित भुगतान हो इसके लिए क्या कार्ययोजना है और कब तक कर लिया जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त शतप्रतिशत अनुदान से प्रावधानित वेतन, डीए एवं गृहभाड़ा भत्ता का नियमित भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन से कोई राज्यांश प्रावधानित नहीं है। कृषि विज्ञान केन्द्रवार कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** राज्यांश प्रावधानित नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, तथापि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3288/2025 एवं समरूप अन्य याचिकाओं में दिनांक

24.06.2025 में जारी स्थगन आदेश के परिपालन में पूर्वानुसार भुगतान किये जाने के परिपेक्ष्य में अंतर की राशि की व्यवस्था विश्वविद्यालय के स्थापना अनुदान से किये जाने प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है, जो अनुमति हेतु वित्त विभाग को अग्रेषित किया गया है। अनुमति प्राप्त होने पर शेष कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। समय सीमा बताया जाना संभव नही है। **(ग)** कंडिका ख अनुसार अनुमति प्राप्त होने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। समय सीमा बतया जाना संभव नही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

जिला रायगढ़ में उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला हेतु सेटअप व कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

10. (क्र. 2154) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिला में उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला की स्वीकृति कब हुई थी ? क्या उक्त प्रयोगशाला का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण होगी और अद्यतन स्थिति क्या है ? **(ख)** क्या उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला में टेस्ट किया जा रहा है? यदि हाँ तो 2024-25 एवं 2025-26 में किन-किन फसलों का कितना-कितना टेस्ट किया गया है? यदि नहीं तो किस कारण से टेस्टिंग नहीं किया जा रहा है और कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा? **(ग)** क्या उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला के लिए सेटअप का पर्याप्त संख्या है ? यदि हाँ तो कितने का सेटअप है ? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण सेटअप व्यवस्था कर ली जाएगी,जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) रायगढ़ जिला में उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 में दी गई है। जी हाँ। प्रयोगशाला भवन निर्माण का कार्य कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायगढ़ के द्वारा वर्ष 2020-21 में पूर्ण कर उप संचालक कृषि रायगढ़ को हस्तांतरित किया जा चुका है। उक्त प्रयोगशाला की पद संरचना वर्ष 2023-24 में स्वीकृत हुई है तथा उप संचालक कृषि की पदस्थापना की जा चुकी है। **(ख)** जी नहीं। प्रयोगशाला में नमूना विशलेषण के कार्य हेतु विशलेषक के रूप में भारत सरकार से प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा ही तिथि निर्धारित कर अधिकारियों का नामांकन चाहा जाता है। भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशलेषक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित अधिकारी द्वारा विशलेषण का कार्य प्रारंभ किया जाना संभव होगा। **(ग)** जी हाँ। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायगढ़ हेतु 12 पदों की पद संरचना स्वीकृत है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में पशु औषधालय भवनों की अद्यतन स्थिति

[पशुधन विकास]

11. (क्र. 2224) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कितने पशु औषधालय संचालित हैं, कितने भवन जर्जर अवस्था में हैं, कितने भवन विहीन हैं ? **(ख)** कब तक भवन निर्माण पूर्ण कर लिए जाएंगे ? **(ग)** कितने नवीन पशु औषधालय खोले जाना प्रस्तावित है ? कब तक खोले जाएंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 14 पशु औषधालय संचालित हैं। जिनमें से 04 संस्थायें जर्जर हैं, तथा 01 संस्था भवन विहीन हैं। **(ख)** भवन निर्माण की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।**(ग)** 04 ग्रामों यथा-करैहा, फरसियां, कसपुर, सियारीनाला में नवीन पशु औषधालय खोले जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है, कब तक खोले जोयेंगे की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला धमतरी अन्तर्गत धार्मिक स्थलों हेतु राशि का आबंटन

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

12. (क्र. 2225) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिले अन्तर्गत किन-किन धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु कहॉं-कहॉं व कितने कार्यो हेतु कितनी-कितनी राशि 2023-24 से 15.02.2026 तक आबंटित की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार किस-किस एंजेसी के द्वारा कार्य कराया गया है ? कृपया अवगत करावें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) धमतरी जिले अंतर्गत प्रश्नांश में दर्शित अवधि में विकासखण्ड धमतरी के 13 एवं कुरूद के 06 कुल 19 मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु आबंटन जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख)** एजेंसी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कालम क्रमांक 05 में दर्शित है। **[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]**

पूंजीगत व्यय में खर्च की जानकारी

[वित्त]

13. (क्र. 2263) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में अनुपूरक बजट सहित कुल बजट की कितनी प्रतिशत राशि तथा कुल तय बजट राशि में से कितनी राशि पूंजीगत व्यय में खर्च करने हेतु प्रावधानित थी? कितनी प्रतिशत राशि एवं स्वीकृत बजट की कितनी राशि परिसम्पत्ति निर्माण में खर्च हुई? वर्षवार, विभागवार एवं 2025-26 हेतु 15 फरवरी, 2026 की स्थिति तक ब्यौरा बतावे? **(ख)** आदर्श लेखा मानकों के अनुसार बजट राशि खर्च करने की प्रक्रिया क्या है? **(ग)** देश के राज्यों की मासिक लेखा रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार क्या छत्तीसगढ़ राज्य को पूंजीगत परिसम्पत्ति निर्माण में सबसे कम खर्च वाले राज्यों की सूची में दर्ज किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य बजट एवं अनुपूरक अनुमान सहित 1,75,342.83 करोड एवं वर्ष 2025-26 में मुख्य बजट एवं अनुपूरक अनुमान सहित 2,00,000 करोड़ का प्रावधान था, जिसमें से पूंजीगत व्यय हेतु वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में कमशः 16% (28,560.96 करोड़) एवं 14% (28,278.72 करोड़) का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 में परिसम्पत्ति निर्माण में 20,054.62 करोड़ तथा वर्ष 2025-26 में 28 फरवरी तक 10,154.28 करोड़ का व्यय हुआ है। विभागवार पूंजीगत व्यय की **जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ"** में है। **(ख)** छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के अनुसार "बजट की राशि खर्च करने हेतु संबंधित व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए तथा व्यय के लिए अधिकृत अनुदान तथा वर्ष के लिए विनियोजन में पर्याप्त निधि का उपबंध होना चाहिए अथवा पुनर्विनियोजन की स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से पुनर्विनियोजन स्वीकृत हो।" साथ ही बजट की राशि खर्च करने हेतु आय-व्यय में संतुलन की दृष्टि से प्रथम छःमाही में 40% (प्रथम तिमाही में 25% तथा द्वितीय तिमाही में 15%) तथा द्वितीय छः माही में 60% (तृतीय तिमाही में 25% तथा चतुर्थ तिमाही में 35%) व्यय करने के निर्देश है।**(ग)** राज्यों की मासिक लेखा रिपोर्ट महालेखाकार द्वारा संकलित की गई जानकारी के अनुसार तैयार की जाती है। विभिन्न राज्यों में लेखा संकलन विभिन्न प्रविधियों से अलग-अलग समय में की जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में गत वर्षों में पूंजीगत व्यय में वृद्धि देखी जा रही है, जो वर्ष 2023-24 में 15,419 करोड से बढ़कर 2024-25 में 20,054.62 करोड़ थी। **[संलग्न "परिशिष्ट - तैंतीस"]**

ग्राम कुर्रा में बिना अनुमति के भूमि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन

[आवास एवं पर्यावरण]

14. (क्र. 2276) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी 2024 से फरवरी 2026 के मध्य अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुर्रा में बिना अनुमति के भूमि विकास/भूमि उपयोग में परिवर्तन बाबत कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? **(ख)** कंडिका **(क)** अनुसार चिन्हांकित शिकायतें किन किन के विरुद्ध एवं किन किन के द्वारा किन किन तिथियों को की गयी? **(ग)** प्राप्त शिकायतों पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर द्वारा किन किन तिथियों को, किन किन खसरों तथा व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में 01 शिकायत प्राप्त हुई है।**(ख)** शिकायर्ता श्री लोकेश गिलहरे, उप सरपंच, ग्राम कुर्रा के द्वारा श्री कैलाश शुक्ला पिता श्री रामाधार शुक्ला, निवासी नवापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.) के विरूद्ध दिनांक 24.11.2025 को कार्यालय तहसीलदार गोबरा नवापारा जिला रायपुर (छ.ग.) में एवं दिनांक 29.12.2025 को नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर में शिकायत की गई।**(ग)**कार्यालय तहसीलदार गोबरा नवापारा जिला रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, प्राप्त शिकायत को निराकृत करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। उक्त शिकायत के विरुद्ध नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 197 रायपुर, दिनांक 20.01.2026 को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-37(1) के तहत् ग्राम कुर्रा तहसील-गोबरानवापारा, स्थित भूमि खसरा न 15000 के विरूद्ध अवैध/अप्राधिकृत भूमि विकास/संनिर्माण को हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया, साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक 568 दिनांक 26.02.2026 को पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया है।

छ. ग. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत आजीविका से संबंधित योजनाएं

[आदिम जाति विकास]

15. (क्र. 2289) श्री इन्द्रशाह मंडावी (श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा मानसून सत्र 2025 में दिए गए उत्तर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्गों की आजीविका से संबंधित योजनाओं के लिए 218583.283 लाख रुपए आबंटित किए गए है। **(ख)** क्या इस बजट अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को आजीविका उपलब्ध कराई गई? यदि हां, तो योजनावार एवं जिलेवार लाभांवित की संख्या की जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां। **(ख)** जी हां, जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है।

शासकीय आयोजनों में स्थानीय एवं बाहर के कलाकारों की सहभागिता

[संस्कृति]

16. (क्र. 2474) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- संस्कृति विभाग द्वारा 1 जनवरी 2025 से लेकर 15.02.20206 तक आयोजित राज्य उत्सव, राजीम कुम्भ, चक्रधर समारोह, मैनपाट महोत्सव अवसरों पर कितने स्थानीय कलाकारों को एवं कितने प्रदेश के बाहर के कलाकारों को मौका दिया गया तथा उन्हें कितनी - कितनी राशि भुगतान किया गया ? आयोजनवार कलाकारों के नाम सहित जानकारी देंगे ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : संस्कृति विभाग द्वारा 1 जनवरी 2025 से लेकर 15.02.2026 तक आयोजित राज्य उत्सव, राजिम कुंभ, चकधर समारोह, मैनपाट महोत्सव का आयोजन जिला स्तर में कलेक्टर द्वारा कराया जाता है तथा कलेक्टरों को अनुदान के रूप में राशि जारी की गई थी। जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार स्थानीय कलाकारों एवं प्रदेश के बाहर के कलाकारों को राशि भुगतान की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ** अनुसार है। राज्योत्सव, राजिम कुंभ, चक्रधर समारोह मैनपाट महोत्सव की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब** अनुसार है।

बोर खनन एवं सिंचाई हेतु पंप वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

17. (क्र. 2475) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में कितने कृषकों को कौन-कौन सी योजना के तहत कितने-कितने अनुदान पर कितने बोर खनन एवं सिंचाई हेतु पंप वितरण किए गए हैं? विकास खंडवार एवं वर्षवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंद्ध विकासखण्ड भानुप्रतापपुर, चारामा एवं दुर्गकोंदल में विगत 03 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर नलकूप खनन एवं सिंचाई पंप वितरण से लाभांवित कृषको की योजनावार, वर्षवार, विकासखण्डवार, **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंतीस"]

संस्कृति विभाग के द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों हेतु राशि, व्यय, एवं भुगतान

[संस्कृति]

18. (क्र. 2546) श्री बघेल लखेश्वर : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छ0ग0 राज्य में कार्यक्रमों एवं विभिन्न आयोजनों हेतु प्रावधानित व स्वीकृत बजट राशि वर्ष 2023-24 से 15.02.2026 तक वर्षवार बतावें ? **(ख)** छ0ग0 राज्य के अधीन जिलों में संस्कृति विभाग के द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम, स्वीकृत राशि, व्यय, एवं भुगतान हेतु शेष की स्थिति वर्ष 2023-24 से 15.02.2026 तक बतावें ? **(ग)** ऐसे कौन-कौन से कार्यक्रम हैं, जिनकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के बाद स्वीकृति राशि से संबंधित आदेश जारी नहीं किये गये हैं ? कृपया बतावें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) राज्य में कार्यक्रमों एवं विभिन्न आयोजनों हेतु वर्ष 2023-24 से 15.02.2026 तक प्रावधानित व स्वीकृत बजट निम्नानुसार है:-

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रावधानित बजट
1	2023-24	61,75,01,000
2	2024-25	37,50,00,000
3	2025-26	40, 50,00,000

(ख) संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम, व्यय राशि एवं भुगतान शेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्यक्रम संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	भुगतान शेष
1	2023-24	1768	97146500	97146500	निरंक
2	2024-25	2662	147650002	134124002	13526000
3	2025-26	2404	112181000	73356000	38825000

(ग) सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्वीकृति आदेश में राशि का उल्लेख किया जाता है, पृथक से राशि से संबंधित आदेश जारी नहीं किये जाते हैं। अत: जानकारी निरंक है।

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में पर्यटन स्थल व पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

[पर्यटन]

19. (क्र. 2548) श्री बघेल लखेश्वर : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में पर्यटन विभाग के द्वारा किन-किन स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी गई है ? कृपया स्थलवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के निरंतरता में किन-किन स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी ? कृपया बतावें? **(ग)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में मान्यता प्राप्त पर्यटन स्थल एवं विचाराधीन/प्रस्तावित पर्यटक स्थलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सहित तथा आगामी दिनों वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कार्यों की जानकारी देवें? **(घ)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के पर्यटन स्थलों के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, व्यय व कार्य की अद्यतन स्थिति बतावें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में विभाग द्वारा चिन्हांकित स्थलों की स्थलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के निरंतरता में सोनादाई (दुर्ग कोंदुल) जिला कांकेर को पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु आवेदन विचाराधीन है। उक्त स्थल के संबंध में जिला कलेक्टर से विस्तृत जानकारी चाहा गया है। परीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।**(ग)** जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांक "क" में चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। विचाराधीन आवेदन स्थल सोनादाई, दुर्ग कोंदुल जिला कांकेर में उपलब्ध सुविधाओं का सर्वे नही कराया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में बस्तर संभागान्तर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में चित्रकोट में टेंट सिटी का विकास, शक्तिपीठ परियोजना के तहत मां दंतेश्वरी मंदिर को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु कान्सेप्ट प्लान तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम धुड़मारास (कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान) में ओपन एयर थियेटर एवं 08 शॉप्स का निर्माण । **(घ)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के पर्यटन स्थलों के लिए प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, व्यय व कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

जिला मुंगेली में बीज विकास निगम द्वारा क्रय सामग्री

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

20. (क्र. 2597) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मुंगेली जिला में बीज विकास निगम द्वारा 1 जनवरी, 2024 से दिनांक 23/02/2026 तक कौन-कौन से कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्री कितनी-कितनी राशि से किन-किन फर्म/ एजेंसियों से क्रय की गई हैं? **(ख)** प्रश्नांक क अनुसार उक्त अवधि में क्रय की गई सामग्री कितने हितग्रहियों को वितरित की गई है? सामग्रीवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? क्या उक्त अवधि में क्रय की गई सामग्री/उपकरण में गुणवत्ता व अन्य संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) मुंगेली जिला में बीज विकास निगम द्वारा। जनवरी, 2024 से दिनांक 23/02/2026 तक किसी भी कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्री का क्रय नहीं किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

वासवानी इंण्डस्ट्रीज सिलतरा द्वारा अत्यधिक मात्रा में फैलाये प्रदूषण की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

21. (क्र. 2624) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**रायपुर जिले अंतर्गत माह अप्रैल 2025 से दिनांक 15/02/2026 तक किन-किन उद्योगो/फैक्ट्रीयों के विरूद्ध अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाये जाने कि शिकायत ग्राम पंचायतों या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुई?विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?विवरण प्रदान करें? **(ख)**क्या सिलतरा स्थित वासवानी इंण्डस्ट्रीज के खिलाफ कोई शिकायत प्रश्नांक 'क' अवधि में विभाग को प्राप्त हुई? यदि हां तो इस पर विभाग द्वारा जांच कर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार क्या पूर्व में इस फैक्ट्री के विरूद्ध किसी प्रकार की प्रदूषण संबंधी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई, यदि हां तो क्या ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जी हां। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 15.02.2026 तक की अवधि में रायपुर जिले के अंतर्गत उद्योगों से अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)**जी हाँ। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 15.02.2026 तक की अवधि में मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-सोण्ड्रा, फेज-2, जिला-रायपुर के विरूद्ध 01 शिकायत श्री दुर्गा प्रसाद बंजारे द्वारा जनदर्शन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 01.09.2025 को प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 05.09.2025 को मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-सोण्ड्रा, फेज-2, जिला-रायपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में जल एवं वायु प्रदुषण की स्थिति सामान्य पाई गयी। स्थिति सामान्य पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।**(ग)**जी हाँ। दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 15.02.2026 तक की अवधि में मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-सोण्ड्रा, फेज-2, जिला-रायपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत की गई कार्यवाहियां

[वित्त]

22. (क्र. 2741) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 की धारा 7(1) तथा 7(2) के अन्तर्गत आदेश किये गये हैं? यदि हां तो कब-कब तथा किसको-किसको सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है? आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराएं? सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अब तक की गई कार्यवाहियों का विवरण क्या है? **(ख)** क्या उक्त अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई है? यदि हां तो कब-कब? उनकी प्रतियां भी उपलब्ध कराएं? **(ग)** उक्त अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत अधिसूचित न्यायालयों में पंजीकृत प्रकरणों तथा निराकृत प्रकरणों का तारीखवार विवरण बताएं? **(घ)** उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अब तक किन-किन व्यक्तियों को, किन-किन दंडों से दंडित किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) हां, अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को अधिनियम की धारा 30 के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। (दिनांक 28.04.2025 को अधिसूचित) अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अधिनियम की धारा 30 को छोड़कर, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। (दिनांक 28.04.2025 को अधिसूचित)अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत जिले के कलेक्टर को उनके

क्षेत्राधिकार के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है। (दिनांक 28.04.2025 को अधिसूचित) अधिसूचना की प्रति **संलग्न प्रपत्र- अ अनुसार** है। **(ख)** हां, अधिसूचना दिनांक 28.11.2025 की प्रति **संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार** है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र- स अनुसार** है।**(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र- द अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु भवन निर्माण

[आदिम जाति विकास]

23. (क्र. 2798) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड डौंडीलोहारा अंतर्गत ग्राम-पिनकापार में प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु स्वीकृति कब प्रदान की गई ? उक्त स्थान पर विद्यालय भवन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार क्या विद्यालय का संचालन जिला बालोद में किये जाने हेतु जिला प्रशासन को आदेश किया गया है ? यदि हाँ तो कब तक एवं कौन से स्थान को चयनित किया गया है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड डौंडीलोहारा अंतर्गत ग्राम- पिनकापार में प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु स्वीकृति विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.06.2023 को प्रदान की गई है। विद्यालय भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने संबंधी समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।**(ख)** जी हां, प्रयास आवासीय विद्यालय, पिनकापार जिला बालोद का संचालन जिला बालोद में करने हेतु जिला प्रसाशन को पत्र लिखा गया है। बी.एस.पी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 दल्लीराजहरा का चिन्हांकन कर आधिपत्य देने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भिलाई इस्पात संयत्र, भिलाई जिला दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है। भवन आबंटन पश्चात् संचालन की कार्यवाही की जावेगी।

जर्जर भवनों में संचालित छात्रावास/आश्रमों में अध्ययनरत विद्वयार्थी

[आदिम जाति विकास]

24. (क्र. 2806) श्री अनुज शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर संभाग अंतर्गत कितने आवासीय विद्यालय/आश्रम तथा छात्रावास किन-किन स्थानों में संचालित है तथा इनमें से कितने भवन जर्जर तथा अतिजर्जर स्थिति में हैं? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार इन भवनों के निर्माण/संधारण हेतु विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया है? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या जर्जर तथा अति जर्जर भवनों से अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को सुरक्षा की दृष्टि से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है अथवा इन्हीं भवनों में आश्रम/छात्रावास का संचालन किया जा रहा है?छात्र/छात्राओं की सुरक्षा के लिये विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। **(ग)** जर्जर तथा अतिजर्जर भवनों से अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को सुरक्षा की दृष्टि से अन्य विभागीय छात्रावास भवनों में स्थानांतरित कर संचालित किया जा रहा है, जर्जर भवन में छात्रावास संचालित नहीं किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्राप्त राशि का व्यय

[मछली पालन]

25. (क्र. 2807) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में फरवरी 2026 तक केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार प्राप्त राशि किन-किन कार्यो में कहां-कहां व्यय हुई ? कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया? विवरण जिलावार वर्षवार बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रू. 5315.10 लाख एवं 2025-26 में फरवरी 2026 तक राशि रू. 3750.00 लाख केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई। वर्षवार **विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार प्राप्त राशि का विभिन्न कार्यों में जिलावार किए गए व्यय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मदवार विकास कार्य

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

26. (क्र. 2809) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 3 वर्षों में जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में धार्मिक स्थलों के विकास हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में स्वीकृत की गई एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** धर्म नगरी डोंगरगढ़ में पदयात्रा के दौरान कितने जगहों पर यात्री विश्राम प्रतिक्षालय का निर्माण किया गया व कौन से मद से किया गया इसमें कौन-कौन ठेकेदार/ ऐजेसी के द्वारा कार्य पूर्ण किया गया पूर्ण जानकारी देवें? **(ग)** क्या उक्त जिलों में धार्मिक/पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्य योजना प्रस्तावित है? यदि हां तो क्या-क्या कार्य धर्मिक न्यास के द्वारा वर्ष 2023-24 से 15-02-2026 तक किया गया जानकारी देवें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) विगत तीन वर्षो में जिला-राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है।**(ख)** विभाग द्वारा यात्री विश्राम प्रतिक्षालय निर्माण हेतु अनुदान नही दिया जाता है।कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा खनिज मद से की गई निर्माण कार्य की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।**(ग)** जी नही। प्रश्न ही उपस्थित नही होता।
[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं एवं निर्माण कार्य

[संस्कृति]

27. (क्र. 2810) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 3 वित्तीय वर्षों में जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं की वर्षवार एवं मदवार पूर्ण जानकारी देवें? स्वीकृत राशि का प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक क्या है? **(ख)** क्या उक्त वर्षों में दोनों जिलों में सांस्कृतिक भवन/मंच निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो स्वीकृत राशि का प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक क्या है एवं उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? पूर्ण जानकारी देवें ।

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) विगत 03 वर्षों में जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में संस्कृति विभाग (पुरातत्व संचालनालय) द्वारा स्वीकृत योजनाओं की वर्षवार एवं मदवार जानकारी तथा स्वीकृत राशि की प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	मद	वित्तीय स्वीकृति क्र./ दिनांक/स्वीकृत राशि
वित्तीय वर्ष 2023-24	अनुरक्षण (758-24-009)	क्र. 1105/ दिनांक 28/07/2023 स्वीकृत राशि – 9,87,200
वित्तीय वर्ष 2024-25	निरंक	-
वित्तीय वर्ष 2025-26	निरंक	-

(ख) उक्त वर्षों में दोनों जिलों में सांस्कृतिक भवन/मंच निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। अत प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु आबंटित बजट एवं लंबित भुगतान

[संस्कृति]

28. (क्र. 2811) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24 से 2025-2026 में संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कितना कितना बजट प्रावधान हैं? उक्त बजट के आधार पर प्रश्नावधि में कितनी-कितनी राशि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन में खर्च हो गयी है तथा कितनी राशि वर्तमान में शेष है, जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के कौन-कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को किस-किस श्रेणी में रखा गया है व किन-किन संस्थाओं को कितने-कितने कार्यक्रमों के लिए कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गईं है? संस्थावार, श्रेणीवार पूर्ण जानकारी देवें? **(ग)** संस्कृति विभाग द्वारा उक्त वर्षों में कितने नवीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को किन-किन श्रेणी में मान्यता दी गईं तथा उनकी प्रस्तुति के बाद उनको कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? पूर्ण जानकारी देवें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) वर्ष 2023-24 से 2025-26 में संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रावधानित बजट, व्यय एवं शेष की जानकारी निम्नानुसार है -

क्र	वित्तीय वर्ष	प्रावधानित बजट	व्यय राशि	शेष राशि
1	2023-24	61,75,01,000	51,79,01,689	9,95,99,311
2	2024-25	37,50,00,000	36,83,44,223	66,55,777
3	2025-26	40,50,00,000	35,33,81,176	5,16,18,824

(ख) प्रश्नांक 'क' अंतर्गत प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को श्रेणीकरण नहीं किया गया है तथा संस्थाओं को कार्यक्रम स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। **(ग)** सांस्कृतिक कार्यक्रमों का श्रेणीकरण नहीं होने के कारण उक्त प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जिला धमतरी में पर्यटन स्थलों का विकास एवं प्रचार-प्रसार

[पर्यटन]

29. (क्र. 2814) श्री ओंकार साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022-23 से 15-02-2026 तक जिला धमतरी में किन-किन पर्यटन स्थलों का विकास कार्य किया गया है तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई है? विकासखण्ड-वार, वर्षवार जानकारी दें? **(ख)** क्या अनेक घोषित पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएँ (सड़क, पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं ठहरने की व्यवस्था) अब भी अपर्याप्त हैं? यदि

हाँ, तो इसके कारण क्या हैं? **(ग)** पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कार्ययोजना बनाई गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में धमतरी जिले में स्थित पर्यटन स्थलों एवं अन्य स्थलों-मुकुंदपुर (नगरी), श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा, कर्णेश्वर महादेव मंदिर (ग्राम देउरपारा), नरहरा जलप्रपात, महानदी उद्गम स्थल, गणेश घाट, गंगरेल, निराई माता मंदिर (ग्राम पंचायत मोहेरा) एवं बुढ़ीगढ़ (ग्राम सिंगपुर) में विकास कार्य कराए गए हैं जिसमें राशि रु. 408.55 लाख व्यय किया गया है। विकासखण्ड -वार, वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला धमतरी के सभी चिन्हांकित पर्यटन स्थल सड़क मार्ग से जुड़े हुए है, विद्युत व्यवस्था एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। अन्य आवश्यकताओं के कार्यो को जिला स्तरीय कार्ययोजना में शामिल किया जा रहा है। गंगरेल में पर्यटकों के ठहरने हेतु विभाग द्वारा पर्यटक रिसॉर्ट का निर्माण कराया गया है एवं मुकुन्दपुर-नगरी में पर्यटक काटेज, डॉरमेट्री एवं कैफेटेरिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के द्वारा होमस्टे को प्रोत्साहित किया जा रहा है।**(ग)** जिला धमतरी के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु सोशल मीडिया, फेसबुक, टिव्टर, इंस्टाग्राम इलेक्ट्रनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत गंगरेल में आजीविका संवर्धन हेतु चौपाटी निर्माण एवं अन्य कार्य तथा बड़वा गार्डन में रूफ कैफे निर्माण कार्य पूर्णता पर है तथा वन विभाग द्वारा ग्राम कोटरवाही एवं गंगरेल में मचान हट एवं मानव वन ईको पर्यटन का विकास किया जा रहा है जिससे स्थानीय वन प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहे है। स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हो इस उद्देश्य से नरहरा जलप्रपात में ईको टूरिज्म का विकास कराया जा रहा है। पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के आवासीय व्यवस्था एवं स्थानीय लोगों के रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य में होमस्टे पॉलिसी 2025-30 लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के युवाओं को गाईड प्रशिक्षण प्रदाय करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रभावशील है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियर की नियुक्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

30. (क्र. 2822) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय में सिविल कार्य हेतु सिविल इंजिनियर की नियुक्ति की गई है ? यदि हां तो नियुक्ति कब की गई ? **(ख)** यदि प्रश्नांश के पद पर भर्ती नहीं की गई है तो सिविल कार्यो का मूल्यांकन किस आधार पर किसके द्वारा किया गया ? मूल्यांकनकर्ता के नाम पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या प्रश्नांश 'क' के कार्यो के मूल्यांकन हेतु अन्य विभाग से सिविल इंजीनियर/अनुविभागीय अधिकारी/कार्यापालन अभियंता की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां तो क्या इस हेतु विभाग से अनुमति ली गई थी ? यदि अनुमति नहीं ली गई तो नियुक्ति किस आधार पर, कब, किसकी अनुशंसा पर की गई? **(घ)** नियम विरूद्ध नियुक्ति किये जाने तथा बिना आदेश के मूल्यांकन करने हेतु दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्र./761/एफ 04-38/विविध/2023/14-2, नवा रायपुर दिनांक 23.02.2023 द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के "अधीक्षक भौतिक संयंत्र" को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविदयालय के साथ-साथ ही महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न भवन निर्माण कार्य सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया है। **(ख)** "क" के

परिपेक्ष्य में सिविल कार्यों का मूल्यांकन इंजी. श्री मोहन कोमरे, अधीक्षक भौतिक संयत्र तथा इंजी. श्री अनिल श्रीवास्तव, उप-अभियंता द्वारा किया गया। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** उपरोक्त के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

जिला रायगढ़ के किसानों को कृषि यंत्र, खाद, बीज हेतु प्रदत अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

31. (क्र. 2827) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक कितने किसानों को कृषि यंत्र खरीदी, खाद बीज हेतु अनुदान प्रदाय किया गया है? वर्षवार विकासखंडवॉर जानकारी देवें? **(ख)** किन-किन कृषि यंत्रों एव खाद बीज हेतु अनुदान दिया जाता है, इसके मापदंड क्या हैं? बतायेंगे? **(ग)** उक्त अवधि में कितने किसानों को ट्रैक्टर अनुदान में दिया गया है, नाम सहित जानकारी देंवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) जिला रायगढ़ में वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक अनुदान पर कृषि यंत्र/उपकरण एवं खाद बीज वितरण से लाभान्वित हितग्राहियों की वर्षवार, विकासखण्डवार एवं यंत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।(ख)** वर्तमान में कृषकों को कृषि यंत्र/उपकरण एवं खाद बीज में दिए जाने वाले अनुदान एवं इसके मापदंड की योजनावार विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार है।(ग)** विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक अनुदान में प्रदाय ट्रैक्टर से लाभांवित कृषकों की नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-फ अनुसार है।**

जिला रायगढ़ अंतर्गत कृषि भूमि कोटवार भूमि की रजिस्ट्री

[वाणिज्यिक कर]

32. (क्र. 2828) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत विगत जनवरी, 2021-2022 से जनवरी, 2026 तक कितने कृषि या अन्य प्रकार के भूमि का खरीद-बिक्री रजिस्ट्री किया गया है, तहसीलवॉर जानकारी देवे? **(ख)** उक्त अवधि में खरीद बिक्री फर्जी रजिस्ट्री के नाम पर अनियमितता के कितने मामले प्रकाश में आए हैं या शिकायत प्राप्त हुई है एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** धर्मजयगढ़ अनुविभाग में कितने प्रकरण लंबित हैं, कब तक पूर्ण किए जाएँगे?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत विगत जनवरी, 2021-22 से जनवरी, 2026 तक के भूमि का खरीद-बिक्री रजिस्ट्री की तहसीलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार हैं। **(ख)** जिला रायगढ़ में उक्त अवधि में फर्जी रजिस्ट्री के नाम पर अनियमितता से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः जानकारी निरंक हैं।**(ग)** जानकारी निरंक हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

किसानों के फसल बीमा भुगतान एवं बारदाने की उपलब्धता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

33. (क्र. 2830) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बालोद जिले में खरीफ 2024-25, 2025-26 के दौरान कितने किसानों का फसल बीमा किया गया था और कितने किसानों को अब तक दावा (Claim) राशि का भुगतान किया गया है? **(ख)** जिले के उन किसानों की संख्या क्या है, जिनका बीमा दावा तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया है? **(ग)** बालोद के धान खरीदी

केंद्रों पर बारदाने की उपलब्धता और रख-रखाव की वर्तमान स्थिति क्या है? 2025-26 में कितने बारदाने वितरित किये गये कितनी राशि प्राप्त हुई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) फसल बीमा योजनाओ में जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। बालोद जिले से संबधित तहसीलो में कृषि फसलो के बीमा हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं उद्यानिकी फसलो के बीमा हेतु संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रश्नांकित अवधि में फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले एवं बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषको की योजनावार, वर्षवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में बीमा क्रियान्वयक कंपनियो द्वारा तकनीकी कारणों से किसी भी किसान का फसल बीमा दावा खारिज नहीं किया गया है। **(ग)** बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 5,74,154 नग बारदाना उपलब्ध है। उक्त शेष बारदाना समितियों में रखा गया है, आगामी वर्ष में उपयोग किया जावेगा। बालोद जिले में 2025-26 में धान उपार्जन केन्द्रों को 1,84,80,272 नग बारदाना वितरित किया गया। बारदाना हेतु राशि का वितरण नहीं किया गया।
[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

छ.ग. में गौ अभ्यारण बनाने हेतु लक्ष्य

[पशुधन विकास]

34. (क्र. 2832) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छ.ग. में कितने गौ अभ्यारण बनाने हेतु लक्ष्य रखा गया है, किस-किस जिलों में गौ अभ्यारण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है? क्या बालोद जिले को भी गौ अभ्यारण बनाने हेतु चिन्हांकित किया गया है? प्रत्येक गौ अभ्यारण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** बेमेतरा के झालम में बने गौ अभ्यारण हेतु कितने एकड़ की अनुमति प्राप्त हुई एवं कितने एकड़ में निर्मित किया गया है? निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है? **(ग)** प्रत्येक गौ अभ्यारण में कितने शेडों का निर्माण किया जावेगा? इसमें कितने मवेशियों को रखने की सुविधा होगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छ.ग. में गौ अभ्यारण्य बनाने हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। जिला बेमेतरा, कबीरधाम, जशपुर एवं जिला बिलासपुर में गौ अभ्यारण्य की स्वीकृति प्राप्त हैं। जी नहीं, बालोद जिले को गौ अभ्यारण्य बनाने हेतु चिन्हांकित नहीं किया गया है। प्रत्येक गौ अभ्यारण्य हेतु स्वीकृत राशि की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है**।**(ख)** जिला बेमेतरा के ग्राम झालम में बने गौ अभ्यारण हेतु 53.825 एकड़ की अनुमति प्राप्त है जिसमें से 20 एकड क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किया गया है। निर्माण की वर्तमान स्थिति **की जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। **(ग)** प्रत्येक गौ अभ्यारण्य में निर्मित / निर्माण किये जाने वाले शेडों की संख्या एवं उसमें मवेशियों को रखने की सुविधा (क्षमता) से संबंधित **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत पी.एम. प्रणाम योजना का क्रियान्वयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

35. (क्र. 2835) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत वर्ष 2023-24 से जनवरी 2026 तक पी.एम. प्रणाम योजना अन्तर्गत क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? कार्यो की जानकारी विकासखंडवार देवें? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार

उक्त योजना के तहत प्राप्त आबंटन एवं व्यय की जानकारी कार्यवार देवें? **(ग)** उक्त योजना के प्रचार प्रसार हेतु क्या-क्या कार्य किये गये हैं तथा प्रचार-प्रसार हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? वर्षवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) पी.एम. प्रणाम योजना अंतर्गत विभिन्न विभागीय योजनाओं यथा जैविक खेती मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन में प्रावधानित कृषक संगोष्ठी, कृषि चौपाल, कृषि मेला का आयोजन कर कृषकों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने तथा जैव उर्वरक एवं जैविक खाद् के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला-मोहला-मानपुर-अं. चौकी अंतर्गत वर्ष 2023-24 से जनवरी 2026 तक पी.एम. प्रणाम योजना अंतर्गत किए गए कार्यों की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** पी.एम. प्रणाम योजना अन्तर्गत। तर्गत पृथक से बजट का प्रावधान नहीं है, कंडिका 'क' में उल्लेखित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं से अभिसरण कर संचालित किये गये है। अतः पी.एम. प्रणाम योजना अन्तर्गत आबंटन एवं व्यय की जानकारी निरंक है। **(ग)** पी.एम. प्रणाम योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण से किए गए कार्यों एवं व्यय राशि की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड के विरूद्ध कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

36. (क्र. 2839) श्री दिलीप लहरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या ग्राम पंचायत चिल्हाटी, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड की ओपन कास्ट चूना पत्थर खदान में ब्लास्टिंग, भारी मशीनों के संचालन एवं सैकड़ों ट्रकों की निर्बाध आवाजाही के कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण खतरनाक स्तर सामान्य से अधिक है? यदि हां तो इस हेतु क्या कार्य योजना है? विगत तीन वर्षों में PM10, PM2.5 एवं ध्वनि स्तर की वर्षवार रिपोर्ट देवें? **(ख)** मानक से अधिक प्रदूषण पाए जाने की स्थिति में कंपनी के विरुद्ध अब तक कौन-सी दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी नहीं। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड की ओपन कास्ट चूना पत्थर खदान (क्षमता 1.38 मिलियन टन प्रतिवर्ष) संचालित है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कराये गये वायु मापन रिपोर्ट में पी.एम. 10, पी.एम. 2.5 एवं ध्वनि स्तर मानकों के अनुरूप पाये गये है। अतः ग्राम पंचायत चिल्हाटी मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन की ओपन कास्ट चूना पत्थर खदान में ब्लास्टिंग भारी के संचालन एवं सैकड़ो ट्रकों के निर्बाध आवाजाही के कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण खतरनाक स्तर सामान्य से अधिक होने की पूष्टि नहीं होती है। इस हेतु कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है । विगत तीन वर्षो में पी.एम. 10, पी.एम. 2.5 एवं ध्वनि स्तर की वर्षवार रिपोर्ट**की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** प्रश्नांश **(क)** के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्नांश **(ख)** उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतालीस"]

मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लि. के कारण कृषि भूमि की उत्पादकता तथा भूजल स्तर में गिरावट

[आवास एवं पर्यावरण]

37. (क्र. 2840) श्री दिलीप लहरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या ग्राम पंचायत चिल्हाटी, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित संचालित मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड

की ओपन कास्ट चूना पत्थर खदान के संचालन एवं प्रस्तावित विस्तार के कारण कृषि भूमि की उत्पादकता स्थानीय लोगो के मकान में दरार आने, जलस्रोतों के सूखने, खेतों की उर्वरता घटने एवं ग्रामीणों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव की शिकायतें वर्ष 2025 में प्राप्त हुई ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जी नहीं। ग्राम पंचायत चिल्हाटी, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित मेसर्स नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओपन कास्ट चूना पत्थर खदान के संचालन एवं प्रस्तावित विस्तार के कारण कृषि की उत्पादकता स्थानीय लोगों के मकान में दरार आने, जल स्त्रोतों के सूखने, खेतों की उर्वरता घटने एवं ग्रामीणों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव की शिकायतें वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कार्यालय उपसंचालक कृषि बिलासपुर एवं भारत सरकार खान सुरक्षा महानिदेशालय बिलासपुर क्षेत्र में प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

अटल नगर विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियंता पद पर नियम विरूद्ध की गई पदस्थापना

[आवास एवं पर्यावरण]

38. (क्र. 2842) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियंता के पद पर कौन, कब से पदस्थ है? इनकी सेवाएं कहां से प्रतिनियुक्ति पर ली गई हैं? इनका मूल संस्थान तथा मूल पद क्या है? **(ख)** क्या मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थ उक्त अधिकारी कार्यपालन अभियंता है? यदि हां तो मूल पद से 2 पद ऊपर मुख्य अभियंता के पद पर क्यों पदस्थ किया गया है? इस हेतु कौन दोषी है? **(ग)** क्या उक्त अधिकारी को नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन में महाप्रबंधक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी क्या सौंपा गया ? इस पद के लिए अर्हता क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख)** प्राधिकरण में पदस्थ 02 मुख्य अभियंताओं में से 01 मुख्य अभियंता श्री बी. आर. अग्रवाल का मूल पद कार्यपालन अभियंता है।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अंतर्गत नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में पदस्थ कार्यपालन अभियंता को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण अंतर्गत अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करते हुए मुख्य अभियंता के रिक्त पद के विरूद्ध प्रभार सौंपा गया है। उक्त पदस्थापना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियंता का पद रिक्त होने के दृष्टिगत् प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के सुचारू रूप से संचालन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत की गई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ग)**जी,हॉ । महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद (वेतनमान 37,400/- से 67,000/- ग्रेड पे 6,600/-) को डेपुटेशन/कान्ट्रेक्ट बेसिक के माध्यम से पूर्ति किये जाने पदसंरचना स्वीकृत है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

राज्य में सांस्कृतिक आयोजनों एवं महोत्सवों पर व्यय

[संस्कृति]

39. (क्र. 2843) श्री ओंकार साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023-24 से 15.02.2026 तक संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किए गए सांस्कृतिक महोत्सवों/कार्यक्रमों की संख्या कितनी है तथा उन पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है? जिला-वार विवरण दें? **(ख)** क्या कई कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों के स्थान पर बाहरी कलाकारों को प्राथमिकता दी गई? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है? **(ग)** स्थानीय लोक कलाकारों को प्राथमिकता देने हेतु सरकार की क्या नीति है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :(क) वर्ष 2023-24 से 15.02.2026 तक संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत 6853 सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर राशि रूपये 35,67,06,502/- एवं स्वीकृत 239 सांस्कृतिक महोत्सव पर राशि रूपये 27,35,75,303/- व्यय किया गया है। जिलावार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं 'ब'** अनुसार है। **(ख)** स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी गई है। **(ग)** स्थानीय लोक कलाकारों को प्राथमिकता देने हेतु शासन की नीतियों का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स'** अनुसार है।

फसल कटाई प्रयोग में अनियमितता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

40. (क्र. 2847) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला बिलासपुर के ग्रामों में खरीफ वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiment) कुल कितनी संख्या में कहॉ-कहॉ प्रस्तावित, पूर्ण/संपन्न एवं लंबित है? वर्षवार, ग्राम/क्षेत्र वार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार क्या क्षेत्रांतर्गत फसल कटाई प्रयोगों में कृषि भूमि के स्थान पर आवासीय भूमि/गैर-कृषि भूमि में फसल कटाई प्रयोग अनियमितताओं के कारण किसानों को फसल बीमा दावा राशि के निर्धारण में त्रुटि हुई, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हुई है? यदि हॉ तो प्रभावित कृषकों की संख्या कितनी है? उनके बीमा दावा की अद्यतन स्थिति क्या है? जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार ग्रामों में फसल कटाई प्रयोगों में प्रश्नांश ''ख'' अनुसार अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच/कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है? और क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बिलासपुर जिले के ग्रामों में खरीफ मौसम 2024 एवं 2025 में प्रस्तावित फसल कटाई प्रयोग (सी.सी.ई.) के विरूद्ध संपादित किये गये एवं संपादित नही किये गये फसल कटाई प्रयोग (सी.सी.ई.) की वर्षवार ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार जिला बिलासपुर अंतर्गत कृषि भूमि के स्थान पर आवासीय भूमि/गैर-कृषि भूमि में फसल कटाई प्रयोग नहीं किया गया है, अतः 'शेष जानकारी निरंक है।**(ग)** कंडिका "ख" में उल्लेख अनुसार प्रश्न उपस्थित नही होता है।

विशेष योजनाओं, सांस्कृतिक महोत्सवों, निर्माण कार्यों एवं निविदा प्रक्रियाओं में अनियमितताएं

[संस्कृति]

41. (क्र. 2848) श्री धरमलाल कौशिक : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या विभाग अंतर्गत विगत दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2024-2025 एवं 2025-2026) में संचालित विशेष योजनाओं, सांस्कृतिक महोत्सवों, अनुदान वितरण, निर्माण कार्यों एवं निविदा प्रक्रियाओं में अनियमितताएँ पाई गई हैं? यदि हाँ, तो मदवार एवं वर्षवार विवरण क्या है? संबंधित कार्यों में स्वीकृत राशि, व्यय राशि तथा वास्तविक कार्य की स्थिति क्या है? क्या किसी एजेंसी/लेखा परीक्षण द्वारा जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन का सारांश क्या है? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? जानकारी देवें? **(ख)** विभाग अंतर्गत विगत दो वर्षो में बस्तर, सरगुजा, रायपुर एवं बिलासपुर संभाग अंतर्गत किन-किन अधिकारियों के विरूद्व सामग्री खरीदी व अन्य कार्यो में अनियमिता के संबंध में प्राप्त? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) विभाग अंतर्गत विगत दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2024-2025 एवं 2025-2026) में संचालित विशेष योजनाओं, सांस्कृतिक महोत्सवों, अनुदान वितरण, निर्माण कार्यों एवं निविदा प्रक्रियाओं में अनियमितताएं नहीं पाई गई है। अतः जानकारी निरंक है । **(ख)** विभाग अंतर्गत विगत दो वर्षों में

बस्तर, सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग अंतर्गत अधिकारियों के विरूद्व सामग्री खरीदी व अन्य कार्यों में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है ।

शासकीय भूमि का पर्यटन/ धर्मस्व से लीज पर प्रदाय

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

42. (क्र. 2850) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में धर्मस्व विभाग के द्वारा किन-किन जिलों के पर्यटन स्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं/फ़र्म व निजी या सार्वजनिक सहकारी सोसायटियों को लीज पर भूमि दी गयी है? विवरण जिलेवार देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार उक्त भूमि स्थलों में कितने- कितने वर्षों के लिए किन-किन दरों पर कितनी-कितनी जमीनें शासन के द्वारा आवंटित की गयी है? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** वर्ष 2025 में क्या कही शासकीय भूमि/लीज पर लिये जमीनों को पूर्णतः कब्जा/नामांतरण करने की शिकायतें मिली है? तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क), **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

विभिन्न जिलों में कृषि विभाग से स्वीकृत कार्य एवं निविदा प्रकिया

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

43. (क्र. 2851) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022 से फरवरी, 2026 तक रायपुर संभाग अंतर्गत जिलों में कहाँ-कहाँ, कितने लागत की चेकडेम, डबरी, तालाब निर्माण किया गया है? उससे सिंचाई क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? कार्यो की अद्यतन स्थिति क्या है? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" की संरचनाओं के निर्माण में भंडार क्रय नियम के तहत क्या निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया? यदि हाँ तो निविदा के प्रकार सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांक "ख" के अनुसार यदि निविदा जारी नहीं की गयी तो क्यों? जिम्मेदार कौन हैं? सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022 से फरवरी, 2026 तक रायपुर संभाग के जिलों में चेकडेम्, डबरी एवं तालाब निर्माण, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि, निर्माण लागत एवं कार्यों के अद्यतन स्थिति की योजनावार, वर्षवार, जिलावार, स्थलवार, कार्यवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है। (ख)** जी हाँ। वर्षवार, जिलावार, स्थलवार, कार्यवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश 'ख' के अनुसार सभी कार्यों के निविदा जारी की गई है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

जांजगीर-चाम्पा जिले में कृषि विभाग द्वारा क्रय किए गए कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्री

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

44. (क्र. 2852) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्त वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा कौन-कौन से कृषि उपकरण व अन्य सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर, किन-किन फर्मों/एजेंसियों से क्रय की गई? क्रय करने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? इस वर्ष जिले में आयोजित जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव एग्रीटेक कृषि मेला के आयोजन में विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की संपूर्ण जानकारी पृथक से देवें? **(ख)** क्या खरीदी गई सामग्री/उपकरण की गुणवत्ता

एवं अन्य संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो प्राप्त शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत वर्ष 2025-26 में संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी द्वारा कृषि उपकरण का क्रय नहीं किए जाने के कारण जानकारी निरंक है। अन्य सामग्री की मात्रा दर एवं फर्मों/एजेंसियों से क्रय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** सामग्रियो का क्रय छ.ग. शासन, भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2024) एवं जेम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित कर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव एग्रीटेक कृषि मेला एवं तीन दिवसीय कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी द्वारा व्यय की गई राशि की संपूर्ण **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। (ख)** कंडिका "क" अनुसार क्रय सामग्रियो/उपकरण की गुणवत्ताअथवा इससे संबधित अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

विभाग अंतर्गत कार्यरत गौ सेवकों के मानदेय में वृद्धि

[पशुधन विकास]

45. (क्र. 2857) श्री ब्यास कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- क्या प्रदेश में पशु पालन विभाग अंतर्गत गौ सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के टीकाकरण, रोग नियंत्रण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु स्वास्थ्य जागरूकता एवं अन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? यदि हॉ तो वर्तमान में गौ सेवकों को प्रति टीकाकरण मात्र 02 रूपए की दर से भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो गौ सेवकों के मानदेय/भुगतान में कब तक वृद्धि की जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : विभाग अन्तर्गत पंजीकृत प्रशिक्षित गौसेवक ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के टीकाकरण, रोग नियंत्रण, पशु स्वास्थ्य जागरूकता एवं अन्य सेवाएं प्रदान कर रहे है किन्तु कृत्रिम गर्भाधान का कार्य संपादित नही करते है। वर्तमान में पंजीकृत प्रशिक्षित गौसेवकों कोपशुधन मित्र योजना अन्तर्गत गौ-भैंसवंशीय/सूकर में टीकाकरण हेतु रू. 7.00 प्रति पशु, बकरी/भेंड़/श्वान में टीकाकरण हेतु रू. 5.00 प्रति पशु तथा कुक्कुट में टीकाकरण हेतु रू. 1.00 प्रति पक्षी की दर से कार्य आधारित मानेदय प्रदाय किया जाता है। गौसेवकों के मानदेय में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नवा रायपुर में निर्मित हाउसिंग बोर्ड के मकान

[आवास एवं पर्यावरण]

46. (क्र. 2861) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नया रायपुर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा फरवरी, 2026 तक कौन से सेक्टर में आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए कितने मकान बनाए गए हैं? कितने आबंटित किए गए हैं और कितने रिक्त मकान हैं? आबंटन के नियम और शर्ते क्या हैं? मकान आबंटन में कितना शासकीय अनुदान दिया जाता है और कितना हितग्राही को देना पड़ता है? **(ख)** अपेक्षित संख्या में हितग्राही नहीं मिले तो रिक्त मकानों का क्या उपयोग किया जाता है? क्या मांग के आधार पर मकान निर्मित किया जाता है? या बिना मांग के आधार पर किया जाता है? **(ग)** नवा रायपुर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा निम्न वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निर्मित मकानों को किसी निजी समूह को दिया गया है? यदि हाँ तो किस नियम के आधार पर दिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क)नवा रायपुर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा फरवरी 2026 तक सेक्टर-16, 27, 29, 30 एवं 34 में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए 2912 एवं निम्न आय वर्ग के परिवारो के लिए 4856 कुल 7768 मकान बनाए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग हेतु बनाए जा रहे 2912 मकानों में से 2641 मकान आबंटित है तथा 271 मकान रिक्त हैं। इसी प्रकार निम्न आय वर्ग हेतु बनाए जा रहे 4856 मकानों में से 2029 मकान आबंटित है तथा 2827 मकान रिक्त हैं। आबंटन के नियम एवं शर्त अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के मकानों का आबंटन हेतु हितग्राही की वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तथा निम्न आय वर्ग के मकानों का आबंटन हेतु हितग्राही की वार्षिक आय रू. 3.00 से 6.00 लाख तक होना चाहिए। अन्य नियम एवं शर्त की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। सेक्टर-16, 30 एवं34 में निर्मित/निर्माणाधीन आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के मकान आबंटन में केन्द्र शासन का अनुदान रू. 1.50 लाख एवं राज्य शासन का अनुदान रू. 1.00 लाख दिया जाता है और शेष राशि का भुगतान हितग्राही द्वारा किया जाना है। निम्न आय वर्ग के मकान आबंटन में राज्य शासन से रू. 0.50 लाख का अनुदान दिया जाता है तथा केन्द्र शासन द्वारा रू. 6.00 लाख तक के बैंक ऋण में 6.50% ब्याज की सब्सिडी दी जाती है और शेष राशि का भुगतान हितग्राही द्वारा किया जाना है।**(ख)**अपेक्षित संख्या में हितग्राही नहीं मिले तो मकान रिक्त रहते हैं। मांगकाआंकलनकर मकान निर्मित किया जाता है। बिना मांग के आधार पर मकान निर्मित नहीं किया जाता है।**(ग)**जी हाँ, नवा रायपुर में हाउसिंग बोर्ड निम्न आय वर्ग के लिए निर्माणाधीन मकानों में से 128 मकान निजी समूह को आबंटित किया गया है। मकान निर्माण के दौरान हितग्राहियों द्वारा जमा राशि (पंजीयन राशि) वापस लेने के कारण बहुत सारे मकान रिक्त हो गये थे। बार बार विज्ञापन किये जाने के उपरान्त भी कमजोर आय वर्गों द्वारा अपेक्षाकृत रूचि नहीं दिखाई जा रही थी। लम्बे समय से मकान के रिक्त होने के कारण मण्डल को आर्थिक क्षति पहुंच रही थी। मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 14 नवंबर 2025 में मंत्री परिषद् द्वारा निर्णय लिया जाकर पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में अतिरिक्त शर्तों का समावेश किया गया है। शर्ते निम्नानुसार हैः-(1) ई.डब्ल्यु.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों/फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात् अविक्रित भवनों को पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परन्तु उन्हे शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी। (2) ई.डब्ल्यु.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों/फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात् अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का (बल्क परचेस) प्रस्ताव दिया जाता है, तो एकल व्यक्ति या शासकीय/ अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जायेगा, परन्तु उन्हे शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के किसानों को खाद, बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

47. (क्र. 2865) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के कृषकों द्वारा वर्ष 2024-25 से फरवरी, 2026 तक कौन-कौन से एवं कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद, उर्वरक एवं बीज की मांग के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई? उनमें से निजी संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं को किस अनुपात में देने का प्रावधान है? किस अनुपात में कितनी-कितनी मात्रा में किस दर पर निजी संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया? इन निजी संस्थाओं द्वारा किसानों को कितने मूल्यों पर विक्रय किया गया? जानकारी वर्षवार अलग-अलग बतावें? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' किसानों की मांग के अनुरूप कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक व बीज की कमी आयी एवं सहकारी संस्था को वितरण की गयी? रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज को किसानों को किस-किस दर पर विक्रय किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) एवं **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में मण्डी बोर्ड से स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

48. (क्र. 2866) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2024-25 से फरवरी, 2026 तक मण्डी बोर्ड से विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं? कितने प्रस्तावित हैं? जानकारी देवें? **(ख)** उक्त स्वीकृत कार्यो की वर्तमान स्थिति क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2024-25 से फरवरी, 2026 तक मण्डी बोर्ड से विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर से प्राप्त पत्रानुसार 39 कार्यों के प्रस्ताव हैं, **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** उक्त अवधि में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है, अतः शेष जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

जिला बिलासपुर में अटल विहार योजना के तहत निर्मित आवास

[आवास एवं पर्यावरण]

49. (क्र. 2870) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अटल विहार योजना के तहत जिला बिलासपुर में कहां-कहां पर आवास बनाया गया है एवं कहां-कहां प्रस्तावित है? **(ख)** कंडिका "क" की योजना के तहत किन-किन लोगों को एवं किस-किस दर पर आवास दिए जाने का प्रावधान है? **(ग)** कंडिका "क" के तहत बिलासपुर जिला अंतर्गत निर्मित आवास में कितने लोगों को आवास दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से कितने लोगों को आवास दिया जा चुका है? कितने को दिया जाना शेष है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)अटल विहार योजना के तहत जिला बिलासपुर में चिल्हाटी पर आवास बनाया गया है एवं चिल्हाटी फेस -।। तथा बोदरी फेस -।/।। पर निर्माण कार्य प्रगतिरत्/प्रस्तावित है।**(ख)**कंडिका ''क'' की योजना के तहत् कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लोगों को **संलग्न प्रपत्र के दर अनुसार** आवास दिए जाने का प्रावधान है।**(ग)**कंडिका ''क'' के तहत बिलासपुर जिला अंतर्गत निर्मित आवासों में 538 लोगों को आवास दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 533 लोगों को आवास दिया जा चुका है, एवं 05 भवनों का आबंटन किया जाना शेष है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

अनूसूचित जन जातियों को वन अधिकार पट्टा वितरण

[आदिम जाति विकास]

50. (क्र. 2871) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने अनुसूचित जनजाति परिवार वन अधिकार पट्टा हेतु पात्र हैं? **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत विगत 02 वर्षों में कितने परिवारों को वन अधिकार पट्टा वितरण किया गया है एवं कितने परिवारों को वन अधिकार पट्टा दिया जाना शेष है? **(ग)** कंडिका "ख" के शेष परिवारों को कब तक वन अधिकार पट्टा वितरण किया जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 136 अनुसूचित जनजाति परिवार व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु पात्र पाए गए है। **(ख)** कंडिका 'क' के अंतर्गत विगत 02 वर्षों में पात्रतानुसार 32 परिवारों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण किया गया है एवं वन अधिकार पत्र वितरण/प्रदाय किए जाने हेतु कोई भी दावा शेष नहीं है। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि विभाग अंतर्गत बोर खनन एवं सिंचाई हेतु पम्प वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

51. (क्र. 2874) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सक्ती जिला अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा अप्रेल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 तक की अवधि में कृषकों को कौन-कौन सी योजना के तहत कितने-कितने अनुदान पर कितने बोर खनन एवं सिंचाई हेतु पम्प वितरण किये गये हैं ? विकासखण्डवार एवं वर्षवार विवरण देवें ? **(ख)** कंडिका 'क' के तहत चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कितने आवेदन स्वीकृत कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ? कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं एवं कितने आवेदन लंबित हैं ? वर्षवार विवरण देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) सक्ती जिला अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा अप्रैल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 तक की अवधि में अनुदान पर बोर खनन एवं सिंचाई पंप वितरण कर कृषकों को लाभांवित किये जाने की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** विभागीय योजनाओ में जानकारी का संधारण विकासखण्डवार किया जाता है। चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंद्ध विकासखण्ड मालखरौदा एवं डभरा में कंडिका 'क' के तहत प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत एवं लंबित आवेदनों की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

जिला सक्ती में किसानों की फसल बीमा के लाभन्वित व लंबित भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

52. (क्र. 2875) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला सक्ती में अप्रेल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 की स्थिति तक कितने किसानों ने फसल बीमा कराया है और कितने किसानों को बीमा क्लेम की राशि, किस दर से, कितनी राशि दी गई है ? क्लेम भुगतान करने का क्या प्रावधान एवं समयावधि है ? बतावें ? प्रश्नांकित अवधि तक कितने किसानों की कितनी राशि भुगतान हेतु लंबित हैं ? विधानसभावार एवं ब्लॉकवार विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला सक्ती से संबंधित तहसीलों में फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** योजना अंतर्गत क्षति प्रतिशत के आधार पर जिलावार निर्धारित फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमा राशि के अनुसार बीमा दावा राशि का भुगतान क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। जिला सक्ती के फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमा राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है** वर्ष 2024-25 में पात्रता अनुसार सभी कृषकों को बीमा दावा का भुगतान किया गया है। मौसम खरीफ वर्ष 2025 में बीमा दावा गणना एवं मौसम रबी वर्ष 2025-26 में फसल कटाई प्रयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजना अंतर्गत दावा राशि के भुगतान का प्रावधान एवं समयावधि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**

पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।** योजनांतर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तैयार एवं राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित टर्मशीट में निहित मौसमीय मापदण्डों से राज्य में स्थापित स्वचलित मौसम केंद्र से प्राप्त वास्तविक मौसमीय आंकड़ों के विचलन के आधार पर जिलावार निर्धारित फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के अनुसार दावा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। जिला सक्ती के फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमा राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-इ अनुसार है।** वर्ष 2024-25 में पात्रता अनुसार सभी कृषकों को बीमा दावा का भुगतान किया गया है। मौसम खरीफ वर्ष 2025 में फसलों की जोखिम अवधि समाप्त नहीं हुई है एवं मौसम रबी वर्ष 2025-26 में बीमा का कार्य प्रक्रियाधीन है। योजना अंतर्गत दावा राशि के भुगतान का प्रावधान एवं समयावधि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-फ अनसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

करही चंडी लाइम स्टोन माइंस के गंभीर पर्यावरणीय शिकायत के संबंध में

[आवास एवं पर्यावरण]

53. (क्र. 2878) श्री संदीप साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि करही चंडी लाइम स्टोन माइंस की प्रेषित पर्यावरणीय शिकायत पर केंद्र सरकार/केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त शिकायत के परीक्षण उपरांत मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.09.2025 को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल/राज्य पर्यावरण विभाग को पत्र प्रेषित किया गया? यदि हाँ, तो उक्त पत्र का क्रमांक, प्राप्ति तिथि तथा उसमें उल्लिखित मुख्य बिंदुओं का विवरण क्या है? **(ख)** राज्य शासन/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उक्त पत्र के अनुपालन में क्या स्थल-निरीक्षण/संयुक्त जांच दल गठित किया गया? दल की संरचना एवं निरीक्षण तिथि का विवरण दें? क्या वायु, जल, ध्वनि एवं भू-जल गुणवत्ता परीक्षण कराया गया? परीक्षण रिपोर्ट का सारांश उपलब्ध करावे? **(ग)** क्या पर्यावरण स्वीकृति (EC) एवं सहमति (CTO/CTE) की शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की गई? **(घ)** जांच में यदि किसी प्रकार का उल्लंघन पाया गया हो तो संबंधित खनन पट्टाधारक/कंपनी के विरुद्ध क्या दंडात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई की गई? विवरण देवें? (ड.) क्या उक्त प्रकरण में मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा किसी न्यायालय में लंबित है? यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हां, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को भेजे गये पत्र दिनांक 12/09/2025 का क्रमांक जेड-12011/1/2021-आईए-II (एनसीएम), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्राप्ति दिनांक 24/09/2025 है। प्राप्त शिकायत में उल्लेखित मुख्य बिंदुओं का विवरण निम्नानुसार है :- (1) एल.ओ.आई. में करही जलाशय को सम्मिलित दिखाया गया, किन्तु टी.ओ.आर. व पर्यावरणीय स्वीकृति में जानबूझकर कंपनी द्वारा छिपा दिया गया। (2) मूल पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन में स्टडी एरिया से करही बाँध को छुपाना ओर संशोधन आवेदन में शामिल करने तोड़ -मरोड़ करना है। (3) एम.डी.पी.ए. अनुबंध में स्वीकृत खसरों से परे अनेक खसरे खनन आदेश में शामिल किये गये, जिसमें एल.ओ.आई. की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन हुआ। (4) ई.आई.ए./ई.सी. आवेदन में जलाशय की भूमि को निजी नाम (जीतेंद्र कुमार) से प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया गया है।(5)करही बांध एवं आदिवासी कृषिकों की भूमि अतिक्रमण संबंधी आवेदन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं करने।**(ख)**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उक्त शिकायत में मंडल से संबंधित बिंदुओं पर जाच हेतु मेसर्स करही चंडी लाईम स्टोन माईन्स (श्री सीमेंट लिमिटेड) ग्राम-करही-चण्डी, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री बसंत आडिल की उपस्थिति में दिनांक 06.03.2026

को किया गया। निरीक्षण दिवस में खदान लीज क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन एवं ध्वनि स्तर मापन किया गया है इसके अतिरिक्त खदान क्षेत्र के आसपास ग्राम-खपराडीह एवं ग्राम- चंडी में बोरवेल से जल नमूना एकत्रित किया गया है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, ध्वनि स्तर मापन एवं जल गुणवत्ता मापन का विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाई गई है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं विशलेषण परिणामों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। शिकायत में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 4 के संबंध में लेख है कि यह भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29/10/2021 जारी किया गया है, जिसमें माईनिंग लीज एरिया 242.127 हेक्टेयर से घटाकर 225.719 हेक्टेयर किया गया है। घटाये/छोड़े गये क्षेत्रफल 16.408 हेक्टेयर करही जलाशय की भूमि क्षेत्र है। शिकायत में उल्लेखित अन्य बिन्दु आदिवासी भूमि पर अतिक्रमण, एम.डी.पी.ए. अनुबंध सह खनन आदेश का एल.ओ.आई. से अधिक खसरा आबंटन की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिमगा, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा एवं खनि अधिकारी, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा से संबंधित है।**(ग)**उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन की समीक्षा/सत्यापन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नहीं की गई है। मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना /संचालन सम्मति में निहित शर्तो के अनुपालन की समीक्षा/सत्यापन की गई है।**(घ)**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उक्त खदान के निरीक्षण के दौरान जारी जल एवं वायु स्थापना / संचालन सम्मति में निहित शर्तों का पालन किया जाना पाया गया है। निरीक्षण के दिवस जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति नही पाई गई। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ड.)उक्त प्रकरण में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा अन्य न्यायालय में लंबित नही है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

छात्रावासों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं खाद्य सामग्री की खरीदी

[आदिम जाति विकास]

54. (क्र. 2879) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत दो वित्तीय वर्षों में जिला बलौदा बाजार-भाटापारा के अंतर्गत संचालित छात्रावासों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विकासखंडवार बताएं? **(ख)** उक्त अवधि में दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं खाद्य सामग्री की खरीदी पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?विकासखंडवार, मदवार एवं वर्षवार विवरण बताएं? **(ग)** क्या उक्त अवधि में गुणवत्ता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों की कुल संख्या, उसकी जांच एवं दोषी पाए गए आपूर्तिकर्ताओं/अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी देवें? **(घ)** विगत दो वर्षों में गुणवत्ता मानक पूर्ण न करने वाले कितने आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस, आर्थिक दंड अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया है? कार्रवाई की जानकारी विकासखंडवार देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

राज्य में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों की संख्या

[संस्कृति]

55. (क्र. 2882) श्रीमती भावना बोहरा : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य में वर्तमान में संरक्षित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों की कुल संख्या कितनी है? कृपया केंद्र एवं राज्य

संरक्षित स्थलों का पृथक-पृथक विवरण देवें? **(ख)** उक्त स्थलों में से कितने स्थल जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं? जिलेवार जानकारी देवें? **(ग)** ऐसे स्थलों के संरक्षण, मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु विभाग द्वारा कौन-कौन सी कार्ययोजना/परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं? **(घ)** वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण हेतु कितनी राशि आवंटित एवं व्यय की गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) राज्य में वर्तमान में संरक्षित ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय स्थलों की कुल संख्या 109 है। केंद्र संरक्षित स्मारकों (46) एवं राज्य संरक्षित स्थलों (63) का पृथक-पृथक विवरण संलग्न है। (**जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है।**) **(ख)** उक्त स्थलों के संरक्षित स्मारक घोषित होने के उपरांत यथास्थिति में हैं। केन्द्र एवं राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थलों का नियमित निरीक्षण एवं संरक्षण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार सतत रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में सभी स्मारक/स्थल संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित हैं तथा जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं हैं। जिलेवार स्मारकों की जानकारी संलग्न है। (**जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।**) **(ग)** राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, मरम्मत एवं पुनरूद्धार हेतु विभाग के अनुरक्षण, रसायनिक संरक्षण एवं लघु निर्माण मद में प्राप्त नियमित बजट से किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों पर संरक्षण तथा अनुरक्षण कार्य समय-समय पर आवश्यकता अनुसार एवं निदेशालय द्वारा आबंटित निधि एवं अनुमोदित वार्षिक संरक्षण कार्यक्रमों के अनुरूप संपादित किया जाता है।**(घ)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय धरोहरों के संरक्षण हेतु आबंटित राशि एवं व्यय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र स अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

कबीरधाम जिले के NFDP पर पंजीकृत मत्स्य पालक

[मछली पालन]

56. (क्र. 2883) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कबीरधाम जिले में National Fisheries Digital Platform (NFDP) पर कुल कितने मत्स्य पालक पंजीकृत है? NFDP के माध्यम से अब तक कबीरधाम जिले के कुल कितने लाभार्थियों को कुल कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है ? विधानसभावार एवं विकासखण्डवार जानकारी देवे । **(ख)** कबीरधाम जिले में कुल कितने मछली पालन केन्द्र पंजीकृत हैं तथा इनमें से वर्तमान में कितने केंद्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं? विकासखण्डवार नाम सहित जानकारी देवें? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कबीरधाम जिले में मत्स्य बीज, चारा एवं उपकरण वितरण के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया और उसमें से कितना व्यय किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कबीरधाम जिले में नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी)पर कुल 1448 मत्स्य पालक पंजीकृत है। एनएफडीपी के माध्यम से अब तक कबीरधाम जिले के कुल 1250 लाभार्थियों को राशि रू. 49.72 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। विधानसभावार एवं विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** कबीरधाम जिले में पंजीकृत व सक्रिय रूप से कुल 05 मछली पालन केन्द्र कार्यरत हैं, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कबीरधाम जिले में मत्स्य बीज, चारा एवं उपकरण वितरण के लिए स्वीकृत एवं व्यय बजट की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

महासमुंद जिले के मंदिरों को जीर्णोद्धार एवं अन्य कार्य हेतु स्वीकृत राशि

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

57. (क्र. 2890) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2023-24 से दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक मंदिर जीर्णोद्धार, धर्मशाला एवं अन्य निर्माण/अनुदान हेतु किन-किन मंदिरों को कितनी-कितनी राशि किन कार्यों के लिए जारी की गई है ? मंदिर का नाम, कार्य का नाम, स्वीकृत राशि की जानकारी विधानसभावार वर्षवार बताएं ? **(ख)** उपरोक्त अवधि के दौरान सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से कितने प्रस्ताव/ज्ञापन/मांगपत्र किन जनप्रतिनिधियों/मंदिर समितियों से विभाग को प्राप्त हुए हैं और प्राप्त प्रस्तावों पर कितनों में स्वीकृति प्रदान की गई है ? मंदिर का नाम, कार्य का नाम, स्वीकृति राशि की जानकारी दें ? **(ग)** क्या उपरोक्त अवधि के दौरान सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मंदिर के जीर्णोद्धार या अन्य कार्य हेतु कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई है ? यदि हां तो कारण सहित जानकारी बताएं ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) महासमुंद जिले के सिरपुर में बौद्व महोत्सव हेतु दिनांक 24.05.2023 द्वारा राशि रूपये 5.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2024-25 एवं 2025 से 20 फरवरी 2026 तक विभाग द्वारा मंदिर जीर्णोद्वार/धर्मशाला एवं अन्य निर्माण/अनुदान की स्वीकृति जारी नही की गई है। वर्ष 2023-24 में मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति,की जानकारी संलग्न ''प्रपत्र'' अनुसार है । **(ख)** प्रश्नांश में दर्शित अवधि के दौरान सराईपाली विधानसभा क्षेत्र से संबधित कुल-58 प्रस्ताव/ज्ञापन/मांग पत्र जनप्रतिनिधि एवं अन्य विशिष्ठ प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए है। उक्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा कोई राशि स्वीकृत नही किया गया हेै। 02 प्रस्ताव अमान्य किये गये है एवं 56 प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**(ग)** जी हॉ । उक्त 56 प्रस्ताव का परीक्षण कर प्राक्कलन प्रस्ताव कलेक्टर महासमुंद से चाहा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

महासमुंद जिले में नवीन पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रस्ताव

[पर्यटन]

58. (क्र. 2891) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023 से दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक महासमुंद जिले के कितने स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? प्राप्त प्रस्ताव उपरांत कब-कब नवीन पर्यटन स्थल घोषित किए गए हैं ? **(ख)** क्या प्रस्तावित पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु कितनी राशि से कौन-कौन से कार्य कराए जा रहे हैं ? पर्यटन स्थल का नाम, कार्य का नाम, स्वीकृति राशि, व्यय राशि की जानकारी वर्षवार बताएं ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2023 से दिनांक 20 फरवरी 2026 तक दो स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु आवेदन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ**अनुसार है। स्थलों के संबंध में जिला कलेक्टर से निर्धारित मापदंड एवं प्रारुप में विस्तृत जानकारी मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसका निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर पर्यटन स्थल चिन्हांकित करने का निर्णय लिया जा सकेगा। **(ख)** प्रश्नांक "क" के स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु जिला स्तर पर जिला खनिज न्यास संस्थान मद से राशि रु. 216.97 लाख से विभिन्न विकास कार्य कराये जा रहे हैं। वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना एवं मुख्यमत्री विरासत झरोखा योजना के तहत प्रावधानित राशि

[संस्कृति]

59. (क्र. 2894) श्री दलेश्वर साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2022-23 से फरवरी, 2026 तक मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना एवं मुख्यमत्री विरासत झरोखा योजना के तहत कितनी राशि प्रावधानित थी एवं उक्त योजना के तहत किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि कितने कार्यक्रमों हेतु व्यय की गयी है ? किये गये व्यय की वर्षवार, जिलेवार, राशिवार जानकारी देवें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना एवं मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना के तहत कोई राशि प्रावधानित नहीं थी। वर्ष 2023-24 से फरवरी 2026 तक मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना (मद 6662) एवं मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना (मद 6663) के तहत क्रमशः 44 लाख 70 हजार एवं 99 लाख राशि प्रावधानित थी एवं उक्त योजनाओं के तहत कोई राशि व्यय नहीं की गयी है।अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

एडवेंचर टूरिज्म के विकास एवं शक्तिपीठ परियोजना हेतु बजट का प्रावधान

[संस्कृति]

60. (क्र. 2895) श्री दलेश्वर साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2022-23 से फरवरी, 2026 तक एडवेंचर टूरिज्म के विकास एवं प्रदेश में 1000 किमी लंबी शक्तिपीठ परियोजना हेतु कितनी राशि बजट प्रावधानित की गयी है? शक्तिपीठ परियोजना 1000 किमी में किन-किन ग्रामों व शहरों को शामिल किया गया है एवं प्रावधानित बजट से कितनी राशि कहॉ-कहॉ पर कितने कार्यो हेतु व्यय की गयी है? जिलेवार, वर्षवार, राशिवार व्यय की जानकारी देवें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : प्रदेश में वर्ष 2022-23 सें फरवरी, 2026 तक एडवेंचर टूरिज्म के विकास हेतु कुल राशि रू. 8.00 करोड़ एवं प्रदेश में 1000 कि.मी. लंबी शक्तिपीठ परियोजना हेतु कुल राशि रू. 10.00 करोड बजट में प्रावधानित की गयी है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। शक्तिपीठ परियोजना में माँ दंतेश्वरी मंदिर (जिला दंतेवाड़ा), माँ बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ (जिला राजनादगांव), माँ महामाया देवी मंदिर रतनपुर (जिला बिलासपुर), माँ बागेश्वरी देवी मंदिर कुदरगढ़ (जिला सूरजपुर) एवं माँ चंद्रहासिनी देवी मंदिर चंद्रपुर (जिला सक्ती) को शामिल किया गया है। उक्त स्थलों में से रतनपुर माँ महामाया देवी मंदिर का सी.पी.आर. (कांसेप्ट प्लान रिपोर्ट) तैयार हो चुका है। शेष स्थलों के सी.पी.आर (कांसेप्ट प्लान रिपोर्ट) बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः वर्तमान में प्रावधानित बजट में से कोई राशि व्यय नहीं हुयी है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

कृषकों को दलहन तिलहन हेतु बीज वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

61. (क्र. 2898) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 20 फरवरी, 2026 तक दलहन तिलहन की कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से बीज कितने-कितने कृषकों को वितरित किए गये? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के वितरित बीज में से कितने कृषकों द्वारा बीज बोया गया? क्या राजस्व विभाग द्वारा इसकी गिरदावरी की गई एवं क्या राजस्व विभाग के गिरदावरी एवं कृषि विभाग के आंकड़ों का मिलान किया गया? यदि हां तो क्या पाया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

<u>भाटापारा विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायतों के विकास हेतु संचालित योजनाएं</u>

[आदिम जाति विकास]

62. (क्र. 2900) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है ? ग्राम पंचायत का नाम, विकासखण्डवार जानकारी बताएं? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतें, जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है, वहां पर आदिवासियों के विकास के लिए तथा उस ग्राम पंचायत के अधोसंरचना विकास के लिए शासन की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? संचालित योजनाओं के द्वारा भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में विगत दो वर्षो में कौन-कौन से कार्य किस-किस योजनांतर्गत कराए गए हैं ? **(ग)** क्या भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासियों के 25 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक वाली ग्राम पंचायतों में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के मद से विकास कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा नहीं ? यदि की गई है तो किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस कार्य के लिए राशि स्वीकृत की गई है ? जनवरी, 2024 से लेकर फरवरी, 2026 तक की जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी ''संलग्न प्रपत्र-अ'' अनुसार है। **(ख)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक आदिवासियों की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में विभाग द्वारा लघुअंचल अंतर्गत मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं देवगुड़ी निर्माण योजना का संचालन किया जा रहा है। **जानकारी ''संलग्न प्रपत्र-ब''**अनुसार है। **(ग)** जी हॉ। जनवरी 2024 से फरवरी 2026 तक विकासखण्ड सिमगा अंतर्गत ग्राम पंचायत मोटियारीडीह में सी.सी. रोड निर्माण कार्य गौठान से बंधवा पार तक राशि रू 10.00 लाख की स्वीकृति की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

<u>कृषि उपज मंडियों में विभिन्न निधियों में उपलब्ध राशि अंतर्गत कराए गए कार्य</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

63. (क्र. 2901) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत दो वर्षो में कृषि मंडी बोर्ड द्वारा भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में मंडी बोर्ड से किस-किस कार्य के लिए राशि स्वीकृत की गई थी ? वर्षवार तथा विकासखंडवार जानकारी दें ? **(ख)** किसी भी संचालित कृषि उपज मंडी के पास स्थाई निधि, आरक्षित निधि, मंडी निधि, भविष्य निधि एवं अन्य कितने निधि होते है ? कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, क्र 24. 1973 की धारा 39 मंडी अधिनियम के तहत बनाए गए नियम तथा उप विधि के तहत निधियों का समायोजन मंडी समितियों द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट तथा मंडी बोर्ड द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों एवं निर्माण निर्देशिका के तहत उक्त निधि से भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के कृषि उपज मंडी में किस-किस उद्देश्यों एवं कार्यो के लिए कितनी राशि खर्च की गई है ? **(ग)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा में संचालित कृषि उपज मंडियों में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 से लेकर फरवरी, 2026 तक किन-किन निधियों में कितनी राशि उपलब्ध थी ? उपरोक्त समयावधि में निधि में उपलब्ध राशि को किन-किन प्रयोजनों में खर्च किया गया है ? कृपया वर्षवार, जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विगत 02 वर्षों में छग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में मंडी बोर्ड निधि. से स्वीकृत सी.सी. रोड कार्यों की विस्तृत **जानकारी संलग्न**

प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख) प्रदेश में संचालित कृषि उपज मंडी के पास स्थाई निधि, आरक्षित निधि, मंडी निधि, निराश्रित निधि, सामान्य भविष्य निधि एवं अन्य निधि होते है। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, क्र., 24 1973 की धारा 39 मंडी अधिनियम के तहत बनाए गए नियम तथा उपविधि के तहत निधियों का उपयोजन मंडी समितियों द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट तथा मंडी बोर्ड द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों एवं निर्माण निर्देशिका के तहत् किया जाता है उक्त निधि से भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में जिन कार्यों के लिए राशि व्यय की गई है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग)** भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भाटापारा मूल मंडी है तथा सिमगा उसकी उपमंडी है। वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 (माह फरवरी 2026 तक) निधिवार/वर्षवार उपलब्ध राशि एवं व्यय प्रयोजनों की विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत संचालित उद्योगों में फ्लाईएश डंपिग का नियम

[आवास एवं पर्यावरण]

64. (क्र. 2906) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत संचालित उद्योगों में कितने-कितने उद्योगों से फ्लाईएश डंप किया जाता है ? फ्लाईएश डंप करने का क्या नियम है ? डंपयार्ड कहां-कहां हैं ? अवैध फ्लाईएश डंप के कितने मामले वर्ष 2024 से दिनांक 01.01.2026 में प्राप्त हुए हैं ? जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित किसी भी उद्योग (ताप विद्युत संयंत्र) द्वारा फ्लाई ऐश डंप नहीं किया जा रहा है, अपितु इन संयंत्रों द्वारा जनितफ्लाईएश का उपयोग सीमेंट फैक्ट्री तथा ब्रिक निर्माण इत्यादि में किया जा रहा है। फ्लाईएश डंप करने के सम्बन्ध मेंकेन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2019 में फ्लाई ऐश भू-भराव हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई है। इसके अतिरिक्त फ्लाई ऐश भू-भराव के लिये अनुमति जारी करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) दिनांक 11/12/2024 को जारी किया गया है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत डंपयार्ड नहीं है। दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 01/01/2026 तक की अवधि में रायपुर ग्रामीण विधानसभा में अवैध फ्लाई ऐश डंपिग की 01 शिकायत श्री हनीफ निजामी से दिनांक 24.09.2024 को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 24.09.2024 को किये गये निरीक्षण में मेसर्स घनकुन स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम सोण्ड्रा, सिलतरा, जिला-रायपुर द्वारा गाजी नगर बीरगांव में अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग किया जाना पाया गया। तत्संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग से डम्प फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण का कार्य कराया गया तथा उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,12,500/- (एक लाख बारह हजार पांच सौ रूपये मात्र) अधिरोपित की गई है। उक्त राशि उद्योग द्वारा जमा की गई है।

कृषकों को कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

65. (क्र. 2907) श्री मोतीलाल साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के कृषकों को किस योजना केे तहत कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर प्रदाय किया जाता है? उक्त योजना अंतर्गत कृषकों के चयन का मापदंड क्या-क्या है? **(ख)** उक्त योजनांतर्गत कृषकों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि सामग्री कितनी राशि में प्रदाय की जाती है ? उक्त सामग्री का बाजार मूल्य एवं सब्सिडी राशि सहित जानकारी प्रदाय करें ? **(ग)** उक्त कृषि उपकरण हेतु एजेंसी चयन की क्या प्रक्रिया है ? वर्तमान में जिला रायपुर एवं जिला-धमतरी हेतु चयनित एजेसियों की जिलेवार/उपकरण एवं सामग्रीवार

जानकारी देवें ? **(घ)** जिला-रायपुर एवं धमतरी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 जनवारी, 2026 तक की स्थिति में कितने कृषकों को इस योजना के तहत ट्रैक्टर एवं हार्वेस्टर प्रदाय किया गया है ? विकासखंडवार कृषक के नाम व पता सहित जानकारी देवें ? **(ड)** उक्त योजनांतर्गत अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?यदि हां तो शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) से **(ङ) जानकारी संकलित की जा रही है**

<u>बालोद जिले में अध्ययनरत अनु. जनजाति के विद्यार्थियों को लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान</u>

[आदिम जाति विकास]

66. (क्र. 2910) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में कितनी राशि दिये जाने का प्रावधान है? **(ख)** वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 20 फरवरी, 2026 की स्थिति में बालोद जिले की शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं दिनांक 20 फरवरी, 2026 की स्थिति में छात्रवृत्ति की किस वर्ष का कितनी राशि भुगतान हेतु लंबित है तथा भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? वर्षवार, विकासखण्डरवार बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। **(ख)** वर्षवार तथा दिनांक 20 फरवरी 2026 की स्थिति में छात्रवृत्ति भुगतान की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। भुगतान प्रक्रिया में है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बैंसठ"]

<u>बालोद जिले में संचालित छात्रावास एवं आश्रम शालाओं हेतु सेटअप</u>

[आदिम जाति विकास]

67. (क्र. 2911) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बालोद जिले के अंतर्गत कहॉं-कहॉं पर प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक/कन्या छात्रावास एवं आश्रम शालायें संचालित हैं? विकासखण्डवार संस्था के नाम सहित जानकारी देवें ? **(ख)** कण्डिका 'क' के संचालित छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में कौन-कौन से कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने कार्यरत एवं कितने रिक्त' हैं? विकासखण्डवार संस्था के नाम सहित जानकारी देवें ? **(ग)** जिले में संचालित कन्या छात्रावासों एवं आश्रमों की छात्राओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। **(ग)** जिला बालोद में संचालित 05 कन्या आश्रम तथा 14 कन्या छात्रावासों में महिला अधीक्षिका/महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं महिला होमगार्ड की नियुक्ति की गई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

<u>जिला केसीजी अंतर्गत कृषि विकास एवं किसान कल्याण के तहत संचालित योजनाएं</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

68. (क्र. 2914) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिला केसीजी अंतर्गत कृषि विकास एवं किसान

कल्याण विभाग के तहत संचालित योजनाओं की संख्या कितनी है? योजनावार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** उक्त अवधि में जिले को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई? योजनावार एवं वर्षवार जानकारी दें? **(ग)** जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बीज वितरण, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई उपकरण अनुदान योजनाओं से लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है? योजनावार जानकारी दें? **(घ)** क्या जिले में किसानों को कृषि आदान (बीज, खाद, कीटनाशक) की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है? यदि नहीं, तो प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं निराकरण की स्थिति क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विभाग में संचालित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** जिले अंतर्गत विभाग में उक्त अवधि के दौरान संचालित योजनाओं में प्राप्त आबंटन एवं व्यय की गई राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बीज वितरण, कृषि यांत्रिकीकरण, सिंचाई उपकरण अनुदान योजनाओं से लाभान्वित किसानों की संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है। (घ)** जिले में किसानों को कृषि आदान (बीज एवं उर्वरक) की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, कीटनाशक निजी विक्रय केंद्रों के माध्यम से कृषकों के लिए क्रय हेतु उपलब्ध होता है। जिले में उर्वरक की अनुपलब्धता के संबंध में किसान कॉल सेंटर के माध्यम से 07 शिकायतें प्राप्त हुई जिसका निराकरण समयावधि में कर लिया गया है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र -ई अनुसार है** तथा बीज एवं कीटनाशक की अनुपलब्धता के संबंध में कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

वाणिज्यिक कर से प्राप्त कुल राजस्व

[वाणिज्यिक कर]

69. (क्र. 2915) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में वाणिज्यिक कर (जीएसटी/वैट/अन्य कर) से प्राप्त कुल राजस्व राशि कितनी है? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** विगत तीन वर्षों में कर अपवंचन/फर्जी बिलिंग/आईटीसी दुरुपयोग के कितने प्रकरण दर्ज किए गए? **(ग)** राज्य में लंबित कर बकाया की कुल राशि कितनी है? वर्षवार बकाया राशि की जानकारी दें ? **(घ)** क्या ई-वे बिल, डेटा एनालिटिक्स एवं विशेष जांच अभियान के माध्यम से कर चोरी पर नियंत्रण हेतु कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में वाणिज्यिक कर (जीएसटी/वैट/अन्य कर) से प्राप्त कुल राजस्व राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वाणिज्यिक कर (जीएसटी/वैट/अन्य कर)
(1)	(2)
2023-24	20380.78
2024-25	23453.67
2025-26	वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

(ख) विगत तीन वर्षों में कर अपवंचन/फर्जी बिलिंग/आईटीसी दुरूपयोग के संबंध में 2891 प्रकरण दर्ज किए गए है। **(ग)** राज्य में लंबित कर बकाया की कुल राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वाणिज्यिक कर (जीएसटी/वैट/अन्य कर)
(1)	(2)
2023-24	4847.06
2024-25	5362.83
2025-26	वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

(घ) हां, ई-वे बिल, डेटा एनालिटिक्स एवं विशेष जांच अभियान के माध्यम से कर चोरी पर नियंत्रण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में 1000 हेक्टेयर से बड़े जलाशयों में मत्स्याखेट एवं मत्स्यपालन

[मछली पालन]

70. (क्र. 2919) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र से बड़े जलाशयों के नाम, औसत जलक्षेत्र तथा मत्स्याखेट एवं मत्स्यपालन करने के लिये किसे-किसे, किसके-किसके द्वारा, कब से कब तक के लिये दिया गया है? **(ख)** उपरोक्त जलाशयों से विगत 03 वर्षो में प्राप्त राजस्व तथा आय एवं मत्स्योत्पादन का विवरण क्या है, जलाशयवार बताएं? इनमें कितने मछुआरे कार्य करते हैं? **(ग)** उपरोक्त जलाशयों में से वन भूमि पर स्थित जलाशय कौन-कौन हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र से बड़े जलाशयों के नाम, औसत जलक्षेत्र तथा मत्स्याखेट एवं मत्स्यपालन करने के लिये आबंटित पट्टाधारकों के नाम, पट्टा प्रदायक तथा पट्टा अवधि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** उपरोक्त जलाशयों से विगत 03 वर्षों में प्राप्त राजस्व, मत्स्योत्पादन तथा कार्यरत् मछुआरों की जलाशयवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग)** उपरोक्त समस्त जलाशय वन क्षेत्र पर स्थित हैं एवं जलाशयों का आधिपत्य जल संसाधन विभाग के पास निहित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ"]

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जलाशयों की सामुदायिक अधिकार की मान्यता

[आदिम जाति विकास]

71. (क्र. 2924) श्री कवासी लखमा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** बस्तर संभाग के अंतर्गत अुनसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)**(घ)** के अंतर्गत किन-किन जलाशयों पर सामुदायिक अधिकारों की मान्यता कब-कब प्रदान की गई है और किन-किन जलाशयों पर अब तक ऐसे अधिकारों की मान्यता प्रदान नहीं की गई? कारणों सहित बताएं? **(ख)** जिन जलाशयों पर वन अधिकारों की मान्यता प्रदान की गई है उनका क्षेत्रफल (रकबा) कितना-कितना है और जिन पर नहीं की गई है उनका क्षेत्रफल (रकबा) कितना-कितना है? **(ग)** क्या वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)**(घ)** के अंतर्गत आने वाले जलाशयों को पट्टे अथवा ठेके पर भी किया गया है? यदि हां, तो उन जलाशयों के नाम तथा रकबा बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी, पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र अनुसार है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियमों के प्रावधान अनुसार सामुदायिक वन अधिकार का निर्धारण और मान्यता हेतु विधिवत व्यवस्था है। जिसमें त्रि-स्तरीय समिति (ग्रामसभा स्तर पर वन अधिकार समिति, उपखंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति) के माध्यम से दावा अनुमोदन उपरांत विभिन्न वन

अधिकार मान्य किये जाते हैं। अतः उक्त प्रक्रिया अनुसार जलाशयों हेतु सामुदायिक वन अधिकार दावा निर्धारण, पात्रता एवं अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना किन-किन जलाशय पर अब तक ऐसे अधिकारों की मान्यता प्रदान नहीं की गयी है यह बताया जाना संभव नहीं है। **(ख) जानकारी, पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र अनुसार है**। प्रश्नांश **(क)** के उत्तर अनुसार जिन जलाशयों पर सामुदायिक अधिकार मान्य नहीं किए गए हैं, उनका क्षेत्रफल बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 2808) की जानकारी

प्रपत्र–अ

(परियोजना में विलम्ब के मुख्य कारण)

क. परियोजना के निष्पादन हेतु 9.52 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी परन्तु निष्पादन के समय 7.55 एकड़ भूमि का सीमांकन कर हस्तांतरित किया गया । इस संबंध में पुनः सीमांकन कर अनुरोध किया गया था जो कि 08.02.2021 को दिया गया । पुनः सीमांकन में भूमि का Orientation बदल गया था । जिसके अनुसार संशोधित Layout तैयार कर अनुमोदन का अनुरोध किया गया जो कि 17.05.2021 को प्राप्त हुआ ।

ख. किसानों एवं स्थानीय लोगों द्वारा PFC हेतु आबंटित भूमि पर निष्पादन करने पर विरोध किया गया एवं कोर्ट में भी इस मामले को दायर किया गया। तदनुसार कोर्ट द्वारा निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी किया गया जिसको सुलझाने में स्थानीय प्रशासन स्तर के प्रयास के पश्चात् 02.11.2021 को निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त हुई ।

ग. प्रस्तावित Layout के उपर से एचटी लाईन गुजर रही थी जिसके बारे में DPR तैयार करने के समय भी अवगत कराया गया था । लगातार प्रयास के पश्चात् अंततः दिनांक 26.09.2021 को ऊर्जा विभाग द्वारा इसे शिफ्ट किया गया ।

घ. कोविड–19 महामारी की प्रथम वेव के कारण लॉकडाउन भारत सरकार की तरफ से 24.03.2020 में लगा जो लगभग31.08.2020 तक चला जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति काफी अनियंत्रित थी एवं काफी बाद तक इसका असर रहा। इसके तुरंत बाद सेकंड वेव शुरू हो गई जिसके कारण छत्तीसगढ़ शासन को इसकी रोकथाम के लिए 09.04.2021 से 31.05.2021 तक लॉकडाउन लगाना पड़ा जिसमें 2 माह तक सभी कार्य पूर्ण रूप से बंद रहे। आंशिक रूप से नियंत्रित होने पर phase wise lockdown हटाया गया जिसके कारण कार्य निष्पादन हेतु material transportation में बाधा आती रही एवं लेबर की व्यवस्था करने में भी काफी असुविधा हुई । इसके पश्चात् बारिश ने भी 3 माह तक कार्य को प्रभावित किया ।

ड. निर्माण एजेंसी के संचालक श्री पकंज झा की सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन दिनांक 12.03.2022 को हुआ जिसके कारण भी कार्य के निष्पादन में व्यवधान हुआ एवं कार्य कोसुचारू एवं व्यवस्थित करने में भी समय लगा ।

च. समय पर राशि जारी न होने के कारण भी फंड रोटेशन में बाधाएं आई है जिसके कारण एजेंसी को भुगतान में देरी हुई एवं कार्य की प्रगति भी प्रभावित हुई है ।

प्रपत्र–ब

कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

अवर सचिव, छ.ग.शासन पर्यटन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर का आदेश कं. एफ–4–1/2019/33/पर्य./दिनांक 16.12.2020 एतद् द्वारा भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रसाद योजना अंतर्गत जिला राजनांदगांव में डोगरगढ़ के गुणवत्तापूर्ण विकास एवं समय पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करने तथा योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी भारत सरकार को प्रदान करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है :–

1. कलेक्टर जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ - अध्यक्ष
2. जिला कलेक्टर कार्यालय के पर्यटन प्रभारी–सदस्य सचिव –प्रभारी अधिकारी (ज्ये.लि.1)शाखा
3. बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति डोगरगढ के प्रतिनिधि – सदस्य अध्यक्ष श्री माँ बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति डोगरगढ़ जिला राजनांदगांव
4. प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति डोगरगढ़ के प्रतिनिधि – सदस्य अध्यक्ष प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति डोगरगढ़ जिला राजनांदगांव
5. आवश्यकतानुसार अन्य सदस्य – अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोगरगढ़ जिला राजनांदगांव

2– समिति प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर निर्माण कार्यो की समीक्षा करेगी एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड रायपुर को उपलब्ध करायेंगे।

कलेक्टर 2/2021
राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ0 कमांक/982/ज्ये.लि.1/सूचनाधि/2021 राजनांदगांव, दिनांक 05/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक मान. मंत्री पर्यटन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड रायपुर
4. अध्यक्ष बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति डोगरगढ़ जिला राजनांदगांव
5. अध्यक्ष प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति डोगरगढ़ जिला राजनांदगांव
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोगरगढ़ जिला राजनांदगांव

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

कलेक्टर 2/2021
राजनांदगांव (छ.ग.)

10 FEB 2021

छत्तीसगढ़ शासन
पर्यटन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर

::आदेश::

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /12/2020

क्रमांक एफ 4–1/2019/33/पर्य:: राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रसाद योजना अंतर्गत जिला–राजनांदगॉव में डोंगरगढ़ के गुणवत्तापूर्ण विकास एवं समय पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करने तथा योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी भारत सरकार को प्रदान करने हेतु सचिव पर्यटन की अध्यक्षता मे निम्नानुसार राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है :–

1.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग	– अध्यक्ष
2.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड	– सदस्य सचिव
3.	जिला कलेक्टर, राजनांदगॉव	– सदस्य
4	वित्त अधिकारी / प्रभारी अधिकारी, प्रसाद योजना छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड	– सदस्य
5.	संबंधित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि	– सदस्य

2/ समिति प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगी एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन भारत सरकार को उपलब्ध करायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(मनोहर झमटानी) 16/12/2020
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पर्यटन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 4–1/2019/33/पर्य नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/12/2020
प्रतिलिपि:–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ट्रांसपोर्ट भवन, 1 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को पत्र क्र. प्रसाद–05/42/2018 दिनांक 21.10.2020 के संदर्भ में,
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री पर्यटन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड रायपुर,
5. कलेक्टर, जिला राजनांदगॉव छत्तीसगढ़,
6. विभागीय आदेश / निर्देश की गार्ड / स्टॉक फोल्डर हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

16/12/2020
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पर्यटन विभाग

Asstt. Direct. (Fin.)
Asstt. Dir. (Plg.) Sec

d:\letter\dir letter 2020.docx1.m

21 DEC 2020 Tarun

पारिशिष्ट - दो
तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 2872) की जानकारी

प्रपत्र– 'अ'

अप्रैल 2024 से 02 फरवरी 2026 तक सक्ती जिले में स्वीकृत कार्यक्रम

क्र.	ग्राम	कलाकार दल	विकासखण्ड	वर्ष
1	कटरा	श्रीमती प्रभा यादव	मालखरौदा	2024–25
2	मालखरौदा	श्री पीलुराम वर्मा	मालखरौदा	2024–25
3	मालखरौदा	श्रीमती निर्मला ठाकुर	मालखरौदा	2024–25
4	मुडपार	पद्मश्री उषा बारले	मालखरौदा	2024–25
5	मुडपार	श्री हृदयप्रकाश अनंत	मालखरौदा	2024–25
6	पिरदा	श्री रोशनकुमार साहू	मालखरौदा	2024–25
7	छपोरा	श्री रोशनकुमार साहू	मालखरौदा	2024–25
8	तुलसी	श्री रामबिलास खुंटे	मालखरौदा	2024–25
9	घोराडीपा	श्रीमती किरण भारती	सक्ती	2024–25
10	खपराडीह	श्री जगदीश जायसवाल	सक्ती	2024–25
11	खरगहनी	पद्मश्री उषा बारले	सक्ती	2024–25
12	खोखरी	श्रीमती छाया चंद्राकर	सक्ती	2024–25
13	खोखरा	श्री घनश्याम गंधर्व	सक्ती	2024–25
14	झालरौंदा	श्री जगदीश जासवाल	सक्ती	2025–26
15	बेरकेलखुर्द	श्री जगदीश जायसवाल	सक्ती	2025–26
16	कोहाडबरी	श्री रामावतार चंद्राकर	सक्ती	2024–25
17	मोहतरा	श्री यशवंत सतनामी	सक्ती	2024–25
18	खिसोरा	श्री रामबिलास खुंटे	सक्ती	2024–25
19	खिसोरा	श्री रामबिलास खुंटे	सक्ती	2024–25
20	हसौद	श्रीमती आरती बारले	सक्ती	2024–25
21	परसाभाठा	श्री अमितकमल कोसले	सक्ती	2024–25

22	पलाडीखुर्द	श्री रामावतार चंद्राकर	सक्ती	2024–25
23	सरवानी	श्री पीलुराम वर्मा	सक्ती	2024–25
24	देवरी	श्री पीलूराम वर्मा	सक्ती	2025–26
25	देवरी	श्री सुनील मानिकपुरी	सक्ती	2025–26
26	तौलीडीह	श्री जगदीश जायसवाल	सक्ती	2024–25
27	तुमीडीह	श्रीमती अलका चंद्राकर	सक्ती	2024–25
28	जमडी	श्री छोटेलाल साहू	सक्ती	2024–25
29	नकटीडीह	श्री जगदीश जायसवाल	सक्ती	2025–26
30	नवापारा	श्री सुरेश विश्वकर्मा	सक्ती	2024–25
31	अफरीद	श्री रामावतार चंद्राकर	सक्ती	2024–25
32	अर्जुनी	श्री रामावतार चंद्राकर	सक्ती	2024–25
33	कोसमंदा	सुश्री छाया प्रकाश	डभरा	2024–25
34	हरदी	श्री हृदयप्रकाश अनंत	डभरा	2024–25
35	डभरा	श्री हरि प्रेमी	डभरा	2024–25
36	चुरतेला	श्री द्वारिका बर्मन	डभरा	2024–25
37	ओडेकेरा	श्री रामाधार लहरी	डभरा	2024–25
38	अड़भार	पद्मश्री उषा बारले	डभरा	2024–25
39	गोंदली	श्री सुरेश विश्वकर्मा	डभरा	2024–25
40	खम्हरिया	श्री किशनसेन लाला	जैजैपुर	2024–25
41	खजुरानी	श्री जगदीश जासवाल	जैजैपुर	2024–25
42	बेलादुला	श्री हरगोविंद कोशले	जैजैपुर	2025–26
43	काशीगढ	सुश्री आरू साहू	जैजैपुर	2024–25
44	मलनी	श्री रोशनकुमार साहू	जैजैपुर	2024–25
45	मलनी	श्री जगदीश जायसवाल	जैजैपुर	2024–25
46	जैजैपुर	श्री दिनेश गायकवाड़	जैजैपुर	2024–25
47	जैजैपुर	श्री हिलेन्द्र ठाकुर	जैजैपुर	2024–25
48	जैजैपुर	श्री पीलुराम वर्मा	जैजैपुर	2024–25

49	जैजैपुर	श्री हरगोविंद कोसले	जैजैपुर	2024–25
50	जैजैपुर	श्री जीवन मानिकपुरी	जैजैपुर	2024–25
51	नगारीडीह	श्री हरगोविंद कोशले	जैजैपुर	2025–26
52	अकलतरा	सुश्री बैजंती यादव	जैजैपुर	2024–25

प्रपत्र–'ब'

क्षेत्रीय/स्थानीय लोक कला के बढ़ावा हेतु योजनाएं

1. **अर्थाभावग्रस्त साहित्यकार/कलाकार मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन)** : छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। ऐसा व्यक्ति, जिसका कला एवं साहित्य के प्रति योगदान उल्लेखनीय हो अथवा ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग बच्चे तथा विशेष परिस्थितियों में आश्रित वृद्ध माता–पिता, नाबालिग भाई–बहन वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। प्रत्येक पात्र पेंशनग्रहिताओं को प्रतिमाह राशि रू. 5000/– मात्र दिये जाने का प्रावधान है।
2. **कलाकार कल्याण कोष (चिकित्सा अनुदान)** : साहित्यकारों/कलाकारों अथवा उनके परिवार के सदस्यों की लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में आर्थिक सहायता चिकित्सा लाभ के लिए अधिकतम राशि रू. 50,000/– एवं निधन होने पर 1.00 लाख दिये जाने का प्रावधान है।
3. **मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना** : विविध लोक कलाओं नृत्य–संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी भाषा में लेखन तथा अन्य शिल्पकला के लिए कार्यशील कलाकारों और लेखकों के संरक्षण, संवर्धन एवं समिति के सतत विकास हेतु प्रोत्साहन प्रकार के अनुरूप वार्षिक राशि रू. 12000/– से राशि रू. 24000/– मात्र दिये जाने का प्रावधान है।
4. **अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना** : प्रशिक्षण संस्था/गुरूशिष्य परंपरा हेतु 5000/–, स्कूल शिक्षा हेतु 8000/– एवं उच्च शिक्षा हेतु 10000/– मात्र मासिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।
5. **कला विथिका हेतु आर्थिक अनुदान** : कला संस्कृति पर आधारित विविध प्रदर्शनी एवं कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु प्रस्ताव अनुसार निजी संस्थाओं को आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
6. **संगीत की दुर्लभ शैलियों व वाद्यों हेतु आर्थिक सहायता** : छ.ग. लोक कला संगीत अकादमी एवं लोकगीतों व लोक नृत्यों का संरक्षण एवं संगीत की दुर्लभ शैलियों व वाद्यों हेतु अशासकीय संस्थाओं/लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र के लिए प्राप्त बजट के अनुरूप आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
7. **अशासकीय संस्थाओं हेतु वैयक्तिक अनुदान** : आदिवासी एवं लोक कला अकादमी, कला अकादमी के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यशाला, प्रदर्शनी, कला संस्कृति के प्रचार–प्रसार, कलाकारों को कार्यक्रम में समान अवसर एवं मंच प्रदान करने तथा आयोजन हेतु वैयक्तिक आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

8. **विभिन्न अशासकीय निजी संस्थाओं हेतु आर्थिक अनुदान :** राज्य के कलाकार दलों/कलाकारों को प्रोत्साहित करना, प्रदर्शन हेतु समान अवसर एवं मंच प्रदान करना हेतु राज्य की ऐसी समस्त कला एवं सांस्कृतिक अशासकीय संस्थाएं जो सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के अधीन पंजीकृत हैं तथा कम से कम तीन वर्षों से कला एवं संस्कृति के विकास, संवर्धन में सक्रिय हैं तथा अपंजीकृत कला दल जो कम से कम तीन वर्षों से गांवों/कस्बों/ग्रामीण इलाकों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनों से लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। ऐसे अशासकीय निजी संस्थाओं को सांस्कृतिक आयोजन हेतु आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

9. **जिला प्रशासन को बजट आबंटन :** सांस्कृतिक आयोजनों/उत्सव/महोत्सव, मेला–मड़ई, आजादी की 75वीं वर्षगांठ ''अमृत महोत्सव'' तथा राज्य की कला एवं सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के रामायण मंडलियों, कार्यशील कलाकारों के कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु सांस्कृतिक पंचांग तथा प्रस्ताव के अनुरूप सांस्कृतिक आयोजन के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

10. **चिन्हारी पोर्टल :** विधावार लोक कलाकारों की सूची तैयार करने एवं चिन्हारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा हेतु विभागीय वेबसाईट www.cgculture.in/chinhari portal उपलब्ध कराया गया है।

11. **छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम** – छत्तीसगढ़ राज्य के कलाकारों का पंजीयन एवं कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु श्रेणी निर्धारण, प्रोत्साहन एवं समान अवसर प्रदान करने, प्रक्रिया को मानक तथा पारदर्शी बनाये जाने एवं सांस्कृतिक पंचांग के अनुरूप सांस्कृतिक आयोजन में अवसर प्रदान करने हेतु ''**छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम**'' दिनांक 17 सितम्बर 2021 को राजपत्र में प्रकाशन उपरांत छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों की ग्रेडेशन मापदण्ड के अनुसार मंचीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान रखा गया है। राज्य के बाहर विभिन्न महोत्सवों में अन्य राज्यों के मांग अनुसार जनजातीय दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, आदि में राज्य के कलाकारों को प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान किया जाता है।

परिशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2823) की जानकारी

प्रपत्र

अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण में देरी एवं लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति।

क्र.	जिले का नाम	कुल प्राप्त प्रकरण			वर्तमान में लंबित प्रकरण		
		आवासीय	गैर आवासीय	योग	आवासीय	गैर आवासीय	योग
01	रायपुर	12919	4785	17704	407	903	1310
02	गरियाबंद	163	53	216	0	0	0
03	बिलासपुर	7978	1878	9856	3721	1285	5006
04	मुंगेली	80	88	168	20	30	50
05	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	187	29	216	150	14	164
06	दुर्ग	8516	3197	11713	4259	1830	6089
07	बेमेतरा	11	4	15	2	1	3
08	कोरबा	1881	554	2435	300	115	415
09	रायगढ़	732	73	805	00	00	00
10	सारंगढ़- बिलाईगढ़	18	1	19	0	0	0
11	बस्तर	421	95	516	355	83	438
12	कोंडागांव	7	3	10	6	2	8
13	नारायणपुर	30	9	39	30	9	39
14	बीजापुर	5	6	11	5	6	11
15	सुकमा	67	33	100	52	33	85
16	राजनांदगांव	595	196	791	114	73	187
17	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	29	9	38	19	6	25
18	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	30	16	46	30	16	46
19	धमतरी	600	125	725	447	85	532
20	सरगुजा	668	144	812	575	98	673
21	सूरजपुर	26	19	45	26	19	45
22	बलरामपुर	92	46	138	46	43	89
23	कबीरधाम	381	124	505	101	37	138
24	जांजगीर-चांपा	150	36	186	76	19	95
25	सक्ती	34	02	36	0	0	0
26	जशपुर	64	36	100	5	9	14
27	कांकेर	40	17	57	0	0	0
28	बालोद	59	37	96	14	9	23
29	कोरिया	234	35	269	23	08	31
30	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	74	08	82	0	0	0
31	बलौदाबाजार	74	32	106	0	0	0
32	महासमुंद	75	29	104	56	27	83
33	दंतेवाड़ा	81	56	137	0	0	0
	कुल योग	**36321**	**11775**	**48096**	**10839**	**4760**	**15599**

परिशिष्ट - चार
तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 934) की जानकारी

प्रपत्र

(क) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सेजबहार एवं धरमपुरा में ट्रस्ट/मठ की भूमि की जानकारी निम्नानुसार है–

ग्राम सेजबहार, तहसील रायपुर, जिला रायपुर :– भूमि स्वामी श्री रामचन्द्र जी स्वामी सरवराकार महंत लक्ष्मीनारायण दास, ख.नं. क्रमशः 25/1 शामिल 25/5, 33/1, 45/2, 205/2, 205/4, 228, 322, 323, 324/1, 375/1, 396, 494, 498/4 रकबा क्रमशः 0.765, 0.349, 0.008, 0.910, 1.550, 0.555, 1.028, 0.445, 2.954, 0.057, 0.478, 1.234, 0.033 हेक्टेयर, कुल खसरा 13, कुल रकबा 10.366 हेक्टेयर।

ग्राम धरमपुरा, तहसील रायपुर, जिला रायपुर :– भूमि स्वामी– श्री रामचन्द्र जी स्वामी सरवराकार महंत लक्ष्मीनारायण दास, ख.नं. क्रमशः 4, 21/2/ख, 21/2/ज, 21/2/छ, 31/1 270, 09/1, 24/2, 88/2, 222/2, 333/2, 24/3, 109, 233/9 रकबा क्रमशः– 3.177, 2.800, 3.157, 0.890, 0.263, 0.134, 1.154, 0.065, 0.020, 0.987, 0.502, 0.405, 0.028, 1.146 हेक्टेयर, कुल खसरा 14, कुल रकबा 14.728 हेक्टेयर

ग्राम देवपुरी, तहसील रायपुर, जिला रायपुर :– भूमि स्वामी– श्री रामचन्द्र जी स्वामी सरवराकार महंत लक्ष्मीनारायण दास, ख.नं. क्रमशः 16/1, 30/1, 90/1, 117/1, 132, 267/2, 419/2, 318/4, 318/5 रकबा क्रमशः 0.533, 0.231, 0.04, 0.539, 0.146, 0.020, 0.405, 4.047, 2.173 हेक्टेयर, कुल खसरा 09, कुल रकबा 8.134 हेक्टेयर।

ग्राम भरेंगा, तहसील मंदिरहसौद, जिला रायपुर :– भूमि स्वामी– श्री ठाकुर रामचन्द्र जी स्वामी अध्यक्ष पिता प्रबंधक कलेक्टर, रायपुर, ख.नं.–19, 21, 409, 446, 450, 478, 629, 630, 648, 655, 664, 671, 680, 681, 692, 698, 735, 748, 752, 760, 765, 771, 912, 958, 1116, 1128, रकबा 0.260, 0.250, 7.110, 0.930, 0.380, 2.500, 0.230, 0.090, 0.010, 0.170, 0.090, 0.270, 0.060, 0.390, 0.300, 0.030, 0.020, 0.180, 0.730, 1.490, 2.230, 2.540, 1.160, 11.870, 9.100, 3.050, हे. कुल खसरा 26, कुल रकबा 45.440 हेक्टेयर।

ग्राम गुजरा, तहसील मंदिर हसौद, जिला रायपुर :– भूमि स्वामी– महंत राम व भूषणदास लक्ष्मीनारायण दास, ख.नं. 20/1, रकबा 12.310 हेक्टेयर।

ग्राम भटगांव, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर :– भूमि स्वामी ठाकुररामचंद्रजी स्वामी सरवराकार महंतरामभूषण दास पिता गुरू लक्ष्मीनारायण दास प्रबंधक कलेक्टर, ख.नं.–264, 293, 338, 345, 608, 610, 613, 657, 659, 668, 681, रकबा 0.140, 0.190, 0.020, 16.650, 0.060, 0.160, 0,080, 1.660, 0.220, 0.080, 1.520 हे., कुल ख. 11 कुल रकबा 20.780 हेक्टेयर।

क्र	दर्ज तिथी	आवेदक का नाम	ट्रस्ट का नाम/अनावेदक का नाम जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है	खसरा नम्बर	रकबा	अद्यत
1	2	3	4	5	6	
1	202501111000462 / 14.01.2025	महंत रामआशीष दास	रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ) / महेन्द्र अग्रवाल, शंकर सोनी, रफीक अहमद, अमृत लाल आहूजा, विनय अग्रवाल, विनिता अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, ऋचा अग्रवाल, अनिल आहूजा, अशोक कुमार, सुरेश केसवानी, प्रिया अग्रवाल, विमलस्टॉक बिल्डकॉन, शंकरलाल आहूजा, नारायण सरकार, मनोज चौधरी, विजय सचदेव, संतोष कुमार राय, किशोर पृथवानी, विनोद सचदेव, नाबा. प्रथमणी यादव, सी.के.अग्रवाल, शीला लोढ़ा ग्रीनरा फार्म विलास प्रा.लि., कैलाश यादव, मोइन अहमद, महेन्द्र माली,	302/1	6.235 हेक्टेयर	वर्तमान विचार
2	202501111000436 / 14.01.2025	महंत रामआशीष दास	रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ) / महेन्द्र अग्रवाल, शिवलाल, प्रदीप अग्रवाल, महेन्द्र पाल गुप्ता रतना कवर, सुधीर कंवर, राउमल बच्छावत, छोगामल बच्छावत, नाबा. घतमणी नाबा. नृपमणी–विरेन्द्र भूषण यादव, अजीत तिवारी, सी.के.अग्रवाल	302/1	0.433 हेक्टेयर	वर्तमान विचारा
3	202501111000435 / 14.01.2025	महंत रामआशीष दास	रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ) / महेन्द्र अग्रवाल, परमानंद, प्रमिला, सरस्वती, नारायण, सोहद्रा, दुखनी बाई, शेखर चौहान, रमेश गोयल, सुरेश गोयल	296	0.619 हेक्टेयर	वर्तमान विचारा
4	202501111000437 / 14.01.2025	महंत रामआशीष दास	रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ)/ मुन्ना साहू पिता गणेशू राम साहू (धरमपुरा)	284/1	0.527 हेक्टेयर	वर्तमान विचारा
5	202501111000434 / 14.01.2025	महंत रामआशीष दास	रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ)/ महेन्द्र अग्रवाल, मुन्नालाल साहू, धृतमणी यादव	286	0.267 हेक्टेयर	वर्तमान विचारा
6	202501111000433 / 14.01.2025	महंत रामआशीष दास	रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ)/ महेन्द्र अग्रवाल, नेमुराम, लतेल, रमेश गोयल, अशोक गोयल, श्यामलाल जी गोयल, रमेश गोयल, श्यामलाल गोयल	296, 297	0.619 हेक्टेयर	वर्तमान विचारा
7	202501111000439 / 14.01.2025	महंत रामआशीष दास	रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ)/ महेद्र अग्रवाल, फेरहाराम साहू, अवधराम, निलम कोडा, किशन कुमार कोडा, आर.के.ग्रीन्स–तेज प्रकाश अग्रवाल, शीतल जसवीर अरोरा, भैरव बिल्डकॉन–नारायण अग्रवाल, राजकुमार चुन्नीलाल, सरिता अरोरा, विरेन्द्र भूषण यादव, अशोक कुमार, रामरतन	302/1	6.500 हेक्टेयर	हाईकोर्ट स्थगन
8	202501111000432 / 14.01.2025	महंत रामआशीष दास	रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ)/ अजय तिवारी, महेन्द्र अग्रवाल, सी.के.अग्रवाल. नृपमणी यादव, विजेन्द्र भूषण यादव, विपुल जैन, विक्रम जैन, राहुल जैन, संजीव अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, रामसाहब अग्रवाल, अजीत तिवारी, सी.के.तिवारी, अवधराम साहू, राजकुमार, सरिता अरोरा, वेदप्रकाश अग्रवाल, आर.के.ग्रीन्स, लोधीराम साहू, श्री श्याम लाल साहू	302/1	5.500 हेक्टेयर	हाईकोर्ट स्थगन

परिशिष्ट - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2858) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2025 से 20 फरवरी, 2026 तक जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिरगहनी-च में कुछ व्यवसायियों द्वारा अवैध रूप से फ्लाई एश का बड़े पैमाने पर खुले में भंडारण करने के संबंध में प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही

क्र	शिकायत प्राप्ति का माध्यम	शिकायत का बिन्दु	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1. -	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/4517/ख.लि./2025 दिनांक 16/12/2025 के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री गोपी कुमार यादव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का शिकायत पत्र छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में प्राप्त दिनांक 23/12/2025.	ग्राम पंचायत बिरगहनी (च) में श्री योगेश अग्रवाल/आनंद सलूजा द्वारा अवैध रूप से फ्लाई ऐश एवं कोयले का भंडारण करने तथा श्री संजय अग्रवाल द्वारा फ्लाई ऐश एवं कोयले से खदान के भराव के दौरान प्रदूषण की स्थिति निर्मित होने के संबंध में।	24/12/2025	शिकायत स्थल की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि ट्रांसपोर्टर्स श्री योगेश अग्रवाल/आनंद सलूजा द्वारा शिकायत स्थल पर मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा से फ्लाई ऐश लाकर भंडारण किया जा रहा है। उक्त स्थल पर 50,000 टन फ्लाई ऐश के भू-भराव बाबत् दिनांक 08/12/2021 को मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अनुमति जारी की गई थी, जबकि स्थल पर उपरोक्त उल्लेखित फ्लाई ऐश की मात्रा 50,000 टन से अधिक मात्रा में भण्डारण किया जाना पाया गया।	उक्त के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 13/01/2026 को मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को अतिरिक्त फ्लाई ऐश शिकायत स्थल से हटाने बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा नोटिस जारी करते हुए राशि रूपये 22,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा उक्त राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में जमा कर दी गई है साथ ही अनुमति पत्र में उल्लेखित फ्लाई ऐश की मात्रा से अतिरिक्त डम्प किये गये फ्लाई ऐश को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है।
				शिकायत पत्र में उल्लेखितानुसार श्री संजय अग्रवाल के खदान में फ्लाई ऐश भराव का कार्य किया जाना पाया गया। उक्त स्थल पर 1,00,000 टन फ्लाई ऐश के भू- भराव बाबत् दिनांक 17/12/2025 को मेसर्स वेदांता लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पावर प्लांट ग्राम-सिंघीतराई, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अनुमति जारी की गई थी। निरीक्षण के दौरान वाहनों के आवागमन एवं भू-भराव से फ्यूजिटिव डस्ट का उत्सर्जन अवलोकित किया गया तथा भराव प्रक्रिया के दौरान जल छिड़काव भी नहीं किया जाना पाया गया।	उक्त के परिप्रेक्ष्य में उद्योग पर दिनांक 21/01/2026 के माध्यम से 30,000/- रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा उक्त राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में जमा कर दी गई है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशिष्ट - सात

पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 393) की जानकारी

प्रपत्र–अ

पर्यटन विभाग द्वारा विधानसभा चित्रकोट जलप्रपात के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास/निर्माण कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है –

क्रं.	वर्ष	कार्य का विवरण	कार्यादेश/ स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य प्रगति
1	2005	चित्रकोट में सुलभ शौचालय (18 सीटर) का निर्माण।	16.98	कार्य पूर्ण।
2	2006	चित्रकोट कोटेजेस के पास (पर्यटन सूचना केन्द्र, मंच, शौचालय, पार्किंग, गार्ड रूम) का निर्माण(केंद्रीय परियोजना – ग्रामीण पर्यटन चित्रकोट के अंतर्गत)	57.17	कार्य पूर्ण।
3	2006	चित्रकोट में काटेज, रेस्टोरेंट का निर्माण	244.85	कार्य पूर्ण।
4	2006	चित्रकोट में लैण्डस्केपिंग कार्य	104.00	कार्य पूर्ण।
5	2007	यूएनडीपी प्रोजेक्ट– चित्रकोट में ग्रामीण पर्यटन का विकास हार्डवेयर प्लान का क्रियान्वयन (केंद्रीय परियोजना) हेतु।	39.26	कार्य पूर्ण।
6	2009	तामडा घुमर 2 नग छोटा पगोडा का निर्माण ।	4.00	कार्य पूर्ण।
7	2010	चित्रकोट में लैण्डस्केपिंग कार्य	50.10	कार्य पूर्ण।
8	2011	मेगा सर्किट (जगदलपुर चित्रकोट बारसूर तीरथगढ़ दंतेवाड़ा) के अंतर्गत मुनगाबहार नाला, छापरभानपुरी मेन्द्रीधुमड़, तामड़ाधूमड़ एवं चित्रकोट में पगोड़ा निर्माण (कुल 07 नग)	16.00	कार्य पूर्ण।
9	2011	चित्रकोट पर्यटक परिसर में 13 नग लक्जरी टेंट का निर्माण।	113.81	कार्य पूर्ण।
10	2012	चित्रकोट काटेज में सोलर प्रकाशीकरण कार्य	43.81	कार्य पूर्ण।
11	2012	चित्रकोट पर्यटक परिसर में 13 नग लक्जरी टेंट में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रिकल आयटम सप्लाई कार्य	59.99	कार्य पूर्ण।
12	2012	चित्रकोट में Viewing walkway का निर्माण कार्य।	42.17	कार्य पूर्ण।
13	2015	चित्रकोट जल प्रपात जिला–बस्तर में लगे फ्लड लाईट्स के रख रखाव कार्य।	3.00	कार्य पूर्ण।
14	2016	चित्रकोट में पुराने काटेज के पास लैण्डस्केपिंग कार्य	7.81	कार्य पूर्ण।
15	2016	चित्रकोट एथनिक डेस्टीनेशन डेव्लपमेंट के तहत लॉग हटस, व्यू पांईट, टायलेट का निर्माण कार्य (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	430.17	पूर्णता पर
16	2018	चित्रकोट में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेंटर, एम्पी थियेटर, ट्रालबल इंटर प्रिटेशन सेंटर, प्रकाशिकरण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	485.62	कार्य पूर्ण।
17	2018	चित्रकोट में रेन शेल्टर, पार्किंग लैण्डस्केपिंग, साईनेज, सम्पवेल का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत) (चित्रकोट वि.स)		

18	2018	चित्रकोट में नेचर ट्रेल का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	220.56	कार्य पूर्ण।
19	2018	चित्रकोट रिसार्ट में पहुंच मार्ग (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	119.50	कार्य पूर्ण।
20	2022	चित्रकोट, जिला बस्तर में लाईट एंण्ड साउण्ड शो का कार्य कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2751 दिनांक 14.11.2022 के तहत एजेंसी TCIL (भारत सरकार का उपक्रम) को प्रदाय किया गया है।	997.40	कार्य अपूर्ण
21	2022	तामड़ा घूमर/मेन्द्री घूमर में विभिन्न सुविधाओं का विकास तामड़ाघूमर (मारडूम) – साईनेजेस एवं सिटींग एरिया का विकास मेन्द्रीघूमर (मटनार) – साईनेजेस, महिला पुरुष टायलेट बाथ, पाथवे एवं सिटींग एरिया का विकास	21.67	कार्य पूर्ण।
22	2026	धुड़मारास में एम्फीथियेटर एवं 08 नग शॉप्स का निर्माण।	96.23	कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त पर्यटन विकास कार्य के अतिरिक्त पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए है :–

1. नये पर्यटन स्थल चिन्हांकित करने एवं तदुपरान्त चिन्हांकन की कैटगरी के आधार पर विकास कार्य कराये जाने हेतु जिला प्रशासन से निर्धारित प्रारुपों में प्रस्ताव मांगे गये है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

2. चिन्हांकित पर्यटन स्थल एवं उसके आस–पास पर्यटन विकास, अधोसंरचना एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु भूमि बैंक की स्थापना हेतु जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगे गये है। प्रस्ताव प्राप्त होने उपरान्त परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3. पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को ठहरने की व्यवस्था एवं स्थानीय लोगों के रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में **होमस्टे पॉलिसी 2025–30** लागू की गयी है।

4. छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले पर्यटकों को अच्छा पर्यटन अनुभव प्राप्त हो सके एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के 32 युवाओं को **IITTM (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेव्हल मैनेजमेंट) ग्वालियर से गाईड ट्रेनिंग** करायी गयी।

प्रपत्र–ब

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा हेतु की गयी व्यवस्थाओं की जानकारी

क्रमांक	स्थल का नाम	उपलब्ध सुविधाएं
1	चित्रकोट	विभाग द्वारा निर्मित रिसॉर्ट एवं रेस्टोरेंट में सभी पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध है।
2	तीरथगढ़	विभाग द्वारा निर्मित पर्यटक मोटल सभी पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध है।
3	तामडा घुमर	बैठक व्यवस्था उपलब्ध है।
4	मेन्द्रीघूमर	महिला/पुरुष टायलेट बाथ, एवं बैठक व्यवस्था उपलब्ध है।
5	मुनगाबहार नाला	बैठक व्यवस्था हेतु पैगोड़ा उपलब्ध है।
6	छापरभानपुरी	बैठक व्यवस्था हेतु पैगोड़ा उपलब्ध है।

प्रपत्र – अ

प्रश्नांश–क, बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान सीजन खरीफ/रबी 2025–26 में सोसायटियों और निजी केन्द्रों में यूरिया, डीएपी की आंकलित मांग एवं आपूर्ति/भण्डार की जानकारी

खरीफ 2025 इकाई मे. टन

क्र	बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आनेवाले विकासखण्ड का नाम	उर्वरक की आंकलित मांग/लक्ष्य				सोसाईटी (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में आपूर्ति की गई उर्वरक मात्रा						निजी विक्रय केन्द्रो में आपुर्ति /भंडारण की गई उर्वरक मात्रा					
		सहकारी		निजी		यूरिया			डीएपी			यूरिया			डीएपी		
		यूरिया	डीएपी	यूरिया	डीएपी	पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल	पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल	पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल	पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	बिलाईगढ़	4800.000	2500.000	3500.000	600.000	720.415	4152.375	4872.790	367.000	1076.450	1443.450	1597.360	4174.890	5772.250	167.450	315.500	482.950

रबी 2025–26 (01.10.2025 से 10.03.2026 तक) इकाई मे. टन

क्र	बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आनेवाले विकासखण्ड का नाम	उर्वरक की आंकलित मांग/लक्ष्य				सोसाईटी (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में आपूर्ति की गई उर्वरक मात्रा						निजी विक्रय केन्द्रो में आपुर्ति /भंडारण की गई उर्वरक मात्रा					
		सहकारी		निजी		यूरिया			डीएपी			यूरिया			डीएपी		
		यूरिया	डीएपी	यूरिया	डीएपी	पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल	पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल	पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल	पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल
1	*2*	*3*	*4*			*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	बिलाईगढ़	600.000	110.000	450.000	90.000	52.745	1437.300	1490.045	69.250	355.650	424.900	531.225	1419.010	1950.235	48.295	259.800	308.095

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 12-03-2026 17:40:52

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र – ब

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान सीजन (खरीफ/रबी 2025–26) में सोसायटी और निजी केन्द्रों में धान/गेहूँ के उन्नत बीजों की आंकलित मांग एवं आपूर्ति की जानकारी

खरीफ 2025

ईकाई क्विटल में

क्र	बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	बीज की आंकलित मांग		सोसाईटी में आपूर्ति की गई बीज की मात्रा	
		धान	गेहूँ	धान	गेहूँ
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	बिलाईगढ़	5460.00	-	6142.50	-

रबी 2025–26 (01.10.2025 से 10.03.2026 तक)

ईकाई क्विटल में

क्र	बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	बीज की आंकलित मांग		सोसाईटी में आपूर्ति की गई बीज की मात्रा	
		धान	गेहूँ	धान	गेहूँ
1	2	3	4	5	6
1	बिलाईगढ़	-	24.00	-	24.00

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
18:22:01

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र – स

प्रश्नांश–ख, बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड बिलाईगढ़ की सोसायटियों में दिनांक 10.03.2026 की स्थिति में उर्वरकों के उपलब्ध स्टॉक की जानकारी

इकाई–मे.टन

क्र	सोसायटियो का नाम	वर्तमान में उपलब्ध स्टॉक की स्थिति
1	*2*	*3*
1	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भटगांव	50.400
2	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति धनगांव	153.400
3	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जोरा	50.400
4	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सलौनीकला	23.250
5	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति नगरदा	49.950
6	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा	200.900
7	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जमगहन	131.100
8	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बिलाईगढ़	50.400
9	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति धनसीर	80.400
10	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सलिहा	101.050
11	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पवनी	65.100
12	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति टुण्ड्री	150.600
13	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पुरगांव	150.750
14	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रामपुर	271.100
15	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सरसीवां	25.200
16	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पेण्ड्रावन	110.400
17	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बालपुर	125.600
18	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बम्हनपुरी	10.150
19	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गाताडीह	201.000
20	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मनपसार	55.200
21	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गोपालपुर	83.650
22	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दुरूग	25.200
23	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सोहागपुर	30.000
24	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बेलाडूला	25.200
योग :–		**2220.400**

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 12-03-2026 उप सचिव
17:42:40 छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - नौ

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2027) की जानकारी

प्रपत्र

आश्रम/छात्रावासों की वर्षवार जानकारी

वर्ष :– 2023–24 (राशि रूपये लाख में)

क्र.	संस्था का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि	भौतिक स्थिति	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	रूवाड़	अनुरक्षण कार्य	5.40	कार्य पूर्ण	4.06
2	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	दुल्ला	अनुरक्षण कार्य	4.46	कार्य पूर्ण	4.41
3	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	छुरा	अनुरक्षण कार्य	4.13	कार्य पूर्ण	4.13
4	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	उरमाल	अनुरक्षण कार्य	4.46	कार्य पूर्ण	4.75
5	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	छुरा	अनुरक्षण कार्य	4.88	कार्य पूर्ण	4.92
6	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	फिंगेश्वर	अनुरक्षण कार्य	6.96	कार्य पूर्ण	6.00
7	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	गरियाबंद	अनुरक्षण कार्य	3.70	कार्य पूर्ण	3.70
8	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	दर्रीपारा	अनुरक्षण कार्य	3.90	कार्य पूर्ण	3.89
9	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	मैनपुर	अनुरक्षण कार्य	3.65	कार्य पूर्ण	3.65
10	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	मैनपुर	अनुरक्षण कार्य	7.04	कार्य पूर्ण	7.04
11	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	खड़मा	अनुरक्षण कार्य	5.33	कार्य पूर्ण	3.35
12	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	कनसिंघी	अनुरक्षण कार्य	5.62	कार्य पूर्ण	4.61
13	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	फुलकर्रा	अनुरक्षण कार्य	6.00	कार्य पूर्ण	6.00
14	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	पीपरछेड़ी	अनुरक्षण कार्य	8.11	कार्य पूर्ण	5.99
15	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	अमलीपदर	अनुरक्षण कार्य	8.20	कार्य पूर्ण	9.75
16	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	रसेला	अनुरक्षण कार्य	5.18	कार्य पूर्ण	5.28
17	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास	राजिम	अनुरक्षण कार्य	6.91	कार्य पूर्ण	6.91
18	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	पाण्डुका	अनुरक्षण कार्य	11.17	कार्य पूर्ण	9.00
19	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	गरियाबंद	अनुरक्षण कार्य	7.64	कार्य पूर्ण	5.92
20	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	गरियाबंद	अनुरक्षण कार्य	8.85	कार्य पूर्ण	10.92
21	कमार आवासीय विद्यालय केशोडार	केशोडार	अनुरक्षण कार्य	9.05	कार्य पूर्ण	9.00
22	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास	छुरा	अनुरक्षण कार्य	5.47	कार्य पूर्ण	5.48
23	आदिवासी बालक क्रीड़ापरिसर	गरियाबंद	अनुरक्षण कार्य	6.19	कार्य पूर्ण	4.33
24	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	बेन्दकुरा	रंगाई–पोताई	1.54	कार्य पूर्ण	1.54
25	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	मदनपुर	रंगाई–पोताई	1.50	कार्य पूर्ण	1.50
26	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	पीपरछेड़ी	रंगाई–पोताई	1.28	कार्य पूर्ण	1.28
27	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	छुरा	रंगाई–पोताई	1.28	कार्य पूर्ण	1.28
28	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	राजिम	रंगाई–पोताई	1.28	कार्य पूर्ण	1.28
29	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	मैनपुर	रंगाई–पोताई	1.58	कार्य पूर्ण	1.58
30	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	अमलीपदर	रंगाई–पोताई	1.68	कार्य पूर्ण	1.68
31	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	मैनपुर	रंगाई–पोताई	1.56	कार्य पूर्ण	1.56
32	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	इंदागांव	रंगाई–पोताई	1.66	कार्य पूर्ण	1.66
33	अनु.जाति बालक आश्रम	धुरवागुड़ी	रंगाई–पोताई	1.64	कार्य पूर्ण	1.64
34	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास	अकलवारा	जीर्णोद्धार कार्य	12.00	कार्य पूर्ण	11.99
35	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास	मैनपुर	जीर्णोद्धार कार्य	12.00	कार्य पूर्ण	9.79
36	पो मै. आदिवासी कन्या छात्रावास	मैनपुर	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	9.87
37	आदिवासी बालक आश्रम	मैनपुर	जीर्णोद्धार कार्य	12.00	कार्य पूर्ण	11.74
38	आदिवासी कन्या आश्रम	पन्टोरा	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	9.71
39	प्री. मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास	राजिम	जीर्णोद्धार कार्य	12.00	कार्य पूर्ण	11.97
40	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास	राजिम	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	9.97
41	प्री. मै. अनु.जाति बालक छात्रावास	देवभोग	जीर्णोद्धार कार्य	15.00	कार्य पूर्ण	14.74
42	आदिवासी बालक छात्रावास	तौरेंगा	जीर्णोद्धार कार्य	15.00	कार्य पूर्ण	14.98
43	प्री. मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	मैनपुर	जीर्णोद्धार कार्य	15.00	कार्य पूर्ण	14.62
44	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास	कोपरा	जीर्णोद्धार कार्य	16.83	कार्य पूर्ण	16.80
45	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास	देवभोग	जीर्णोद्धार कार्य	20.00	कार्य पूर्ण	19.80
46	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास	दर्रीपारा	जीर्णोद्धार कार्य	8.00	कार्य पूर्ण	8.00
47	पो. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास	गरियाबंद	जीर्णोद्धार कार्य	15.00	कार्य पूर्ण	15.00
48	आदिवासी बालक आश्रम	तौरेंगा	अहाता निर्माण कार्य	11.39	कार्य पूर्ण	11.39

1	2	3	4	5	6	7
49	आदिवासी बालक आश्रम	कुल्हाड़ीघाट	अहाता निर्माण कार्य	11.39	कार्य पूर्ण	11.39
50	आदिवासी बालक आश्रम	बड़ेगोबरा	अहाता निर्माण कार्य	11.39	कार्य पूर्ण	11.39
51	आदिवासी बालक आश्रम	ओड़	अहाता निर्माण कार्य	11.39	कार्य पूर्ण	11.39
52	आदिवासी बालक आश्रम	आमामोरा	अहाता निर्माण कार्य	11.39	कार्य पूर्ण	11.39
53	आदिवासी बालक आश्रम	धवलपुर	अहाता निर्माण कार्य	11.39	कार्य पूर्ण	11.39
54	आदिवासी बालक आश्रम	टेवारी	अहाता निर्माण कार्य	11.39	कार्य पूर्ण	11.39
55	आदिवासी बालक आश्रम	बड़ेगोबरा	अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	कार्य पूर्ण	5.90
56	आदिवासी बालक आश्रम	बुरजाबहाल	अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	कार्य पूर्ण	5.90
57	आदिवासी कन्या आश्रम	नागिनबाहरा	अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	कार्य पूर्ण	5.90
58	आदिवासी कन्या आश्रम	दादरगांव नया	अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	कार्य पूर्ण	4.12
59	आदिवासी बालक आश्रम	ओड़	अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	कार्य पूर्ण	5.90
60	आदिवासी बालक आश्रम	धवलपुर	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	अप्रारंभ	2.47
61	पोण्मैण्आदिवासी बालक छात्रावास	गरियाबंद	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	प्रगतिरत	0.00
62	आदिवासी बालक छात्रावास	बेन्दकुरा	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	प्रगतिरत	0.00
63	आदिवासी कन्या आश्रम	पन्टोरा	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	प्रगतिरत	2.93
64	प्रीण्मैण् आदि कन्या छात्रावास	गरियाबंद	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	प्रगतिरत	2.47
65	आदिवासी बालक आश्रम	पीपरछेड़ी	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	अप्रारंभ	2.49
66	आदिवासी कन्या आश्रम	साहेबिनकछार	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	अप्रारंभ	2.49
67	आदिवासी बालक आश्रम	बड़ेगोबरा	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	अप्रारंभ	2.49
68	आदिवासी बालक आश्रम	तौरेंगा	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	अप्रारंभ	2.49
69	आदिवासी कन्या आश्रम	नकबेल	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	अप्रारंभ	0.00
70	प्रीमै आदिवासी कन्या छात्रावास	मैनपुर	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	प्रगतिरत	2.47
71	आदिवासी बालक आश्रम	झरियाबाहरा	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	अप्रारंभ	0.00
72	प्रीमै आदिवासी बालक छात्रावास	मैनपुर	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	प्रगतिरत	2.47
73	आदिवासी बालक आश्रम	बुरजाबहाल	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	अप्रारंभ	2.49
74	पोमैआदिवासी बालक छात्रावास	मैनपुर	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	अप्रारंभ	2.47
75	आदिवासी बालक आश्रम	कुल्हाड़ीघाट	स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.00	अप्रारंभ	0.00
76	प्रीमै आदिवासी बालक छात्रावास	उरमाल	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	प्रगतिरत	6.00
77	प्रीमै आदिवासी बालक छात्रावास	मैनपुर	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	प्रगतिरत	5.94
78	पोमै आदिवासी बालक छात्रावास	मैनपुर	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	अप्रारंभ	5.94
79	प्रीमै आदिवासी बालक छात्रावास	छुरा	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	प्रगतिरत	5.94
80	प्रीमै आदिवासी बालक छात्रावास	खड़मा	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	प्रगतिरत	5.94
81	पोमै आदिवासी बालक छात्रावास	गरियाबंद	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	प्रगतिरत	5.94
82	आदिवासी बालक आश्रम	धवलपुर	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	अप्रारंभ	5.94

1	2	3	4	5	6	7
83	आदिवासी बालक आश्रम	पीपरछेड़ी	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	प्रगतिरत	8.39
84	आदिवासी बालक आश्रम	धवलपुर	अधीक्षक आवास गृह निर्माण कार्य	8.00	अप्रारंभ	3.96
85	आदिवासी बालक छात्रावास	उरमाल	अधीक्षक आवास गृह निर्माण कार्य	8.00	अप्रारंभ	3.98
86	आदिवासी बालक आश्रम	कुल्हाड़ीघाट	अधीक्षक आवास गृह निर्माण कार्य	8.00	प्रगतिरत	3.98
87	आदिवासी बालक छात्रावास	खड़मा	अधीक्षक आवास गृह निर्माण कार्य	8.00	अप्रारंभ	4.09
88	आदिवासी बालक आश्रम	गोहरापदर	किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	अप्रारंभ	4.36
89	आदिवासी बालक आश्रम	कुल्हाड़ीघाट	किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	कार्य पूर्ण	4.36
90	आदिवासी बालक आश्रम	बड़ेगोबरा	किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	कार्य पूर्ण	4.36
91	आदिवासी बालक आश्रम	तैरेंगा	किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	कार्य पूर्ण	4.36
92	आदिवासी कन्या आश्रम	नकबेल	किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	कार्य पूर्ण	4.04
93	प्रीमैकन्या छात्रावास	मैनपुर	किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	कार्य पूर्ण	4.04
94	पोमै बालक छात्रावास	गरियाबंद	किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	कार्य पूर्ण	4.04
95	आदिवासी बालक आश्रम	धवलपुर	किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	कार्य पूर्ण	4.04
96	आदिवासी कन्या आश्रम	बम्हनी	किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	कार्य पूर्ण	4.04
97	आदिवासी बालक छात्रावास	रसेला	किचन शेड निर्माण कार्य	6.23	कार्य पूर्ण	4.04
98	प्री मै आदिवासी बालक छात्रावास	फुलकर्रा	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
99	प्री मै आदिवासी बालक छात्रावास	दर्रीपारा	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
100	आदिवासी कन्या आश्रम पंटोरा	पंटोरा	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
101	प्री मै आदिवासी बालक छात्रावास	लिटीपारा	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
102	आदिवासी बालक आश्रम	धवलपुर	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
103	प्री मै आदिवासी कन्या छात्रावास	पीपरछेड़ी	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
104	प्री मै आदिवासी कन्या छात्रावास	रूवाड़	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
105	आदिवासी बालक आश्रम	गायडबरी	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
106	आदिवासी कन्या आश्रम	नकबेल	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
107	कमार बालक आश्रम	झरियाबाहरा	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
108	आदिवासी बालक आश्रम	तौरेंगा	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
109	आदिवासी कन्या आश्रम कालीमाटी	कालीमाटी	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00

1	2	3	4	5	6	7
110	आदिवासी कन्या आश्रम	शोभा	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
111	अनुसूचित जाति बालक आश्रम	धुरवागुड़ी	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
112	प्री मै आदिवासी बालक छात्रावास	देवभोग	सौर उर्जा के माध्यम से पीन योग्य पानी की व्ययवस्था	11.00	कार्य पूर्ण	11.00
113	आदिवासी बालक आश्रम	गोहरापदर	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
114	आदिवासी बालक आश्रम	बड़ेगोबरा	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
115	आदिवासी बालक छात्रावास	उरमाल	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
116	प्रीमैआदिवासी कन्या छात्रावास	छुरा	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
117	प्रीमैआदिवासी बालक छात्रावास	दर्रीपारा	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
118	पोमैआदिवासी बालक छात्रावास	मैनपुर	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
119	पोमैआदिवासी बालक छात्रावास	गरियाबंद	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
120	आदिवासी बालक आश्रम	धवलपुर	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
121	आदिवासी बालक आश्रम	झरियाबाहरा	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
122	आदिवासी बालक आश्रम	टेवारी	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
123	पोमैआदिवासी कन्या छात्रावास	गरियाबंद	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
124	आदिवासी बालक आश्रम	मैनपुर	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
125	आदिवासी कन्या आश्रम	गरियाबंद	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
126	प्रीमै आदिवासी बालक छात्रावास	पीपरछेड़ी	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
127	प्रीमै आदिवासी कन्या छात्रावास	रूवाड़	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92

1	2	3	4	5	6	7
128	आदिवासी कन्या आश्रम	परसदाखुर्द	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
129	आदिवासी बालक आश्रम	गायडबरी	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
130	आदिवासी कन्या आश्रम	दादरगांव नया	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
131	पोमै आदिवासी बालक छात्रावास	छुरा	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
132	पोनैआदिवासी कन्या छात्रावास	छुरा	पीन योग्य पानी की व्यवस्था हेतु टयूबवेल पंप की स्थापना	1.92	कार्य पूर्ण	1.92
133	ईएमआरएस	EMRS मैनपुर	अंडर ग्राउंड वाटर टैंक निर्माण कार्य	15.00	अप्रारंभ	7.49
134	परियोजना क्षेत्र के 80 छात्रावासध/आश्रमों हेतु	–	फूड ग्रेन स्टोरेज कंटेनर का प्रदाय में फूड ग्रेन स्टोरेज कंटेनर प्रदाय कार्य	7.14	कार्य पूर्ण	7.14
योग				**945.20**		**788.00**

वर्ष :– 2024–25 (राशि रूपये लाख में)

क्र.	संस्था का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि	भौतिक स्थिति	व्यय राशि
1	2	5	3	6	8	7
1	प्री.मै.अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम	उरमाल	जीर्णोद्धार कार्य	6.00	कार्य पूर्ण	6.00
2	प्री.मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास	मैनपुर	जीर्णोद्धार कार्य	8.00	कार्य पूर्ण	8.00
3	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम	झरियाबाहरा	जीर्णोद्धार कार्य	9.06	कार्य पूर्ण	9.06
4	प्री.मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास	अमलीपदर	जीर्णोद्धार कार्य	8.00	कार्य पूर्ण	8.00
5	प्री.मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास	फिंगेश्वर	जीर्णोद्धार कार्य	4.94	कार्य पूर्ण	4.94
6	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास	रूवाड़	जीर्णोद्धार कार्य	9.03	कार्य पूर्ण	9.03
7	प्री.मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास	छुरा	जीर्णोद्धार कार्य	6.26	कार्य पूर्ण	6.26
8	प्री.मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास	खड़मा	जीर्णोद्धार कार्य	5.00	कार्य पूर्ण	5.00
9	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम	नागिनबाहरा	जीर्णोद्धार कार्य	6.00	कार्य पूर्ण	6.00
10	पोस्ट .मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास	छुरा	जीर्णोद्धार कार्य	9.55	कार्य पूर्ण	9.55
11	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम	भौदी	अनुरक्षण कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	10.00
12	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम	ओढ़	जीर्णोद्धार कार्य	6.00	कार्य पूर्ण	6.00
13	अनु.जनजाति कन्या आश्रम	गरियाबंद	जीर्णोद्धार कार्य	8.77	कार्य पूर्ण	8.77
14	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम	गरियाबंद (पुराना)	जीर्णोद्धार कार्य	10.30	कार्य पूर्ण	10.30
योग				**106.91**		**106.91**

1	2	3	4	5	6	7

वर्ष :– 2025–26 (राशि रूपये लाख में)

क्र.	संस्था का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि	भौतिक स्थिति	व्यय राशि
1	2	5	3	6	8	7
1	आदिवासी बालक आश्रम	धवलपुर	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	10.00
2	आदिवासी कन्या आश्रम	बारूका	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	10.00
3	आदिवासी कन्या आश्रम	मौहाभाठा	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	10.00
4	आदिवासी बालक कीडा परिसर	गरियाबंद	अनुरक्षण कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	10.00
5	बालक आश्रम	तौरेंगा	किचन शेड निर्माण कार्य	9.68	कार्य पूर्ण	9.68
6	प्री. मै. आदि. बालक छात्रावास	अकलवारा	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	10.00
7	आदिवासी कन्या आश्रम	परसदाखुर्द	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	10.00
8	प्री. मै. आदि. बालक छात्रावास	इंदागांव	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	10.00
9	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास	पीपरछेड़ी	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	10.00
10	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास	बेन्दकुरा	जीर्णोद्धार कार्य	8.50	कार्य पूर्ण	0.00
11	आदिवासी बालक आश्रम	कामरभौदी	जीर्णोद्धार कार्य	8.50	कार्य पूर्ण	0.00
12	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास	लिटीपारा	जीर्णोद्धार कार्य	8.00	कार्य पूर्ण	0.00
13	आदिवासी कन्या आश्रम	पण्टोरा	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	0.00
14	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास	कनसिंघी	जीर्णोद्धार कार्य	9.50	कार्य पूर्ण	0.00
15	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास	फुलकर्रा	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	0.00
16	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास	दर्रीपारा	जीर्णोद्धार कार्य	7.00	कार्य पूर्ण	0.00
17	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास	रसेला	जीर्णोद्धार कार्य	6.00	अप्रारंभ	0.00
18	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास	देवभोग	जीर्णोद्धार कार्य	8.00	अप्रारंभ	0.00
19	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास	छुरा	जीर्णोद्धार कार्य	6.50	कार्य पूर्ण	0.00
20	पो.मै. कन्या छात्रावास	गरियाबंद	जीर्णोद्धार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	0.00
21	अनुसूचित जाति बालक आश्रम	धुरवागुड़ी	जीर्णोद्धार कार्य	8.50	अप्रारंभ	0.00
22	कमार आश्रम केशोडार दर्रापारा के कन्या छात्रावास	केशोडार	जीर्णोद्धार कार्य	6.50	कार्य पूर्ण	0.00
23	कमार आश्रम केशोडार दर्रापारा के बालक छात्रावास	केशोडार	जीर्णोद्धार कार्य	6.50	कार्य पूर्ण	0.00
24	कमार आश्रम केशोडार दर्रापारा	केशोडार	स्कूल भवन जीर्णोद्धार कार्य	5.12	कार्य पूर्ण	0.00
25	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	पाण्डुका	जीर्णोद्धार कार्य	6.50	कार्य पूर्ण	0.00
26	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	राजिम	जीर्णोद्धार कार्य	6.50	कार्य पूर्ण	0.00
27	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास	गरियाबंद	जीर्णोद्धार कार्य	5.50	कार्य पूर्ण	0.00
28	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	मैनपुर	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
29	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	मैनपुर	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
30	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	अमलीपदर	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
31	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास	मैनपुर	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
32	आदिवासी बालक आश्रम	मैनपुर	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
33	आदिवासी बालक आश्रम	बड़ेगोबरा (भाठीगढ़)	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
34	अनु.जाति बालक आश्रम	धुरवागुड़ी	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
35	प्री. मै. अनु.जाति बालक छात्रावास	देवभोग	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
36	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	दुल्ला	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10

1	2	3	4	5	6	7
37	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	कनसिंघी	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
38	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास	अकलवारा	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
39	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास	छुरा	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
40	आदिवासी बालक आश्रम	तौरेंगा छुरा	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
41	आदिवासी बालक आश्रम	गायडबरी	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	6.21	प्रगतिरत	3.10
42	एकलव्य आवासीय विद्यालय कोसमबुड़ा परिसर में 5 नग	कोसमबुड़ा	हाई मास्क सोलर लाईट की स्थापना	31.05	प्रगतिरत	15.50
43	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास	पाण्डुका	बोर खनन काय	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
44	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	छुरा	बोर खनन काय	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
45	आदिवासी बालक आश्रम	गायडबरी	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
46	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	गोहरापदर	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
47	आदिवासी बालक आश्रम	बड़ेगोबरा (भाठीगढ़)	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
48	आदिवासी कन्या आश्रम	कुल्हाड़ीघाट	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
49	आदिवासी कन्या आश्रम	शोभा	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
50	आदिवासी कन्या आश्रम	गरहाडीह	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
51	आदिवासी बालक आश्रम	कुल्हाड़ीघाट	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
52	आदिवासी बालक आश्रम	तौरेंगा	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
53	आदिवासी कन्या आश्रम	देवभोग	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
54	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	गरियाबंद	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
55	प्री.मै.अनु. जाति बालक छात्रावास	गरियाबंद	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
56	कमार बालक छात्रावास	गरियाबंद	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
57	आदिवासी बालक छात्रावास	ओढ़	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
58	आदिवासी बालक छात्रावास	धवलपुर	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
59	आदिवासी बालक छात्रावास	गरियाबंद	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
60	आदिवासी बालक क्रीडा परिसर	गरियाबंद	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
61	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास	देवभोग	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
62	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	देवभोग	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
63	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास	देवभोग	बोर खनन कार्य	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
64	प्रो.मै. आदिवासी छात्रावास	फिंगेश्वर	बोर खनन कार्य,	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
65	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास	फिंगेश्वर	बोर खनन कार्य,	2.10	कार्य पूर्ण	2.09
योग				**393.09**		**196.65**
महायोग				**1445.20**		**1091.56**

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशिष्ट - दस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2095) की जानकारी **प्रपत्र–अ**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या और प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार जानकारी

क्र.	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित राशि प्रति हे.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खरीफ	2023	मौहला–मानपुर–अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	कोदो	9	15000
2					धान सिंचित	533	58000
3					धान असिंचित	14685	44000
4					अरहर	1	35000
5			राजनांदगांव	छुरिया	कोदो	5	15000
6					धान सिंचित	1594	58000
7					धान असिंचित	34301	44000
8					अरहर	6	35000
खरीफ 2023 योग						**51134**	
9	रबी	2023–24	मौहला–मानपुर–अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	चना	31	38000
10					अलसी	566	16000
11					गेहूँ सिंचित	37	42000
12			राजनांदगांव	छुरिया	चना	5472	38000
13					अलसी	19	16000
14					सरसों	20	23000
15					गेहूँ सिंचित	239	42000
16					गेहूँ असिंचित	161	23000
17				कुमरदा	चना	120	38000
18					गेहूँ असिंचित	15	23000
रबी 2023–24 योग						**6680**	
19	खरीफ	2024	मौहला–मानपुर–अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	कोदो	4	16000
20					धान सिंचित	644	60000
21					धान असिंचित	14994	45000
22			राजनांदगांव	छुरिया	धान सिंचित	1281	60000
23					धान असिंचित	19416	45000
24					अरहर	1	38000
25				कुमरदा	कोदो	1	16000
26					धान सिंचित	526	60000
27					धान असिंचित	13267	45000
खरीफ 2024 योग						**50134**	
28	रबी	2024–25	मौहला–मानपुर–अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	चना	74	40000
29					अलसी	531	19000
30					गेहूँ सिंचित	83	42000
31			राजनांदगांव	छुरिया	चना	3816	40000
32					अलसी	4	19000
33					सरसों	8	25000
34					गेहूँ सिंचित	136	42000
35					गेहूँ असिंचित	122	25000
36				कुमरदा	चना	96	40000
37					गेहूँ असिंचित	19	25000
रबी 2024–25 योग						**4889**	

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या और प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार जानकारी

क्र.	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित राशि प्रति हे.
1	2	3	4	5	6	7	8
38	खरीफ	2025	मौहला–मानपुर–अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	रागी	10	25000
39					कोदो	141	22000
40					धान सिंचित	801	60000
41					धान असिंचित	14785	45000
42					अरहर	3	40000
43			राजनांदगांव	छुरिया	कोदो	1	22000
44					धान सिंचित	1076	60000
45					धान असिंचित	19136	45000
46					अरहर	11	40000
47				कुमरदा	कोदो	3	22000
48					धान सिंचित	592	60000
49					धान असिंचित	13474	45000
50					अरहर	1	40000
खरीफ 2025 योग						**50034**	
51	रबी	2025–26	मौहला–मानपुर–अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	चना	39	43000
52					अलसी	305	21000
53					गेहूँ सिंचित	115	46000
54			राजनांदगांव	छुरिया	चना	3651	43000
55					अलसी	5	21000
56					सरसों	66	25000
57					गेहूँ सिंचित	288	46000
58					गेहूँ असिंचित	107	27000
59				कुमरदा	चना	55	43000
60					अलसी	2	21000
61					गेहूँ असिंचित	10	27000
रबी 2025–26 योग						**4643**	

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
19:01:39

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या और प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार जानकारी

(राशि रू. में)

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित राशि प्रति हे.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	2023	खरीफ	राजनांदगॉव	छुरिया	केला	5	165000
2					बैंगन	16	77000
3					मिर्च	11	90000
4					पपीता	8	125000
5					टमाटर	161	120000
6			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	केला	1	165000
7					बैंगन	3	77000
8					मिर्च	2	90000
9					पपीता	18	125000
10					टमाटर	69	120000
1	2023–24	रबी	राजनांदगॉव	छुरिया	बैंगन	22	77000
2					पत्तागोभी	1	70000
3					फूलगोभी	9	70000
4					प्याज	7	80000
5					आलू	5	120000
6					टमाटर	389	120000
7				कुमरदा	बैंगन	6	77000
8					फूलगोभी	3	70000
9					प्याज	6	80000
10					आलू	1	120000
11					टमाटर	98	120000
12			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	बैगन	12	77000
13					पत्तागोभी	1	70000
14					फूलगोभी	15	70000
15					प्याज	6	80000
16					आलू	4	120000
17					टमाटर	187	120000
1	2024	खरीफ	राजनांदगॉव	छुरिया	केला	3	165000
2					बैंगन	19	77000
3					मिर्च	2	90000
4					अदरक	0	150000
5					टमाटर	194	120000
6				कुमरदा	बैंगन	2	77000
7					टमाटर	40	120000
8			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	केला	11	165000
9					बैगन	4	77000
10					मिर्च	7	90000
11					पपीता	16	125000
12					टमाटर	58	120000

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित राशि प्रति हे.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2024-25	रबी	राजनांदगॉव	छुरिया	बैंगन	20	77000
2					पत्तागोभी	3	70000
3					फूलगोभी	3	70000
4					प्याज	9	80000
5					आलू	2	120000
6					टमाटर	230	120000
7				कुमरदा	बैंगन	1	77000
8					फूलगोभी	2	70000
9					प्याज	3	80000
10					टमाटर	43	120000
11			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	बैंगन	7	77000
12					प्याज	1	80000
13					टमाटर	42	120000
1	2025	खरीफ	राजनांदगॉव	छुरिया	बैंगन	15	77000
2					टमाटर	171	120000
3				कुमरदा	बैंगन	2	77000
4					पपीता	1	125000
5					टमाटर	65	120000
6			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	केला	10	165000
7					बैगन	8	77000
8					मिर्च	2	90000
9					पपीता	4	125000
10					टमाटर	62	120000
1	2025-26	रबी	राजनांदगॉव	छुरिया	बैंगन	41	77000
2					पत्तागोभी	7	70000
3					फूलगोभी	6	70000
4					प्याज	8	80000
5					आलू	1	120000
6					टमाटर	372	120000
7				कुमरदा	प्याज	7	80000
8					टमाटर	79	120000
9			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	बैंगन	5	77000
10					टमाटर	81	120000

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
19:02:46

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा दावा भुगतान एवं प्रीमियम भुगतान की जानकारी

क्र.	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	प्रीमियम राशि (लाख रू. में)				दावा भुगतान		रिमार्क
							कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	योग	कृषक संख्या	राशि (लाख रू. में)	
1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16	17
1	खरीफ	2023	मौहला–मानपुर –अं.चौकी	चौकी	कोदो	9	0.006	0.000	0.000	0.006	0	0.000	
2					धान सिंचित	533	8.745	96.190	61.212	166.147	3	0.359	
3					धान असिंचित	14685	203.780	2445.363	1426.462	4075.605	333	46.993	
4					अरहर	1	0.003	0.000	0.000	0.004	0	0.000	
5			राजनांदगांव	छुरिया	कोदो	5	0.023	0.131	0.131	0.285	0	0.000	
6					धान सिंचित	1594	25.986	58.468	58.468	142.923	158	26.880	
7					धान असिंचित	34301	390.605	1269.466	1269.466	2929.536	9102	1165.768	
8					अरहर	6	0.108	0.621	0.621	1.349	0	0.000	
खरीफ 2023 योग						**51134**	**629.256**	**3870.239**	**2816.360**	**7315.855**	**9596**	**1240.00**	
9	रबी	2023–24	मौहला–मानपुर –अं.चौकी	चौकी	चना	31	0.194	1.517	1.517	3.228	26	3.309	
10					अलसी	566	1.456	11.403	11.403	24.263	0	0.000	
11					गेहूँ सिंचित	37	0.172	0.487	0.487	1.145	14	1.788	
12			राजनांदगांव	छुरिया	चना	5472	31.161	244.092	244.092	519.344	3039	240.492	
13					अलसी	19	0.052	0.408	0.408	0.868	0	0.000	
14					सरसों	20	0.081	0.634	0.634	1.350	10	0.176	
15					गेहूँ सिंचित	239	1.330	10.422	10.422	22.174	10	0.051	
16					गेहूँ असिंचित	161	0.591	4.629	4.629	9.850	29	2.931	
17				कुमरदा	चना	120	0.500	3.915	3.915	8.330	120	8.869	
18					गेहूँ असिंचित	15	0.029	0.227	0.227	0.484	0	0.000	
रबी 2023–24 योग						**6680**	**35.566**	**277.734**	**277.734**	**591.036**	**3248**	**257.616**	
19	खरीफ	2024	मौहला–मानपुर –अं.चौकी	चौकी	कोदो	4	0.005	0.000	0.000	0.005	2	0.017	-
20					धान सिंचित	644	11.950	83.650	131.450	227.049	34	5.376	
21					धान असिंचित	14994	212.744	1489.211	2552.932	4254.887	455	46.833	
22			राजनांदगांव	छुरिया	धान सिंचित	1281	20.972	47.188	47.188	115.347	7	3.237	
23					धान असिंचित	19416	236.807	769.625	769.625	1776.057	1517	395.659	
24					अरहर	1	0.002	0.009	0.009	0.019	0	0.000	
25				कुमरदा	कोदो	1	0.003	0.017	0.017	0.037	1	0.073	
26					धान सिंचित	526	7.257	16.329	16.329	39.915	18	1.179	
27					धान असिंचित	13267	152.882	496.869	496.869	1146.621	1268	255.774	
खरीफ 2024 योग						**50134**	**642.622**	**2902.898**	**4014.419**	**7559.937**	**3302**	**708.148**	
28	रबी	2024–25	मौहला–मानपुर –अं.चौकी	चौकी	चना	74	0.432	3.384	3.384	7.200	0	0.000	
29					अलसी	531	0.970	7.601	7.601	16.171	0	0.000	
30					गेहूँ सिंचित	83	0.517	1.464	1.464	3.445	41	1.670	
31			राजनांदगांव	छुरिया	चना	3816	27.121	212.452	212.452	452.025	2020	345.139	
32					अलसी	4	0.011	0.085	0.085	0.181	0	0.000	
33					सरसों	8	0.044	0.346	0.346	0.737	8	0.542	
34					गेहूँ सिंचित	136	0.954	7.469	7.469	15.892	16	0.664	
35					गेहूँ असिंचित	122	0.416	3.260	3.260	6.937	16	0.155	
36				कुमरदा	चना	96	0.383	3.004	3.004	6.391	0	0.000	
37					गेहूँ असिंचित	19	0.053	0.414	0.414	0.880	19	0.368	
रबी 2024–25 योग						**4889**	**30.901**	**239.479**	**239.479**	**509.859**	**2120**	**348.538**	

क्र.	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	प्रीमियम राशि (लाख रू. में)				दावा भुगतान		रिमार्क
							कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	योग	कृषक संख्या	राशि (लाख रू. में)	
1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16	17
38	खरीफ	2025	मौहला–मानपुर –अं.चौकी	चौकी	रागी	10	0.008	0.000	0.000	0.008	.		राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में डिजी क्लेम के माध्यम से दावा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
39					कोदो	141	0.189	0.000	0.000	0.189			
40					धान सिंचित	801	14.449	101.140	158.934	274.523			
41					धान असिंचित	14785	203.103	1421.722	2437.239	4062.064			
42					अरहर	3	0.005	0.001	0.001	0.007			
43			राजनांदगांव	छुरिया	कोदो	1	0.001	0.008	0.008	0.017	0	0.000	
44					धान सिंचित	1076	18.697	42.069	42.069	102.836	7	1.079	
45					धान असिंचित	19136	231.272	751.633	751.633	1734.539	204	7.031	
46					अरहर	11	0.040	0.230	0.230	0.500	0	0.000	
47				कुमरदा	कोदो	3	0.014	0.080	0.080	0.174	0	0.000	
48					धान सिंचित	592	8.342	18.770	18.770	45.882	0	0.000	
49					धान असिंचित	13474	149.061	484.447	484.447	1117.955	48	1.425	
50					अरहर	1	0.001	0.007	0.007	0.015	0	0.000	
खरीफ 2025 योग						**50034**	**625.182**	**2820.107**	**3893.418**	**7338.709**	**259**	**9.535**	-
51	रबी	2025–26	मौहला–मानपुर –अं.चौकी	चौकी	चना	39	0.275	2.152	2.152	4.579	**फसल कटाई प्रयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**		
52					अलसी	305	1.058	8.285	8.285	17.627			
53					गेहूँ सिंचित	115	0.982	2.782	2.782	6.546			
54			राजनांदगांव	छुरिया	चना	3651	26.375	206.606	206.606	439.586			
55					अलसी	5	0.007	0.057	0.057	0.121			
56					सरसों	66	0.253	1.985	1.985	4.223			
57					गेहूँ सिंचित	288	1.872	14.665	14.665	31.202			
58					गेहूँ असिंचित	107	0.733	5.738	5.738	12.209			
59				कुमरदा	चना	55	0.340	2.660	2.660	5.660			
60					अलसी	2	0.010	0.078	0.078	0.167			
61					गेहूँ असिंचित	10	0.019	0.147	0.147	0.314			
रबी 2025–26 योग						**4643**	**31.924**	**245.155**	**245.155**	**522.234**			

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 12-03-2026 19:03:43

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–द

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा दावा भुगतान एवं फसल बीमा प्रीमियम राशि के भुगतान की जानकारी

(राशि रू. लाख में मे)

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	प्रीमियम राशि				दावा भुगतान	
							कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	योग	कृषक संख्या	दावा राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	2023	खरीफ	राजनांदगॉव	छुरिया	केला	5	0.95	1.43	1.43	3.81	0	0.00
2					बैंगन	16	0.30	0.46	0.46	1.22	14	0.06
3					मिर्च	11	0.23	0.34	0.34	0.90	11	0.29
4					पपीता	8	1.01	2.33	1.17	4.51	8	3.14
5					टमाटर	161	7.06	6.35	6.35	19.77	148	2.09
6			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	केला	1	0.17	0.26	0.26	0.69	0	0.00
7					बैंगन	3	0.05	0.07	0.07	0.18	0	0.00
8					मिर्च	2	0.09	0.14	0.14	0.37	2	0.15
9					पपीता	18	1.52	1.98	1.98	5.49	18	4.04
10					टमाटर	69	3.07	2.76	2.76	8.60	37	0.06
योग खरीफ 2023						**294**	**14.46**	**16.12**	**14.95**	**45.53**	**238**	**9.83**
1	2023–24	रबी	राजनांदगॉव	छुरिया	बैंगन	22	0.32	0.50	0.48	1.30	0	0.00
2					पत्तागोभी	1	0.01	0.01	0.01	0.02	0	0.00
3					फूलगोभी	9	0.15	0.24	0.22	0.61	0	0.00
4					प्याज	7	0.09	0.14	0.14	0.38	0	0.00
5					आलू	5	0.61	1.02	0.87	2.50	3	1.27
6					टमाटर	389	15.87	16.80	13.73	46.40	0	0.00
7				कुमरदा	बैंगन	6	0.06	0.09	0.09	0.23	0	0.00
8					फूलगोभी	3	0.10	0.16	0.16	0.42	0	0.00
9					प्याज	6	0.08	0.12	0.12	0.31	0	0.00
10					आलू	1	0.03	0.05	0.05	0.13	1	0.20
11					टमाटर	98	4.86	4.37	4.37	13.60	0	0.00
12			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	बैगन	12	0.21	0.31	0.31	0.82	0	0.00
13					पत्तागोभी	1	0.01	0.01	0.01	0.02	0	0.00
14					फूलगोभी	15	0.22	0.33	0.33	0.87	0	0.00
15					प्याज	6	0.05	0.08	0.08	0.20	0	0.00

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	प्रीमियम राशि				दावा भुगतान	
							कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	योग	कृषक संख्या	दावा राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
16					आलू	4	0.03	0.05	0.05	0.13	0	0.00
17					टमाटर	187	3.98	3.59	3.59	11.15	0	0.00
योग रबी 2023–24						**772**	**26.68**	**27.84**	**24.58**	**79.10**	**4**	**1.47**
योग वर्ष 2023–24						**1066**	**41.14**	**43.96**	**39.54**	**124.63**	**242**	**11.29**
1	2024	खरीफ	राजनांदगॉव	छुरिया	केला	3	0.08	0.11	0.11	0.30	0	0.00
2					बैंगन	19	0.26	0.39	0.39	1.03	19	0.77
3					मिर्च	2	0.04	0.07	0.07	0.18	1	0.20
4					अदरक	0	0.00	0.01	0.01	0.02	0	0.01
5					टमाटर	194	7.78	7.00	7.00	21.79	194	27.42
6				कुमरदा	बैंगन	2	0.02	0.02	0.02	0.06	2	0.03
7					टमाटर	40	1.34	1.21	1.21	3.76	40	5.24
8			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	केला	11	0.01	0.01	0.01	0.03	0	0.00
9					बैगन	4	0.09	0.13	0.13	0.35	4	0.24
10					मिर्च	7	0.20	0.30	0.30	0.80	7	0.72
11					पपीता	16	1.33	1.73	1.73	4.79	16	8.67
12					टमाटर	58	2.60	2.34	2.34	7.29	58	6.46
योग खरीफ 2024						**356**	**13.75**	**13.32**	**13.32**	**40.40**	**341**	**49.76**
1	2024-25	रबी	राजनांदगॉव	छुरिया	बैंगन	20	0.23	0.35	0.35	0.92	6	0.10
2					पत्तागोभी	3	0.01	0.02	0.02	0.06	3	0.03
3					फूलगोभी	3	0.02	0.03	0.03	0.07	3	0.03
4					प्याज	9	0.07	0.10	0.10	0.28	9	0.17
5					आलू	2	0.03	0.04	0.04	0.12	2	0.09
6					टमाटर	230	5.78	5.21	5.21	16.20	138	2.94
7				कुमरदा	बैंगन	1	0.02	0.03	0.03	0.09	0	0.00
8					फूलगोभी	2	0.04	0.07	0.07	0.18	2	0.09
9					प्याज	3	0.02	0.03	0.03	0.09	3	0.03
10					टमाटर	43	1.24	1.12	1.12	3.48	33	0.78
11			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	बैंगन	7	0.03	0.05	0.05	0.13	0	0.00
12					प्याज	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00
13					टमाटर	42	1.22	1.10	1.10	3.42	14	0.19

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	प्रीमियम राशि				दावा भुगतान	
							कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	योग	कृषक संख्या	दावा राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
योग रबी 2024–25						**366**	**8.73**	**8.15**	**8.15**	**25.04**	**214**	**4.44**
योग वर्ष 2024–25						**722**	**22.48**	**21.47**	**21.47**	**65.43**	**555**	**54.21**
1	2025	खरीफ	राजनांदगॉव	छुरिया	बैंगन	15	0.18	0.25	0.25	0.68	फसलो की जोखिम अवधि समाप्त नहीं हुई है।	
2					टमाटर	171	4.41	3.99	3.99	12.38		
3				कुमरदा	बैंगन	2	0.02	0.02	0.02	0.06		
4					पपीता	1	0.10	0.15	0.15	0.41		
5					टमाटर	65	0.73	0.65	0.65	2.03		
6			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	केला	10	0.01	0.01	0.01	0.02		
7					बैगन	8	0.24	0.37	0.37	0.98		
8					मिर्च	2	0.05	0.08	0.08	0.20		
9					पपीता	4	0.28	0.47	0.32	1.07		
10					टमाटर	62	1.97	1.77	1.77	5.52		
योग खरीफ 2025						**340**	**7.98**	**7.76**	**7.61**	**23.35**		
1	2025-26	रबी	राजनांदगॉव	छुरिया	बैंगन	41	0.15	0.15	0.15	0.45	बीमा का कार्य प्रकियाधीन है।	
2					पत्तागोभी	7	0.01	0.01	0.01	0.02		
3					फूलगोभी	6	0.02	0.02	0.02	0.05		
4					प्याज	8	0.03	0.03	0.03	0.08		
5					आलू	1	0.01	0.01	0.01	0.02		
6					टमाटर	372	5.51	5.51	5.51	16.53		
7				कुमरदा	प्याज	7	0.01	0.01	0.01	0.03		
8					टमाटर	79	0.96	0.96	0.96	2.87		
9			मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	बैंगन	5	0.01	0.01	0.01	0.04		
10					टमाटर	81	1.61	1.45	1.45	4.50		
योग रबी 2025–26						**607**	**8.30**	**8.14**	**8.14**	**24.59**		
योग वर्ष 2025–26						**947**	**16.28**	**15.90**	**15.76**	**47.94**		

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 12-03-2026 19:04:43

(विकास मिश्रा)
उप सांचेव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - ग्यारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2096) की जानकारी

प्रपत्र अ

क्रमांक	जिला का नाम	पद संख्या		
		स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	रायपुर	218	193	25
2	बलौदाबाजार	217	102	115
3	गरियाबंद	138	64	74
4	महासमुन्द	212	98	114
5	धमतरी	150	113	37
6	दुर्ग	113	93	20
7	बालोद	179	144	35
8	बेमेतरा	129	88	41
9	राजनांदगांव	150	99	51
10	मानपुर-मोहला-अ.चैकी	97	58	39
11	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	84	40	44
12	कबीरधाम	156	118	38
13	बिलासपुर	169	157	12
14	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	74	69	05
15	मुंगेली	126	116	10
16	जांजगीर-चांपा	156	106	50
17	सक्ती	129	93	36
18	कोरबा	153	140	13
19	रायगढ़	222	170	52
20	सारगढ़-बिलाईगढ़	108	63	45
21	सरगुजा	191	145	46
22	सूरजपुर	156	104	52
23	बलरामपुर-रामानुजगंज	141	91	50
24	कोरिया	58	37	21
25	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	60	41	19
26	जशपुर	202	143	59
27	जगदलपुर	138	104	34
28	कोण्डागांव	95	66	29
29	नारायणपुर	41	30	11
30	दंतेवाड़ा	76	42	34
31	कांकेर	153	131	22
32	सुकमा	69	27	42
33	बीजापुर	76	33	43
34	संचालनालय कृषि, नवा रायपुर	10	11	-1

35	बीज निगम मुख्यालय, रायपुर	01	0	01
36	संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, नवा रायपुर	09	07	02
	योग:-	4456	3136	1320

Digitally signed by
VAIBHAVA KUMAR KSHETRAGYA
Date: 13-03-2026 17:13:39

(वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र ब

क्रमांक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्ति का आधार
1	श्री खिलावन कुमार साहू	छ.ग. शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक स्थानांतरण
2	श्री डोमेन्द्र कुमार साहू	मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुशंसा एवं बीज निगम की सहमती के आधार पर ।
3	श्री चितरंजन पटेल	शासन के आदेश द्वारा सेवाएं बीज निगम को सौंपी गई
4	श्री लोकेश कुमार चन्द्राकर	मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुशंसा एवं बीज निगम की सहमती के आधार पर।
5	श्री पोखराज पटेल	शासन के आदेश द्वारा सेवाएं बीज निगम को सौंपी गई ।
6	श्री संदीप कुमार सोनकर	मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुशंसा एवं बीज निगम की सहमती के आधार पर।
7	श्री जयंत लोध	शासन के आदेश द्वारा सेवाएं बीज निगम को सौंपी गई ।
8	श्री राम अवतार दोहरे	शासन के आदेश द्वारा सेवाएं बीज निगम को सौंपी गई ।
9	श्री राजेश कुमार श्रीवास	मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुशंसा एवं बीज निगम की सहमती के आधार पर।
10	श्री परमानंद वर्मा	मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुशंसा एवं बीज निगम की सहमती के आधार पर।
11	श्री सूरज राठौर	शासन के आदेश द्वारा सेवाएं बीज निगम को सौंपी गई ।
12	श्री चन्द्रप्रकाश मिश्रा	मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुशंसा एवं बीज निगम की सहमती के vk/kkj ij A

13	श्री रघुबीर सिंह भंवर	मान. पूर्व मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुशंसा के आधार पर।
14	श्री गिरिजा शंकर पटेल	मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुशंसा एवं बीज निगम की सहमती के आधार पर।

Digitally signed by
VAIBHAVA KUMAR KSHETRAGYA
Date: 13-03-2026 17:14:03

(वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - बारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 2226) की जानकारी

प्रपत्र–अ

धमतरी जिले में पर्यटन की दृष्टि से चिन्हांकित किए गए पर्यटन स्थलों की की सूची

क्र.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	प्रमुख दर्शनीय स्थल
1.	धमतरी	ऐतिहासिक, धार्मिक	प्राचीन किला, बिलाई माता मंदिर, रामचंद्र का मंदिर
2.	सिहावा	ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक	कर्णेश्वर मंदिर, पवित्र जल कुण्ड, सरोवर गुफा, सप्तऋषि आश्रम (गौतम ऋषि, मुचकुंद ऋषि, अंगिरा ऋषि, अगस्त्य ऋषि, शरभंग ऋषि, कर्क ऋषि, श्रृंगी ऋषि) एवं कर्णेश्वर धाम
3.	सीतानदी	प्राकृतिक	वन्यप्राणी अभयारण्य
4.	गंगरेल एवं मॉडमसिल्ली	जलाशय	जलक्रीड़ा, रामलक्ष्मण टेकरी (ग्राम विश्रामपुरी)
5.	देवपुर (कण्डेल)	धार्मिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक	पातालेश्वर महादेव डोंगेश्वरघाट (धाम)

प्रपत्र–ब

धमतरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने, सैलानियों को आकर्षित करने हेतु विभाग द्वारा एवं जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

1. **सप्तऋषि स्थल मुकुन्दपुर (नगरी)** में प्रवेशद्वार, पर्यटक सूचना केन्द्र, टायलेट ब्लाक, पार्किंग, पहुंच मार्ग एवं ड्रेन, कलवर्ट डव्हलपमेंट, एलइडी ब्राडिंग, लॉन डव्हलपमेंट, सीसीटीवी, यज्ञशाला, इलेक्ट्रीफिकेशन, ओव्हरहेड वॉटर टैंक, कॉटेज निर्माण, अप स्टेयर्स एंड रेलिंग, स्टेज, मॉडयूलर शॉप, श्रीराम जी स्टेच्यू एवं सप्तऋषि प्लेटफॉर्म, साइनेजेस एवं दीपस्तंभ, गजीबो, बाउंण्ड्रीवॉल, साइट डव्हलपमेंट (गार्ड रूम, रेस्ट रूम, यूजी टैक, सेप्टिक टैक, पम्प रूम एवं स्टोर रूम) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2. **श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा (सप्तऋषि आश्रम)** में टॉयलेट का जीर्णोद्धार, वॉशरूम ऑन टॉप रेलिंग एवं शेड निर्माण, करटेन वॉल (म्यूरल के साथ), गजिबो ब्यूटीफिकेशन, इलेक्ट्रीफिकेशन, यज्ञशाला (ऊपर), इंटरनल प्लम्बिंग, प्लोरिग एंड पेंटिंग श्रृंगी–ऋषि आश्रम में स्थित हनुमान मंदिर पाथवे का विकास, स्मॉल गेट डिसमेंटलिंग एंड मेंटनेन्स कार्य ।
3. **नरहरा जलप्रपात** में सिंटिंग चेयर फारेस्ट बाथिंग जोन का विकास, रेलिंग निर्माण वॉच टावर निर्माण, सीढ़ी निर्माण सोलर लाईट, वाटरफाल/सेल्फी पाईट के पास साईनबोर्ड निर्माण कराया जा रहा है।
4. **कर्णेश्वर मंदिर सिहावा** में स्वागत गेट एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण।
5. जिला प्रशासन स्तर से **महानदी के पुनर्विकास** के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लागत राशि रू 1698.60 लाख का बनाया गया है।
6. **गंगरेल डैम से लगा हुआ ठेमली आयलैंड** है जो प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार किया जा रहा है। (जिला प्रशासन स्तर से)
7. भविष्य में प्रदेश में नए स्थलों का सर्वे कराकर जिला स्तरीय पर्यटन समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर **नवीन पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया जायेगा** एवं बजट उपलब्धतानुसार उन्हें विकसित करने की कार्यवाही की जायेगी।
8. चिन्हांकित पर्यटन स्थल एवं उसके आस–पास के दर्शनीय स्थलों के **पर्यटन विकास, अधोसंरचना एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के विकास** हेतु **भूमि बैंक** की स्थापना के उद्देश्य से सभी जिला कलेक्टरों से उपयुक्त भूमि चिंहांकित कर प्रस्ताव मांगा गया है। जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने परीक्षण उपरानत बजट उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
9. इसके अतिरिक्त जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने, सैलानियों को आकर्षित करने हेतु जिला प्रशासन स्तर से दिवारों पर आकर्षित चित्रकारी कर रंगरोगन किया गया है एवं सोशल मीडिया, फेसबुक, टिव्टर, इंस्टाग्राम इलेक्ट्रनिक मीडिया के माध्यम से जिले में स्थित पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

परिशिष्ट - तेरह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2442) की जानकारी

प्रपत्र

छात्रावास में स्वीकृत क्षमता के विरूद्ध वास्तविक निवासरत छात्र संख्या

क्र.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	2	3	4
1	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मानिकचौरी	50	30
2	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भटचौरा	50	35
3	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भटचौरा	50	48
	योग	150	113

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशिष्ट - चौदह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 2613) की जानकारी

प्रपत्र–अ

इंदिरा गॉधी कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित शासकीय एवं निजी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, स्वीकृत प्रवेश संख्या एवं वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या स्नातक पाठ्यक्रम–बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी)

क्र.	महाविद्यालय का नाम	जिला	शैक्षणिक सत्र 2025–26		
			वार्षिक प्रवेश क्षमता	वर्ष में प्रवेशित संख्या	वर्तमान में अध्ययनरत कुल संख्या
	शासकीय महाविद्यालय				
1	स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर	रायपुर	103	70	234
2	बी.आर.एस.एम. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, मुंगेली	मुंगेली	83	02	34
	अशासकीय महाविद्यालय				
1	भारतीय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, दुर्ग	दुर्ग	55	0	06
2	छत्तीसगढ़ कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भिलाई (दुर्ग)	दुर्ग	55	0	07
	योग –		**296**	**72**	**281**

स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर

स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर				
	उपाधि का नाम	**वार्षिक सृजित सीट**	**वर्ष में भरे गये सीट**	**कुल रिक्त सीट**
1	एम.टेक (कृषि अभियांत्रिकी)	50	19	70
2	पी.एच–डी. (कृषि अभियांत्रिकी)	16	10	51

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
18:57:44

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंगेली में विभिन्न संवर्गो के कुल स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
01	अधिष्ठाता	01	0	01
02	सह–प्राध्यापक	01	01	0
03	सहायक प्राध्यापक	13	10	03
04	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01	0
05	प्रयोगशाला तकनीशियन	05	03	02
06	फार्म अधीक्षक	01	0	01
07	फिल्ड मेन	02	0	02
08	सेक्शन ऑफिसर	01	01	0
09	सहायक वर्ग–2	01	01	0
10	सहायक वर्ग–3	02	0	02
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	02	0
12	प्रयोगशाला परिचारक	05	0	05
13	मैकेनिक	02	0	02
14	फीटर	02	02	0
15	वेल्डर	02	02	0
16	इलेक्ट्रीशियन–3	01	0	01
17	मशीन ऑपरेटर	01	0	01
18	वाहन चालक	03	02	01
19	भृत्य	10	04	06
	कुल	**56**	**29**	**27**

टीप– सहायक प्राध्यापक के 08 पद स्वामी विवेकानन्द कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर में डिप्लाय किये गये हैं।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
18:58:40

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पन्द्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2614) की जानकारी

प्रपत्र–अ

क्र.	वर्ष	वि.ख.	योजना का नाम	यंत्र का नाम	लाभांवित कृषक संख्या	दी गई अनुदान राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2024–25	अभनपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	5	55.00
				मिनी राईस मिल	1	1.67
				पॉवर टिलर	1	0.85
				पॉवर वीडर	8	3.48
				रोटावेटर	8	3.54
				स्व–चलित राईस ट्रांसप्लांटर	1	5.00
				स्व–चलित रीपर	2	1.50
				थ्रेसर	1	1.00
				ट्रैक्टर	14	63.44
2			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – (ऑयल सीड)	पॉवर टिलर	1	1.00
3			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	4	3.52
4			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	स्प्रिंकलर	37	5.97
5			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	74	11.14
6			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	4	6.48
7			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	10 (1 समूह)	8.00
				कल्टीवेटर		
				सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल		
				रीपर		
				स्प्रेयर		
				थ्रेसर		
8			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	नैपसैक स्प्रेयर	87	0.63
			योग		**258**	**172.22**

क्र.	वर्ष	वि.ख.	योजना का नाम	यंत्र का नाम	लाभांवित कृषक संख्या	दी गई अनुदान राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2024–25	आरंग	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	4	41.00
				कल्टीवेटर	2	0.55
				मिनी राईस मिल	2	3.33
				पॉवर वीडर	19	7.66
				रोटावेटर	11	4.95
				स्व–चलित राईस ट्रांसप्लांटर	1	4.49
				स्व–चलित रीपर	1	0.73
				थ्रेसर	2	2.00
				ट्रैक्टर	22	93.35
2			राष्ट्रीय खाद्य सूरक्षा मिशन – (ऑयल सीड)	पॉवर टिलर	6	6.00
3			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	1	1.46
4			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	स्प्रिंकलर	128	21.50
5			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	59	7.90
6			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	2	1.19
7			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	5	50.00
				रोटावेटर		
				कल्टीवेटर		
				सीडड्रिल		
				सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल		
				रीपर		
				थ्रेसर		
				स्प्रेयर		
				हार्वेस्टर किट		
				कम्बाईन हार्वेस्टर		
8			जैविक खेती मिशन	पेडीविडर	300	3.87
9			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	नैपसैक स्प्रेयर	88	0.64
	योग				**653**	**250.62**

क्र.	वर्ष	वि.ख.	योजना का नाम	यंत्र का नाम	लाभांवित कृषक संख्या	दी गई अनुदान राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2024–25	धरसींवा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पॉवर वीडर	11	5.56
				रोटावेटर	6	2.60
				स्व–चलित राईस ट्रांसप्लांटर	1	5.00
				स्व–चलित रीपर	1	0.75
				थ्रेसर	1	1.00
				ट्रैक्टर	4	16.84
2			राष्ट्रीय खाद्य सूरक्षा मिशन – (ऑयल सीड)	मल्टीक्रॉप प्लांटर	2	1.26
3				पॉवर टिलर	1	1.00
4			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	3	3.16
5			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	स्प्रिंकलर	19	3.05
6			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	10	1.45
7			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	1	2.75
8			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	4	16.00
				कल्टीवेटर		
				सीडड्रिल		
				रीपर		
				स्प्रेयर		
				थ्रेसर		
10			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	नैपसैक स्प्रेयर	87	0.63
		योग			**151**	**61.05**
1		तिल्दा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	1	11.00
				ऑयल मिल	1	1.14
				पॉवर वीडर	2	1.26
				रोटावेटर	3	1.12
				ट्रैक्टर	11	48.73
2			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	12	18.75
3			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	स्प्रिंकलर	116	19.72
4			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	6	0.84
5			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	5	6.77

क्र.	वर्ष	वि.ख.	योजना का नाम	यंत्र का नाम	लाभांवित कृषक संख्या	दी गई अनुदान राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
6	2024–25	तिल्दा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	4	28.00
				कल्टीवेटर		
				सीडड्रिल		
				सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल		
				रीपर		
				थ्रेसर		
				स्प्रेयर		
				कम्बाईन हार्वेस्टर		
8			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	नैपसैक स्प्रेयर	88	0.64
		योग			**249**	**137.97**
		महायोग (वर्ष 2024–25)			**1311**	**621.87**
1	2025–26 दिनांक 15.02. 2026 तक	अभनपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–1) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पॉवर वीडर	2	1.20
				रोटावेटर	2	0.94
				स्व–चलित रीपर	1	0.68
				थ्रेसर	2	2.00
				ट्रैक्टर	1	4.62
2			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	12	12.33
3			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	स्प्रिंकलर	32	5.56
4			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	34	5.19
5			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–2) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	2	22.00
				कल्टीवेटर		
				सीडड्रिल		
				रीपर		
				स्प्रेयर		
				थ्रेसर		
				कम्बाईन हार्वेस्टर		
		योग			**88**	**54.52**

क्र.	वर्ष	वि.ख.	योजना का नाम	यंत्र का नाम	लाभांवित कृषक संख्या	दी गई अनुदान राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2025–26 दिनांक 15.02. 2026 तक	आरंग	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–1) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	1	11.72
				रोटावेटर	2	0.84
				स्व–चलित राईस ट्रांसप्लांटर	1	1.31
				स्ट्रॉ रीपर	1	1.50
				थ्रेसर	1	1.25
				ट्रैक्टर	2	9.71
2			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	16	16.41
3			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	स्प्रिंकलर	101	16.99
4			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	24	2.77
5			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–2) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	1	6.00
				रोटावेटर		
				सीडड्रिल		
				रीपर		
				स्प्रेयर		
				थ्रेसर		
		योग			**150**	**68.50**
1		धरसींवा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–1) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पॉवर टिलर	1	1.00
				रोटावेटर	4	2.20
2			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	12	15.83
3			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	स्प्रिंकलर	118	19.16
4			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–2) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	1	6.00
				कल्टीवेटर		
				सीडड्रिल		
				रीपर		
				स्प्रेयर		
				थ्रेसर		
			योग		**136**	**44.19**

क्र.	वर्ष	वि.ख.	योजना का नाम	यंत्र का नाम	लाभांवित कृषक संख्या	दी गई अनुदान राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2025–26 दिनांक 15.02. 2026 तक	तिल्दा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–1) कृषि यंत्रों पर अनुदान	फ्लोर मिल	1	0.59
				ऑयल मिल	3	3.04
				रोटावेटर	3	1.51
				सीड ड्रिल	1	0.20
				स्व–चलित रीपर	2	1.46
				ट्रैक्टर	3	14.32
2			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	ड्रिप	41	53.92
3			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	स्प्रिंकलर	57	9.45
4			शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	1	0.09
5			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–2) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	2	20.00
				रोटावेटर		
				एम.बी.प्लाऊ		
				सीडड्रिल		
				रीपर		
				स्प्रेयर		
				थ्रेसर		
				कम्बाईन हार्वेस्टर		
6	2025–26 दिनांक 15.02. 2026 तक	तिल्दा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–3) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	10 (1समूह)	11.36
				कल्टीवेटर		
				रोटावेटर		
				एम.बी.प्लाऊ		
				सीडड्रिल		
				रीपर		
				स्प्रेयर		
				थ्रेसर		
	योग				**124**	**115.94**
	महायोग (वर्ष 2025–26दिनांक 15.02.2026 तक)				**498**	**283.15**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 13-03-2026 17:58:14

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

केन्द्र तथा राज्य योजनाओं के अंतर्गत किसानों/हितग्राहियों को वितरित कृषि उपकरण

क्रं.	वर्ष	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	वितरित कृषि उपकरण का नाम	प्रति उपकरण लागत राशि (लाख में)	यंत्रों का विवरण				लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	यंत्र खरीदी का माध्यम	उपकरण/यंत्रों की खरीदी में अपनाई गई निविदा प्रकिया	निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं का नाम
							वितरित उपकरणों की संख्या	क्रय किये गए उपकरणों की राशि (लाख में)	कुल अनुदान राशि (लाख में)	कुल कृषक अंश राशि (लाख में)				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	2024-25	रायपुर	धरसींवा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पावर वीडर	1.700	52	88.40	42.50	45.90	52	कृषक के द्वारा स्वयं क्रय किया गया।	–	–
			तिल्दा		पावर वीडर	1.700	12	20.40	10.20	10.20	12		–	–
					योग :–		**64**	**108.80**	**52.70**	**56.10**	**64**			
			आरंग		पावर स्प्रेयर	0.200	1	0.20	0.10	0.10	1		–	–
			अभनपुर		पावर स्प्रेयर	0.200	24	4.80	2.32	2.48	24		–	–
					योग :–		**25**	**5.00**	**2.42**	**2.58**	**25**			
कुल योगः (2024–25)							**89**	**113.80**	**55.12**	**58.68**	**89**			
2	2025-26 (15.02.26 तक)	रायपुर	निरंक											
कुल योगः (2025–26)							**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**			
महायोग :–							**89**	**113.80**	**55.12**	**58.68**	**89**			

टीप :– वर्ष 2024–25 में कृषि उपकरण अंतर्गत "पावर वीडर" एवं पावर स्प्रेयर" कृषकों द्वारा स्वयं क्रय कर आवेदन प्रस्तुत करने पर पात्र पाये गए कृषकों को प्रावधानित अनुदान राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी किया गया।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 13-03-2026
17:59:06

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2614
द्वारा श्री अनुज शर्मा, माननीय सदस्य छ.ग. विधान सभा की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	क्रय किए गए यंत्र का नाम	यंत्रों की संख्या	लागत राशि (रूपये में)	निविदा प्रक्रिया खुली निविदा/सीमित निविदा/जैम/अन्य	निविदा में सम्मिलित संस्थाओं का नाम एवं पता	निविदा में चयनित संस्था का नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2024–25	जैविक खेती मिशन	पेडीविडर	250	325642.00	जैम पोर्टल (सीमित निविदा पद्धति)	जेम पोर्टल में (सीमित निविदा पद्धति) से क्रय करने की प्रक्रिया में दरों के तुलनात्मक विवरण में संस्थाओं एवं प्रोपराईटर के नाम प्रदर्शित नहीं होते। न्यूनतम दर एवं तकनीकि मापदंड के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्ता संस्था/प्रोपराईटर का ही नाम प्रदर्शित होता है।	माता दी इलेट्रिकल राजिम
2			पेडीविडर	50	61500.00	जैम पोर्टल (सीमित निविदा पद्धति)	जेम पोर्टल में (सीमित निविदा पद्धति) से क्रय करने की प्रक्रिया में दरों के तुलनात्मक विवरण में संस्थाओं एवं प्रोपराईटर के नाम प्रदर्शित नहीं होते। न्यूनतम दर एवं तकनीकि मापदंड के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्ता संस्था/प्रोपराईटर का ही नाम प्रदर्शित होता है।	प्रिसिजन इंजीनियरिंग वर्क, डुमरतराई रायपुर
	योग			**300**	**387142.00**			
3	2024–25	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	नैपसेक स्प्रेयर	350	509600.00	जैम पोर्टल (सीमित निविदा पद्धति)	जेम पोर्टल में (सीमित निविदा पद्धति) से क्रय करने की प्रक्रिया में दरों के तुलनात्मक विवरण में संस्थाओं एवं प्रोपराईटर के नाम प्रदर्शित नहीं होते। न्यूनतम दर एवं तकनीकि मापदंड के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्ता संस्था/प्रोपराईटर का ही नाम प्रदर्शित होता है।	माता दी एग्री इम्पलीमेंट रायपुर
	योग			**350**	**509600.00**			
4	2025–26	जैविक खेती मिशन	–	–	–	–	–	–
5		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	–	–	–	–	–	–
महायोग				**650**	**896742.00**			

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 13-03-2026 17:59:58

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पॉरिशेष्ट - सोलह
पॉरिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2819) की जानकारी

iii=

// कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर, जिला सरगुजा, छ.ग. //

क्रमांक/155/पालक/2026 उदयपुर, दिनांक 26.02.2026.

प्रति,

सचिव,
छ.ग. अनुसूचित जनजाति आयोग
भगत सिंह चौक के पास, शंकर नगर रोड,
रायपुर, छ.ग.।

विषय :– परसा कोल ब्लॉक के विरोध के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 7038/अ.ज.जा.आ.रायपुर दिनांक 30.01.2026

—0—

संदर्भित नोटिस के द्वारा माननीय के आवेदक मुंशी प्रसाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुक्रम में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आबंटित कोयला खदान हेतु वन एवं राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन ग्राम साल्ही, हरिहरपुर, घाटवर्रा तथा फत्तेपुर में फर्जी ग्रामसभा किया जाने संबंधी शिकायत पर प्रकरण क्रमांक 345/2021 के रुप में दर्ज किया गया है।

उक्त नोटिस के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर, राजस्थान को आबंटित ग्राम साल्ही, हरिहरपुर, घाटवर्रा तथा फत्तेपुर में आयोजित ग्रामसभा की तिथि तथा ग्रामसभा हेतु कुल कितने प्रस्ताव थे साथ ही ग्रामसभा के मिनिट्स की सम्पूर्ण जानकारी, कार्यवाही पंजी की प्रमाणित प्रति सहित माननीय आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्राप्त नोटिस के संबंध में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1378/मु.लि./2018 दिनांक 31.12.2018 के द्वारा प्रकरण के संबंध में माननरीय आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र क्रमांक 1378/मु.लि./2018 दिनांक 31.12.2018 प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
उदयपुर, जिला सरगुजा

सत्यापित

सचिव
छ.ग. राज्य अनु.जनजाति आयोग
रायपुर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

// कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उदयपुर, सरगुजा, छ.ग. //

:: ज्ञापन ::

क्रमांक/1378/मु.लि./2018 उदयपुर दिनांक 31.12.2018.

प्रति,

कलेक्टर,
सरगुजा।

विषय :– पांचवी अनुसूचित सरगुजा जिले में परसा कोल ब्लॉक हेतु ग्रामसभा की सहमति के बिना गैर कानूनी रुप से किए जा रहे भू–अधिग्रहण को रद्द करने और ग्रामसभा का फर्जी प्रस्ताव तैयार करवाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही बावत्।

––0––

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर से प्राप्त पत्र के अनुक्रम में विषयांकित शिकायत की जानकारी प्राप्त की गई।

जांच के अनुक्रम में सचिव ग्राम पंचायत साल्ही का कथन अंकित किया गया तथा अभिलेख प्राप्त किए गए। पंचाायत सचिव श्री छत्रपाल सिंह के द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि वह ग्राम पंचायत साल्ही के सचिव के पद पर वर्ष 2009 से पदस्थ है। ग्राम पंचायत साल्ही के अश्रित ग्राम ग्राम हरिहरपुर में दिनांक 24.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में कुल 22 (बाईस) प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिनमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव भी सामिल है। ग्राम सभा में प्रस्तुत समस्त 22 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

इसी प्रकार श्री छत्रपाल, सचिव ग्राम पंचायत साल्ही के द्वारा बताया गया है कि ग्राम साल्ही में दिनांक 23.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था किन्तु गणपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामसभा स्थगित किया गया। पुनः दिनांक 27.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में कुल 23 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए थे जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव भी सामिल था। प्रस्तुत समस्त 23 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

सत्यापित

सचिव
छ.ग. राज्य अनु.जनजाति आयोग
रायपुर (छ.ग.)

इसी प्रकार पंचायत सचिव श्री गोपाल प्रसाद का कथन भी अंकित किया गया। श्री गोपाल प्रसाद के द्वारा अपने कथन में बताया है कि वह ग्राम पंचायत घाटबर्रा में वर्ष 2016 से पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ है। ग्राम पंचायत घाटबर्रा के आश्रित ग्राम फत्तेपुर में दिनांक 20.07.2017 को ग्रामसभा का अयोजन किया गया था। किन्तु आवश्यक गणपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामसभा स्थगित किया गया। पुनः दिनांक 26.08.2017 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया तथा इस ग्रामसभा में कुल दो प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। जिनमें वन अधिकार मान्यता पत्रों का अनुमोदन एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव रखा गया था। उक्त दोनों ही प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है।

इसी प्रकार ग्राम घाटबर्रा में दिनांक 24.03.2018 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया था किन्तु गणपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामसभा स्थगित की गई। पुनः दिनांक 22.04.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था जिसमें मात्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव रखा गया था और प्रस्तुत प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है।

पंचायत सचिवों का कथन अनुलग्नक– एक के रुप में संलग्न है।

पंचायत सचिवों से आक्षेपित ग्रामसभा के प्रस्ताव पंजी की प्रति प्राप्त की गई। जो अनुलग्नक– दो के रुप में संलग्न है।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

(प्रभाकर पाण्डेय)
अनुविभागीय दण्डाधिकारी
उदयपुर,सरगुजा

सत्यापित

सचिव
छ.ग. राज्य अनु.जनजाति आयोग
रायपुर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशिष्ट - सत्रह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 2834) की जानकारी

प्रपत्र –अ

क्र.	जिले का नाम	योजना का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	मोहला–मानपुर– अं.चौकी	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना	मोहला	पाटनखास
2			मोहला	मार्री
3			मोहला	कुंवारदल्ली
4			मोहला	हर्राटोला
5			मोहला	कनेरी
6			मोहला	कंदाड़ी
7			मोहला	ढारनी
8			मोहला	पाण्डरवानी
9			मोहला	देवरसुर
10			मोहला	पाउरखेड़ा
11			मोहला	रेंगाकठेरा
12			मोहला	पेंदाकोड़ो
13			मोहला	कोडेमरा
14			मोहला	पद्दाटोला
15			मोहला	जोबटोला
16			मोहला	आमाडुला
17			मोहला	बोगाटोला
18			मोहला	गिधाली
19			मोहला	ककईपार
20			मोहला	मटेवा
21			मोहला	अड़मागोंदी
22			मोहला	कुम्हली
23			मोहला	मुकादाह
24			मोहला	शेरपार
25			मोहला	घावड़ेटोला
26			मोहला	मोहभट्ठा
27			मोहला	आलकन्हार
28			मोहला	चांपाटोला
29			मोहला	रानाटोला
30			अं.चौकी	पेंदलकुही
31			अं.चौकी	चिल्हाटी
32			अं.चौकी	खड़खड़ी
33			अं.चौकी	हालमकोड़ो
34			अं.चौकी	हांडीटोला
35			अं.चौकी	केकतीटोला
36			अं.चौकी	केशरीटोला
37			अं.चौकी	गोपलिनचुवा
38			अं.चौकी	आड़ेझर
39			अं.चौकी	करमतरा
40			अं.चौकी	लेड़ीजोब
41			अं.चौकी	अरजकुण्ड
42			अं.चौकी	नेतामटोला
43			अं.चौकी	पटेली
44			अं.चौकी	नीचेकोहड़ा
45			अं.चौकी	भर्रीटोला

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र.	जिले का नाम	योजना का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
46	मोहला–मानपुर– अं.चौकी	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना	अं.चौकी	भगवानटोला
47			अं.चौकी	कौड़ीकसा
48			अं.चौकी	मोंगरा
49			अं.चौकी	डुमरघुंचा
50			मानपुर	डोकला
51			मानपुर	सम्बलपुर
52			मानपुर	हथरा
53			मानपुर	खरदी
54			मानपुर	खड़गांव
55			मानपुर	भटगांव
56			मानपुर	बोरियामोकासा
57			मानपुर	बोरिया ठेकेदारी
58			मानपुर	गुबियागढ़
59			मानपुर	दोरबा
60			मानपुर	अडजाल
61			मानपुर	सिवनी
62			मानपुर	वाको
63			मानपुर	कुम्हारी
64			मानपुर	मिंचगांव
65			मानपुर	घोटिया
66			मानपुर	ढोढरी
67			मानपुर	चवेला
68			मानपुर	फूलकोड़ो
69			मानपुर	भर्रीटोला
70			मानपुर	ईरागांव
71			मानपुर	कहगांव
72			मानपुर	भैंसबोड़
73			मानपुर	पानाबरस
74			मानपुर	उरझे
75			मानपुर	खासफड़की
76			मानपुर	जबकसा
77			मानपुर	कनेली
78			मानपुर	तुमड़ीकसा
79			मानपुर	नेडगांव
80			मानपुर	टोहे
81			मानपुर	येरकोड
82			मानपुर	कोण्डे
83			मानपुर	परालझरी
84			मानपुर	सीतागांव
85			मानपुर	कंदाड़ी
86			मानपुर	जामड़ी
87			मानपुर	पालेभट्टी
88			मानपुर	औंधी
89			मानपुर	सरखेड़ा

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

(राशि लाखों में)

क्र.	जिले का नाम	अवधि 2023–24 से 31 जनवरी 2026 तक	योजना का नाम	विभाग का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम (जहां कार्य स्वीकृत किया गया है।)	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मोहला–मानपुर– अं. चौकी	2023–24	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	आदिवासी विकास विभाग	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)			अं.चौकी	कौड़ीकसा	प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कौड़ीकसा में क्लासरूम निर्माण	29.54	0.00	–
				योग–				**29.54**	**0.00**	
2		2023–24		मछली पालन विभाग	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)			मानपुर	सीतागांव	लाईव फिश वेंडिंग सेंटर	9.00	9.00	–
					मानपुर	कंदाडी	मोटर सायकल सह आईस बॉक्स	0.675	0.675	–
					अं.चौकी	मोंगरा		0.675	0.675	–
					अं.चौकी	मोंगरा		0.675	0.675	–
				योग–				**11.025**	**11.025**	
3		2023–24		CSPDCL (ऊर्जा विभाग)	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)			मोहला	कुंवारदल्ली	अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य	–	–	CSPDCL (ऊर्जा विभाग) द्वारा स्वीकृत कार्य अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल ग्रामों में से 17 ग्रामों के 20 कार्य योजना को शामिल किया गया है। स्वीकृत कार्य की स्वीकृत राशि 96.48 लाख रू. तथा व्यय राशि 61.40 लाख रू. है। स्वीकृत कार्य अंतर्गत शामिल 17 ग्रामों में से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के 02 ग्रामों के 03 कार्य योजना शामिल है। चूंकि उक्त स्वीकृत कार्य अंतर्गत संयुक्त रूप से 17 ग्राम शामिल है अतः पृथक तौर पर संबंधित 02 ग्रामों हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि का आंकलन नहीं किया गया है।
					मोहला	कुंवारदल्ली	अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य			
					मोहला	मार्री	अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य			

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	मोहला–मानपुर– अं. चौकी	2023–24	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
5		2023–24		पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
6		2023–24		छ0ग0 अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
7		2023–24		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
8		2023–24		इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रद्यौगिकी	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
9		2023–24		खाद्य विभाग	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
10		2023–24		महिला एवं बाल विकास विभाग	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
11		2023–24		समग्र शिक्षा	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
12		2023–24		छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	मोहला–मानपुर– अं चौकी	2023–24	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	कृषि विकास विभाग	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
14		2023–24		पशुधन विकास विभाग	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
15		2023–24		पंचायत विभाग	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
16		2023–24		पर्यटन विभाग	निरंक					
		2024–25								
		2025–26 (01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक)								
कुल योग–								40.565	11.025	

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, मंत्रालयी भवन, नया रायपुर

प्रपत्र अ

जिला जांजगीर–चाम्पा अंतर्गत धान बीज उत्पादन हेतु पंजीयन, उपार्जन एवं भुगतान की जानकारी

क्र.	विपणन वर्ष	पंजीकृत रकबा (हेक्टे.में)		कच्चा बीज उपार्जित बीज मात्रा (क्वि.में)		पास बीज मात्रा (क्वि.में)		पैक्ड बीज मात्रा (क्वि.में)	कुल भुगतान की गई राशि		भुगतान हेतु शेष राशि		अमानक बीज (क्वि.में)	
		कृषक संख्या	रकबा	कृषक संख्या	बीज मात्रा	कृषक संख्या	बीज मात्रा		कृषक संख्या	राशि (रू.में)	कृषक संख्या	राशि (रू.में)	कृषक संख्या	बीज मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	खरीफ 2024–25	308	687.000	250	31,880	238	26,109.80	25,692.00	238	7,42,76,156	-	-	12	1044.15
	खरीफ 2025–26	329	846.700	271	42,860	261	34,695.45	33,961.20	261	9,94,32,255	-	-	10	1611.00
योग :–		**637**	**1533.700**	**521**	**74,740**	**499**	**60,805.25**	**59,653.20**	**499**	**17,37,08,411**	**-**	**-**	**22**	**2655.15**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 13-03-2026
16:34:59

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

धान बीज उत्पादन कार्यक्रम का वर्तमान वर्ष एवं विगत 02 वर्षो में पंजीयन का तुलनात्मक विवरण

क्र.	प्रकिया केन्द्र का नाम	जिला का नाम	2023–24		2024–25		वर्ष 2023–24 की तुलना में वृद्धि		2025–26		वर्ष 2024–25 की तुलना में वृद्धि	
			कृषक संख्या	रकबा (हेक्टे.में)	कृषक संख्या	रकबा (हेक्टे.में)	कृषक संख्या	रकबा (हेक्टे.में)	कृषक संख्या	रकबा (हेक्टे.में)	कृषक संख्या	रकबा (हेक्टे.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	खोखसा	जांजगीर –चांपा	331	759.99	356	883.52	25	123.53	462	1077.83	106	194.31
		सक्ती	207	503.71	365	689.02	158	185.31	393	880.15	28	191.13
		योग	**538**	**1263.70**	**721**	**1572.54**	**183**	**308.84**	**855**	**1957.98**	**134**	**385.44**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 13-03-2026
16:35:48

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - उन्नीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 2859) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिला जांजगीर–चांपा अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची

क्र.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल
1.	जांजगीर	ऐतिहासिक, पुरातात्विक	विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, बरम बाबा चौरा
2.	खरौद	ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक	लक्ष्मणेश्वर मंदिर, शबरी मंदिर
3.	शिवरीनारायण	ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक	शिवरीनारायण मंदिर, दूधाधारी मठ
4.	पीथमपुर	धार्मिक, सांस्कृतिक	कलेश्वर महादेव मंदिर
5.	चाम्पा	ऐतिहासिक, धार्मिक	समलेश्वरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, राजमहल
6.	दलहा पहाड़ (ग्राम दल्हा दमामी)	धार्मिक, प्राकृतिक	सिद्धमुनी आश्रम, विशेश्वरी देव मंदिर, चतुर्भुजी देवी, नागेश्वरधाम, अर्द्धनारीश्वर धाम, सिद्धबाबा आश्रम, गुफा
7.	कोटमीसोनार	प्राकृतिक, पुरातात्विक, वन्य जीव	मगरमच्छ संरक्षण पार्क, मड फोर्ट

प्रपत्र–ब

विगत तीन वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में कराये गए कार्यों की जानकारी

क्र.	स्मारक/स्थल के नाम	कार्य का विवरण
1	प्राचीन वैष्णव मंदिर (बड़ा मंदिर)	लाल बलुआ पत्थर लगाया गया, सूचनापट, सामान्य रखरखाव तथा मामूली मरम्मत का कार्य कराया गया।
2	प्राचीन वैष्णव मंदिर (छोटा मंदिर)	लाल बलुआ पत्थर लगाया गया, सूचनापट, सामान्य रखरखाव तथा मामूली मरम्मत का कार्य कराया गया।
3	कोटमी किला कोटमी सोनार	सामान्य रखरखाव का कार्य।
4	शिवरीनारायण	• **पर्यटन विभाग के द्वारा कराये गये कार्य** – घाट वाकवे डेवलपमेंट, पब्लिक शौचालय, साइनेजेस, इंटरनल प्लम्बिंग एडमीनिस्ट्रेटीव ऑफिस, पर्यटक सूचना केन्द्र, व्यूइंग डेस्क कियॉस्क, मंदिर परिसर का जीर्णोद्वार, पार्किंग, छोटा प्रवेश द्वार, सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रीफिकेशर्न, लैण्डस्केपिंग, मार्केट अपग्रेडेशन, इलेक्ट्रीफिकेशन आऊटर साईड, एक्सटरनल प्लम्बिंग, मुख्य प्रवेश द्वार, दीप स्तंभ, एलईडी ब्रांडिंग, घाट डेव्लपमेंट, प्रिफैब माड्यूलर शॉप, बाऊण्ड्रीवॉल, श्रीराम स्टैच्यू का निर्माण। • **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कराये गये कार्य** – शिवरीनारायण मंदिर में लाल बलुआ पत्थर लगाया गया, सूचनापट, सामान्य रखरखाव तथा मामूली मरम्मत का कार्य कराया गया।
5	लक्ष्मण मंदिर खरौद	विद्युतीकरण कार्य
6	सवरी का इष्टिका मंदिर (शबरी मंदिर)	लाल बलुआ पत्थर लगाया गया, सूचनापट एवं सामान्य रखरखाव का कार्य कराया गया।
7	भीमा तालाब	निरंक
8	हसदेव तट,	निरंक
9	कलेश्वरनाथ मंदिर, पीथमपुर	निरंक

प्रपत्र-अ

वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मत्स्य पालन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं भौतिक प्रगति की योजनावार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24 भौतिक		वर्ष 2024-25 भौतिक		वर्ष 2025-26 भौतिक	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
(अ)	**राज्य पोषित योजनाएं**						
1	10 दिवसीय प्रशिक्षण	-	-	92	92	113	113
2	3 दिवसीय रीफ्रेशर कोर्स	96	96	199	199	57	57
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	4	4	-	-	3	3
4	झींगा पालन	22	22	22	22	2	2
5	नाव-जाल वितरण	43	43	24	24	35	26
6	फुटकर विक्रताओं को सहायता	24	24	30	30	33	18
7	मत्स्य बीज संवधन	5	5	4	4	3	3
8	50 प्रतिशत फिंगरलिंग	30	30	45	45	65	65
9	समिति अनुदान योजना	-	-	2	2	2	2
(ब)	**केन्द्र पोषित योजनाएं**						
	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना						
1	बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास के 7 टैंक और ऊँचाई 1.5)	17	17	-	-	-	-
2	मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	3	3	12	12	14	14
3	सजीव मछली वैंडिग केंद्र (Live Fish Center)	-	-	1	1	3	1
4	बचत सह राहत	-	-	15	15	15	0
5	दूर्घटना बीमा	-	-	858	858	858	858
6	ग्रोथ प्रमोटर वितरण	2	2	6	6		

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
		भौतिक		भौतिक		भौतिक	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
7	नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण	30.5	30.5	9.95	9.95	0.52	0.52
8	नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण	1.2	1.2	-	-	-	-

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की ग्रामवार जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	घटक का नाम	ग्राम	आवेदन संख्या	
					प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1	2	3	4			
1	2023-24	बिलाईगढ़	बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास के 7 टैंक और ऊँचाई 1.5)	सालहेओना	1	1
				कोसमकुंडा	1	1
			योग		**2**	**2**
2			मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	मंधाइभथा	1	1
				कोसमकुंडा	1	1
				सालहेओना	1	1
			योग		**3**	**3**
3		कसडोल	बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास के 7 टैंक और ऊँचाई 1.5)	राजादेवरी	10	10
				गिधौरी	2	2
				झुमका	1	1
				कुम्हारी	1	1
				खपराडीह	1	1
			योग		**15**	**15**
4		कसडोल	नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण	सैहाभाठा	6	6
				देवगांव	3	3
				सैयाभाठा	7	7
				खैरा	1	1
				कुशगढ़	1	1
				बानीखार	1	1
				सूरबाय	1	1
				सोनाखान	1	1
				छतवन	1	1
				बिलारी ज	1	1
			योग		**23**	**23**

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	घटक का नाम	ग्राम	आवेदन संख्या	
					प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1	2	3	4			
5	2023-24	कसडोल	नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण	खेरा	1	1
				सलिहा	1	1
				रिकोकला	1	1
				भानपुर	1	1
			योग		**4**	**4**
6	2024-25	बिलाईगढ़	सजीव मछली वेंडिंग केंद्र (Live Fish Center)	पेंड्रावन	1	1
			योग		**1**	**1**
7			मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	भटगांव (बोदाडीह)	1	1
				पेंड्रावन	1	1
				चारपाली	1	1
				कोदोपाली	1	1
				खुरदरहा	1	1
				कोसमकुंडा	1	1
				कोसमकुंडा	1	1
				गेंदापाली	1	1
			योग		**8**	**8**
8		कसडोल	मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	तुरकीनडीह	1	1
				मड़वा	1	1
				खपराडीह	1	1
			योग		**3**	**3**
9			नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण	मोहदा	2	2
				ढेबी	2	2
				कुशगढ़	4	4
				सोनाखान	1	1
			योग		**9**	**9**
10	2025-26	बिलाईगढ़	सजीव मछली वेंडिंग केंद्र (Live Fish Center)	मदकड़ी	1	1
			योग		**1**	**1**

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	घटक का नाम	ग्राम	आवेदन संख्या	
					प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1	2	3	4			
11	2025-26	बिलाईगढ़	मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	चक्रदा	2	1
				तिहालीपाली	2	1
				भरतपुर	1	1
				धांगोन	1	1
				सिंहितार	2	1
				झुमका	1	1
				मदकड़ी	1	1
				कालियारी	1	1
				चंद्र नगर भाटगांव	1	1
				अमाकाचर	1	1
				शारदाभथा	1	1
				नरेश नगर	2	2
				गोविन्दवन	7	0
				मंधाईभाठा	1	0
				धनगांव	6	0
				उडकाकन	1	0
				बिलाईगढ़	1	0
				पचरी	1	0
				सरधाभांठा	1	0
				पिकरीपाली	1	0
				पंडरीपाली	1	0
				पिपरडुला	2	0
				बलौदी	1	0
			योग		**39**	**13**
12		कसडोल	मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	बासिनपाली	1	1
			योग		**1**	**1**

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	घटक का नाम	ग्राम	आवेदन संख्या	
					प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1	2	3	4			
13	2025-26	कसडोल	नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण	ढेबी	1	1
			योग		**1**	**1**
			महायोग		**110**	**84**

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-स

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् हितग्राहियों को प्रदाय की गई सामग्रियों की जानकारी

क्र	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	नाम	ग्राम	इकाई संख्या	प्रदाय अनुदान राशि (लाख में)
1	2	3	4	6	7	8	9
1	2023-24	बिलाईगढ़	बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास के 7 टैंक और ऊँचाई 1.5)	गुहाराम भारी	सालहेओना	1	4.50
2				वेदराम मनहर	कोसमकुंडा	1	4.50
3			मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	छगन लाल	मंधाइभथा	1	8.40
4				वेदराम मनहर	कोसमकुंडा	1	8.40
5				गुहाराम भारी	सालहेओना	1	8.40
6			बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास के 7 टैंक और ऊँचाई 1.5)	श्रीमती गुरवारी बरिहा	राजादेवरी	1	4.50
7				श्रीमती हरीबाई यादव	राजादेवरी	1	4.50
8				श्रीमती देवकुमारी ध्रुव	राजादेवरी	1	4.50
9				श्रीमती दुलेश्वरी बाई	राजादेवरी	1	4.50
10				श्री सुखराम रावत	राजादेवरी	1	4.50
11				श्री मोहसिंह बरिहा	राजादेवरी	1	4.50
12				श्री छत्तर सिंह	राजादेवरी	1	4.50
13				श्री रूप सिंह	राजादेवरी	1	4.50
14				श्रीमती मेनमोती यादव	राजादेवरी	1	4.50
15				श्री योगेन्द्र पटेल	राजादेवरी	1	4.50
16				श्रीमती नीला साहू	गिधौरी	1	4.50
17				कु पूजा नवरत्न	गिधौरी	1	4.50
18				श्री रामनिवास खुराना	झुमका	1	4.50
19				श्रीमती प्रमीला प्रधान	कुम्हारी	1	4.50
20				श्री कन्हैया राय	खपराडीह	1	4.50
21			नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण	श्री अशोक कुमार कैवर्त्य	सैहाभाठा	0.95	4.21
22				श्री अश्वनी कुमार कैवर्त्य	सैहाभाठा	1.00	4.40
23				श्री नन्दलाल पटेल	देवगांव	1.00	4.40
24				श्री बसंत कुमार यादव	सैयाभाठा	2.00	8.80
25				श्री खीरसागर पटेल	खैरा	2.00	8.80

क्र	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	नाम	ग्राम	इकाई संख्या	प्रदाय अनुदान राशि (लाख में)
1	2	3	4	6	7	8	9
26	2023-24	कसडोल	नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण	श्री सुखदेव यादव	सेहाभाठा	0.91	4.00
27				श्रीमती खीरबाई पटेल	देवगांव	2.00	13.20
28				श्रीमती देवमोती पटेल	देवगांव	2.00	13.20
29				श्रीमती शमीम परवीन शेख	कुशगढ़	0.50	3.30
30				श्री अमरू लाल रात्रे	सैहाभाठा	1.00	6.60
31				श्री गंगादेव चतुर्वेदी	सैहाभाठा	1.00	6.60
32				श्री गोपी कोयल	बानीखार	0.80	5.28
33				श्री गोपी राम रात्रे	सैहाभाठा	1.00	4.20
34				श्री रामधन रात्रे	सैयाभाठा	1.50	9.90
35				श्री कालीदास चतुर्वेदी	सैयाभाठा	2.00	1.32
36				श्री शिवलाल मिरी	सैयाभाठा	2.00	1.32
37				श्री शिव कुमार चतुर्वेदी	सैयाभाठा	1.50	9.90
38				श्री फिरतु राम बरिहा	सूरबाय	1.00	6.60
39				श्री मनीराम कोंध	सोनाखान	1.50	6.00
40				श्री भारत लाल दीवान	छतवन	0.52	3.39
41				श्री प्रेमलाल सिदार	बिलारी ज	0.90	5.93
42				श्री इतवारी दीवान	सैयाभाठा	2.00	13.20
43				श्री गजानंद दीवान	सैयाभाठा	1.50	9.90
44			नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण	श्रीमती यशोदा नायक	खैरा	0.36	1.51
45				श्री गंगाराम	सलिहा	0.30	1.26
46				श्री धन सिंह टंडन	रिकोकला	0.30	1.26
47				श्री अमर सिंह	भानपुर	0.24	1.08
48	2024-25	बिलाईगढ़	सजीव मछली वेंडिग केंद्र (Live Fish Center)	बंशीलाल साहु	पेंड्रावन	1	4.00
49			मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	निरा बाई	भटगांव (बोदाडीह)	2	16.80
50				बंशीलाल साहु	पेंड्रावन	1	8.40
51				भिमसेन	चारपाली	2	16.80
52				नारायण सिंह	कोदोपाली	1	8.40
53				गोरेलाल	खुरदरहा	1	8.40

क्र	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	नाम	ग्राम	इकाई संख्या	प्रदाय अनुदान राशि (लाख में)
1	2	3	4	6	7	8	9
54	2024-25	बिलाईगढ़	मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	मनीराम जंागडे	कोसमकुंडा	2	16.80
55				डेविडदत्त जांगड़े	कोसमकुंडा	2	16.80
56				भरत लाल नेताम	गेंदापाली	1	8.40
57		कसडोल	मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	श्रीमती पुनीबाई कैवर्त्य	तुरकीनडीह	2	16.80
58				श्रीमती रामकुमारी	मड़वा	1	8.40
59				श्री कन्हैया राँय	खपराडीह	1	8.40
60			नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण	श्री हरजीत दीवान	मोहदा	0.65	3.69
61				श्री दशरथ भोई	मोहदा	1.00	6.60
62				श्री दयानिधी बरिहा	ढेबी	1.00	3.96
63				श्री पुनीत राम संवरा	ढेबी	0.60	3.96
64				श्रीमती सुरगा बेगम	कुशगढ़	1.00	6.60
65				श्रीमती अरीफा शेख	कुशगढ़	0.70	4.62
66				श्रीमती नसीम जहाँ	कुशगढ़	1.00	6.60
67				श्री शेख जमीलुद्दीन	कुशगढ़	2.00	7.04
68				श्री इन्द्र कुमार प्रभाकर	सोनाखान	2.00	13.20
69	2025-26	बिलाईगढ़	सजीव मछली वैंडिग केंद्र (Live Fish Center)	किर्तन लाल	मदकड़ी	1	4.00
70			मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	रामायण बाई	चक्रदा	2	16.80
71				जगेश्वर निराला	तिहालीपाली	2	16.80
72				डिगेश्वर प्रसादर	भरतपुर	2	16.80
73				शंकर रात्रे	धांगोन	2	16.80
74				दुर्गेश कुमार	सिंहितार	1	8.40
75				राजेश्वरी खुराना	झूमका	1	8.40
76				भुखीराम आदित्य	मदकड़ी	1	5.60
77				धजाधर	कालियारी	1	8.40
78				भिमराज	चंद्र नगर भाटगांव	1	8.40

क्र	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	नाम	ग्राम	इकाई संख्या	प्रदाय अनुदान राशि (लाख में)
1	2	3	4	6	7	8	9
79	2025-26	बिलाईगढ़	मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	देव प्रसाद	अमाकाचर	1	8.40
80				संतोष अनंत	शारदाभथा	1	8.40
81				सुकालु सिहं	नरेश नगर	1	8.40
82				गोपी सिंह	नरेश नगर	2	16.80
83		कसडोल	मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	श्री उमाशंकर साहू	बासिनपाली	1	5.60
84			नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण	डमरूधर बरला	ढेबी	0.52	3.43
योग							617.37

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

परिशिष्ट - इक्कीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 2868) की जानकारी

प्रपत्र–अ

क्र.	वर्ष	शिकायत का प्रकार	प्राप्त शिकायतों की संख्या	चैम्प्स स्तर से शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	2022–23	प्रदायक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग	1	चैम्प्स प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत ट्रैक्टर के साथ कृषक द्वारा गैर पंजीकृत सामग्री की मांग किए जाने कारण उक्त प्रकरण निराधार है।
			1	कृषक द्वारा चयनित मॉडल की उपलब्धता नहीं होने के कारण प्रदायक द्वारा अन्य मॉडल के यंत्र जो कि अधिक कीमत का था, कृषक को प्रदाय हेतु अतिरिक्त राशि की मांग की गई थी। जिस पर दोनों पक्षों (कृषक एवं प्रदायक) द्वारा आपसी सहमती से अधिक कीमत वाले यंत्र का मॉडल कम कीमत में दिया गया।
		ट्रैक्टर वितरण में विलंब	1	कृषक द्वारा चयनित मॉडल की उपलब्धता नहीं होने के कारण दोनों पक्षों (कृषक एवं प्रदायक) द्वारा आपसी सहमती से अधिक कीमत वाले यंत्र का मॉडल कम कीमत में दिया गया।
		अन्य प्रकरण	1	कृषक द्वारा शपथ के द्वारा उक्त शिकायत निरस्त करने एवं प्रदायक द्वारा प्रदाय यंत्र से संतुष्ट होने का लेख किया गया है।
2	2023–24	अन्य प्रकरण	1	कृषक द्वारा उपभोक्ता आयोग में प्रकरण अनुदान मांग हेतु प्रकरण दर्ज कराया गया था जो कि निराधार होने के कारण उपभोक्ता आयोग द्वारा शिकायत प्रकरण को निरस्त कर दिया गया।
3	2024–25	प्रदायक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग	1	कृषक द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यवाही शासन स्तर से की जा रही है।
महायोग			**6**	

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 13-03-2026 उप सचिव
17:37:02 छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्र	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	सामग्री का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	लाभांवित कृषक संख्या	लंबित आवेदन	रिमार्क	निराकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022–23	तखतपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कंपोनेंट क्रमांक–1 कृषि यंत्रों पर अनुदान (चैम्प्स)	चॉफ कटर	6	6	6	0	वर्ष 2022–23 में कुल 141 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से कुल 55 कृषकों को कृषि यंत्र प्राप्त हुये, शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने, भौतिक लक्ष्य के अभाव व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गये	–
				थ्रेसर	28	5	5	0		
				रोटावेटर	12	10	10	0		
				स्व–चलित रीपर	1	0	0	0		
				ट्रैक्टर	80	32	32	0		
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	थ्रेसर	7	1	1	0		
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – चावल	थ्रेसर	7	1	1	0		
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	13	10	10	0	आवेदन अपूर्ण होने के कारण 3 प्रकरण निरस्त।	
		योग			**154**	**65**	**65**	**0**		
2	2023–24	तखतपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कंपोनेंट क्रमांक–1 कृषि यंत्रों पर अनुदान (चैम्प्स)	चॉफ कटर	5	5	5	0	वर्ष 2023–24 में कुल 163 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से कुल 33 कृषकों को कृषि यंत्र प्राप्त हुये, शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने, भौतिक लक्ष्य के अभाव व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गये	
				थ्रेसर	35	2	2	0		
				रोटावेटर	10	3	3	0		
				स्व–चलित राईस ट्रांसप्लांटर	1	1	1	0		
				स्व–चलित रीपर	2	2	2	0		
				ट्रैक्टर	108	18	18	0		
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – (ऑयल सीड)	थ्रेसर	2	2	2	0		
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	15	9	9	0	आवेदन अपूर्ण होने के कारण 6 प्रकरण निरस्त।	
		योग			**178**	**42**	**42**	**0**		

क्र	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	सामग्री का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	लाभांवित कृषक संख्या	लंबित आवेदन	रिमार्क	निराकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2024–25	तखतपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कंपोनेंट क्रमांक–1 कृषि यंत्रों पर अनुदान (चैम्प्स)	चॉफ कटर	7	2	2	0	वर्ष 2023–24 में कुल 142 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से कुल 26 कृषकों को कृषि यंत्र प्राप्त हुये, शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने, भौतिक लक्ष्य के अभाव व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गये	–
				कम्बाईन हार्वेस्टर	3	1	1	0		
				थ्रेसर	30	4	4	0		
				पल्वराईज़र	7	0	0	0		
				रोटावेटर	4	4	4	0		
				स्व–चलित राईस ट्रांसप्लांटर	4	1	1	0		
				ट्रैक्टर	87	14	14	0		
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	6	2	2	0	योजनांतर्गत लागत राशि एवं अनुदान राशि में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कृषकों को नवीन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। नवीन आवेदन अप्राप्ति की स्थिति में प्रकरण स्वमेव निरस्त हो गया।	
			योग		**142**	**26**	**26**	0		
महायोग					**474**	**133**	**133**	**0**		

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 13-03-2026 17:37:59

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - बाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2873) की जानकारी

प्रपत्र अ

अप्रैल 2024 से चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 02 फरवरी 2026 तक खरीफ एवं रबी फसल हेतु किस–किस प्रकार के कितनी मात्रा में रासायनिक खाद की मांग के विरुद्ध केन्द्र शासन द्वारा कितनी मात्रा में आबंटन दिया गया की जानकारी

इकाई मे.टन

क्र.	चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	खरीफ 2024 (01 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024)						रबी 2024–25 (01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025)				
		उर्वरक का नाम	उर्वरक की मांग (मे.टन)	केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त आबंटन (भण्डारण)			किसानों द्वारा उठाई मात्रा (मे. टन)	उर्वरक की मांग (मे. टन)	केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त आबंटन (भण्डारण)			किसानों द्वारा उठाई मात्रा (मे. टन)
				पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल			पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	डभरा	यूरिया	5750.000	0.000	5133.500	5133.500	4988.300	2060.000	145.200	351.350	496.550	198.495
2		डी ए पी	2020.000	0.000	1401.550	1401.550	1377.750	450.000	23.800	67.550	91.350	70.050
3		एन पी के	805.000	0.000	1158.850	1158.850	1158.850	315.000	0.000	5.000	5.000	5.000
4		पोटाश	150.000	0.000	179.450	179.450	179.450	31.000	0.000	3.000	3.000	3.000
5		एस एस पी	1740.000	0.000	849.950	849.950	849.950	331.000	0.000	53.150	53.150	53.150
6	मालखरोदा	यूरिया	5460.000	320.100	6839.700	7159.800	7159.800	2061.000	0.000	2722.500	2722.500	2722.500
7		डी ए पी	1810.000	36.050	1250.300	1286.350	1286.350	450.000	0.000	165.400	165.400	165.400
8		एन पी के	805.000	7.600	361.200	368.800	368.800	310.000	0.000	87.300	87.300	87.300
9		पोटाश	150.000	7.100	39.800	46.900	46.900	26.000	0.000	18.600	18.600	18.600
10		एस एस पी	1530.000	35.100	528.900	564.000	564.000	330.000	0.000	278.800	278.800	267.900

इकाई मे.टन

खरीफ 2025 (01 अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025)								रबी 2025–26 (01 अक्टूबर 2025 से 02 फरवरी 2026)				
क.	चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	उर्वरक का नाम	उर्वरक की मांग (मे.टन)	केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त आबंटन (भण्डारण)			किसानों द्वारा उठाई मात्रा (मे. टन)	उर्वरक की मांग (मे. टन)	केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त आबंटन (भण्डारण)			किसानों द्वारा उठाई मात्रा (मे. टन)
				पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल			पूर्व बचत	नवीन आवक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	डभरा	यूरिया	5750.000	298.055	4123.560	4421.615	4421.615	2275.000	0.000	355.100	355.100	355.100
2		डी ए पी	2050.000	21.300	1101.650	1122.950	1122.950	810.000	0.000	200.800	200.800	200.800
3		एन पी के	797.500	0.000	339.550	339.550	339.550	231.000	0.000	4.000	4.000	4.000
4		पोटाश	125.000	0.000	210.400	210.400	210.400	300.000	0.000	0.200	0.200	0.200
5		एस एस पी	1125.000	0.000	1565.150	1565.150	1565.150	555.000	0.000	210.600	210.600	210.600
6	मालखरोदा	यूरिया	5750.000	0.000	5231.735	5231.735	5231.735	1840.000	0.000	2317.900	2317.900	2317.900
7		डी ए पी	2044.000	0.000	1158.600	1158.600	1158.600	595.000	0.000	1037.000	1037.000	1037.000
8		एन पी के	795.000	0.000	795.150	795.150	795.150	94.000	0.000	105.300	105.300	105.300
9		पोटाश	120.000	0.000	194.900	194.900	194.900	200.000	0.000	82.500	82.500	82.500
10		एस एस पी	1125.000	10.900	1353.950	1364.850	1347.650	300.000	17.200	364.800	382.000	382.000

Digitally signed by
Amit Kumar Singh
Date: 13-03-2026
16:53:23

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

अप्रैल 2024 से चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 02 फरवरी 2026 तक खरीफ एवं रबी फसल हेतु किस–किस प्रकार के कितनी मात्रा में बीज की मांग के विरूद्ध केन्द्र शासन द्वारा कितनी मात्रा में आबंटन दिया गया की जानकारी

इकाई क्विंटल में

खरीफ 2024 (01 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024)						रबी 2024–25 (01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025)		
क.	चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	बीज का नाम	बीज की मांग (क्विंटल)	भण्डारण (क्विंटल)	किसानों द्वारा उठाई मात्रा (वितरण) (क्विंटल)	बीज की मांग (क्विंटल)	भण्डारण (क्विंटल)	किसानों द्वारा उठाई मात्रा (वितरण) (क्विंटल)
1	2	3	4	5		6	7	
1	डभरा	धान	7035.60	7035.60	7035.60	-	-	-
2		अरहर	8.96	8.96	8.96	-	-	-
3		उड़द	6.32	6.32	6.32	-	-	-
4		मूंग	6.30	6.30	6.30	-	-	-
5		मूंगफली	10.00	10.00	10.00	-	-	-
6		तिल	1.00	1.00	1.00	-	-	-
7		रागी	1.24	1.24	1.24	-	-	-
8		गेहूं	-	-	-	218.80	218.80	218.80
9		चना	-	-	-	73.80	73.80	73.80
10		मटर	-	-	-	5.00	5.00	5.00
11		उड़द	-	-	-	3.20	3.20	3.20
12		तिवड़ा	-	-	-	2.40	2.40	2.40
13		मसूर	-	-	-	4.00	4.00	4.00
14		मूंग	-	-	-	2.24	2.24	2.24
15		सरसों	-	-	-	10.56	10.56	10.56
16		मूंगफली	-	-	-	496.40	496.40	496.40
17		रागी	-	-	-	10.20	10.20	10.20

योग			**7069.42**	**7069.42**	**7069.42**	**826.60**	**826.60**	**826.60**
18		धान	2976.00	2976.00	2976.00	-	-	-
19		अरहर	9.96	9.96	9.96	-	-	-
20		उड़द	6.24	6.24	6.24	-	-	-
21		मूंग	6.30	6.30	6.30	-	-	-
22		मूंगफली	8.00	8.00	8.00	-	-	-
23		तिल	1.00	1.00	1.00	-	-	-
24		रागी	1.20	1.20	1.20	-	-	-
25		गेहूं	-	-	-	194.00	194.00	194.00
26	मालखरौदा	चना	-	-	-	61.80	61.80	61.80
27		मटर	-	-	-	8.00	8.00	8.00
28		उड़द	-	-	-	2.80	2.80	2.80
29		तिवड़ा	-	-	-	7.00	7.00	7.00
30		मसूर	-	-	-	4.00	4.00	4.00
31		मूंग	-	-	-	0.80	0.80	0.80
32		सरसों	-	-	-	11.84	11.84	11.84
33		मूंगफली	-	-	-	150.20	150.20	150.20
34		कुसुम	-	-	-	0.56	0.56	0.56
योग			**3008.70**	**3008.70**	**3008.70**	**441.00**	**441.00**	**441.00**

इकाई क्विंटल में

खरीफ 2025 (01 अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025)						रबी 2025–26 (01 अक्टूबर 2025 से 02 फरवरी 2026)		
क्र.	चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	बीज का नाम	बीज की मांग (क्विंटल)	भण्डारण (क्विंटल)	किसानों द्वारा उठाई मात्रा (वितरण) (क्विंटल)	बीज की मांग (क्विंटल)	भण्डारण (क्विंटल)	किसानों द्वारा उठाई मात्रा (वितरण) (क्विंटल)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		धान	8039.40	8039.40	8039.40	-	-	-
2		अरहर	3.04	3.04	3.04	-	-	-
3		गेहूं	-	-	-	143.60	143.60	143.60
4		चना	-	-	-	86.10	86.10	86.10
5		मटर	-	-	-	5.10	5.10	5.10
6		उड़द	-	-	-	30.24	30.24	30.24
7	डभरा	तिवड़ा	-	-	-	3.40	3.40	3.40
8		मसूर	-	-	-	6.24	6.24	6.24
9		मूंग	-	-	-	12.04	12.04	12.04
10		सरसों	-	-	-	8.00	8.00	8.00
11		मूंगफली	-	-	-	159.80	159.80	159.80
12		रागी	-	-	-	17.60	17.60	17.60
13		धान	3524.70	3524.70	3524.70	-	-	-
14		अरहर	3.04	3.04	3.04	-	-	-
15		गेहूं	-	-	-	114.00	114.00	114.00
16		चना	-	-	-	86.70	86.70	86.70
17		मटर	-	-	-	5.10	5.10	5.10

खरीफ 2025 (01 अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025)						रबी 2025–26 (01 अक्टूबर 2025 से 02 फरवरी 2026)		
क्र.	चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	बीज का नाम	बीज की मांग (क्विंटल)	भण्डारण (क्विंटल)	किसानों द्वारा उठाई मात्रा (वितरण) (क्विंटल)	बीज की मांग (क्विंटल)	भण्डारण (क्विंटल)	किसानों द्वारा उठाई मात्रा (वितरण) (क्विंटल)
18	मालखरौदा	उड़द	-	-	-	29.44	29.44	29.44
19		तिवड़ा	-	-	-	11.60	11.60	11.60
20		मसूर	-	-	-	6.24	6.24	6.24
21		मूंग	-	-	-	5.04	5.04	5.04
22		सरसों	-	-	-	6.00	6.00	6.00
23		मूंगफली	-	-	-	155.20	155.20	155.20
24		रागी	-	-	-	2.40	2.40	2.40

Digitally signed by
Amit Kumar Singh
Date: 13-03-2026
16:54:33

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

I)

प्रपत्र–स

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत खाद एवं बीज का प्रदाय

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	फसल का नाम	मात्रा (क्विंटल)	राशि (लाख रूपये)
1	2025–26	डभरा	मक्का	2.24	66304.00
		मालखरौदा	मक्का	2.24	66304.00

Digitally signed by
Amit Kumar Singh
Date: 13-03-2026
16:55:28

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–अ

पंडरिया विधानसभा में सम्मिलित विकासखंड की वर्षवार रासायनिक उर्वरक लक्ष्य, भंडारण एवं वितरण की जानकारी

इकाई–मे.टन

क्र.	वर्ष	विकासखंड	खरीफ मौसम (सह.+निजी)			रबी मौसम (सह.+निजी)		
			लक्ष्य	भंडारण	वितरण	लक्ष्य	भंडारण	वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वर्ष 2023–24	कवर्धा	19610.00	22742.00	21098.00	3235.00	6114.00	3474.00
		स.लोहारा	15020.00	18142.00	16735.00	3346.00	5500.00	2433.00
		पण्डरिया	14800.00	17342.00	15475.00	2885.00	6555.00	2402.00
	योग		**49430.00**	**58226.00**	**53308.00**	**9466.00**	**18169.00**	**8309.00**
2	वर्ष 2024–25	कवर्धा	19880.00	24049.00	22601.00	4750.00	8739.00	5180.00
		स.लोहारा	16300.00	18338.00	16855.00	4180.00	6106.00	3990.00
		पण्डरिया	16050.00	17902.00	16067.00	3340.00	6119.00	4129.00
	योग		**52230.00**	**60289.00**	**55523.00**	**12270.00**	**20964.00**	**13299.00**
3	वर्ष 2025–26 **(दिनांक 06.03.2026 तक)**	कवर्धा	21520.00	26218.00	24466.00	5640.00	4976.00	3457.00
		स.लोहारा	15320.00	19989.00	18349.00	4840.00	4399.00	2420.20
		पण्डरिया	17050.00	18908.00	16965.00	4370.00	3786.00	1810.20
	योग		**53890.00**	**65115.00**	**59780.00**	**14850.00**	**13161.00**	**7687.40**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
17:18:25

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

पंडरिया विधानसभा में सम्मिलित विकासखंड की वर्षवार प्रमाणित बीज मांग, भंडारण एवं वितरण की जानकारी

इकाई–क्विंटल में

क्र.	वर्ष	विकासखंड	खरीफ मौसम			रबी मौसम		
			मांग	भंडारण	वितरण	मांग	भंडारण	वितरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	वर्ष 2023–24	कवर्धा	2316.00	1479.00	1368.00	2090.00	1419.50	1419.50
		स.लोहारा	1657.30	2205.10	2078.86	1954.80	1915.00	1850.80
		पण्डरिया	1563.30	1111.30	950.50	570.80	382.40	382.40
	योग		**5536.60**	**4795.40**	**4397.36**	**4615.60**	**3716.90**	**3652.70**
2	वर्ष 2024–25	कवर्धा	1760.60	1470.60	1404.10	1178.90	1343.60	1321.70
		स.लोहारा	2212.80	2197.80	2054.50	1773.50	1493.70	1462.50
		पण्डरिया	812.50	1024.30	894.90	480.10	510.90	456.00
	योग		**4785.90**	**4692.70**	**4353.50**	**3432.50**	**3348.20**	**3240.20**
3	वर्ष 2025–26 **(दिनांक 06.03.2026 तक)**	कवर्धा	1360.10	1436.70	1387.20	1067.40	1120.10	941.30
		स.लोहारा	2193.90	2167.80	2106.90	1864.00	1113.30	748.20
		पण्डरिया	740.70	892.10	853.84	399.00	274.90	274.90
	योग		**4294.70**	**4496.60**	**4347.94**	**3330.40**	**2508.30**	**1964.40**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
17:19:19

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

[20 मार्च 2026

पारिशेष्ट - चौबीस
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 2881) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र.	छात्रावास/आश्रम	विकासखंड	रिक्त पद
1	2	3	4
1	छात्रावास	कवर्धा	7
	आश्रम		0
	योग :–		**7**
2	छात्रावास	बोड़ला	11
	आश्रम		3
	योग :–		**14**
3	छात्रावास	पंडरिया	13
	आश्रम		6
	योग :–		**19**
4	छात्रावास	स.लोहारा	4
	आश्रम		0
	योग :–		**4**
	छात्रावास	योगः–	35
	आश्रम		9
	कुल योग		**44**

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
कार्यालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र "ब"

क्र.	वर्ष	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	वितरित राशि (राशि रूपये में)	असफल विद्यार्थी
1	2023–24	1716	13723475.00	02
2	2024–25	1409	13845451.00	00

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
[illegible]लय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशिष्ट - पच्चीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 2888) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2023-24 से 20 फरवरी, 2026 तक औद्योगिक/ऊर्जा संयंत्रों द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों से अधिक उत्सर्जन पाए जाने पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्रमांक	उद्योग का नाम	चिमनी उत्सर्जन मापन दिनांक	की गई कार्यवाही
1	मेसर्स दीपक फैरो अलॉय उरला, रायपुर जिला - रायपुर	18/04/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 30/07/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
2	मेसर्स पी.डी. इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड, फेस-2, ग्राम- सिलतरा, जिला - रायपुर	16/04/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 30/07/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
3	मेसर्स भगवती पॉवर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड ग्राम- सिलतरा, जिला - रायपुर	16/04/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 30/07/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
4	मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम- सिलतरा, जिला - रायपुर	15/04/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 30/07/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
5	मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, फेस-1, ग्राम- सिलतरा, जिला - रायपुर	16/04/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 30/07/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
6	मेसर्स रश्मि स्पंज आयरन प्राईवेट लिमिटेड, 90, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	12/08/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 27/09/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
7	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, प्लॉट नं.-76 एण्ड 77, फेज-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर	12/08/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 27/09/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
8	मेसर्स देवी ऑयरन एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टांडा-मोंहदी, जिला-रायपुर	12/08/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 13/11/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
9	मेसर्स करणीकृपा पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-खैरझिटी, पटेवा, जिला - महासमुंद	12/08/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 23/09/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
10	मेसर्स क्रस्ट स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-जोरातराई, जिला-राजनांदगांव	12/04/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 21/05/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
		21/05/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 03/06/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
11	मेसर्स रायपुर पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला- दुर्ग	21/05/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 03/06/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।

12	मेसर्स टॉपवर्थ स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला-दुर्ग	21/05/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 03/06/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
13	मेसर्स भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, जिला-दुर्ग	28/05/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 03/06/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 90,000/- अधिरोपित की गई।
14	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट, दर्रामुड़ा, तहसील - खरसिया, जिला - रायगढ़	26/07/2023	उद्योग पर पत्र दिनांक 25/08/2023 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 2,10,000/- अधिरोपित की गई।
		18/01/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 04/02/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,50,000/- अधिरोपित की गई।
		28/11/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 28/11/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
15	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेमटेमा, जिला-रायगढ़	29/05/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 12/06/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
16	मेसर्स इंड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, तहसील व जिला-रायगढ़	06/02/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 14/03/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 5,10,000/- अधिरोपित की गई।
17	मेसर्स एन.आर.व्ही.एस स्टील्स लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	09/11/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 11/11/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
		06/01/2026	उद्योग पर पत्र दिनांक 07/01/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
		08/01/2026	उद्योग पर पत्र दिनांक 09/01/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
18	मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-चिराईपानी, ग्राम पंचायत लाखा, जिला-रायगढ़	19/10/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 21/10/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 20,000/- अधिरोपित की गई।
		19/11/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 19/11/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 20,000/- अधिरोपित की गई।
19	मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड पॉवर्स लिमिटेड, ग्राम-पूंजीपथरा, जिला-रायगढ़	19/11/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 19/11/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 20,000/- अधिरोपित की गई।
20	मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बड़े गुमदा, जिला-रायगढ़	09/11/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 11/11/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 20,000/- अधिरोपित की गई।
		08/01/2026	उद्योग पर पत्र दिनांक 26/02/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,60,000/- अधिरोपित की गई।
21	मेसर्स सिंघल इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	09/11/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 11/11/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।

22	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला रायगढ़	09/11/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 11/11/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
		06/01/2026	उद्योग पर पत्र दिनांक 07/01/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
		08/01/2026	उद्योग पर पत्र दिनांक 09/01/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
23	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ	19/10/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 04/11/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
		28/11/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 28/11/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
24	मेसर्स शिवशक्ति स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चक्रधरपुर, जिला-रायगढ़	16/01/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 20/01/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 20,000/- अधिरोपित की गई।
25	मेसर्स सालासार स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़	14/05/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 19/05/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
26	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, जिला-रायगढ़	23/01/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 10/02/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 3,60,000/- अधिरोपित की गई।
27	मेसर्स गडोदिया लाईम्स, ग्राम-गुड़ेली, तहसील - सारंगढ़, जिला – सारंगढ़ -बिलाइगढ़	01/05/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 07/05/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 7,500/- अधिरोपित की गई।
28	मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पावर पाइवेट लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़	30/01/2026	उद्योग पर पत्र दिनांक 30/01/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
29	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-जामगोंव, जिला-रायगढ़	21/08/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 27/09/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
30	मेसर्स कोरबा पॉवर लिमिटेड, 600 मेगावाट ताप विद्युत गृह, ग्राम-पताढ़ी, जिला-कोरबा	13/06/2024 एवं 10/07/2024	उद्योग को दिनांक 16/07/2024 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
		12/09/2024	उद्योग को दिनांक 04/10/2024 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
31	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, जिला-कोरबा	11/09/2024	उद्योग को दिनांक 04/10/2024 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
		21/11/2024	उद्योग को दिनांक 05/12/2024 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
		13/12/2024	उद्योग को दिनांक 08/01/2025 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।

		17/04/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 06/05/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
		23/12/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 13/01/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
		21/01/2026	उद्योग पर पत्र दिनांक 11/03/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
32	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर, कोरबा, जिला-कोरबा	19/11/2024	उद्योग को दिनांक 05/12/2024 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
33	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, 2600 मेगावॉट विद्युत संयंत्र, जमनीपाली, जिला- कोरबा	09/12/2024	उद्योग को दिनांक 08/01/2025 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
34	मेसर्स ए.सी.बी इंडिया लिमिटेड (2 x30 मेगावॉट) ग्राम चाकाबुड़ा, जिला - कोरबा	20/02/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 28/03/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 20,000/- अधिरोपित की गई।
35	मेसर्स सीपत सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट (एन.टी.पी.सी.) लिमिटेड, ग्राम-सीपत, जिला-बिलासपुर	25/09/2025	उद्योग पर पत्र दिनांक 15/10/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
36	मेसर्स कालिंदी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बेलपान, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर	28/06/2023	उद्योग को दिनांक 02/08/2023 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
37	मेसर्स सत्या पॉवर एंड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-गतौरी, जिला-बिलासपुर	23/05/2023	उद्योग को दिनांक 04/07/2023 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
		28/03/2024	उद्योग को दिनांक 12/04/2024 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
		18/06/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 29/10/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।
38	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ग्राम-मडवा, जिला- जांजगीर- चाम्पा	31/05/2023	उद्योग को दिनांक 04/07/2023 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
39	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चाम्पा, जिला- जांजगीर-चाम्पा	18/05/2023	उद्योग को दिनांक 04/07/2023 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
		21/07/2023	उद्योग को दिनांक 08/08/2023 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
		03/06/2024	उद्योग को दिनांक 16/07/2024 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही कर चिमनी उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया।
40	मेसर्स श्री श्याम वेयर हाउसिंग एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बनारी, नैला, जिला-जांजगीर- चाम्पा	31/07/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 29/10/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई।

41	मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेंट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- धुमा, जिला - बिलासपुर	24/06/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 30/07/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।
42	मेसर्स सीता एनर्जी पावर एंड स्टील लिमिटेड, ग्राम- रामबोड, पथरिया, जिला - मुंगेली	24/06/2024	उद्योग पर पत्र दिनांक 13/11/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 25,000/- अधिरोपित की गई।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - छब्बीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 2897) की जानकारी

प्रपत्र

स. क्र.	पंजीयन जिला	उपकर (Rs. In Crore)
1	Balod	4.40
2	Baloda Bazar	8.29
3	Balrampur	0.91
4	Bastar	4.56
5	Bemetara	8.85
6	Bilaspur	31.52
7	Dantewada	7.31
8	Dhamtari	7.10
9	Durg	40.88
10	Gariyaband	1.93
11	Janjgir-champa	10.59
12	Jashpur	1.09
13	Kabirdham	5.35
14	Kanker	1.79
15	Korba	3.58
16	Korea	1.74
17	Mahasamund	6.92
18	Mungeli	4.59
19	Raigarh	20.28
20	Raipur	115.94
21	Rajnandgaon	14.71
22	Surajpur	2.35
23	Surguja	4.25
	Total	**308.93**

परिशिष्ट - सत्ताईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 2909) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला बालोद में फसल बीमा की जानकारी

(राशि रू. में)

जिला	तहसील का नाम	मौसम	वर्ष	बीमित कृषक संख्या	कृषक प्रीमियम राशि	दावा भुगतान			लंबित होने का कारण
						पात्र कृषक संख्या	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु लंबित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बालोद	अर्जुण्दा	खरीफ	2023	12635	14623470	16	79433	0	0
बालोद	बालोद			9118	10238664	10	154932	0	0
बालोद	डौण्डी			13163	17954582	1755	24346970	0	0
बालोद	डौण्डीलोहारा			14698	18865926	1303	24829784	0	0
बालोद	गुण्डरदेही			20425	26179366	0	0	0	0
बालोद	गुरूर			24305	25674371	506	8478739	0	0
बालोद	मर्री बंगला देवरी			18864	23503273	246	269176	0	0
योग खरीफ				**113208**	**137039654**	**3836**	**58159033**	**0**	**0**
बालोद	अर्जुण्दा	रबी	2023	101	53055	85	1660268	0	0
बालोद	बालोद			717	368556	328	786579	0	0
बालोद	डौण्डी			79	26127	78	992192	0	0
बालोद	डौण्डीलोहारा			206	72553	62	1090997	0	0
बालोद	गुण्डरदेही			1351	674325	1095	6932227	0	0
बालोद	गुरूर			7183	4172716	789	9099298	0	0
बालोद	मर्री बंगला देवरी			160	109775	47	1692319	0	0
योग रबी				**9797**	**5477109**	**2484**	**22253879**	**0**	**0**
योग खरीफ एवं रबी 2023				**123005**	**142516763**	**6320**	**80412913**	**0**	**0**
बालोद	अर्जुण्दा	खरीफ	2024	13666	16142396	276	3994725	0	0
बालोद	बालोद			8244	9228474	208	1887307	0	0
बालोद	डौण्डी			13868	18640531	779	2944656	0	0
बालोद	डौण्डीलोहारा			15380	19993238	1121	42400949	0	0
बालोद	गुण्डरदेही			19212	25590121	0	0	0	0
बालोद	गुरूर			16526	21128530	149	2077202	0	0
बालोद	मर्री बंगला देवरी			19924	25593360	142	7600	0	0
योग खरीफ				**106820**	**136316650**	**2675**	**53312439**	**0**	**0**
बालोद	अर्जुण्दा	रबी	2024	312	236863	297	9103658	0	0
बालोद	बालोद			848	455469	455	6683934	0	0
बालोद	डौण्डी			153	70454	41	1162038	0	0
बालोद	डौण्डीलोहारा			925	621972	849	15336235	0	0
बालोद	गुण्डरदेही			1758	944985	529	4965464	0	0
बालोद	गुरूर			7434	4656469	1084	14682728	0	0
बालोद	मर्री बंगला देवरी			164	187886	162	5959631	0	0
योग रबी				**11594**	**7174099**	**3417**	**57893688**	**0**	**0**
योग खरीफ एवं रबी 2024				**118414**	**143490749**	**6092**	**111206128**	**0**	**0**
बालोद	अर्जुण्दा	खरीफ	2025	14183	16266380	दावा गणना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।			
बालोद	बालोद			12220	11143478				
बालोद	डौण्डी			13431	17940842				
बालोद	डौण्डीलोहारा			15514	19748300				
बालोद	गुण्डरदेही			21286	25566536				
बालोद	गुरूर			17348	20760414				
बालोद	मर्री बंगला देवरी			19884	25346842				
योग खरीफ				**113866**	**136772792**				
बालोद	अर्जुण्दा	रबी	2025	897	711482	फसल कटाई प्रयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।			
बालोद	बालोद			1571	1005364				
बालोद	डौण्डी			252	148942				
बालोद	डौण्डीलोहारा			1110	886964				
बालोद	गुण्डरदेही			1463	935505				
बालोद	गुरूर			4550	3131523				
बालोद	मर्री बंगला देवरी			859	710270				
योग रबी				**10702**	**7530050**				
योग खरीफ एवं रबी 2025				**124568**	**144302843**				
महायोग खरीफ एवं रबी				**365987**	**430310354**	**12412**	**191619040**	**0**	**0**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 12-03-2026 19:16:16

(विकास मिश्रा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बालोद जिले में कराए गए फसल बीमा के विरूद्ध भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि की जानकारी

जिला	तहसील	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या	कृषक प्रीमियम राशि	दावा भुगतान की जानकारी			लंबित होने का कारण
						पात्र कृषक संख्या	राशि	भुगतान हेतु लंबित राशि	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बालोद	अर्जुन्दा	2023	खरीफ	17	32025	16	36643	0	0
	बालोद	2023	खरीफ	85	96765	61	60506	0	0
	डौण्डी	2023	खरीफ	44	195221	35	321556	0	0
	डौ.लोहारा	2023	खरीफ	26	92269	26	140337	0	0
	गुण्डरदेही	2023	खरीफ	62	131773	58	250828	0	0
	गुरूर	2023	खरीफ	28	55943	4	14092	0	0
	मार्री बंगला देवरी	2023	खरीफ	36	110542	33	184823	0	0
				298	**714537**	**233**	**1008785**	**0**	**0**
बालोद	अर्जुन्दा	2023-24	रबी	61	25546	0	0	0	0
	बालोद	2023-24	रबी	114	98090	17	3109	0	0
	डौण्डी	2023-24	रबी	139	268872	13	9292	0	0
	डौ.लोहारा	2023-24	रबी	32	69732	8	3929	0	0
	गुण्डरदेही	2023-24	रबी	87	111202	19	2276	0	0
	गुरूर	2023-24	रबी	51	55192	0	0	0	0
	गुरूर	2023-24	रबी	12	8839	0	0	0	0
	मार्री बंगला देवरी	2023-24	रबी	37	64699	14	1866	0	0
				533	**702171**	**71**	**20471**	**0**	**0**
				831	**1416707**	**304**	**1029256**	**0**	**0**
बालोद	अर्जुन्दा	2024	खरीफ	26	65096	25	151767	0	0
बालोद	बालोद	2024	खरीफ	53	92454	52	338286	0	0
बालोद	डौण्डी	2024	खरीफ	117	390416	117	1273304	0	0
बालोद	डौ.लोहारा	2024	खरीफ	61	288738	61	921299	0	0
बालोद	गुण्डरदेही	2024	खरीफ	42	99345	42	315443	0	0
बालोद	गुरूर	2024	खरीफ	19	38090	19	104902	0	0
बालोद	मार्री बंगला देवरी	2024	खरीफ	90	253493	90	999598	0	0
				408	**1227630**	**406**	**4104599**	**0**	**0**
बालोद	अर्जुन्दा	2024-25	रबी	34	40315	15	1650	0	0
बालोद	बालोद	2024-25	रबी	73	105588	73	91015	0	0
बालोद	डौण्डी	2024-25	रबी	100	220804	38	21019	0	0
बालोद	डौ.लोहारा	2024-25	रबी	72	187017	71	130809	0	0
बालोद	गुण्डरदेही	2024-25	रबी	67	72450	34	44461	0	0
बालोद	गुरूर	2024-25	रबी	35	48915	35	33629	0	0
बालोद	मार्री बंगला देवरी	2024-25	रबी	73	160712	38	29251	0	0
				454	**835801**	**304**	**351833**	**0**	**0**
				862	**2063430**	**710**	**4456432**	**0**	**0**
बालोद	अर्जुन्दा	2025	खरीफ	20	77788	फसल जोखिम अवधि समाप्त नहीं हुई है।			
बालोद	बालोद	2025	खरीफ	77	80987				
बालोद	डौण्डी	2025	खरीफ	116	247204				
बालोद	डौ.लोहारा	2025	खरीफ	65	231296				
बालोद	गुण्डरदेही	2025	खरीफ	46	107284				
बालोद	गुरूर	2025	खरीफ	23	52255				
बालोद	मार्री बंगला देवरी	2025	खरीफ	92	199223				
				439	**996037**				
बालोद	अर्जुन्दा	2025-26	रबी	51	83516	फसल बीमा कार्य प्रगतिरत			
बालोद	बालोद	2025-26	रबी	35	20603				
बालोद	डौण्डी	2025-26	रबी	130	221195				
बालोद	डौ.लोहारा	2025-26	रबी	164	241983				
बालोद	गुण्डरदेही	2025-26	रबी	51	51989				
बालोद	गुरूर	2025-26	रबी	23	21392				
बालोद	मार्री बंगला देवरी	2025-26	रबी	125	152914				
				579	**793592**				
				1018	**1789629**				

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
19:17:04

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की जानकारी

जिला	मौसम	फसल	बीमांकित राशि (प्रति हे.) 2023-24	बीमांकित राशि (प्रति हे.) 2024-25	बीमांकित राशि (प्रति हे.) 2025-26
1	2	3	4	5	6
बालोद	खरीफ	उड़द	25000	25000	25000
बालोद	खरीफ	मूंग	25000	25000	25000
बालोद	खरीफ	मूंगफली	40000	42000	42000
बालोद	खरीफ	कोदों	15000	16000	18000
बालोद	खरीफ	कुटकी	16000	17000	19000
बालोद	खरीफ	मक्का	47000	47000	51000
बालोद	खरीफ	धान सिंचित	58000	60000	60000
बालोद	खरीफ	धान असिंचित	44000	45000	45000
बालोद	खरीफ	तुअर(अरहर)	36000	38000	41000
बालोद	खरीफ	रागी	11000	15000	17000
बालोद	खरीफ	सोयाबीन	45000	45000	49000
बालोद	रबी	चना	39000	40000	42000
बालोद	रबी	अलसी	16000	17000	17000
बालोद	रबी	राई - सरसों	23000	25000	28000
बालोद	रबी	गेंहू - सिंचित	35000	35000	38000
बालोद	रबी	गेंहू - असिंचित	23000	25000	25000
बालोद	खरीफ	उड़द	30175	31825	34175

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
19:1[illegible]

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–द

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की जानकारी

(राशि रू. मे)

जिला	मौसम	फसल का नाम	बीमित राशि (प्रति हे.) 2023–24	बीमित राशि (प्रति हे.) 2024–25	बीमित राशि (प्रति हे.) 2025–26
1	2	3	4	5	6
बालोद	खरीफ	टमाटर	120000	120000	120000
		बैंगन	77000	77000	77000
		अमरूद	45000	45000	45000
		पपीता	125000	125000	125000
		केला	165000	165000	165000
		मिर्च	90000	90000	90000
		अदरक	150000	150000	150000
	रबी	टमाटर	120000	120000	120000
		बैंगन	77000	77000	77000
		पत्तागोभी	70000	70000	70000
		फूलगोभी	70000	70000	70000
		प्याज	80000	80000	80000
		आलू	120000	120000	120000

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
19:18:5[illegible]

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-अ

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 2917) की जानकारी

मिनीमाता (हसदेव बांगो) जलाशय के आस-पास गठित पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति एवं सदस्यों की जानकारी

क्र.	सहकारी समिति का नाम	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन दिनांक	सदस्य संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	मिनीमाता मछुआ सहकारी समिति	गढ़उपरोड़ा (कुमानभाठा)	कोरबा	151	31.01.2012	25
2	जय चंदेईपाठ आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित	सतरेंगा	कोरबा	163	11.03.2013	35
3	मां कोसगाई मछुआ सहकारी समिति मर्यादित	रापा गढउपरोड़ा	कोरबा	155	26.04.2012	45
4	जय कनकन पाठ आदिवासी मछुआ सह. समिति मर्यादित	बहेरा (केरीझरिया)	कोरबा	164	11.03.2013	40
5	विस्थापित आदिवासी मछुआ सहकारी समिति	बोड़ानाला	पोडी उपरोडा	3473	31.03.1992	40
6	विस्थापित आदिवासी मछुआ सहकारी समिति	केन्दई	पोडी उपरोडा	3216	28.05.1988	50
7	मछुआ सहकारी समिति	सरभोका	पोडी उपरोडा	3472	31.03.1992	44
8	विस्थापित आदिवासी मछुआ सहकारी समिति	एतमानगर	पोडीउपरोड़ा	3506	07.06.1993	35
9	दाई आदिवासी मछुआ सहकारी समिति	कोरबी	पोडीउपरोड़ा	3533	19.07.1994	32
10	मछुआ सहकारी समिति	रिंगनिया	पोडीउपरोड़ा	39	25.03.2003	30
11	गोल्डन आईलैंण्ड मछुआ सहकारी समिति मर्यादित	टिहलीसरई	पोडीउपरोड़ा	338	19.05.2023	11
12	जय बुढी मां कोरवा मछुवारा सहकारी समिति मर्यादित	लालपुर	पोडीउपरोड़ा	342	27.12.2023	16
13	जय हिरामण छत्री मछुआ सहकारी समिति मर्यादित	टिहलीसरई (ठुठीपीपर)	पोडीउपरोड़ा	340	09.10.2023	11

क्र.	सहकारी समिति का नाम	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन दिनांक	सदस्य संख्या
1	2	3	4	5	6	7
14	जय ठाकुरदेव मछुआ सहकारी समिति मर्यादित	भुलसीडीह	पोडीउपरोड़ा	343	26.02.2023	60
15	नारी शक्ति मछुआ समिति मर्यादित	बुका (मड़ई)	पोडीउपरोड़ा	346	11.09.2024	42
16	विस्थापित आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित	लेपरा (नवापारा)	पोडीउपरोड़ा	3209	24.08.1987	35
17	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित	नवघटा	पोडीउपरोड़ा	3493	01.10.1992	30
18	विस्थापित आदिवासी मछुआ सहकारी समिति	बगबुड़ा	पोडीउपरोड़ा	3505	07.06.1993	33
19	जय मिनीमाता मछुआ सहकारी समिति मर्यादित	सरपता	पोडीउपरोड़ा	316	06.07.2021	38
20	जय टिकारीपाठ मछुआ सहकारी समिति	छातापखना	पोड़ीउपरोड़ा	320	27.09.2021	47
21	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित	लालपुर (माचाडोली)	पोडीउपरोड़ा	373	02.09.2025	32
22	जागृति मछुआ सहकारी समिति मर्यादित	भुलसीडीह	पोडीउपरोड़ा	201	29.06.2016	11
23	आदिवासी विस्थापित मछुआ सहकारी समिति	घोंसरा	पोडीउपरोड़ा	3503	07.06.1993	50
योग						**792**

सही/-अस्पष्ट
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.,
रायपुर (छ.ग.)

सही/-अस्पष्ट
सहा. संचालक मछलीपालन
जिला-कोरबा (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

मिनीमाता (हसदेव बांगो) जलाशय में स्थापित एवं आबंटित केज की जानकारी

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	केज संख्या	केज स्थल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	श्री नान्ही सिंह	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	समिति के सदस्य
2	श्री समारू राम	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
3	श्री सुखसाय	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
4	श्री सोहन लाल	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
5	श्री करम सिंह	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
6	श्रीमती समारो बाई	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
7	श्री चमरा सिंह	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
8	श्री चरन सिंह	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
9	श्री भगतराम	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
10	श्री ताज मोहम्मद	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
11	श्रीमती दिलकुंवर	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
12	श्री चैन सिंह	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
13	श्री छतराम	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
14	श्री विपतराम	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
15	श्रीमती बसंता बाई	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
16	श्री दिलीप	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
17	श्री जयपाल	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
18	श्री बुधवार साय	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
19	श्री चमरा साय	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
20	श्री रामलखन	ग्राम-सतरेंगा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	सतरेंगा	
21	श्री विष्णु कुमार	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
22	श्री जगतराम	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
23	श्री मनीराम	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
24	श्री शिव	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
25	श्री हरीप्रसाद	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
26	श्री शिशुपाल	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
27	श्री बलदेव सिंह	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
28	श्री सेवक सिंह	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
29	श्री होरी लाल	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	केज संख्या	केज स्थल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
30	श्री हरीयर सिंह	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
31	श्री मालिकराम	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
32	श्री समयलाल	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
33	श्री संतोष कुमार	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
34	श्री विजय कुमार	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
35	श्री कृपाल सिंह	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
36	श्री समारू सिंह	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
37	श्री दिनेश कुमार	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
38	श्री तेज सिंह	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
39	श्री बाबूलाल	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
40	श्री हरीराम	ग्राम-गढउपरोडा, वि.खं. व जिला-कोरबा	5	गढउपरोडा	
41	श्री अनिल कुमार	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
42	श्री अमर सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
43	श्री रामायण सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
44	श्री मन सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
45	श्री हरिलाल	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	समिति के सदस्य
46	श्री रामलाल	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
47	श्री भरतलाल	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
48	श्री रामरतन	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
49	श्री हीरा सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
50	श्री बसंत कुमार	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
51	श्री राजकुमार	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
52	श्री लखनलाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
53	श्री रमेशर	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
54	श्री प्यारेलाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
55	श्री इन्द्रपाल सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
56	श्री मोहन सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
57	श्री नंदलाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
58	श्री त्रिभुवन सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
59	श्री गोपाल सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
60	श्री उमेंद सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
61	श्री रामचरण	ग्राम-कोरबी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	केज संख्या	केज स्थल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
62	श्री दीपकराम	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
63	श्रीमती मानमती	ग्राम-बुका (मडई), वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
64	श्रीमती सुमारिन	ग्राम-बुका (मडई), वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
65	श्री वीर प्रताप	ग्राम-कोरबी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
66	श्रीमती बुंदकुंवर	ग्राम-कोरबी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
67	श्रीमती देवमती	ग्राम-बुका (मडई), वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
68	श्री लोचन	ग्राम-कोरबी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
69	श्रीमती सरोज बाई	ग्राम-बुका (मडई), वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
70	श्रीमती रजनी बाई	ग्राम-बुका (मडई), वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
71	श्री सुदन	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
72	श्री हंसलाल	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
73	श्री छनदन	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
74	श्री बुधराम	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
75	श्री रामसिंह	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
76	श्री सहसराम	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
77	श्री लोहन	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	समिति के सदस्य
78	श्री सजनसाय	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
79	श्रीमती बंसती	ग्राम-बुका (मडई), वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
80	श्री कालाराम	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
81	श्री रामचरण	ग्राम-भुलसीडीह, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
82	श्री हीरासाय	ग्राम-भुलसीडीह, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
83	श्री रामलाल	ग्राम-भुलसीडीह, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
84	श्री दिलीपकुमार	ग्राम-भुलसीडीह, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
85	श्री बैगाराम	ग्राम-भुलसीडीह, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
86	श्री अमेलाल	ग्राम-भुलसीडीह, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
87	श्रीमती रमिला बाई	ग्राम-भुलसीडीह, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
88	श्री गेंदलाल	ग्राम-भुलसीडीह, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
89	श्री दुकालूराम	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
90	श्री जयसिंह	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
91	श्री संतराम	ग्राम-पोडीखुर्द, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
92	श्री संतराम	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
93	श्री चंदन राम	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	केज संख्या	केज स्थल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
94	श्री छतलाल	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
95	श्री रतनलाल	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
96	श्री इदल साय	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
97	श्री संतलाल	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
98	श्री बंधनसाय	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
99	श्री मदल लाल	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
100	श्री तीजराम	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
101	श्री सुकदेव	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
102	श्री रामनाथ	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
103	श्री मोहितराम	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
104	श्री प्रताप सिंह	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
105	श्री बालेश्वर	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
106	श्री दयाल साय	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
107	श्री मंगलूराम	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
108	श्री हृदयलाल	ग्राम-लेपराबसाहट, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
109	श्री समय लाल	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	समिति के सदस्य
110	श्री बुधलाल	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
111	श्री झंगल दास	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
112	श्री बुधराम	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
113	श्री पंचराम	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
114	श्री धरमलाल	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
115	श्री लक्ष्मण	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
116	श्री बधन	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
117	श्री सुकलाल	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
118	श्री नवल साय	ग्राम-केन्दई, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
119	श्री सुखसाय	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
120	श्री रनसिंह	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
121	श्री सुनाराम	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
122	श्री अनुरूप	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
123	श्री बंधनसाय	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
124	श्री हीरासाय	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
125	श्री बनवारी	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	केज संख्या	केज स्थल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
126	श्री सुकनाथ	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
127	श्री पंचराम	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
128	श्री दुकालूराम	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
129	श्री रामप्रसाद	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
130	श्री समारू	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
131	श्री लगनसाय	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
132	श्री शिशपाल	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
133	श्री गोटीराम	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
134	श्री शंकर लाल	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
135	श्री विश्वनाथ	ग्राम-कोरबी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
136	श्री अंजोरसाय	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
137	श्री समेलाल	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
138	श्री गणपत	ग्राम-बोडानाला, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
139	श्री बिसंभर	ग्राम-पोडीखुर्द, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
140	श्रीमती कदम बाई	ग्राम-पोडीखुर्द, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
141	श्रीमती कुंती बाई	ग्राम-पोडीखुर्द, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	समिति के सदस्य
142	श्रीमती कयासो बाई	ग्राम-पोडीखुर्द, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
143	श्री चंद्रप्रताप	ग्राम-पोडीखुर्द, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
144	श्री भेयालाल	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
145	श्री सुमेर सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
146	श्री गजाधर	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
147	श्री कृपा सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
148	श्री जयनंदन	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
149	श्री निर्मल सिंह	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
150	श्री कृष्ण कुमार	ग्राम-रिंगनिया, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
151	श्री बैसाखूराम	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
152	श्री दुकालूराम	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
153	श्री राजेन्द्र लाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
154	श्री सीताराम	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
155	श्री जगतराम	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
156	श्री पवन साय	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
157	श्री रामविलास	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	केज संख्या	केज स्थल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
158	श्री सुमेश कुमार	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
159	श्री बृजलाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
160	श्री देवनाथ	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
161	श्री बुधवार	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
162	श्री शनिराम	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
163	श्री अघनी बाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
164	श्री श्यामलाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
165	श्री चांद सिंह	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
166	श्रीमती उर्मिला बाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
167	श्री सुनील कुमार	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
168	श्रीमती गेंदली बाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
169	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
170	श्रीमती परमिला	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
171	श्रीमती चीता बाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
172	श्री मंगलसाय	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
173	श्री सुकलाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	समिति के सदस्य
174	श्रीमती रामबाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
175	श्रीमती मंजनी बाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
176	श्री राम	ग्राम-कोरबी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
177	श्रीमती जमुना बाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
178	श्रीमती हठारिन बाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
179	श्रीमती श्याम बाई	ग्राम-कोरबी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
180	श्री दिलबंधु	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
181	श्री दिलीप सिंह	ग्राम-कोरबी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
182	श्री समेलाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
183	श्रीमती बराती बाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
184	श्री पंचराम	ग्राम-पोडीखुर्द, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
185	श्री कुंवार साय	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
186	श्री भगतराम	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
187	श्रीमती कविता	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
188	श्रीमती श्याम बाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
189	श्री टिकैतराम	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	केज संख्या	केज स्थल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
190	श्री ईश्वर लाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	समिति के सदस्य
191	श्रीमती उर्मिला बाई	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
192	श्री चंदन साय	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
193	श्री निर्मल सिंह	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
194	श्री गणेश	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
195	श्री पंचराम	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
196	श्री कवल साय	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
197	श्री गणपत	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
198	श्री मंगल साय	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
199	श्री सुन्दरलाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
200	श्री ईश्वर लाल	ग्राम-छातापखना, वि.खं.-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	5	सरभोका (निमउकछार)	
201	श्री नावेद मिर्जा	तालापारा, बिलासपुर (छ.ग.)	3	बुका	व्यक्तिगत
202	श्रीमती समा अंजुम	तालापारा, बिलासपुर (छ.ग.)	3	बुका	
203	श्री मिर्जा जुनेद बैग	तालापारा, बिलासपुर (छ.ग.)	3	बुका	
204	श्रीमती आरिफा खान	तालापारा, बिलासपुर (छ.ग.)	3	बुका	
205	स्टार सप्लायर्स	तालापारा, बिलासपुर (छ.ग.)	12	बुका	
206	श्रीमती आरती रामटेके	ग्राम-केरवाद्वारी, वि.खं-करतला, जिला-कोरबा	18	एतमानगर	
207	प्रज्ञा वासनिकर	ग्राम-केरवाद्वारी, वि.खं-करतला, जिला-कोरबा	18	एतमानगर	
208	श्री सेमसिंह	ग्राम-केरवाद्वारी, वि.खं-करतला, जिला-कोरबा	18	एतमानगर	
209	सुश्री साक्षी रामटेके	ग्राम-केरवाद्वारी, वि.खं-करतला, जिला-कोरबा	18	एतमानगर	
210	श्री दिनेश गुप्ता	मंगला बिलासपुर	4	बुका	
211	श्री नरेन्द्र राजपूत	ग्राम-पथरिया, जिला-मुंगेली	4	बुका	
212	श्री किशननाथ महंत	ग्राम-कुदमुरा, वि.खं. व जिला-कोरबा	4	बुका	
213	श्री मोहम्मद खलील	ग्राम-पसरखेत, वि.खं. व जिला-कोरबा	4	बुका	
214	श्रीमती मीना रानी	दयालबंध, जिला-बिलासपुर	9	बुका	
215	श्री मनोज सिंह	मसानगंज, जिला-बिलासपुर	9	बुका	
216	श्री सिद्धार्थ दत्त	टिकरापारा, जिला-बिलासपुर	9	बुका	
217	श्रीमती आकांक्षा दत्त	दयालबंध, जिला-बिलासपुर	9	बुका	
218	श्रीमती लीलावती	ग्राम-जजगी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	18	बोड़ानाला	
219	श्रीमती मनीषा आर्मो	ग्राम-जजगी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	18	बोड़ानाला	
220	श्री राजकुमार आर्मो	ग्राम-बंजारी, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	18	बोड़ानाला	
221	श्रीमती शबा परवीन	ग्राम-एतमानगर, वि.खं-पोडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा	18	बोड़ानाला	

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	केज संख्या	केज स्थल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
222	श्रीमती सालु परवीन	वार्ड क्रं-04 देवांगनपारा, वि.खं. व जिला-कोरबा	18	बोड़ानाला	व्यक्तिगत
223	श्रीमती उषा वर्मा	एल.आई.जी.-52 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वि.खं-कटघोरा, जिला-कोरबा	18	बोड़ानाला	
224	श्रीमती स्वाती वर्मा	एल.आई.जी.-58 दीनदयाल आवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वि.खं-कटघोरा, जिला-कोरबा	18	बोड़ानाला	
225	श्रीमती संतोषवती	मोहन कॉलोनी हल्दीबाडी, चिरमिरी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	18	बोड़ानाला	
226	श्रीमती रौशन आरा	मोमिनपुरा, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	3	बुका	
227	श्रीमती रानी अहमद	तालापारा, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	3	बुका	
228	नाजिया याशमीन खान	वार्ड क्र.-07 नवापारा, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	3	बुका	
229	श्रीमती निकहत शमीम	मोमिनपुरा, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	3	बुका	
230	कु. शकुन्तला दुबे	ग्राम-सतपता, विश्रामपुर, जिला-सूरजपुर	3	बुका	
231	श्रीमती हीना परवीन	मोमिनपुरा, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	3	बुका	
232	श्रीमती रूबीना परवीन	मोमिनपुरा, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	3	बुका	
233	श्रीमती रिजवाना परवीन	वार्ड नं- 40 अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	3	बुका	
234	सुश्री शिखा अग्रवाल	जिंदल मेडिकल स्टोर्स तपकरा, जिला-जशपुर	19	बोड़ानाला	
235	श्री भुनेश्वर सिंह राज	पुरानी बस्ती, रानी रोड़ कोरबा, जिला-कोरबा	19	बोड़ानाला	
236	श्रीमती बीना केशर	राजस्व निरीक्षक के पीछे कोरबा, जिला-कोरबा	19	बोड़ानाला	
237	श्री विमल कुमार ध्रुव	वार्ड नं-15 छुरा, जिला-गरियाबंद	19	बोड़ानाला	
238	श्री जिवराखन लाल नेताम	वार्ड नं-03 छुरा, जिला-गरियाबंद	19	बोड़ानाला	
239	श्री दशरथ राम भगत	शांति नगर कांसाबेल, जिला-जशपुर	19	बोड़ानाला	
240	श्री ओमप्रकाश बघेल	वार्ड नं-07 छुरा, जिला-गरियाबंद	19	बोड़ानाला	
241	श्री ताराचंद नेताम	वार्ड नं-13 साल्हेभाठा मैनपुर, जिला-गरियाबंद	19	बोड़ानाला	
242	श्री तेजप्रकाश	रावनसिंधी परसुली, जिला-रायपुर	19	बोड़ानाला	
243	सुश्री शिखा पटेल	ए-11 कृष्णा वैली विजयपुर, जिला-रायगढ़	19	बोड़ानाला	
244	श्रीमती शिवपति निराला	सुंदर नगर, सीतापुर, जिला-सरगुजा	19	बोड़ानाला	
योग			1525		

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-कोरबा (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र

सरगुजा जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलग्रहण क्षेत्र विकास घटक 2.0 योजनांतर्गत स्वीकृत अर्दन डेम, चेकडेम, स्टापडैम की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	परियोजना क्र.	विकासखंड	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	शेष राशि	कार्य की निर्माण एजेंसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2023-24	1	उदयपुर	खोडरी	स्टाप डेम	18.70	18.70	0.00	जलग्रहण समिति डुमरडीह
2		2	लखनपुर	निरंक					
3	2024-25	1	उदयपुर	निरंक					
4		2	लखनपुर	तुरगा	चेक डेम	14.88	14.88	0.00	जलग्रहण समिति तुरगा
5				चोडेया	स्टाप डेम	14.97	14.97	0.00	जलग्रहण समिति कुन्नी
6	2025-26	1	उदयपुर	केशगवां	स्टाप डेम	19.31	8.10	11.21	जलग्रहण समिति सोनतराई
7		2	लखनपुर	सकरिया	चेक डेम	14.60	3.66	10.94	जलग्रहण समिति सकरिया
8				चोडेया	अर्दन डेम	11.45	11.24	0.21	जलग्रहण समिति कुन्नी
9				चोडेया	अर्दन डेम	7.11	7.11	0.00	जलग्रहण समिति कुन्नी
10				चोडेया	अर्दन डेम	12.46	3.95	8.51	जलग्रहण समिति कुन्नी
11				सकरिया	चेक डेम	14.60	3.66	10.94	जलग्रहण समिति सकरिया
					योग	**128.08**	**86.28**	**41.80**	

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
15:08:44

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र

वर्ष 2023–24 से 10 फरवरी 2026 तक अमानक उर्वरक के विक्रय/भंडारण संबंधित शिकायत की जानकारी

क्र.	वर्ष	जिला का नाम	विकासखंड	कंपनी का नाम	व्यापारी का नाम	शिकायत विवरण	शिकायत के विरूद्ध कार्यवाही
1	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	–	श्री सुजीत धूत एवं श्रीमती श्रुती त्रिवेद्वी	श्री मनीष राठी, वार्ड नम्बर–03, खैरागढ़ रोड, डोंगरगढ़, विकासखंड–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव में स्थित मकान में नकली उर्वरक निर्माण संबंधी सूचना प्राप्त होने पर कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया।	जप्ती एवं सुपुर्दगी की कार्यवाही कर संबंधित के विरूद्ध पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया, जो वर्तमान में मान. न्यायालय में विचारधीन है
2	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025		निरंक				
3	1 अप्रैल 2025 से 10 फरवरी 2026						

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
19:28:00

(विकास **मिश्रा)**
उप स**चिव**
छत्तीसगढ़ **शासन**
कृषि विकास एवं **किसान कल्याण**
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशिष्ट - इकतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 2153) की जानकारी

प्रपत्र

कृषि विज्ञान केन्द्रवार कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की संख्या

क्र.	केव्हीके. कानाम	कार्यरत अधिकारी की संख्या	कर्मचारी की संख्या	कुल
01	अंबिकापुर	06	03	09
02	बलोद	07	02	09
03	बलरामपुर	05	03	08
04	बेमेतरा	06	02	08
05	भाटापारा	06	02	08
06	बीजापुर	06	02	08
07	बिलासपुर	06	03	09
08	दंतेवाड़ा	05	01	06
09	धमतरी	07	03	10
10	दुर्ग	07	02	09
11	गरियाबंद	07	03	10
12	जगदलपुर	07	03	10
13	जॉजगीर	06	01	07
14	जशपुर	06	01	07
15	कांकेर	06	04	10
16	कोरबा	07	02	05
17	कबीरधाम (कवर्धा)	05	02	07
18	कोण्डागॉव	05	01	06
19	कोरिया	04	02	06
20	महासमुंद	07	03	10
21	मैनपाट	04	01	05
22	मुंगेली	06	01	07
23	नारायणपुर	06	01	07
24	रायगढ	06	02	08
25	रायपुर	07	01	08
26	राजनांदगॉव	07	03	10
27	सुकमा	05	02	07
	कुल	**162**	**56**	**218**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
19:08:40 **(विकास मिश्रा)**
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - बत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2225) की जानकारी

धर्मस्व विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र	वर्ष	विकासखंड का नाम	विषय	प्राप्त राशि	एजेंसी	प्रगति रिपोर्ट		टिप्पणी
						पूर्ण	अपूर्ण	
1	2		3	4	5	9	10	11
1	2023-24	धमतरी	ग्राम सिवनी खुर्द में तालाब पार में शीतला मंदिर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य	5.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
2	2023-24		ग्राम सबलपुर वार्ड क 4 में शीतला मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य	5.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
3	2023-24		ग्राम छोटी वार्ड क 11 में शीतला मंदिर का जीर्णोद्धार	5.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
4	2023-24		ग्राम पुरी वार्ड क 16 में शीतला मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यपुरी	5.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
5	2023-24		ग्राम मोचली में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य	5.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
6	2023-24		ग्राम कोड़ेगाव में शीतला मंदिर के पास धर्मशाला निर्माण	4.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
7	2023-24		ग्राम सोरम में शीतला मंदिर बेलतरा (सोरम के पास धर्मशाला निर्माण	4.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
8	2023-24		ग्राम पुरी शीतला मंदिर कांगीपुर के पास धर्मशाला निर्माण	4.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
9	2023-24		ग्राम ढौमरटिकुर के पास धर्मशाला निर्माण	5.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
10	2023-24		ग्राम मुजगहन के पास धर्मशाला निर्माण	4.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
11	2023-24		महात्मा गांधी वार्ड धमतरी वार्ड क 20 के पास धर्मशाला निर्माण	5.00	कार्य.अभि.ग्रा.या.से.स धमतरी	पूर्ण		
12	2023-24		ग्राम पंचायत कण्डेल में कुलेश्वर तालाब के शंकर मंदिर जीर्णोद्धार	4.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी	पूर्ण		
13	2023-24		ग्राम देवपुर में कबीर मंदिर जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्य	5.00	मु.का.अधि.जन पंचा धमतरी		प्रगतिरत	वर्तमान में कार्य चल रहा चुका है मुख्यकक्ष बाकी है

14	2023–24	कुरूद	कुरूद मे राधाकृष्ण मदिर (प्राचीन) भाग – 1 के जीर्णोद्धार कार्य हेतु	5.00	कार्य अभि ग्रा गा से स धमतरी	पूर्ण		
15	2023–24	कुरूद	कुरूद मे राधाकृष्ण मदिर (प्राचीन) भाग – 2 के जीर्णोद्धार कार्य हेतु	5.00		पूर्ण		
16	2023–24		कुरूद मे राधाकृष्ण मदिर (प्राचीन) भाग – 3 के जीर्णोद्धार कार्य हेतु	5.00		पूर्ण		
17	2023–24		कुरूद मे राधाकृष्ण मदिर (प्राचीन) भाग – 4 के जीर्णोद्धार कार्य हेतु	5.00		पूर्ण		
18	2023–24		ग्राम पचायत मडेली मे राधा कृष्ण मदिर जीर्णोद्धार कार्य	3.49	मु का अधि जन पंचा कुरूद	पूर्ण		
19	2023–24		ग्राम भैसबोड मे शीतला मदिर जीर्णोद्धार कार्य	5.00	मु का अधि जन पचा कुरूद	पूर्ण		
			योग	88.49				

Digitally signed by
ABINASH MISHRA
Date: 07-03-2026
19:40:01

परिशिष्ट - तैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 2263) की जानकारी

प्रपत्र-

(राशि करोड़ में)

क्र.	विभाग का नाम	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (28 फरवरी की स्थिति में)
1	सामान्य प्रशासन विभाग	30.91	40.48
2	गृह विभाग	861.38	629.96
3	जेल विभाग	0.89	0.56
4	वित्त विभाग	0.24	0.35
5	वाणिज्यिक कर विभाग	30.69	11.26
6	धार्मिक न्यास ओर धर्मस्व विभाग	0.46	0.65
7	राजस्व विभाग	3.08	110.80
8	परिवहन विभाग	10.64	8.77
9	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	5.10	43.08
10	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	12.11	17.17
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	412.26	90.54
12	खनिज साधन विभाग	1.30	60.31
13	ऊर्जा विभाग	629.94	290.64
14	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथ	86.99	47.37
15	सहकारिता विभाग	18.64	0.00
16	श्रम विभाग	0.84	0.00
17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि	216.61	289.70
18	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	1319.54	1528.94
19	लोक निर्माण विभाग	5858.27	2393.91
20	स्कूल शिक्षा विभाग	95.88	32.50
21	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	4.20	6.27
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1078.08	994.59
23	योजना,आर्थिक एवं सांयिकी विभाग	353.25	235.22
24	जन संपर्क विभाग	0.89	0.00
25	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति	510.62	214.33
26	समाज कल्याण विभाग	5.95	3.10
27	पुनर्वास विभाग	0.00	0.00
28	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपोϵत	1.02	0.38
29	संस्कृति विभाग	0.31	0.68
30	जल संसाधन विभाग	2005.37	1418.66
31	आवास और पर्यावरण विभाग	2323.22	516.02
32	पर्यटन विभाग	125.88	65.50
33	लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी	3275.35	615.88
34	पशुपालन विभाग	11.35	4.74
35	मछली पालन विभाग	1.77	2.93
36	उच्च शिक्षा विभाग	4.86	9.27
37	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	42.42	0.80
38	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एव	49.26	6.27
39	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक	9.56	36.14
40	विमानन विभाग	37.29	93.72
41	संसदीय कार्य विभाग	0.99	0.63
42	महिला एवं बाल विकास विभाग	57.12	13.03
43	ग्रामोद्योग विभाग	100.73	3.07
44	चिकित्सा शिक्षा विभाग	459.36	316.06
45	सुशासन एवं अभिसरण विभाग	0.00	0.00

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र

बोर खनन, पंप प्रतिस्थापन, सिंचाई पंप वितरण एवं अनुदान राशि की वर्षवार, योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी

राशि रू. लाख में

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	घटक	वर्ग एवं प्रावधानित अनुदान	विकासखंडवार विवरण							
					चारामा		भानुप्रतापपुर		दुर्गूकोंदल		योग	
					संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
1	2022–23	किसान समृद्धि योजना	बोर खनन	सामान्य–रू. 10000	1	0.10	0	0.00	0	0.00	**1**	**0.10**
				अ.पि.वर्ग–रू. 15000	15	2.25	0	0.00	1	0.15	**16**	**2.40**
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 18000	30	5.40	1	0.18	7	1.26	**38**	**6.84**
			पंप प्रतिस्थापन	सामान्य–रू. 15000	1	0.15	0	0.00	0	0	**1**	**0.15**
				अ.पि.वर्ग–रू. 20000	15	3.00	0	0.00	1	0.20	**16**	**3.20**
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 25000	29	7.24	1	0.25	5	1.25	**35**	**8.74**
		रा.कृ.वि.यो. (उथला नलकूप)	बोर खनन	समस्त वर्ग–रू. 5000	81	4.05	0	0.00	0	0.00	**81**	**4.05**
			पंप प्रतिस्थापन	समस्त वर्ग–रू. 15000	81	12.15	0	0.00	0	0.00	**81**	**12.15**
		शाकम्भरी	सिंचाई पंप वितरण	लागत का अधिकतम 75 % अथवा हार्स पावॅर अनुसार निर्धारित अधिकतम राशि	0	0.00	4	0.35	41	3.67	**45**	**4.02**
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलग्रहण विकास घटक 2.0	सिंचाई पंप वितरण	समस्त वर्ग के कृषकों को शत्–प्रतिशत अनुदान	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–तिलहन	सिंचाई पंप वितरण	समस्त वर्ग के कृषकों को रू. 10000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
		योग			**253**	**34.34**	**6**	**0.781**	**55**	**6.53**	**314**	**41.65**
2	2023–24	किसान समृद्धि योजना	बोर खनन	सामान्य–रू. 10000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
				अ.पि.वर्ग–रू. 15000	16	2.40	2	0.30	0	0.00	**18**	**2.70**
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 18000	25	4.50	2	0.36	0	0.00	**27**	**4.86**
			पंप प्रतिस्थापन	सामान्य–रू. 15000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
				अ.पि.वर्ग–रू. 20000	16	3.20	2	0.40	0	0.00	**18**	**3.60**
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 25000	25	6.25	2	0.50	0	0.00	**27**	**6.75**
		रा.कृ.वि.यो. (उथला नलकूप)	बोर खनन	समस्त वर्ग–रू. 5000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
			पंप प्रतिस्थापन	समस्त वर्ग–रू. 15000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
		शाकम्भरी	सिंचाई पंप वितरण	लागत का अधिकतम 75 % अथवा हार्स पावॅर अनुसार निर्धारित अधिकतम राशि	1	0.16	2	0.18	62	6.04	**65**	**6.37**
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलग्रहण विकास घटक 2.0	सिंचाई पंप वितरण	समस्त वर्ग के कृषकों को शत्–प्रतिशत अनुदान	0	0.00	0	0.00	83	19.34	**83**	**19.34**
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–तिलहन	सिंचाई पंप वितरण	समस्त वर्ग के कृषकों को रू. 10000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
		योग			**83**	**16.51**	**10**	**1.74**	**145**	**25.38**	**238**	**43.62**

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	घटक	वर्ग एवं प्रावधानित अनुदान	विकासखंडवार विवरण							
					चारामा		भानुप्रतापपुर		दुर्गूकोंदल		योग	
					संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
3	2024–25	किसान समृद्धि योजना	बोर खनन	सामान्य–रू. 10000	2	0.2	0	0.00	0	0.00	**2**	**0.20**
				अ.पि.वर्ग–रू. 15000	50	7.5	0	0.00	0	0.00	**50**	**7.50**
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 18000	98	17.64	4	0.72	1	0.18	**103**	**18.54**
			पंप प्रतिस्थापन	सामान्य–रू. 15000	2	0.30	0	0.00	0	0.00	**2**	**0.30**
				अ.पि.वर्ग–रू. 20000	50	10.00	0	0.00	0	0.00	**50**	**10.00**
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 25000	98	24.5	4	1.00	1	0.25	**103**	**25.75**
		रा.कृ.वि.यो. (उथला नलकूप)	बोर खनन	समस्त वर्ग–रू. 5000	35	1.75	0	0.00	0	0.00	**35**	**1.75**
			पंप प्रतिस्थापन	समस्त वर्ग–रू. 15000	35	5.25	0	0.00	0	0.00	**35**	**5.25**
		शाकम्भरी	सिंचाई पंप वितरण	लागत का अधिकतम 75 % अथवा हार्स पावॅर अनुसार निर्धारित अधिकतम राशि	0	0.000	21	1.95	165	17.10	**186**	**19.05**
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलग्रहण विकास घटक 2.0	सिंचाई पंप वितरण	समस्त वर्ग के कृषकों को शत्–प्रतिशत अनुदान	0	0.00	0	0.00	134	22.99	**134**	**22.99**
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–तिलहन	सिंचाई पंप वितरण	समस्त वर्ग के कृषकों को रू. 10000	2	0.20	0	0.00	0	0.00	**2**	**0.20**
		योग			**372**	**67.34**	**29**	**3.67**	**301**	**40.52**	**702**	**111.53**
4	2025–26 (फरवरी 2026 तक)	किसान समृद्धि योजना	बोर खनन	सामान्य–रू. 10000	1	0.10	0	0.00	0	0.00	**1**	**0.10**
				अ.पि.वर्ग–रू. 15000	1	0.15	0	0.00	0	0.00	**1**	**0.15**
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 18000	5	0.90	0	0.00	3	0.54	**8**	**1.44**
			पंप प्रतिस्थापन	सामान्य–रू. 15000	1	0.15	0	0.00	0	0.00	**1**	**0.15**
				अ.पि.वर्ग–रू. 20000	1	0.20	0	0.00	0	0.00	**1**	**0.20**
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 25000	5	1.25	0	0.00	3	0.75	**8**	**2.00**
		रा.कृ.वि.यो. (उथला नलकूप)	बोर खनन	समस्त वर्ग–रू. 5000	69	3.45	0	0.00	0	0.00	**69**	**3.45**
			पंप प्रतिस्थापन	समस्त वर्ग–रू. 15000	69	10.35	0	0.00	0	0.00	**69**	**10.35**
		शाकम्भरी	सिंचाई पंप वितरण	लागत का अधिकतम 75 % अथवा हार्स पावॅर अनुसार निर्धारित अधिकतम राशि	0	0.000	30	3.58	21	2.15	**51**	**5.73**
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलग्रहण विकास घटक 2.0	सिंचाई पंप वितरण	समस्त वर्ग के कृषकों को शत्–प्रतिशत अनुदान	0	0.00	0	0.00	12	3.84	**12**	**3.84**
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–तिलहन	सिंचाई पंप वितरण	समस्त वर्ग के कृषकों को रू. 10000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
		योग			**152**	**16.55**	**30**	**3.58**	**39**	**7.28**	**221**	**27.41**
महायोग					**235**	**33.06**	**40**	**5.31**	**184**	**32.67**	**459**	**71.03**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 13-03-2026
16:54:37

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

[20 मार्च 2026

परिशिष्ट - पैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2548) की जानकारी

प्रपत्र–अ

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की स्थलवार जानकारी

क्र	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल	जिला
1	जगदलपुर	ऐतिहासिक, धार्मिक	दंतेश्वरी मंदिर, राजमहल, दलपत सागर, संग्रहालय	बस्तर
2	बस्तर	पुरातात्विक	शिल्पग्राम, संग्रहालय	
3	नारायण पाल	पुरातात्विक	विष्णु मंदिर एवं भद्रकाली मंदिर	
4	चित्रकोट	प्राकृतिक	जल प्रपात	
5	कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान, जल प्रपात, गुफाएं	
6	माचकोट	प्राकृतिक	आरक्षित वन	
7	कांकेर	धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक	सिंहवासिनी मंदिर, गढ़िया पहाड़, राजमहल	कांकेर
8	दुधावा	जलाशय	बांध दृश्य	
9	गढबांसला (भानुप्रतापपुर)	धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक	प्राचीन किला, गढ़देवी मंदिर, शिवमंदिर, किला पहाड़, जलाशय, गुफा	
10	खंडी घाट	धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक	सिद्धेश्वर महादेव, माया मोहनी, योगी गुफा, अष्ट भुजी भवानी मंदिर एवं हर हर खण्डेश्वर महादेव मंदिर	
11	गाड़ागौरी गढ़शीतला	धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक	जोगीगुफा, गढ़माड़िया देव, गढ़हिंगलाज एवं पांच फुल वृक्ष	
12	कोण्डागांव	सांस्कृतिक	शिल्पग्राम	कोण्डागांव
13	केशकाल	प्राकृतिक	घाटी, तेलिनमाता का मंदिर	
14	भोंगापाल	पुरातात्विक	बौद्ध विहार	
15	गढ़घनोरा	पुरातात्विक	प्राचीन शिव, विष्णु, नरसिंह मंदिरों का समूह	
16	अबूझमाढ़	प्राकृतिक	पाषाण युगीन अवशेष	नारायणपुर
17	छोटे डोंगर	पुरातात्विक	प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष	
18	भैरमगढ़	पुरातात्विक, प्राकृतिक	प्राचीन मंदिरों के खंडहर, किले, तालाब एवं अभयारण्य	बीजापुर
19	इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान	प्राकृतिक	राष्ट्रीय उद्यान	
20	पामेड़	प्राकृतिक	वन्य प्राणी अभयारण्य	
21	दंतेवाड़ा	धार्मिक, ऐतिहासिक	दंतेश्वरी देवी, ढोलकल पहाड़ी (ग्राम फरसगांव)	दंतेवाड़ा
22	बैलाडीला	औद्योगिक, प्राकृतिक	लौह अयस्क की खानें	
23	बारसूर	ऐतिहासिक, पुरातात्विक	मामा–भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, संग्रहालय	

प्रपत्र–ब

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र	जिला	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	बस्तर	जगदलपुर	दंतेश्वरी मंदिर एवं अन्य 07 मंदिरों के रंगाई पोताई कार्य	9.99	9.99	कार्य पूर्ण
2		बस्तर	–			
3		नारायण पाल	–			
4		चित्रकोट	चित्रकोट के लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक में व्यूइंग डेक क्षेत्र गार्ड रेलिंग का काम और मौजूदा मंदिर के आसपास के के पैदल मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य	24.98	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन
			मॉडल सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य चित्रकोट	24.55	9.82	कार्य प्रगति पर
5		कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान	मॉडल सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य कुटुमसर (धुरवाडेरा)	24.55	9.82	कार्य प्रगति पर
			मॉडल सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य तिरथगढ़	24.55	9.82	कार्य प्रगति पर
			ग्राम धुडमारास एवं शासकीय प्राईमरी/मिडिल स्कूल धुडंमारास में 02 सोलर पावर प्लांट मय स्ट्रीट लाईट, पीडीएन, कंट्रोल रूम एवं फेंसिंग की स्थापना कार्य	70.65	70.65	कार्य पूर्णता पर
			ग्राम धुडमारास, वि.खं. दरभा में 02 नग सोलर हाईमास्ट संयंत्रों की स्थापना कार्य	10.76	10.76	कार्य पूर्ण
			ग्राम धुडमारास, वि.खं. दरभा में 01 नग सोलर ड्यूल पंप की स्थापना कार्य	7.13	7.13	कार्य पूर्ण
			ग्राम धुडमारास एम्फीथियेटर एवं 8 शॉप्स का निर्माण कार्य	96.23	0.00	कार्य अप्रारंभ
			तीरथगढ़ जल प्रपात पर्यटन स्थल में शौचालय निर्माण हेतु	5.00	1.33	कार्य प्रगति पर
			कैलाश गुफा में पर्यटकों के सुविधा हेतु निर्मित संरचनाओं का मरम्मत कार्य हेतु	5.00	5.00	कार्य पूर्ण
			तीरथगढ़ जल प्रपात में पर्यटकों के सुविधा के लिए 02 नग कॉटेज निर्माण कार्य हेतु	55.00	6.42	कार्य प्रगति पर
6		माचकोट	–	-	-	–
7		कांकेर	निरंक	-	-	–

क्र	जिला	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति
8	कांकेर	दुधावा	निरंक	-	-	—
9		गढबांसला (भानुप्रतापपुर)	निरंक	-	-	—
10		खंडी घाट	निरंक	-	-	—
11		गाड़ागौरी गढ़शीतला	निरंक	-	-	—
12	कोण्डागांव	कोण्डागांव	निरंक	-	-	—
13		केशकाल	निरंक	-	-	—
14		भोंगापाल	बौद्ध विहार में शेड निर्माण	38.00	-	कार्य अप्रारंभ
			मेडिटेशन सेंटर, पेयजल व्यवस्था, निर्मल घाट, बोटिंग सुविधा, तालाब सौंदर्यीकरण प्रवेश द्वार निर्माण कार्य।	60.39	-	कार्य अप्रारंभ
15		गढ़घनोरा	प्राचीन भग्न ईटों का मंदिर में पाथवे, सिटिंग चेयर, फ्लेग स्टोन से फ्लोरिंग कार्य, ग्रील सहित बाउंड्रीवाल, साइनेज, शेड निर्माण एवं पचरी निर्माण कार्य।	9.99	-	कार्य अप्रारंभ
16	नारायणपुर	अबूझमाढ़	निरंक	-	-	—
17		छोटे डोंगर	निरंक	-	-	—
18	बीजापुर	भैरमगढ़	तुलार गुफा में रोड एवं पुल पुलिया निर्माण	22.30	9.7	कार्य प्रगति पर
			गजियामा नेलसनार में सी.सी. रोड निर्माण 500 मी.	19.62	7.84	कार्य प्रगति पर
			गजियामा नेलसनार में सी.सी. रोड निर्माण 500मी.	19.62	7.84	कार्य प्रगति पर
			गजियामा नेलसनार में 1275 मी. चेनलिंक फेसिंग कार्य	15.00	6.00	कार्य प्रगति पर
19		इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान	निरंक	-	-	—
20		पामेड़	निरंक	-	-	—
21	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	ढोलकल पहाड़ी के ट्रेकिंग रुट में प्राकृतिक साईन बोर्ड, स्वागत गेट एवं हटमेंट निर्माण कार्य तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने विविध कार्य	61.05	23.04	कार्य प्रगति पर
			माई की बगीया में सौंदर्यीकरण एवं आहाता निर्माण	14.08	0.00	कार्य प्रगति पर
			कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार से दंतेश्वरी माई की मंदिर के मुख्य द्वार तक फुटपाथ निर्माण कार्य भाग–01	9.88	4.38	कार्य पूर्ण
			कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार से दंतेश्वरी माई की मंदिर के मुख्य द्वार तक फुटपाथ निर्माण कार्य भाग–02	10.27	10.27	कार्य पूर्ण

क्र	जिला	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति
			कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार से दंतेश्वरी माई की मंदिर के मुख्य द्वार तक फुटपाथ निर्माण कार्य भाग–03	49.83	0.00	कार्य पूर्ण
			कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार से दंतेश्वरी माई की मंदिर के मुख्य द्वार तक फुटपाथ निर्माण कार्य भाग–03	49.83	33.40	कार्य प्रगति पर
			तुमरीगुण्डा से हांदावाड़ा पहुंच मार्ग का निर्माण –7.40 किमी.	1020.29	0.00	निविदा स्तर
			शंखनी–डंकनी संगम स्थल में फुटब्रीज एवं ट्री प्लेटफार्म का मरम्मत कार्य।	9.03	0.00	निविदा स्तर
22		बैलाडीला	निरंक	-	-	–
23		बारसूर	बारसूर में पर्यटक के विश्राम प्रयोजन हेतु काटेज एवं झोपड़ियों का निर्माण भाग –1	70.77	19.70	कार्य प्रगति पर
			बारसूर में पर्यटक के विश्राम प्रयोजन हेतु काटेज एवं झोपड़ियों का निर्माण भाग –1		10.72	कार्य प्रगति पर
24	सुकमा	–	निरंक	-	-	–

परिशिष्ट - छत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2624) की जानकारी

प्रपत्र-अ

दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 15.02.2026 तक की अवधि में रायपुर जिले के अंतर्गत उद्योगों से अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	उद्योग का नाम एवं पता	शिकायत प्राप्ति दिनांक	निरीक्षण का दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	श्री विजय साहू, जनपद सदस्य धरसींवा, क्षेत्र क्रमांक 5, कुरूद सिलयारी, जिला-रायपुर	ग्राम पंचायत कुरूद सिलयारी में संचालित विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग के कोल वॉशरी से हो रहे प्रदूषण के संबंध में।	मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-मलौद, धरसींवा, जिला-रायपुर	13.04.2025	04.05.2025	निरीक्षण के दौरान उद्योग बंद पाया गया। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उद्योग विगत 15 माह से बंद है।	उद्योग बंद पाए जाने कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
2.	श्रीमती कंचन टोकेन्द्र गायकवाड़, सरपंच, ग्राम पंचायत-मुरा	खदान में भारी प्रदूषित अपशिष्ट पदार्थ की भण्डारण कर भराव किया गया है, जिससे भू-जल दूषित हो गया है।	मेसर्स मारूति फ्रेश (मोजो मशरूम), ग्राम-पिकरीडीह, विधानसभा-तिल्दा, जिला-रायपुर	29.04.2025	30.04.2025	खदान में डम्प ठोस अपशिष्टों का निपटान उपयुक्त नहीं पाया गया तथा दूषित जल उपचार हेतु स्थापित ई.टी.पी. का संचालन नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग को, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 03.05.2025 के माध्यम से उत्पादन बंद करने हेतु निर्देश जारी किया गया है।
3.	श्रीमती दुलारी सुरेन्द्र वर्मा, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर	उद्योग से निकलने वाली दुर्गंध, कचड़ा व प्रदूषित जल के उपयुक्त प्रबंध के संबंध में।		20.05.2025	पूर्व में दिनांक 30.04.2025 को किये गये निरीक्षण एवं उद्योग को जारी किये गये निर्देश के कारणों से पुनः स्थल के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं हुई।		
4.	श्रीमती सरोज बाई, सरपंच, ग्राम पंचायत खम्हरिया, तिल्दा, जिला-रायपुर	वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण से कृषि भूमि बंजर हो रहे है। तालाब का पानी निस्तारी लायक नहीं रह गया है।	मेसर्स नकोड़ा पाईप इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खम्हरिया, तिल्दा, जिला-रायपुर	04.06.2025	19.06.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
5.	श्री दयाशंकर निषाद, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत धरसींवा,	ग्राम पंचायत बरतोरी, विकासखण्ड-तिल्दा में स्थापित उद्योग विकास मेटालिक एण्ड	मेसर्स विकास मेटालिक एण्ड एनर्जी लिमिटेड, ग्राम-बरतोरी, तिल्दा, जिला-रायपुर	01.07.2025	17.07.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

	रायपुर	एनर्जी लिमिटेड द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के संबंध में।					
6.	श्री दयाशंकर निषाद, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत धरसींवा, रायपुर	ग्राम-मोंहदी, विकासखण्ड-धरसींवा स्थित उद्योग देवी आयरन एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के संबंध में।	मेसर्स देवी आयन एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टांडा एवं मोंहदी, धरसींवा, जिला-रायपुर	11.07.2025	17.07.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
7.	श्री दयाशंकर निषाद, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत धरसींवा, रायपुर	ग्राम-मोंहदी, विकासखण्ड-धरसींवा स्थित उद्योग पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग प्रा.लि. द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के संबंध में।	मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चरौदा, तहसील व जिला-रायपुर	11.07.2025	31.07.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
8.	श्री नरसिंह वर्मा, सभापति-संचार तथा संकर्म समिति, जनपद पंचायत तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर	एन.के. वेयर हाउसिंग बहेसर को बंद कराने कराने बाबत्।	मेसर्स होलो सेल्स ईको सॉल्यूशन्स (एन.के. वेयर हॉऊसिंग), ग्राम-बहेसर, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर से दिनांक 05.08.2025 को प्राप्त शिकायत	07.08.2025	बिना जल एवं वायु सम्मति के संचालित होना पाया गया तथा उद्योग से आस-पास के क्षेत्रों में दुर्गंध की स्थिति पाई गई।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 11.08.2025 के माध्यम से उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया हैं।
9.	श्रीमती चितरेखा विक्रम परमार, पार्षद वार्ड क्रमांक 13, नगर पालिका परिषद, आरंग, जिला-रायपुर	मोदी बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी से निकलने वाली जहरीली बदबूदार गैस एवं नाला में कंपनी द्वारा छोड़ा गया बदबूदार खराब पानी से प्रदूषण के संबंध में।	मेसर्स मोदी बॉयो टेक प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-भिलाई, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	29.05.2025	10.07.2025	उद्योग की चिमनी से अत्यधिक मात्रा में काले धुयें का उत्सर्जन होना, आंतरिक मार्गों में अत्यधिक मात्रा में डस्ट का जमाव एवं परिसर के समीप दूषित जल का जमाव होना पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 11.07.2025 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।
10.	गुरू सौरभ साहेब, सभापति-कृषि स्थायी समिति, जिला पंचायत, रायपुर क्षेत्र क्रमांक 16			05.06.2025	22.07.2025	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया है।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 29.07.2025 के माध्यम से रुपये 1,44,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा उक्त राशि मंडल में जमा की गई ।
11.	श्रीमती पूजा (अश्वनी) वर्मा	मेसर्स जीजी वेस्टेक प्राईवेट	मेसर्स जीजी वेस्टेक प्राईवेट लिमिटेड,	14.10.2025	14.10.2025	बिना जल एवं वायु सम्मति	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)

		लिमिटेड, तिवरैया प्लांट से निकलने वाले दम घुटा देने वाली बदबू के संबंध में	ग्राम-तिवरैया, तहसील एवं जिला-रायपुर			नवीनीकरण के संचालित होना पाया गया एवं अत्यधिक मात्रा में दुर्गंध की स्थिति पाई गई।	अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 28.04.2025 के माध्यम से उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया ।
					19.11.2025	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। निर्देश के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्य किया जाना पाया गया तथा उद्योग द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28.11.2025 को प्राप्त किया गया।	उद्योग को उत्पादन पुनः प्रारंभ करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत बहाल करने बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 28.11.2025 को जारी किया गया।
12.	सरपंच, ग्राम पंचायत कुम्हारी, वि.ख. धरसींवा, जिला-रायपुर	ग्राम-कुम्हारी में बिना अनुमति के कंपनी संचालित हेतु कार्यवाही के संबंध में।	मेसर्स हाई टेक इण्डस्ट्रियल सॉल्यूशन, ग्राम-कुम्हारी, धरसींवा, जिला-रायपुर	14.10.2025	14.10.2025	बिना जल एवं वायु सम्मति के संचालित होना पाया गया एवं दूषित जल उद्योग के बाहर निस्सारण किया जाना पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया हैं।
13.	श्री रामेश्वर निषाद, सरपंच, कार्यालय ग्राम पंचायत कुम्हारी, विकासखण्ड -धरसींवा, जिला-रायपुर	ग्राम कुम्हारी में बिना अनुमति के कंपनी संचालित हेतु कार्यवाही के संबंध में (हाईटेक इण्डस्ट्रियल सॉल्यूशन कंपनी)		08.12.2025			
14.	श्रीमती चंद्रकला रामचंद्र ध्रुव, सभापति-जिला पंचायत, रायपुर	कोणार्क राईस मिल से निकलने वाले प्रदूषण से पर्यावरण एवं जन हानि की शिकायत बाबत्।	मेसर्स कोणार्क इण्डस्ट्रीज, ग्राम-नवापारा-राजिम, जिला-रायपुर	13.10.2025	25.11.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
15.	श्रीमती चंद्रकला रामचंद्र ध्रुव, सभापति-जिला पंचायत, रायपुर	शिकायत की जांच कराने के संबंध में (1. ग्राम पंचायत कुर्रा, सांई हनुमंत राईस मिल 2. सागरी एग्रो द्वारा गंदा पानी निकासी व्यवस्था सहीं नहीं होने से कृषकों के खेती भूमि उपजाउ विहिन हो रही है एवं वायु प्रदूषण के संबंध में।)	(1) मेसर्स सांई हनुमंत इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, प.ह.नं. - 16, खसरा नं. - 495/1, 496/1, ग्राम-कुरा, तहसील-गोबरा-नवापारा, जिला-रायपुर (2) मेसर्स सागरी एग्रो प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड, प.ह.नं. - 41, खसरा नं. - 336, ग्राम-कुरा, जिला-रायपुर	13.10.2025	25.11.2025	उद्योग में स्थापित दूषित जल उपचार संयत्र (ई.टी.पी.) संचालित नहीं पाया गया, अनुपचारित दूषित का संग्रहण परिसर के भीतर पाया गया एवं उद्योग के आंतरिकत मार्गों पर डस्ट का जमाव पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।
					05.12.2025	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। नोटिस के	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 26.12.2025 के माध्यम से

						परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया है।	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 50,000/- अधिरोपित की गई है। उद्योग द्वारा उक्त राशि जमा की गई है।
					25.11.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
16.	श्रीमती एकता अवधेश मिश्रा, पार्षद, नगर पालिका परिषद, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर	म्दिर हसौद नगर पालिका क्षेत्र में मिवान स्टील एवं पॉवर लिमिटेड द्वारा अवैध औद्योगिक संचालन, प्रदूषण फैलाने, शासकीय भूमि पर कब्जा करने, वृक्षारोपण न करने	मेसर्स मिवान स्टील्स लिमिटेड, ग्राम-कुरूद, चंदखुरी मार्ग, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर	10.11.2025	26.11.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
17.	श्री दयाशंकर निषाद, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत धरसींवा, रायपुर	ग्राम-मोहदी, विकासखण्ड-धरसींवा में स्थित उद्योग पुष्प स्टील एण्ड माइंस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने के संबंध में।	मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चरौदा, तहसील व जिला-रायपुर	25.11.2025	09.01.2026	उद्योग के पीएसबी सेक्शन से अत्यधिक मात्रा में फ्यूजिटिव डस्ट का उत्सर्जन होना, ठोस अपशिष्ट का अत्यधिक मात्रा में अव्यवस्थित भंडारण एवं उद्योग के आंतरिक मार्गों में अत्यधिक मात्रा में डस्ट का जमाव होना पाया गया।	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 12.01.2026 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।
					10.02.2026	नोटिस के परिपेक्ष्य मे अपेक्षित कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया हैं।
18.	श्री पप्पू चेलक, कार्यालय ग्राम पंचायत धनसुली, विकासखण्ड - आरंग, जिला-रायपुर	डामर प्लांट का पर्यावरण नियम विरूद्ध कार्य (स्टारएक्स या बालजी नाम से डामर प्लांट) के संबंध में।	मेसर्स स्टारएक्स हॉट मिक्स प्लांट, ग्राम-अकोलडीह (खपरी), तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	02.12.2025	02.01.2026	बिना जल एवं वायु सम्मति के संचालित होना पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 06.01.2026 के माध्यम से उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया हैं।
19.	श्रीमती नीलम निषाद, सरपंच, कार्यालय ग्राम पंचायत	ग्राम बेन्द्री में जल एवं वायु प्रदूषण बाबत्	मेसर्स हरेकृष्णा स्टील पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बेन्द्री, धरसींवा, जिला-रायपुर	08.12.2025	15.12.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

	बेन्द्री, विकासखण्ड -धरसींवा, जिला- रायपुर						
20.	श्रीमती नीलम निषाद, सरपंच, कार्यालय ग्राम पंचायत बेन्द्री, विकासखण्ड -धरसींवा, जिला- रायपुर	अत्यधिक जल, वायु प्रदूषण रोकने बाबत्	मेसर्स श्री सीता इस्पात पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बोरझरा, गुमा-उरला रोड़, जिला-रायपुर	08.12.2025	15.12.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
21.	श्री रूपेन्द्र साहू, सभापति मत्स्य एवं विद्युत विभाग, जनपद पंचायत धरसींवा, जिला- रायपुर	मेसर्स इस्कॉन स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड प्लांट से निकल रहे संभवतः केमिकल युक्त पानी के संबंध में।	मेसर्स इस्कॉन स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-गुमा, जिला-रायपुर	11.12.2025	30.12.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
22.	श्री रूखमणी उमेश निषाद, सरपंच ग्राम पंचायत मुरेठी, जिला- रायपुर	उद्योग के द्वारा रात्रि में बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन करता है।	मेसर्स एसकेएस इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम - सिलतरा, जिला-रायपुर	07.02.2025	09.03.2026	उद्योग के कोल गैसीफॉयर से अधिक मात्रा में फ्यूजिटिव डस्ट का उत्सर्जन होना, इण्डक्शन फर्नेस प्रभाग में स्थापित बैग फिल्टर सक्षमता के साथ कार्यरत नहीं किया जाना एवं उद्योग के आंतरिक मार्गों में अत्यधिक मात्रा में डस्ट का जमाव होना पाया गया।	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 09.03.2026 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है।
23.	श्री भगत राम हरवंश, पार्षद, पं. जवाहर लाल नेहरू, वार्ड क्र. 2, नगर पालिक निगम, रायपुर	मेसर्स सतीश स्टील इण्डस्ट्रीज से निकलने वाले धुआ का रोकथाम करने बाबत्।	मेसर्स सतीश स्टील इण्डस्ट्रीज, रिंग रोड नं. - 2, इण्डस्ट्रियल एरिया सोनडोंगरी, जिला-रायपुर	13.02.2026	09.03.2026	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
24.	श्री भगत राम हरवंश, पार्षद, पं. जवाहर लाल नेहरू, वार्ड क्र. 2, नगर पालिक निगम, रायपुर	मेसर्स शिल्पी स्पंज आयरन से निकलने वाले विशैले जल एवं गैस को रोकने बाबत्।	मेसर्स शिल्फी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सरोरा, धरसींवा, तहसील व जिला-रायपुर	13.02.2026	09.03.2026	उद्योग के किल्न कैप, पीएसबी प्रभाग से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होना एवं उद्योग के आंतरिक मार्गों से अत्यधिक मात्रा में डस्ट का जमाव होना पाया गया।	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 09.03.2026 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 15.02.2026 तक की अवधि में मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-सोण्ड्रा, फेज-2, जिला-रायपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	प्रदूषण संबंधी प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायत प्राप्ति दिनांक	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	समस्त ग्रामवासी ग्राम सोंद्रा, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर	स्पंज आयरन इण्डस्ट्री के गर्दा (रसायन) व कालाधुंआ हवा के साथ मिलकर जहरीला गैस के सामान पूरे गांव में उड़ रहा है।	न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर, जिला-रायपुर से प्राप्त शिकायत दिनांक 22.12.2020	21.01.2021	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
2.	श्री दुर्गेश वर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, धरसींवा, जिला-रायपुर	बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण को रोकने व ग्राम विकास के संबंध में	19.06.2023	19.06.2023	उद्योग में इण्डक्शन फर्नेस से अत्यधिक मात्रा में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होना, आंतरिक मार्गों में डस्ट का जमाव होना एवं स्पंज आयरन के किल्न नं. - 2 के स्लिप सील एवं पी.एस.बी. तथा आई बिन प्रभाग से अत्यधिक फ्यूजिटिव उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 20.06.2023 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।
				03.07.2023	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया है।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 05.07.2023 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 3,50,000/- अधिरोपित की गई है। उद्योग द्वारा उक्त राशि जमा की गई है।
3.	श्री दुर्गा प्रसाद बंजारे, ग्राम-सांकरा, पोस्ट-सोण्ड्रा, धरसींवा, जिला-रायपुर	भारी वायु एवं जल प्रदूषण की जांच	01.09.2025	05.09.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - सैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2741) की जानकारी

उपत्र - अ

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 अप्रैल 2025 — वैशाख 8, शक 1947

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्र./1608/एफ 2025–21–00798/ब–4/चार.— अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (क्र. 21 सन् 2019) की धारा 7 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को अधिनियम की धारा 30 के प्रयोजनों के लिए, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 28th April 2025

NOTIFICATION

No./1608/F-2025-21-00798/B-4/4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019), the State Government, hereby, appoints Secretary-in-charge to the Government of Chhattisgarh in the Home Department as Competent Authority for the purpose of Section 30 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.

(अतीश पाण्डेय)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्र./1607/एफ 2025–21–00798/ब–4/चार.— अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (क्र. 21 सन् 2019) की धारा 7 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जिले के कलेक्टर को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने हेतु, नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 28th April 2025

NOTIFICATION

No./1607/F-2025-21-00798/B-4/4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019), the State Government, hereby, appoints Collectors of the District with their respective jurisdiction to assist the Competent Authority in discharging its functions for the purpose of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्र./1606/एफ 2025–21–00798/ब–4/चार.— अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (क्र. 21 सन् 2019) की धारा 7 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम की धारा 30 को छोड़कर, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 28th April 2025

NOTIFICATION

No./1606/F-2025-21-00798/B-4/4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019), the State Government, hereby, appoints all Divisional Commissioners in the State as Competent Authority within their jurisdiction for the purpose of the said Act, except for Section 30 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.

(अतीश पाण्डेय)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

परिशिष्ट - ब

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 932] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 10, शक 1947

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar

Nava Raipur Atal Nagar, the 28th November 2025

NOTIFICATION

.No.3835/3150//XXI-B/2025.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, designates all the Courts of Sessions Judge of the State as Designated Court for hearing of cases under the said Act arising in their respective jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUPENDRA KUMAR VASNIKAR, Additional Secretary.

(अतीश पाण्डेय)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.

प्रपत्र-स

पंजीकृत प्रकरण (कुल 42)

प्रकरण संख्या	पंजीयन दिनांक
89/2018	06-10-2018
77/2021	23-08-2021
107/2021	22-11-2021
35/2022	02-05-2022
91/2022	30-09-2022
01/2017	26-09-2017
02/2017	11-10-2017
04/2017	13-11-2017
05/2017	07-12-2017
01/2018	07-06-2018
03/2018	29-11-2018
01/2019	12-09-2019
01/2021	12-02-2021
02/2021	09-08-2021
06/2021	02-11-2021
07/2021	16-11-2021
03/2021	27-10-2021
03/2017	10-11-2017
02/2018	29-11-2018
01/2020	21-09-2020
02/2020	23-11-2020
04/2021	28-10-2021
05/2021	28-10-2021
01/2022	09-05-2022
01/2026	24-01-2026
21/2019	28-09-2019

(अतीश पाण्डेय)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

प्रकरण संख्या	पंजीयन दिनांक
24/2019	28-09-2019
25/2019	28-09-2019
32/2021	04-09-2021
33/2021	04-09-2021
34/2021	04-09-2021
37/2021	24-09-2021
37/2021	24-09-2021
29/2022	19-09-2022
09/2023	12-04-2023
56/2024	26-09-2024
27/2025	04-08-2025
30/2025	03-08-2025
05/2026	02-02-2026
07/2020	07-02-2020
11/2018	21-06-2018
29/2019	27-11-2019

(अतीश पाण्डेय)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

प्रपत्र-स

निराकृत प्रकरण (कुल 15)

प्रकरण संख्या	निराकृत दिनांक
01/2017	12-07-2018
02/2017	06-04-2019
04/2017	13-08-2018
05/2017	28-07-2025
01/2018	12-04-2023
03/2018	29-09-2022
01/2019	03-03-2020
01/2021	24-09-2024
02/2021	16-12-2021
06/2021	17-12-2025
07/2021	16-12-2021
03/2021	16-12-2021
07/2020	27-03-2024
11/2018	28-10-2024
29/2019	29-05-2025

(अतीश पाण्डेय)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

प्रपत्र-द

व्यक्ति का नाम	दिया गया दंड
01. प्रेमलाल देवांगन 02. श्रीमती ममता किरण देवांगन	धारा-420,120बी, 467, 468,471 भा.दं.सं. एवं धारा-6,10 पी.डी.आई.एक्ट में से अभियुक्तगण को धारा-420,120बी के आरोपों में क्रमशः 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50/-रूपये चौदह बार अर्थात प्रत्येक अभियुक्त को 1400-1400/-रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा-10 पी.डी.आई.एक्ट के आरोप में क्रमशः 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000/-रूपये चौदह बार अर्थात प्रत्येक अभियुक्त को 14,00,000-14,00,000/-रूपये, कुल- 28,00,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
01. कन्हैयालाल ओझा 02. नितिनराव सेण्डे 03. पंकज कुमार साहू 04. धनेश निषाद 05. हीरासिंह यादव	अभियुक्त क्रमांक- 03. पंकज कुमार साहू एवं 05. हीरासिंह यादव को धारा- 420,120बी,467, 468,471 भा.दं.सं. एवं धारा-6,10 पी.डी.आई.एक्ट के आरोप में दोषमुक्त किया गया एवं अभियुक्त क्रमांक-01.कन्हैयालाल ओझा 02. नितिनराव सेण्डे एवं 04. धनेश निषाद को धारा-420/34 भा.दं.सं. के आरोप में 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000- 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

(अतीश पाण्डेय)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में फरवरी 2026 तक केन्द्र सरकार से

क्र.	वर्ष	विवरण	केन्द्र सरकार का पत्र/दिनांक	प्राप्त केन्द्रांश
1	2	3	4	5
1	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतगेत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट आबंटन	No. J-13011/3/2020-Fy Dated 20.08.2024	5000.00
		प्रशासनिक व्यय हेतु	No. J-01013/33/2021-Fy Dated 18.03.2025	315.10
योग (अ)				**5315.10**
2	2025-26	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतगेत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट आबंटन	No. J-13011/3/2020-Fy Dated 07.05.2025	3750.00
योग (ब)				**3750.00**
महायोग (अ + ब)				**9065.10**

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् प्राप्त राशि के व्यय की जिलावार जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष 2024-25 में व्यय राशि (लाख में)	वर्ष 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) में व्यय राशि (लाख में)	योग	किए गए कार्य
1	2	3	4	5	6
1	संचालनालय	72.000	0.000	**72.000**	मीठे जल के नए फिनफिश हैचरीज की स्थापना, नए नर्सरी/बीज पालन तालाबों का निर्माण, नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण), मीठे जल जलकृषि के लिए निवेश (Inputs) जिनमें कम्पोजिट मछली कल्चर, स्कैम्पी, पंगेशियस, तिलापिया आदि, मध्यम एवं छोटे रिसरकुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.) की स्थापना, बॉयो फ्लॉक पॉण्ड निर्माण (पी. लाईनर पॉण्ड) इनपुटस सहायता, जलाशयों में केज कल्चर की स्थापना, जलाशयों में अंगुलिका संचयन, कोल्ड स्टोरेज, आईस प्लांट की स्थापना, मछली वेंडिग के लिए ई-रिक्शा सहित आइस बॉक्स के साथ तीन व्हीलर, प्रशीतित वाहन, जीवित मछली विक्रय केन्द्र की स्थापना, फिश फीड् मिल की स्थापना, पारंपरिक मछुआरों के लिए नाव (प्रतिस्थापन) और जाल उपलब्ध कराना एवं अल्प अवधि बचत सह राहत योजना के क्रियान्वयन पर व्यय हुई।
2	रायपुर	18.696	38.160	**56.856**	
3	गरियाबंद	141.996	89.919	**231.915**	
4	बलौदाबाजार-भाटापारा	118.289	141.019	**259.308**	
5	धमतरी	88.857	74.295	**163.152**	
6	महासमुंद	403.260	64.830	**468.090**	
7	दुर्ग	54.802	88.165	**142.967**	
8	बेमेतरा	64.837	61.412	**126.249**	
9	बालोद	98.222	274.563	**372.785**	
10	राजनांदगांव	918.535	161.684	**1080.219**	
11	कबीरधाम	119.970	173.775	**293.745**	
12	बिलासपुर	60.816	38.942	**99.758**	
13	मुंगेली	99.888	56.400	**156.288**	
14	कोरबा	98.958	238.102	**337.060**	
15	जांजगीर-चांपा	23.370	59.190	**82.560**	
16	रायगढ़	24.540	79.725	**104.265**	
17	जशपुर	97.209	56.151	**153.360**	
18	अम्बिकापुर	488.358	576.309	**1064.667**	
19	बलरामपुर	3.000	36.600	**39.600**	
20	सूरजपुर	80.364	89.455	**169.819**	
21	कोरिया	12.462	31.344	**43.806**	

क्र.	जिला	वर्ष 2024-25 में व्यय राशि (लाख में)	वर्ष 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) में व्यय राशि (लाख में)	योग	किए गए कार्य
1	2	3	4	5	6
22	कांकेर	111.414	109.703	**221.117**	तदैव
23	दंतेवाड़ा	9.060	9.087	**18.147**	
24	सुकमा	13.635	11.760	**25.395**	
25	बस्तर	18.930	12.318	**31.248**	
26	कोण्डागांव	110.274	54.540	**164.814**	
27	नारायणपुर	20.910	17.520	**38.430**	
28	बीजापुर	9.185	14.589	**23.774**	
29	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	33.709	162.636	**196.345**	
30	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	191.163	273.085	**464.248**	
31	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	137.792	33.849	**171.641**	
32	सक्ती	49.728	18.860	**68.588**	
33	सारंगढ़-बिलाईगढ़	78.360	117.302	**195.662**	
34	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	2.844	144.810	**147.654**	
योग		**3875.433**	**3410.099**	**7285.532**	

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

परिशिष्ट - उनतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 2809) की जानकारी

प्रश्न 11 अ

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व द्वारा किये गये कार्य एवं व्यय प्रश्न 'क' का उत्तर

क्र	मद का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
			वित्तीय वर्ष 2023–2024				
1	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	राजनांदगांव	भर्रेगांव	संतोषी माता मंदिर जीर्णोद्धार कार्य	5.00	0.00	-
2	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	पेन्ड्री	प्राचीन शिव मंदिर	2.50	2.50	-
3	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	गोधली	शीतला मंदिर के पास धर्मशाला निर्माण कार्य	5.00	5.00	-
4	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	ढारा	शीतला मंदिर के पास धर्मशाला निर्माण कार्य	5.00	4.80	-
5	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	बिल्हरी	ऐतिहासिक शीतला मंदिर धर्मशाला निर्माण कार्य	5.00	5.00	-
6	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	पिपरिया	हनुमान मंदिर जीर्णोद्वार कार्य	4.00	4.00	-
7	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	छीपा	महादेव घाट धर्मशाला निर्माण कार्य	4.50	4.50	-
8	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	घनडोंगरी	शीतला मंदिर जीर्णोद्वार कार्य	5.00	5.00	-
9	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	कोल्हापुरी (नवा.)	शिव मंदिर जीर्णोद्वार कार्य	4.00	3.21	-
10	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	कसारी	शीतला मंदिर के पास धर्मशाला निर्माण कार्य	5.00	5.00	-
11	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	पेन्ड्री	प्राचीन साहड़ा देव मंदिर जीर्णोद्वार	2.00	0.80	-
12	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	मचकाटोला	करीपाठ मंदिर धर्मशाला निर्माण कार्य	5.00	2.00	-
13	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	खुखाटोला	शीतला मंदिर जीर्णोद्वार	5.00	2.00	-
14	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	ठाकुरटोला (को)	शीतला मंदिर जीर्णोद्वार मरम्मत कार्य	4.00	3.97	-
15	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	सलोनी	शिव मंदिर जीर्णोद्धार कार्य	5.00	4.89	-
16	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	कोल्हापुरी (नवा.)	दुर्गा मंदिर जीर्णोद्धार कार्य	5.00	2.00	-
17	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	कोल्हापुरी (नवा.)	प्राचीन मंदिर जीर्णोद्धार कार्य	5.00	5.00	-
18	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोंगरगढ़	पेन्ड्री	ग्राम पेन्ड्री स्थित ऐतिहासिक कबीर मंदिर/आश्रम परिसर में धर्मशाला निर्माण	5.00	5.00	-
19	छ.ग.पर्यटन मद	डोंगरगढ़	पेन्ड्री	ग्राम पेन्ड्री स्थित ऐतिहासिक कबीर मंदिर/आश्रम परिसर में धर्मशाला निर्माण	5.00	5.00	-

क	मद का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
				योग	86.00	69.65	
				वित्तीय वर्ष 2024–2025			
1	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	0	0	-
2	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोगरगढ़	अमलीडीह	राम मंदिर जीर्णोद्धार कार्य हेतु	4.93	4.93	-
3	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोगरगढ़	कोल्हापुरी (नवा.)	शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य	4.35	4.35	-
4	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	राजनांदगांव	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव अंतर्गत कंचनबाग स्थित श्री विश्वकर्मा–शिव हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार कार्य राजनांदगांव	5.00	3.98	-
				योग	14.28	13.26	
				वित्तीय वर्ष 2025–2026			
1	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	राजनांदगांव	इरईकला	मां आदि शक्ति शीतला मंदिर जीर्णोद्धार	5.00	0.00	22./12/2025 को आबटन प्राप्त हुआ है
2	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	राजनांदगांव	इरईकला	हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार	5.00	0.00	22./12/2025 को आबटन प्राप्त हुआ है
3	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	डोगरगढ़	पारागांवखुर्द	शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य	4.98	1.99	स्थल का ले आउट दिया गा है
				योग	14.98	1.99	
				कुल योग	115.260	84.90	

अपर कलेक्टर
जिला राजनांदगांव

प्रपत्र

कार्यालय कलेक्टर, जिला–खैरागढ–छुईखदान–गंडई (छ.ग.)

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मदवार विकास कार्य की जानकारी

जिला – खैरागढ छुईखदान गंडई

प्रश्न–(क)

कमांक	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	विधानसभा क्षेत्र	जनपद / विका सखंड	ग्राम / ग्राम पंचायत	कार्य का नाम / विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	स्वीकृत कार्यो की अघतन स्थिति पूर्ण / अपूर्ण	रिमार्क
1	2023–24	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मद	73 / खैरागढ	खैरागढ़	नवागांव कंवर	शितला मंदिर मरम्मत कार्य	1.18	1.18	पूर्ण	
2	2024–25	–	73 / खैरागढ	खैरागढ़	निरंक	निरंक	0	0	निरंक	
3	2025–26	–	73 / खैरागढ	खैरागढ़	निरंक	निरंक	0	0	निरंक	
योग							1.18	1.18		
1	2023–24	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मद	73 / खैरागढ	छुईखदान	लक्ष्मणपुर / लक्ष्मणपुर	राधाकृष्ण मंदिर जीर्णोद्वार कार्य	4.6	2.84	पूर्ण	
2	2024–25	–	73 / खैरागढ	छुईखदान	निरंक	निरंक	0	0	निरंक	
3	2025–26	–	73 / खैरागढ	छुईखदान	निरंक	निरंक	0	0	निरंक	
योग							4.6	2.84		
महायोग							5.78	4.02		

अपर कलेक्टर
जिला–खैरागढ–छुईखदान–गण्डई

तेपत्र "ख"11

क	योजना का नाम	कार्य का नाम	ग्राम व ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	ठेकेदार/एजेंसी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	2023-24	0.000	निरंक
2	खनिज मद	भानपुरी पदयात्री मार्ग में शेड निर्माण	भानपुरी	डोंगरगढ़	2024-25	31.320	मे. जैन कंस्ट्रक्शन सनसीटी एन.एक्स म.नं. जी–17 जिला राजनांदगांव
3	खनिज मद	ढारा पदयात्री मार्ग में शेड निर्माण	ढारा	डोंगरगढ़	2024-25	31.320	श्री केशो प्रसाद जघेल ग्राम सलोनी पो. ढारा जिला राजनांदगांव
4	खनिज मद	देवकट्टा पदयात्री मार्ग में शेड निर्माण	देवकट्टा	डोंगरगढ़	2024-25	27.240	सोनी कंस्ट्रक्शन वार्ड 07 पुरानी बस्ती कोहला भिलाई जिला दुर्ग
5	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	2025-26	0.000	निरंक
		योग :–				89.880	

06/03/2026

अपर कलेक्टर
जिला राजनांदगांव

परिशिष्ट - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2814) की जानकारी

प्रपत्र

धमतरी जिले के निम्नलिखित पर्यटन स्थलों एवं अन्य स्थलों में कराए गए विकास कार्य एवं उसमें व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वि.ख. का नाम	वित्तीय वर्ष	कार्य स्थल का नाम	**व्यय राशि (लाख में)**
1	नगरी	2022-23	श्रृंगी ऋषि आश्रम, सिहावा	22.46
2		2023-24	श्रृंगी ऋषि आश्रम ग्राम पंचायत सिहावा	61.10
3			मुंकुदपुर नगरी	111.00
4			कर्णेश्वर महादेव मंदिर ग्राम पंचायत छिपलीपारा	9.75
5		2024–25	नरहरा जलप्रपात ग्राम कोटरवाही	4.42
6		2025-26	नरहरा धाम ग्राम कोटरवाही ग्राम पंचायत झुरातराई,	5.71
7			महानदी उद्गम स्थल, गणेश घाट एवं अन्य स्थलों (ग्राम पंचायत सिहावा)	19.57
1	धमतरी	2022-23	–	-
2		2023-24	–	-
3		2024-25	गंगरेल चौक से मानव वन एडवेंचर तक	12.90
4			ग्राम पंचायत गंगरेल	57.54
5		2025-26	ग्राम पंचायत गंगरेल	30.39
1	मगरलोड	2022-23	–	-
2		2023-24	–	-
3		2024-25	ग्राम पंचायत मोहेरा के आश्रित ग्राम निरई (निरई माता मंदिर के समीप) में पानी टंकी निर्माण कार्य	-
4		2025-26	बुढ़ीगढ़ ग्राम सिंगपुर	5.71
1	कुरूद	2022-23	–	
2		2023-24	एम्फीथियेटर का निर्माण	68.00
3		2024-25	–	
4		2025-26	–	
			कुल व्यय राशि रु. –	**408.55**

पॉरिशेष्ट - इकतालीस

अतारांकेत प्रश्न संख्या 32 (क्र. 2828) की जानकारी

प्रपत्र

उप पंजीयक कार्यालय	तहसील	जनवरी, 2021-22 से जनवरी, 2026 तक कृषि या अन्य प्रकार की भूमि का खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री की तहसीलवार जानकारी
रायगढ़	रायगढ़	14189
पुसौर	पुसौर	5979
खरसिया	खरसिया	3408
घरघोड़ा	घरघोड़ा	2248
	लैलूंगा	1719
	मुकडेगा	88
	तमनार	2221
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2366
	छाल	600
	कापू	542
योग :-		**33360**

परिशिष्ट - बयालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 2830) की जानकारी

प्रपत्र–अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बालोद जिले में किसानों को फसल बीमा भुगतान की जानकारी

क्र.	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषको की संख्या	बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषको की संख्या	तकनीकी कारण से असफल दावा भुगतान की जानकारी	
							कारण	कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खरीफ	2024	बालोद	अर्जुन्दा	13666	276	निरंक	
2				बालोद	8244	208		
3				डौण्डी	13868	779		
4				डौण्डीलोहारा	15380	1121		
5				गुण्डरदेही	19212	निरंक		
6				गुरूर	16526	149		
7				मर्री बंगला देवरी	19924	142		
खरीफ 2024 योग					**106820**	**2675**		
8	खरीफ	2025	बालोद	अर्जुन्दा	14183	दावा गणना का कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
9				बालोद	12220			
10				डौण्डी	13431			
11				डौण्डीलोहारा	15514			
12				गुण्डरदेही	21286			
13				गुरूर	17348			
14				मर्री बंगला देवरी	19884			
खरीफ 2025 योग					**113866**			

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
19:21:44

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बालोद जिले में किसानों को फसल बीमा भुगतान की जानकारी

क.	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषको की संख्या	फसल बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषको की संख्या	तकनीकी कारण से असफल दावा भुगतान की जानकारी	
							कारण	कृषक संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*
1	खरीफ	2024	बालोद	अर्जुन्दा	26	25	निरंक	
2				बालोद	53	52		
3				डौंडी	116	116		
4				डौंडीलोहारा	61	61		
5				गुंडरदेही	42	42		
6				गुरूर	18	18		
7				मर्री बंगला देवरी	90	90		
योग खरीफ 2024					**406**	**404**		
8	खरीफ	2025	बालोद	अर्जुन्दा	18	फसलो की जोखिम अवधि समाप्त नही हुई है।		
9				बालोद	75			
10				डौंडी	114			
11				डौंडीलोहारा	65			
12				गुंडरदेही	45			
13				गुरूर	23			
14				मर्री बंगला देवरी	92			
योग खरीफ 2025					**432**			
महायोग					**838**	**404**		

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
19:22:35

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - तिरालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 2832) की जानकारी

प्रपत्र –अ

क	जिला का नाम	गौ अभ्यारण्य का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	निर्मित/ निर्माण किये जाने वाले शेड की संख्या	मवेशियों को रखने की क्षमता
1	बेमेतरा	आदर्श गौधाम एवं गोकुल ग्राम झालम, जिला बेमेतरा	823.39	13	500
2	कबीरधाम	नवीन गौशाला गौ प्रशिक्षण केन्द्र सह गौधाम (माँ काली गौधाम परिसर) ग्राम पचराही, वि.ख. बोड़ला, जिला–कबीरधाम	268.53	5	500
3	जशपुर	ग्राम पंचायत बगिया, आश्रित ग्राम रजौटी, विकासखंड कांसाबेल	129.27	5	300
4		ग्राम पंचायत अम्बाचुआं (कुनकुरी)	129.27	5	300
5	बिलासपुर	ग्राम जोगीपुर, वि.ख. कोटा,	129.27	5	300

डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र –ब

आदर्श गौधाम एवं गोकुल ग्राम झालम के निर्माण की वर्तमान स्थिति

निर्माण पूर्ण कार्य

- 1 नग प्रशासकीय भवन।
- 1 नग पशु औषधालय भवन।
- 1 नग फिनायल आसवन भवन।
- 1 नग दुग्ध संग्रहण केन्द्र।
- 1 नग वर्मी कम्पोस्ट आदि विक्रय केन्द।
- 1 नग भण्डार कक्ष।
- 6 शेड दुधारू पशुधन के लिए, क्षमता 200 पशुधन।
- 6 शेड एवं 1 पुराना शेड अनुत्पादक पशुधन के लिए, क्षमता 300 पशुधन।
- 735 मीटर लंबी एवं 10 मीटर चौड़ी कांक्रीट सड़क।
- चेन लिंक फेंसिंग कार्य।

निर्माणाधीन/अपूर्ण कार्य

- पुल निर्माण – निर्माणाधीन।
- आर.सी.सी. ओवर हैड टैंक 50 KL – कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र–अ

जिला मोहला–मानपुर–अं.चौकी अंतर्गत पी.एम. प्रणाम योजना का क्रियान्वयन

इकाई संख्या में

क्र.	वर्ष	वि.खं.	संचालित कार्य				योजनाओं का नाम जिनके अभिसरण से कार्य कराया गया है	रिमार्क
			कृषि चौपाल	कृषक संगोष्ठी	कृषि मेला	अन्य कार्य		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	वर्ष 2023–24	मोहला	25	2	0	4	जैविक खेती मिशन, स्वाईल हेल्थ कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, एक्सटेंशन रिर्फाम (आत्मा) योजना, नेशनल मिशन आन इडिबल आईल (नेमो)	पी.एम. प्रणाम योजनांतर्गत बजट आबंटन प्रावधानित नही है। योजना के उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रचार–प्रसार का कार्य अन्य योजना अंतर्गत आयोजित कृषक संगोष्ठी/कृषि चौपाल एवं कृषि मेला में किया जाता है।
		मानपुर	28	2	1	4		
		अं.चौकी	20	2	0	4		
	वर्ष 2024–25	मोहला	35	2	1	4		
		मानपुर	40	2	2	4		
		अं.चौकी	32	2	0	4		
	वर्ष 2025–26 (जनवरी 2026 तक)	मोहला	30	2	2	16		
		मानपुर	35	2	1	12		
		अं.चौकी	38	2	0	12		

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
17:10:58

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र – ब

जिला मोहला–मानपुर–अं.चौकी अंतर्गत पी.एम. प्रणाम योजना का क्रियान्वयन

इकाई संख्या में, वित्तीय लाख रू. में

क्र.	वर्ष	वि.खं.	संचालित कार्य											
			कृषि चौपाल			कृषक संगोष्ठी			कृषि मेला			अन्य कार्य (कृषक प्रशिक्षण)		
			आयोजन संख्या	योजना का नाम	व्यय राशि (लाख में)	आयोजन संख्या	योजना का नाम	व्यय राशि (लाख में)	आयोजन संख्या	योजना का नाम	व्यय राशि (लाख में)	आयोजन संख्या	योजना का नाम	व्यय राशि (लाख में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	वर्ष 2023–24	मोहला	25	विभागीय मैदानी अमलों द्वारा ग्राम स्तर पर कृषि चौपाल का आयोजन कर प्रचार–प्रसार किया गया है। जिसमें राशि का व्यय निरंक है।	–	2	एक्सटेंशन रिफार्म्स "आत्मा" योजना	0.30	0	–	–	4	स्वायल हेल्थ कार्ड योजना	0.40
		मानपुर	28		–	2		0.30	1	जैविक खेती मिशन	2.00	4		0.40
		अं.चौकी	20		–	2		0.30	0	–	–	4		0.40
2	वर्ष 2024–25	मोहला	35		–	2		0.30	1	परंपरागत कृषि विकास योजना,	2.00	4		0.40
		मानपुर	40		–	2		0.30	2	जैविक खेती मिशन/परंपरागत कृषि विकास योजना,	2.00 2.00	4		0.40
		अं.चौकी	32		–	2		0.30	0	–	–	4		0.40
3	वर्ष 2025–26 (जनवरी 2026 तक)	मोहला	30		–	2		0.50	2	नेशनल मिशन आन इडिबल आईल (नेमो)	4.00 2.00	16		0.64
		मानपुर	35		–	2		0.50	1	परंपरागत कृषि विकास योजना,	2.00	12		0.48
		अं.चौकी	38		–	2		0.50	0	–	–	12		0.48

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 12-03-2026 17:11:58

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पैंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 2839) की जानकारी

प्रपत्र

मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड (चिल्हाटी लाइम स्टोन माइन) ग्राम चिल्हाटी मस्तूरी जिला- बिलासपुर में विगत तीन वर्षों में किये गए वायु मापन एवं ध्वनि स्तर मापन की जानकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये वायु मापन एवं ध्वनि स्तर मापन की जानकारी

क्रमांक	मानिटरिंग दिनांक	पाये गये परिणाम		
		पी.एम 2.5 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर)	पी.एम 10 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर)	ध्वनि स्तर dB(A)
1	14 /06/2024	-	88.0	-
2	15 /07/2025	खदान बंद पाया गया।		
3	05 /03/2026	33.75	93.02	65.30
मानक		60.0	100.0	दिन के समय 75 रात के समय 70

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - छियालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 2842) की जानकारी

प्रपत्र

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थ अधिकारियों की जानकारी

स. क्र.	अधिकारी का नाम	प्राधिकरण में पदस्थी अवधि	मूल विभाग/संस्थान का नाम	मूल पदनाम
1	श्री हरिओम शर्मा	16.12.2024	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	मुख्य अभियंता
2	श्री बी. आर. अग्रवाल	09.07.2024 (मुख्य अभियंता के पद का अतिरिक्त प्रभार)	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	कार्यपालन अभियंता

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - सैंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 2852) की जानकारी

प्रपत्र–अ

वर्ष 2025–26 में क्रय किये गए कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्री की जानकारी

जिला	वर्ष	सामग्री का नाम	मात्रा	ईकाई (कि.ग्रा./ली.)	दर (रूपये)	कर/सेवा शुल्क			योग	कुल राशि(रूपये) (दर X मात्रा) + कॉलम नंबर 10	कुल भुगतान की गई राशि (रूपये)	क्रय किये गये फर्मों/एजेंसियों के नाम
						जी.एस.टी.	प्रदर्शित संस्था को सेवा शुल्क	अन्य शुल्क				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जांजगीर–चाम्पा	2025–26	कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	20	कि.ग्रा.	400.00	1440	0	0	1440	9440	9440	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	25	कि.ग्रा.	400.00	1800	0	0	1800	11800	11800	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	20	कि.ग्रा.	400.00	1440	0	0	1440	9440	9440	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	20	कि.ग्रा.	400.00	1440	0	0	1440	9440	9440	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	260	कि.ग्रा.	400.00	18720	0	0	18720	122720	122720	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	400	कि.ग्रा.	400.00	28800	0	0	28800	188800	188800	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	400	कि.ग्रा.	400.00	28800	0	0	28800	188800	188800	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	1197	कि.ग्रा.	400.00	86184	0	0	86184	564984	564984	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	400	कि.ग्रा.	400.00	28800	0	0	28800	188800	188800	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	400	कि.ग्रा.	400.00	28800	0	0	28800	188800	188800	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	400	कि.ग्रा.	400.00	28800	0	0	28800	188800	188800	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	400	कि.ग्रा.	400.00	28800	0	0	28800	188800	188800	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		कार्बेन्डाजिम + मैंकोजेब	400	कि.ग्रा.	400.00	28800	0	0	28800	188800	188800	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		इमिजाथाइपर	40	लीटर	250.00	1800	0	0	1800	11800	11800	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		इमिजाथाइपर	20	लीटर	250.00	900	0	0	900	5900	5900	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		इमिजाथाइपर	20	लीटर	250.00	900	0	0	900	5900	5900	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		इमिजाथाइपर	1300	लीटर	250.00	58500	0	0	58500	383500	383500	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		इमिडाक्लोरप्रिड	400	लीटर	515.00	37080	0	0	37080	243080	243080	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		इमिडाक्लोरप्रिड	515	लीटर	515.00	47741	0	0	47741	312966	312966	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		इमिडाक्लोरप्रिड	515	लीटर	515.00	47741	0	0	47741	312966	312966	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		इमिडाक्लोरप्रिड	515	लीटर	515.00	47741	0	0	47741	312966	312966	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		इमिडाक्लोरप्रिड	515	लीटर	515.00	47741	0	0	47741	312966	312966	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		इमिडाक्लोरप्रिड	515	लीटर	515.00	47741	0	0	47741	312966	312966	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		पेण्डामेथ्रिन	40	लीटर	355.00	2556	0	0	2556	16756	16756	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		पेण्डामेथ्रिन	20	लीटर	355.00	1278	0	0	1278	8378	8378	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		पेण्डामेथ्रिन	20	लीटर	355.00	1278	0	0	1278	8378	8378	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		पेण्डामेथ्रिन	50	लीटर	355.00	3195	0	0	3195	20945	20945	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		पेण्डामेथ्रिन	2394	लीटर	355.00	152977	0	0	152977	1002847	1002847	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		पेण्डामेथ्रिन	400	लीटर	355.00	25560	0	0	25560	167560	167560	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		पेण्डामेथ्रिन	515	लीटर	355.00	32909	0	0	32909	215734	215734	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		पेण्डामेथ्रिन	515	लीटर	355.00	32909	0	0	32909	215734	215734	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)

जिला	वर्ष	सामग्री का नाम	मात्रा	ईकाई (कि.ग्रा./ली.)	दर (रूपये)	कर/सेवा शुल्क				कुल राशि(रूपये) (दर X मात्रा) + कॉलम नंबर 10	कुल भुगतान की गई राशि (रूपये)	क्रय किये गये फर्मों/एजेंसियों के नाम
						जी.एस.टी.	प्रदायित संस्था को सेवा शुल्क	अन्य शुल्क	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जांजगीर–चाम्पा	2025–26	प्रोफेनोफॉस	20	लीटर	419.00	1508	0	0	1508	9888	9888	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		प्रोफेनोफॉस	3591	लीटर	419.00	270833	0	0	270833	1775462	1775462	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		प्रोफेनोफॉस	20	लीटर	419.00	1508	0	0	1508	9888	9888	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		प्रोफेनोफॉस	30	लीटर	419.00	2263	0	0	2263	14833	14833	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		प्रोफेनोफॉस	25	लीटर	419.00	1886	0	0	1886	12361	12361	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		प्रोफेनोफॉस	520	लीटर	419.00	39218	0	0	39218	257098	257098	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		प्रोफेनोफॉस	419	लीटर	419.00	31601	0	0	31601	207162	207162	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		प्रोफेनोफॉस	419	लीटर	400.00	30168	0	0	30168	197768	197768	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		थायोमेक्साजॉम	50	लीटर	200.00	1800	0	0	1800	11800	11800	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	20	कि.ग्रा.	340	340	0	0	340	7140	7140	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	50	कि.ग्रा.	340	850	0	0	850	17850	17850	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	40	कि.ग्रा.	340	680	0	0	680	14280	14280	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	50	कि.ग्रा.	340	850	0	0	850	17850	17850	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	520	कि.ग्रा.	340	8840	0	0	8840	185640	185640	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	800	कि.ग्रा.	340	13600	0	0	13600	285600	285600	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	340	कि.ग्रा.	340	5780	0	0	5780	121380	121380	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	340	कि.ग्रा.	340	5780	0	0	5780	121380	121380	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	340	कि.ग्रा.	340	5780	0	0	5780	121380	121380	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	300	कि.ग्रा.	340	5100	0	0	5100	107100	107100	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	2397	कि.ग्रा.	340	40749	0	0	40749	855729	855729	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	340	कि.ग्रा.	340	5780	0	0	5780	121380	121380	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		के.एम.बी.	340	कि.ग्रा.	340	5780	0	0	5780	121380	121380	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	20	कि.ग्रा.	300	300	0	0	300	6300	6300	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	40	कि.ग्रा.	300	600	0	0	600	12600	12600	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	80	कि.ग्रा.	300	1200	0	0	1200	25200	25200	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	50	कि.ग्रा.	300	750	0	0	750	15750	15750	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	780	कि.ग्रा.	300	11700	0	0	11700	245700	245700	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	800	कि.ग्रा.	300	12000	0	0	12000	252000	252000	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	300	कि.ग्रा.	300	4500	0	0	4500	94500	94500	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	300	कि.ग्रा.	300	4500	0	0	4500	94500	94500	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	300	कि.ग्रा.	300	4500	0	0	4500	94500	94500	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	1197	कि.ग्रा.	300	17955	0	0	17955	377055	377055	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	300	कि.ग्रा.	300	4500	0	0	4500	94500	94500	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		जेड.एस.बी.	300	कि.ग्रा.	300	4500	0	0	4500	94500	94500	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	20	कि.ग्रा.	190.48	457	0	0	457	4267	4267	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)

जिला	वर्ष	सामग्री का नाम	मात्रा	ईकाई (कि.ग्रा./ली.)	दर (रूपये)	कर/सेवा शुल्क				कुल राशि(रूपये) (दर X मात्रा) + कॉलम नंबर 10	कुल भुगतान की गई राशि (रूपये)	क्रय किये गये फर्मो/एजेंसियों के नाम
						जी.एस.टी.	प्रदायित संस्था को सेवा शुल्क	अन्य शुल्क	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जांजगीर–चाम्पा	2025–26	माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	120	कि.ग्रा.	190.48	2743	0	0	2743	25601	25601	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	120	कि.ग्रा.	190.48	2743	0	0	2743	25601	25601	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	50	कि.ग्रा.	190.48	1143	0	0	1143	10667	10667	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	1040	कि.ग्रा.	190.48	23772	0	0	23772	221871	221871	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	2000	कि.ग्रा.	190.48	45715	0	0	45715	426675	426675	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	200	कि.ग्रा.	190.48	4572	0	0	4572	42668	42668	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	2394	कि.ग्रा.	190.48	54721	0	0	54721	510730	510730	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	2000	कि.ग्रा.	190.48	45715	0	0	45715	426675	426675	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	500	कि.ग्रा.	190.48	11429	0	0	11429	106669	106669	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	90	कि.ग्रा.	190.48	2057	0	0	2057	19200	19200	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	180	कि.ग्रा.	190.48	4114	0	0	4114	38401	38401	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	440	कि.ग्रा.	190.48	10057	0	0	10057	93869	93869	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		माईकोन्यूट्रेंट मिक्चर	400	कि.ग्रा.	190.48	9143	0	0	9143	85335	85335	बालाजी एग्रोटेक इनोवेशन रायपुर (छ.ग.)
		बोरॉन	2035	0.5 कि.ग्रा.	214.26	21801	0	0	21801	457820	457820	ऑलविन इंड्रीस्ट्रीज इंदौर (म.प्र.)
		जिंक सल्फेट	1041	5 कि.ग्रा.	457.09	23792	0	0	23792	499622	499622	ऑलविन इंड्रीस्ट्रीज इंदौर (म.प्र.)
		संकर मक्का बीज	17956	कि.ग्रा.	296.00	-	-	-	-	5314976	0	कर्णावती सिड्स प्राईवेट लिमिटेड

टीप :– संकर मक्का बीज का वर्तमान में बीज गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त होने के कारण बिल भुगतान नही किया गया है।

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 13-03-2026 16:43:37

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

जांजगीर –चांपा जिले में कृषि विभाग द्वारा कय किए गए कृषि उपकरण एव्र अन्य सामाग्री

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	कृषि यंत्र/उपकरण एवं सामग्री का नाम	मात्रा कि.ग्रा	दर	राशि रू.	(फर्म/एजेंसी का नाम)	क्रय हेतु अपनाई गई प्रक्रिया	क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई (हां या नही)	यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2025-26	राज्य पोषित–समेकित उद्यानिकी विकास योजना	भिण्डी बीज कांशी क्रांति	3	650	1950	बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र राजपुर धमधा जिला दुर्ग	बीज का कय, छ.ग. शासन भण्डार कय नियम 2002 यथा संशोधित का पालन कर किया गया है ।	नही	–
2			पालक बीज आलग्रीन	65	525	34125				
3			अरबी कंद इंदिरा –1	3230	40	129200	कृषि वि.के.जांजगीर			
4			भिण्डी बीज कांशी क्रांति	70	650	45500	बाना प्रक्षेत्र रायपुर			
5			बरबट्टी बीज कांशी कंचन	80	700	56000				
6			सेम बीज इंदिरा सेम –1	29	550	15950				
7			तरोई बीज कांशी श्रेया	8	1400	11200				
8			अमारी भाजी बीज	22	670	14740				
9			बैगन बीज पुसा क्रांति	4	1500	6000				
10			टमाटर बीज कांशी आदर्श	2.5	1500	3750				
11			मूली बीज पुसा चेतकी	15	670	10050				
12			बरबट्टी बीज कांशी कंचन	10	700	7000				
			योग			**335465**				

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 13-03-2026 16:44:38

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

[20 मार्च 2026

प्रपत्र–स

जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव एग्रीटेक कृषि मेंला के आयोजन में विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की जानकारी

क्र.	वर्ष	कार्यक्रम का नाम	व्यय की गई राशि का विवरण लाख रू.में	रिमार्क
1	2	3	5	6
संचालनालय कृषि				
1	2025–26	जाजल्व देव एग्रीटेक कृषि मेला	15.00	कृषकों को कार्यक्रम स्थल तक लाने–ले जाने, कृषकों का नास्ता एवं भोजन व्यवस्था, स्टॉल निर्माण, स्टेज साज–सजावट, टेंट व्यवस्था, फ्लेक्स निर्माण, फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु लिफ्लेट, पम्पलेट छपाई एवं वितरण, कृषकों को कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी संधारित करने हेतु किसानों को पेन, राईटिंग पेड, बटन फाईल का वितरण व्यवस्था, प्रगतिशील कृषकों एवं वैज्ञानिकों के लिए मोमेन्टो, साल, श्रीफल व्यवस्था एवं कृषकों को कृषि डायरी वितरण, ड्रोन एवं कृषि यंत्रों का जीवांत प्रदर्शन व्यवस्था इत्यादि
संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी				
1	2025–26	जाजल्व देव एग्रीटेक कृषि मेला	0.85	स्टॉल साज –सज्जा,प्रादर्श एवं विभागीय योजनाओं का प्रदर्शन की व्यवस्था

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 13-03-2026
16:45:25

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 2861) की जानकारी

प्रपत्र

भवन आबंटन संबंधी नियम / शर्तें

1. भवन के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र सूचना केन्द्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर एवं संपदा अधिकारी/कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के समस्त कार्यालयों तथा मण्डल की पंजीकृत अभिकर्ताओं से EWS हेतु रू. 200/- एवं LIG रू.300/- नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे।
2. आवेदन पत्र के साथ EWS हेतु रू. 15000/- एवं LIG हेतु रु. 30000/- के साथ पंजीयन राशि बैंकर्स चैक /डी.डी./RTGS के माध्यम से सूचना केन्द्र, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02 मौलश्री विहार/कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, परियोजना संभाग-01, सेक्टर-27 नया रायपुर में जमा किये जायेंगे।
3. भवन का आबंटन मण्डल की आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। जिसमें (1) अनुसूचित जाति 6% (2) अनुसूचित जनजाति 4% (3) पिछडा वर्ग 6% (4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1% (5) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (6) शारीरिक विकलांगो के लिए 3% (7) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% (8) पत्रकार 2% (9) शासकीय कर्मचारी सयपुर) के लिए 5% (10) तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित वर्ग के लिए 2% । उपरोक्तानुसार आरक्षण में किसी प्रवर्ग में रिक्त प्रतिशत के हितग्राही उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसकी पूर्ति अनारक्षित वर्गों से की जावेगी।
4. विज्ञापन में दर्शित पंजीयन अवधि में यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध भवनों की संख्या से अधिक प्राप्त होती है तो पंजीयन हेतु आवेदकों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। लाटरी के समय पंजीयनकर्ता स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों का नाम लाटरी में नहीं निकलेगा उनकी जमा पंजीयन राशि मूल चालान / रसीद प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस की जावेगी
5. पंजीयन के पश्चात् भवन क्रमांक का आबंटन लाटरी पद्धति से किया जावेगा। भवन रिक्त होने की स्थिति में मण्डल परिपत्रानुसार परिवर्तन शुल्क जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यालय का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. LIG के लिए आवेदक की वार्षिक आय सीमा रु. 300001/- (रुपये तीन लाख एक) से रु.6,00,000/- (रुपये छः लाख) एवं EWS के लिए वार्षिक आय सीमा रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख) (अधिकतम) पात्रता माप दण्ड है। LIG एवं EWS के हितग्राहियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।

7. पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन स्वीकृत होने के बाद जमा राशि वापस चाहने पर मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर पंजीयन राशि का 10% (दस प्रतिशत) कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।
8. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें निर्धारित समय पर जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित समय पर किश्त प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज देय होगा।
9. पंजीयन पश्चात् आबंटन आदेश में दिये गये तालिकानुसार प्रथम किश्त की राशि के साथ सभी चार समान किश्तें एकमुश्त जमा करने पर आबंटी को सम्पति के विक्रय मूल्य पर 5% की छूट प्रदान की जावेगी।
10. पंजीयन पश्चात् तालिका में अंकित प्रथम अथवा द्वितीय किश्त जमा करने के पश्चात् शेष किश्तों की राशि को एकमुश्त जमा करने पर, जमा दिनांक से अंतिम किश्त की तिथि तक नियमानुसार ब्याज दिया जायेंगा।
11. मण्डल द्वारा योजना में विलम्ब की स्थिति में संपदा अधिकारी देय किश्तों का पुनः निर्धारण कर समय पर हितग्राहियों को सूचित करेंगे।
12. योजनांतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. के हितग्राहियों को रु. 1.00 लाख का अनुदान तथा एल.आई.जी. के हितग्राहियों को रु. 50,000 हजार का अनुदान राज्य शासन द्वारा पात्र हितग्राहियों को दिया जावेगा।
13. प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत :-

(अ) केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राही को अनुदान तथा ब्याज में छूट दी जायेगी। प्रत्येक ई.डब्ल्यू.एस. का वास्तविक मूल्य रु. 6.00 लाख है। पात्र हितग्राही को रु.1.50 लाख का अनुदान केन्द्र द्वारा तथा रु.1.00 लाख राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा। एल.आई.जी. का वास्तविक मूल्य रु. 9.00 लाख है। इस पर राज्य शासन का अनुदान रु. 50,000 है। ब्याज सब्सीडी के अंतर्गत पात्र हितग्राही को अधिकतम आवास ऋण रु. 6.00 लाख पर 6.5 प्रतिशत की दर से राशि अपफ्रट उसके खाते में दी जावेगी, जिसकी अधिकतम राशि रु. 2.30 लाख है।

(ब) भवन का पंजीयन/आबंटन परिवार के महिला सदस्य के नाम पर किया जावेगा। महिला आवेदक के अतिरिक्त परिवार के संयुक्त नाम पर भी आबंटन किया जा सकता है। आवेदक के नाम पर अन्य कोई पक्का भवन/मकान नही होना चाहिए। आवेदक शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

(स) अनुदान प्राप्त करने हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र "ख" में जानकारी अनिवार्य रुप से उपलब्ध करावे। (आवश्यक दस्तावेज के साथ। विस्तृत जानकारी www.mhupa.gov.in में उपलब्ध ।

14. मण्डल द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबटी को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आबटी को भवन के मूल्य पर आपति हो तो मण्डल में जमा राशि नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकेगा।

15. स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रकोष्ठ भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत् किया जावेगा। भवनों में निर्माण हेतु स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत निर्धारित तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित हैं, निर्धारित समय पर देना होगा। विलंब हेतु नियमानुसार ब्याज देय होगा।

16. जहां प्रकोष्ठ भवनों में भूतल पर कव्हर्ड पार्किंग का प्रावधान रखा गया है उसका उपयोग संबंधित ब्लॉक के आबंटी सामूहिक रूप से बिना विवाद करेंगे।

17. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कॉलोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्त हितग्राहियों, चाहे वे स्वतंत्र भवन या प्रकोष्ठ भवन के हितग्राही हों मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों कि सामूहिक व्यवस्थाओं के रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 5% तारक राशि ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि मण्डल के नियमानुसार प्रदान किया जावेगा। मण्डल द्वारा 18 माह के पश्चात् किसी भी स्थिति में कॉलोनी रख-रखाव का कार्य नहीं किया जायेगा।

18. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता, फोन नंबर / मोबाईल नंबर ई-मेल आई.डी. स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।

19. उक्त योजनांतर्गत मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तों को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।

20. भवन पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि आधिपत्य नहीं प्राप्त करते हैं तो भवन में सुरक्षा हेतु मण्डल के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा। अन्यथा आबंटन निरस्त कर अन्य आवेदक को भवन आवंटन किया जावेगा।

21. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें समय पर चुकाना होगा, किश्तें समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल पंजीयन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

22. किसी भी कारण से यदि आधिपत्य लेने में आबंटी की ओर से देरी होती है तो कार्यपालन अभियंता / संपदा अधिकारी आबंटन निरस्त कर सकते है। आबंटी को यदि समयावधि प्रदान की जाती है तो सुरक्षा शुल्क का आबंटी द्वारा भुगतान करना अनिवार्य होगा।

23. आधिपत्य लेने के संबंध में यदि हितग्राही द्वारा आना-कानी किया जाता है अथवा भवन के स्थिति के संबंध में प्रोटेस्ट अथवा अभ्यावेदन देते हैं ऐसी स्थिति में यदि उनकी शिकायत अथवा प्रोटेस्ट या अभ्यावेदन सही पाया जाता है, तो मण्डल उसे 02 माह के भीतर भवन में आवश्यक सुधार/समाधान कर आधिपत्य देगा। यदि हितग्राही उस सुधार/समाधान से सहमत नहीं है तो आबंटन निरस्त कर उनकी जमा

राशि 7.5% ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थातरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा तथा आबंटी अन्य किसी प्रकार के मुआवजा आदि के लिए हकदार नहीं होंगे।

24. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से भवन क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जावेगा किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

25. यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से स्व-वित्तीय योजनांतर्गत किश्तें जमा करने के लिए हितग्राही द्वारा समयावधि बढ़ाई जाने की मांग की जाती हैं तो उक्त बढ़ाई गई अवधि के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज, हितग्राही को जमा करना होगा।

26. विज्ञापन में दर्शायी गई कीमत अनुमानित है भवन की अंतिम मूल्य, वास्तविक व्यय के आधार पर मण्डल के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित किया जावेगा, जो आबंटी को मान्य होगा।

27. (अ) भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य के अतिरिक्त अग्रिम लीजरेन्ट भू-संधारण शुल्क, कामन सर्विस चार्सेस, बीमा शुल्क तथा राज्य शासन के अन्य प्रभार एवं नल कनेक्शन प्रभार नियमानुसार पृथक से आबंटन/आधिपत्य पूर्व जो कि भवन के मूल्य का लगभग 10% होगा, पृथक से देय होगा। स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क प्रभारित किया जाता है तो वह भी पृथक से देय होंगे।

(ब) हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम / छत्तीसगढ़ गृह मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।

28. पंजीयन एवं किश्तों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी। किश्त राशि जमा करने पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

29. भवन के डिजाईन तथा स्पेसीफिकेशन मण्डल द्वारा ही तय किये जायेंगे बुकलेट में दर्शाये गए स्पेशिफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए मण्डल स्वतंत्र है। इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।

30. स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत आबंटित भू-खण्ड पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु रू. 50/- के नान-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् सहमति निर्धारित प्रारूप में आबंटी को देना होगा।

31. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र संपदा

प्रबंधन प्रक्षेत्र/संभाग कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं एवं मण्डल के वेबसाईट www.cghb.gov.in में देखा जा सकता है।

32. भवन आबंटन के उपरात किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा ।

33. ऐसी योजना/योजनाएँ जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/योजनाओं ली जानी डल हित में नहीं होगा, सपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि 7.5% ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।

34. इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालयीन विवाद होता है तो योजना में विलब हो सकता है जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रह भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज/हानि/मुआवजा नहीं मिलेगी। इन शर्तों को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर है, जानते हुए भवनों का आवंटन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पंजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।

35. इस आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि आबंटन रद्द कर दें।

36. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

37. मण्डल में प्रचलित अन्य नियम भवन आधिपत्य के पश्चात् या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे एवं उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।

38. भवन का आधिपत्य 03 साल 06 माह में अथवा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दिया जायेगा।

39. भवन का पूर्ण मूल्य निर्धारित तालिकानुसार किश्तों में हितग्राही को देनी होगी किन्तु भवन का आधिपत्य निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दिया जावेगा।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - उन्चास

अतारांकेत प्रश्न संख्या 48 (क्र. 2866) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र	ग्राम	माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	मान. विधायक द्वारा प्रस्तावित राशि रू.(लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	2024–25	जैजैपुर	बिर्रा	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
2	2024–25	जैजैपुर	गतवा	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
3	2024–25	जैजैपुर	करनौद	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
4	2024–25	जैजैपुर	सेमरिया	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
5	2024–25	जैजैपुर	तालदेवरी	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
6	2024–25	जैजैपुर	नक्टीडीह	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
7	2024–25	जैजैपुर	झर्रा	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
8	2024–25	जैजैपुर	पुछेली	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
9	2024–25	जैजैपुर	सरवानी	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
10	2024–25	जैजैपुर	रोहदा	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
11	2024–25	जैजैपुर	पोडीशंकर	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
12	2024–25	जैजैपुर	भदरा	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
13	2024–25	जैजैपुर	बसंतपुर	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
14	2024–25	जैजैपुर	गोविंदा	ांकादिक पटेल घर से आगे की आर सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	10.00
15	2024–25	जैजैपुर	नक्टीडीह	मेन रोड से छबी घर की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00
16	2024–25	जैजैपुर	मौहाडीह	इंद्र कुमार घर से आगे की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00
17	2024–25	जैजैपुर	खपरीडीह	मेने रोड से भाटापारा की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00
18	2024–25	जैजैपुर	सरवानी	मुख्य मार्ग से नहर की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00
19	2024–25	जैजैपुर	औराडीह	कोनियापाठ की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00
20	2024–25	जैजैपुर	परसापाली	सराईपाठ सामुदायिक भवन में अहाता निर्माण कार्य।	10.00
21	2024–25	जैजैपुर	सोनाईडीह	छतबाई घनवर घर से आगे की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00
22	2024–25	जैजैपुर	देवरानी	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
23	2024–25	जैजैपुर	सिलादेही	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00
24	2024–25	जैजैपुर	दर्राभाठा	रामसागर तालाब में सामुदायिक भवन निर्माण।	10.00
25	2024–25	जैजैपुर	परासडीह	मुक्तिधाम में अहाता निर्माण कार्य।	10.00
26	2024–25	जैजैपुर	मुक्ता	भुजबल घर से मेन रोड तक सी.सी.रोड निम्रण कार्य।	10.00
27	2024–25	जैजैपुर	बेलकर्री	बजरंग चौक से आगे की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.00
28	2024–25	जैजैपुर	बडे रबेली	ईतवारी घर से बोलो घर की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00
29	2024–25	जैजैपुर	बासीन	मुख्य मार्ग से नहर पार की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.00

क्र.	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र	ग्राम	माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	मान. विधायक द्वारा प्रस्तावित राशि रू.(लाख में)
1	2	3	4	5	6
30	2024–25	जैजैपुर	बडे सीपत	गजमरा पारा से डोरी लाल की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.00
31	2024–25	जैजैपुर	भुतहा	श्याम लाल चंद्रा घर से आगे की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.00
32	2024–25	जैजैपुर	दर्राभाठा	मुक्तिधाम निर्माण कार्य।	10.00
33	2024–25	जैजैपुर	चिस्दा	संतोष किशोर घर से नाला की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.00
34	2024–25	जैजैपुर	बेलादुला	अंबेडकर चौक से बस्ती की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.00
35	2024–25	जैजैपुर	पिहरीद	कॉलेज रोड से बोधी तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.00
36	2024–25	जैजैपुर	बरदूली	पानी टंकी से मुक्तिधाम तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.00
37	2024–25	जैजैपुर	गाड़ामोर	हेतराम घर से नंदलाल घर की ओर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00
38	2024–25	जैजैपुर	देवरघटा	श्यामलाल लहरे गुरूजी घर से जनता लहरे घर की ओर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	10.00
39	2024–25	जैजैपुर	पिरदा	दादू लाल सोनवानी घर से आगे की आरे सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.00

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
15:05:24

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 2870) की जानकारी

प्रपत्र

अटल विहार योजना के तहत् कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लोगों को संलग्न प्रपत्र के दर अनुसार आवास दिए जाने की जानकारी

क्र.	आय वर्ग	भवन के प्रकार	अटल विहार योजना चिल्हाटी, फेस-I में निर्मित भवनों का मूल्य	अटल विहार योजना चिल्हाटी, फेस-II में प्रस्तावित भवनों का मूल्य	अटल विहार योजना बोदरी में निर्माणाधीन / प्रस्तावित भवनों का मूल्य
1	कमजोर आय वर्ग	ई.डब्ल्यू.एस. भवन	रु. 4.80 लाख	भवनों के मूल्य निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	रु. 7.68 लाख
2	निम्न आय वर्ग	एल.आई.जी. भवन	रु. 12.08 लाख		रु. 14.79 से रू. 18.42 लाख
3	मध्यम आय वर्ग	एम.आई.जी. भवन	रु. 22.50 से रू. 27.80 लाख		रू. 24.07 से रू. 42.08 लाख
4	उच्च आय वर्ग	एच.आई.जी. भवन	रु. 33.45 लाख		रु. 53.83 लाख

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र–अ

सक्ती जिला अंतर्गत बोर खनन, पंप प्रतिस्थापन, सिंचाई पंप वितरण एवं अनुदान राशि की वर्षवार, योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी

(ईकाई–राशि रू. में)

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	घटक	वर्ग एवं प्रावधानित अनुदान	विकासखण्डवार विवरण									
					सक्ती		मालखरौदा		डभरा		जैजैपुर		योग	
					संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2024–25	किसान समृद्धि योजना	बोर खनन	सामान्य–रू. 10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				अ.पि.वर्ग–रू. 15000	2	30000	1	15000	1	15000	1	15000	5	75000
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 18000	0	0	1	18000	0	0	1	18000	2	36000
			पंप प्रतिस्थापन	सामान्य–रू. 15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				अ.पि.वर्ग–रू. 20000	1	20000	1	20000	1	20000	1	20000	4	80000
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 25000	0	0	1	25000	0	0	1	25000	2	50000
		रा.कृ.वि.यो. (उथला नलकूप)	बोर खनन	समस्त वर्ग–रू. 5000	0	0	5	25000	70	350000	0	0	75	375000
			पंप प्रतिस्थापन	समस्त वर्ग–रू. 15000	0	0	5	75000	70	1050000	0	0	75	1125000
		शाकम्भरी	सिंचाई पंप वितरण	लागत का अधिकतम 75 % अथवा हार्स पावॅर अनुसार निर्धारित अधिकतम राशि	131	1753341	112	1507782	121	1621642	93	1012478	457	5895243
2	2025–26 (02 फरवरी 2026 तक)	किसान समृद्धि योजना	बोर खनन	सामान्य–रू. 10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				अ.पि.वर्ग–रू. 15000	1	15000	0	0	0	0	0	0	1	15000
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			पंप प्रतिस्थापन	सामान्य–रू. 15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				अ.पि.वर्ग–रू. 20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				अ.जा./अ.ज.जा.–रू. 25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रा.कृ.वि.यो. (उथला नलकूप)	बोर खनन	समस्त वर्ग–रू. 5000	0	0	0	0	0	0	9	45000	9	45000
			पंप प्रतिस्थापन	समस्त वर्ग–रू. 15000	0	0	0	0	0	0	9	135000	9	135000
		शाकम्भरी	सिंचाई पंप वितरण	लागत का अधिकतम 75 % अथवा हार्स पावॅर अनुसार निर्धारित अधिकतम राशि	40	525939	51	697814	34	479050	32	328851	157	2031654

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 13-03-2026 17:52:31

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोर खनन, पंप प्रतिस्थापन, सिंचाई पंप वितरण की वर्षवार, योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	विकासखण्डवार विवरण									
			मालखरौदा					डभरा				
			प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	अस्वीकृत आवेदन	लंबित आवेदन	लाभान्वित कृषक	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	अस्वीकृत आवेदन	लंबित आवेदन	लाभान्वित कृषक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2024–25	किसान समृद्धि योजना	3	3	0	1	2	3	3	0	2	1
		रा.कृ.वि.यो. (उथला नलकूप)	5	5	0	0	5	70	70	0	0	70
		शाकम्भरी	112	112	0	0	112	121	121	0	0	121
2	2025–26 (02 फरवरी 2026 तक)	किसान समृद्धि योजना	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
		रा.कृ.वि.यो. (उथला नलकूप)	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
		शाकम्भरी	81	51	0	30	51	75	34	0	41	34
		नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल– ऑयल पाम (बोर खनन)	6	0	0	6	0	–	–	–	–	–
		नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल– ऑयल पाम (सिंचाई पम्प वितरण)	6	0	0	6	0	–	–	–	–	–

टीप :– 1. किसान समृद्धि योजनांतर्गत लंबित आवेदन के देयक प्राप्त होने के उपरांत भुगतान किया जावेगा।

2. नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम (बोर खनन एवं सिंचाई पम्प वितरण) के प्राप्त आवेदनों को दिनांक 10.02.2026 की स्थिति में स्वीकृति प्रदान की गई है।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 13-03-2026
17:53:22

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 2875) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला सक्ती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी

जिला	तहसील का नाम	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या	दावा भुगतान		
					कृषक संख्या	दावा राशि (रू. में)	भुगतान हेतु लंबित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
सक्ती	अड़भार	2024	खरीफ	3366	0	0	0
सक्ती	भोथिया			2581	0	0	0
सक्ती	चन्द्रपुर			845	0	0	0
सक्ती	दरभा			2841	0	0	0
सक्ती	हसौद			1598	0	0	0
सक्ती	जैजैपुर			1171	0	0	0
सक्ती	मालखरोदा			5671	281	2094267	0
सक्ती	नया बारद्वार			1136	21	26922	0
सक्ती	सक्ती			2395	0	0	0
योग खरीफ 2024				**21604**	**302**	**2121189**	**0**
सक्ती	भोथिया		रबी	18	4	1778	0
सक्ती	दरभा			14	0	0	0
सक्ती	मालखरोदा			7	7	8362	0
सक्ती	सक्ती			17	0	0	0
योग रबी 2024				**56**	**11**	**10140**	**0**
योग खरीफ एवं रबी 2024				**21660**	**313**	**2131329**	**0**
सक्ती	अड़भार	2025	खरीफ	3498	**दावा गणना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**		
सक्ती	भोथिया			3266			
सक्ती	चन्द्रपुर			1125			
सक्ती	दरभा			5413			
सक्ती	हसौद			2328			
सक्ती	जैजैपुर			3311			
सक्ती	मालखरोदा			5940			
सक्ती	नया बारद्वार			2530			
सक्ती	सक्ती			3451			
योग खरीफ 2025				**30862**			
सक्ती	दरभा		रबी	3	**फसल कटाई प्रयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**		
सक्ती	मालखरोदा			15			
सक्ती	सक्ती			12			
योग रबी 2025				**30**			
योग खरीफ एवं रबी 2025				**30892**	**0**	**0**	**0**
महायोग				**52552**	**313**	**2131329**	**0**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 12-03-2026 17:25:24

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रति हेक्टेयर फसलवार बीमा राशि की जानकारी

जिला	मौसम	फसल	बीमांकित राशि (प्रति हे.) 2024	बीमांकित राशि (प्रति हे.) 2025
सक्ती	खरीफ	उड़द	22000	22000
सक्ती	खरीफ	मूंग	22000	22000
सक्ती	खरीफ	मूंगफली	42000	42000
सक्ती	खरीफ	कोदों	16000	16000
सक्ती	खरीफ	कुटकी	17000	17000
सक्ती	खरीफ	मक्का	36000	36000
सक्ती	खरीफ	धान सिंचित	60000	60000
सक्ती	खरीफ	धान असिंचित	43000	43000
सक्ती	खरीफ	तुअर(अरहर)	35000	35000
सक्ती	खरीफ	रागी	15000	15000
सक्ती	खरीफ	सोयाबीन	41000	41000
सक्ती	रबी	चना	32000	32000
सक्ती	रबी	अलसी	18000	18000
सक्ती	रबी	राई - सरसों	22000	22000
सक्ती	रबी	गेंहू - सिंचित	30000	30000
सक्ती	रबी	गेंहू - असिंचित	25000	25000

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
17:29:23

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना अंतर्गत जोखिमवार दावा राशि के भुगतान का प्रावधान एवं समयावधि

(क) बाधित रोपाई/रोपण जोखिमः-

- फसल बुआई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरित मौसमीय दशाओं के कारण अधिसूचित मुख्य फसल की 75% से अधिक क्षेत्रफल में बुआई/रोपाई/अंकुरण नहीं हो पाने की स्थिति में बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषक को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। यह आवरण केवल ''मुख्य फसल'' हेतु खरीफ में ''धान सिंचित'' एवं ''धान असिंचित'' तथा रबी में ''चना'' के लिए ही लागू है।
- राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर बीमा कंपनी द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से कृषकों के खाते में दावा राशि भुगतान की जाती है।
- इस घटक के अधीन क्षतिपूर्ति देय होने के पश्चात् बीमा आच्छादन को समाप्त माना जावेगा और प्रभावित बीमा इकाई/फसल मौसम के अंत में क्षेत्र उपज आधारित संगणित दावों के पात्र नहीं होंगे और न ही इन क्षेत्रों में प्रभावित अधिसूचित फसलों के लिये कोई नया पंजीयन किया जावेगा।

(ख) स्थानीयकृत आपदाओं की स्थिति में:-

- ओलावृष्टि, जलभराव (धान फसल पर लागू नहीं), बादल का फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से होने वाले फसल क्षति हेतु व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है।
- कृषक इसकी सूचना निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे। कृषक द्वारा सूचित किये गये संस्था/विभाग द्वारा 48 घंटे के भीतर क्षतिग्रस्त बीमित फसल के ब्योरे तथा क्षति का कारण सहित बीमा कंपनी को सूचित किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर लॉस एसेसर की नियुक्ति की जानी होगी तथा 10 दिवस के भीतर क्षति आंकलन पश्चात् उसके 15 दिवस के भीतर क्षति पूर्ति राशि का भुगतान करना होगा।
- इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता बीमित राशि के अध्याधीन प्रभावित क्षेत्र में आपदा घटित होने तक फसल की कास्त लागत के अनुपात में होगी।

(ग) फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में:-

- फसलों के कटाई उपरांत खेत में छोटे-छोटे बंडलो में बांध कर अधिकतम 2 सप्ताह (14 दिनों) तक सुखाने के लिये रखी गई फसल में चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसम वर्षा से अधिसूचित ईकाई में 25% से अधिक क्षेत्र में फसल क्षति हेतु व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है।
- कृषक इसकी सूचना निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे। कृषक द्वारा सूचित किये गये संस्था/विभाग द्वारा 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर लॉस एसेसर की नियुक्ति की जानी होगी तथा 10 दिवस के भीतर क्षति आंकलन पश्चात् उसके 15 दिवस के भीतर क्षति पूर्ति राशि का भुगतान करना होगा।

(घ) फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में:-

- राज्य शासन फसल उत्पादन आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई ''ग्राम'' में अधिसूचित फसलों के लिए 04 तथा बीमा ईकाई ''रा.नि.मं.'' हेतु 10 फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार के मोबाईल CCE AGRI APP के माध्यम से संपादित किये जाने के पश्चात् प्राप्त उपज आकड़ों के आधार पर जो कि निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से कमी होने की स्थिति में क्षति प्रतिशत के आधार पर बीमित कृषकों को उनके अधिसूचित बीमित फसल के रकबे के अनुसार अंतिम बीमा दावा राशि का भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से किया जाता है।

- फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर निम्नानुसार दावा गणना की जाती है।

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज - वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

- जोखिम ''स्थानीयकृत आपदा'' एवं ''फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान'' के तहत प्रदायित दावा भुगतान समायोजित होगी।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12 03 2026
17:30:18 **(विकास मिश्रा)**
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–द

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जानकारी

जिला	तहसील	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या	दावा भुगतान की जानकारी		
					कृषक	राशि	भुगतान हेतु लंबित राशि
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
सक्ती	अड़भार	2024	खरीफ	5	4	1800	0
	भोथिया			7	7	0	0
	चंद्रपुर			11	2	122367	0
	डभरा			20	15	37134	0
	हसौद			40	0	0	0
	जैजैपुर			2	0	0	0
	मालखरौदा			6	2	3125	0
	नया बाराद्वार			4	0	0	0
	सक्ती			8	3	866	0
योग खरीफ 2024				**103**	**33**	**165292**	0
सक्ती	अड़भार	2024-25	रबी	1	1	2297	0
	भोथिया			2	2	29979	0
	डभरा			6	6	10612	0
	मालखरौदा			1	1	4604	0
	नया बाराद्वार			2	2	3613	0
	सक्ती			4	4	12173	0
योग रबी 2024–25				**16**	**16**	**63277**	0
कुल योग खरीफ एवं रबी 2024				**119**	**49**	**228569**	**0**
सक्ती	भोथिया	2025	खरीफ	10	फसलो की जोखिम अवधि समाप्त नहीं हुई है।		
	चंद्रपुर		खरीफ	2			
	डभरा			9			
	हसौद			12			
	जैजैपुर			2			
	मालखरौदा			6			
	नया बाराद्वार			3			
	सक्ती			8			
योग खरीफ 2025				**52**			
सक्ती	भोथिया	2025-26	रबी	4	बीमा का कार्य प्रकियाधीन है।		
	चंद्रपुर			3			
	डभरा			8			
	हसौद			3			
	मालखरौदा			5			
	नया बाराद्वार			4			
	सक्ती			5			
योग रबी 2025–26				**32**			
कुल योग खरीफ एवं रबी 2025				**84**	**0**	**0**	**0**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
17:28:29

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–इ

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की जानकारी

(राशि रू. में)

जिला	मौसम	फसल का नाम	बीमित राशि (प्रति हे.) 2024	बीमित राशि (प्रति हे.) 2025
1	2	3	5	6
सक्ती	खरीफ	टमाटर	120000	120000
		बैंगन	77000	77000
		अमरूद	45000	45000
		पपीता	125000	125000
		केला	165000	165000
		मिर्च	90000	90000
		अदरक	150000	150000
	रबी	टमाटर	120000	120000
		बैंगन	77000	77000
		पत्तागोभी	70000	70000
		फूलगोभी	70000	70000
		प्याज	80000	80000
		आलू	120000	120000

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12.03.2026
17:27:27

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-फ

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत जोखिमवार दावा राशि के भुगतान का प्रावधान एवं समयावधि

(क) प्रतिकूल मौसम की स्थिति में -

- पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत प्रतिकूल मौसम यथा अधिक तापमान, कम तापमान, बीमारी अनुकुल मौसम, बेमौसम वर्षा, अधिक वर्षा, कम वर्षा एवं वायुगति से फसल क्षति की स्थिति में योजना के प्रावधानानुसार राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तैयार एवं राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित टर्मशीट में निहित मौसमीय मापदण्डों से राज्य में स्थापित स्वचलित मौसम केन्द्रों से प्राप्त वास्तविक मौसमीय आंकड़ों के विचलन के आधार क्रियान्वयक बीमा कंपनी के द्वारा दावा राशि का गणना कर दावा भुगतान की कार्यवाही की जाती है|
- योजनान्तर्गत फसलवार निर्धारित जोखिम अवधि समाप्ति उपरांत भारत सरकार के विंड्स पोर्टल पर मौसमीय आंकड़ा प्राप्त होने के 21 दिन पश्चात् बीमा कंपनी द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से कृषकों के खाते में दावा राशि की भुगतान की जाती है।

(ख) स्थानीय जोखिमों की स्थिति में:-

- स्थानीय जोखिम यथा ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाओं से फसल क्षति की स्थिति में कृषक घटना के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर या लिखित रूप में बीमा कंपनी, सम्बंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को बीमित फसल के ब्योरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करता है| सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर सम्बंधित संस्था द्वारा (बैंक/ स्थानीय उद्यानिकी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी) बीमित फसल के ब्योरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण आदि की जानकारी से बीमा कंपनी को अवगत कराया जाता है|
- क्षति सम्बंधित सूचना प्राप्त होने पर कृषक के क्षेत्र में फसल की हानि का आंकलन लगाने के लिए 48 घंटे के भीतर निर्धारित अर्हता रखने वाले हानि निर्धारकों (लॉस एसेसर) की नियुक्ति तथा जिला स्तरीय संयुक्त समिति के द्वारा योजना के मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार 10 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति का निर्धारण क्रियान्वयक बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है| बीमा कंपनी द्वारा 7 दिनों के भीतर प्रभावित कृषकों के आकड़ों का सत्यापन योजना के वेबपोर्टल में किया जाता है तथा क्षति आंकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-03-2026
17:26:34 **(विकास मिश्रा)**
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 2878) की जानकारी

प्रपत्र

निरीक्षण–प्रतिवेदन

विषय – मेसर्स करही चण्डी लाईमस्टोन माईन, (ए यूनिट ऑफ श्री सीमेंट लिमिटेड) ग्राम–करही–चण्डी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.)।

संदर्भ – मंडल मुख्यालय का पत्र कमांक 8024 दिनांक 13.10.2025 (इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 23.10.2025).

उद्योग/खदान का नाम एवं पता	:	मेसर्स करही चण्डी लाईमस्टोन माईन, (ए यूनिट ऑफ श्री सीमेंट लिमिटेड) ग्राम–करही–चण्डी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)
निरीक्षण दिनांक	:	06.03.2026
निरीक्षणकर्ता	:	श्रीमती चंद्रिका कंवर, मुख्य रसायनज्ञ प्रवीण नाग, सहायक अभियंता मानिक लाल चंदेल, वैज्ञानिक
निरीक्षण के समय उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि	:	श्री मनोज सुथार, मैनेजर पर्यावरण

विवरण :–

प्राप्त शिकायत की परिपेक्ष्य में दिनांक 06.03.2026 को शिकायतकर्ता श्री बसंत आडिल की उपस्थिति में खदान का निरीक्षण किया गया। खदान को मंडल मुख्यालय द्वारा पत्र कमांक 1789/TS/CECB/2022 Nava Raipur Atal Nagar, dated: 13-06-2022 के माध्यम से Permission to establish for Excavation from the Mine – 1.95 Million Tonnes Per Year (Lime Stone–1.5 Million Tonnes Per Year, Inter- Burden – 0.45 Million Tonnes Per Year) and Crusher – 1200 Tonnes / Hour in lease area 225.719 ha at Village – Karhi Chandi & Khapradih, Tehsil- Simga, District - Balodabazar – Bhatapara (C.G.) हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है। मंडल मुख्यालय द्वारा पत्र कमांक 7580/TS/CECB/2023 Nava Raipur Atal Nagar, dated: 27.01.2023 के माध्यम से Lime Stone (lease area 225.719 ha.) – 1.5 Million Tonnes for Per Year हेतु संचालन सम्मति जारी की गई है। मंडल मुख्यालय द्वारा पत्र कमांक 11765/TS/CECB/2025 Nava Raipur Atal Nagar, dated: 12.03.2025 के माध्यम से Mining of Lime Stone (lease area 225.719 ha.) – 1.5 Million Tonnes for Per Year हेतु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 28.02.2030 तक है। निरीक्षण के दौरान खदान संचालित पाया गया। खदान में ओपनकास्ट मेकेनाईज्ड पद्धति से उत्खनन किया

जाता है। इकाई द्वारा जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। खदान में घरेलू दूषित जल उपचार हेत सेप्टिक एवं सोकपिट व्यवस्था किया गया है। हॉल रोड पर मोबाईल वाटर टैंकरों के माध्यम से जल छिडकाव किया जाता है। खदान क्षेत्र में डी.जी.एम.एस. के गाईड लाईन्स के परिपालन नियंत्रित ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान प्रबंधन द्वारा लीज क्षेत्र में 1.93 हेक्टेयर भूमि में कुल 4,900 नग वृक्षारोपण किया गया है, जिसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की प्रति प्रस्तुत किया गया है। खदान लीज क्षेत्र में कशर निर्माण का कार्य प्रगति पर पाया गया। लीज क्षेत्र में 03 नग सीएएक्यूएमएस स्टेशन स्थापित/संचालित पाया गया। निरीक्षण दिवस खदान लीज क्षेत्र में 02 स्थलों पर वायु गुणवत्ता मापन कार्य एवं आस–पास के गांव ग्राम–चण्डी एवं खपराडीह से बोरवेल का जल नमूना एकत्रित किया गया, जिसका विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाई गई है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।

प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लाईम स्टोन माईन के कुल माईन एक्सकेवेशन क्षमता – 1.95 मिलियन टन/वर्ष (लाईम स्टोन 1.5 मिलियन टन/वर्ष, इन्टरबर्डन–0.45 मिलियन टन/वर्ष) रकबा 242.127 हेक्टेयर तथा कशर – 1200 टन/घंटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15.05.2020 को जारी की गई थी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 29.10.2021 के माध्यम से खदान के कुल रकबे (242.127 हेक्टेयर) को संशोधित करते हुये खदान का कुल रकबा 225.719 हेक्टेयर किया गया है। निरीक्षण के दौरान खदान प्रबंधन को जारी जल एवं वायु सम्मति/नवीनीकरण में निहित शर्तो का पालन किया जाना पाया गया। शिकायत पत्र में उल्लेखित अन्य बिन्दु इस कार्यालय से संबंधित नही है।

जानकारी कृपया अग्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वैज्ञानिक सहायक अभियंता मुख्य रसायनज्ञ

Report No. – 316/25-26

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
NEW OFFICE BUILDING, RING ROAD NO. – 02, TATIBANDH, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Location : Karhi Chandi Lime Stone Mines (Shree Cement Ltd.)
   Vill. – Karhi Chandi , Dist. – Balodabazar- Bhatapara
2. Date of Sampling : 06/03/2026
3. Date of Analysis : 09/03/2026
4. Monitored By : Chandrika kanwar (Chief Chemist)
   Praveen Kumar Nag (Ast. Eng.)
   Manik Lal Chandel (Scientist)
   B.P. Mishra (Inc. Chemist)
   R.R. Tripathi (Lab. Asst. Grade-II)
5. Analysed By : Pravin Kumar Bharti (Jr. Scientist)
6. Reference : As per R.O. Instructions.

1. AMBIENT AIR QUALITY

S. No.	Monitoring point	Unit	Parameters
			PM10
1.	Near CAAQMS No. 01 approx 400 mtr. away From Mining Area	$\mu g/m^3$	86.66
2.	Near CAAQMS No. 02 approx 600 mtr. Away From Mining Area	$\mu g/m^3$	81.33

NOISE MONITORING

Location : Mines (Industrial Area)

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading	Limits in dB(A) Leq
1.	12:00 A.M.	dB	65.02	75
2.	12:20 A.M.	dB	68.08	
3.	12:40 P.M.	dB	59.09	
4.	01:04 P.M.	dB	62.04	

Remark

1. During the monitoring period weather was Cloudy & wind direction was variable.

Jr. Scientist Scientist C. Chemist Regional Officer

Report No. – 290/25-26

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
NEW OFFICE BUILDING, RING ROAD NO.-2, TATIBANDH, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Bore well Water from Vikas Verma's House, Village – Chandi , Dist.- Balodabazar-Bhatapara .
Description of Sample	:	Borewell Water
Date & Time of Sample Collection	:	06.03.2026 (10: 40 AM)
Date of Sample Received	:	06.03.2026
Date of Sample Analysis	:	06.03.2026
Sample Collected By	:	B. P. Mishra (Inc. Chemist) R. R. Tripathi (Lab. Asst. Grade –II)
Sample Analysed by	:	Jitendra Singh (Jr. Scientist)
Reference	:	As Per RO Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1	Temperature	°C	24.0
2	Apperance	--	Clear
3	Odour	--	Odorless
4	pH	pH Unit	7.50
5	Conductivity	µ Mhos/cm	274.0
6	Turbidity	NTU	1.07
7	Total Solids	mg/Liter	258.0
8	Total Dissolved Solids	"	230.0
9	Suspended Solids	"	28.0
10	C.O.D.	"	16.0
11	Total Alkalinity	"	68.0
12	Total Hardness (as CaCO3)	"	190.0
13	Calcium Hardness(as CaCO3)	"	120.0
14	Magnesium Hardness (asCaCO3)	"	70.0
15	Chloride (as Cl)	"	51.98
16	Calcium	"	48.0
17	Magnesium	"	17.07

Jr. Scientist Scientist Chief Chemist Regional Officer

Report No. -291 /25-26

REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
NEW OFFICE BUILDING, RING ROAD NO.-2, TATIBANDH, RAIPUR (C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected From	:	Bore well Water Near Community Bhawan, Village- Khapradih , Dist.- Balodabazar-Bhatapara .
Description of Sample	:	Borewell water
Date & Time of Sample Collection	:	06.03.2026 (11: 50 AM)
Date of Sample Received	:	06.03.2026
Date of Sample Analysis	:	06.03.2026
Sample Collected By	:	B. P. Mishra (Inc. Chemist) R. R. Tripathi (Lab. Asst. Grade –II)
Sample Analysed by	:	Jitendra Singh (Jr. Scientist)
Reference	:	As Per RO Instruction

S.No.	Characteristics	Unit	Result
1	Temperature	°C	24.0
2	Apperance	--	Clear
3	Odour	--	Odorless
4	pH	pH Unit	7.36
5	Conductivity	µ Mhos/cm	248.0
6	Turbidity	NTU	0.36
7	Total Solids	mg/Liter	230.0
8	Total Dissolved Solids	"	210.0
9	Suspended Solids	"	20.0
10	C.O.D.	"	14.0
11	Total Alkalinity	"	58.0
12	Total Hardness (as CaCO3)	"	180.0
13	Calcium Hardness(as CaCO3)	"	116.0
14	Magnesium Hardness (asCaCO3)	"	64.0
15	Chloride (as Cl)	"	33.98
16	Calcium	"	46.4
17	Magnesium	"	15.60

Jr. Scientist Scientist Chief Chemist Regional Officer

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - चौवन
अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 2879) की जानकारी

प्रपत्र – "अ"

– प्री–मैट्रिक छात्रावास –

क्रं.	विकासखण्ड	संचालित छात्रावास	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25	
			स्वीकृत सीट	भरी सीट	स्वीकृत सीट	भरी सीट
1	बलौदाबाजार	14	680	661	680	546
2	भाटापारा	9	450	359	450	383
3	पलारी	5	300	281	300	286
4	सिमगा	8	425	395	425	356
5	कसडोल	20	920	971	920	879
योग		**56**	**2775**	**2667**	**2775**	**2450**

– पोस्ट मैट्रिक छात्रावास –

क्रं.	विकासखण्ड	संचालित छात्रावास	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25	
			स्वीकृत सीट	भरी सीट	स्वीकृत सीट	भरी सीट
1	बलौदाबाजार	5	300	378	300	324
2	भाटापारा	4	200	179	200	175
3	पलारी	2	100	90	100	97
4	सिमगा	1	50	30	50	32
5	कसडोल	3	150	147	150	139
योग		**15**	**800**	**824**	**800**	**767**

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र – "ब"

प्री–मैट्रिक छात्रावास(शिष्यवृत्ति)

क्रं.	विकासखण्ड	मद का नाम	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	योग
			व्यय राशि	व्यय राशि	
1	बलौदाबाजार	शिष्यवृत्ति	9915000	8190000	18105000
2	भाटापारा		5385000	5745000	11130000
3	पलारी		4215000	4290000	8505000
4	सिमगा		5925000	5340000	11265000
5	कसडोल		14565000	13185000	27750000
योग			**40005000**	**36750000**	**76755000**

पोस्ट–मैट्रिक छात्रावास (भोजन सहाय)

क्रं.	विकासखण्ड	मद का नाम	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	योग
			व्यय राशि	व्यय राशि	
1	बलौदाबाजार	भोजन सहाय	4536000	3888000	8424000
2	भाटापारा		2148000	2100000	4248000
3	पलारी		1080000	1164000	2244000
4	सिमगा		360000	384000	744000
5	कसडोल		1764000	1668000	3432000
योग			**9888000**	**9204000**	**19092000**

– दैनिक उपयोग सामाग्री की जानकारी –

क्रं.	जिला का नाम	मद का नाम	वर्ष 2023–24	
			प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	बलौदाबाजार–भाटापारा	सामग्री आपूर्ति	11931942.00	10502222.00
योग			**11931942.00**	**10502222.00**
क्रं.	जिला का नाम	मद का नाम	वर्ष 2024–25	
			प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	बलौदाबाजार–भाटापारा	सामग्री आपूर्ति	23900875.00	21298747.00
योग			**23900875.00**	**21298747.00**

टीप :– छात्रावास/आश्रमों के लिए सामग्री जिलावार लिया जाता है विकासखण्डवार नही ।

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

परिशिष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 2882) की जानकारी

अपत्र - अ

स्मारकों की सूची, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल, रायपुर

कुल संरक्षित स्मारक/स्थल: 46

बिलासपुर उप-मंडल

1. भग्न शिव मंदिर – अधभार, तहसील–शक्ति, जिला–सक्ति
2. शिव मंदिर – बेलपान, तहसील–लखतपुर, जिला–बिलासपुर
3. चैतुरगढ़ किला – लाफा, तहसील–पाली, जिला–कोरबा
4. महादेव मंदिर – गतोरा, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर
5. बड़ा वैष्णव मंदिर – जांजगीर, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर-चांपा
6. छोटा वैष्णव मंदिर – जांजगीर, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर-चांपा
7. मिट्टी का किला – काशीगढ़, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर-चांपा
8. सबरी का ईंट मंदिर – खरोद, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर-चांपा
9. छोटा ईंट मंदिर (अंडालदेव मंदिर) – खरोद, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर-चांपा
10. मिट्टी का किला – कोटागढ़, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर-चांपा
11. मिट्टी का किला – कोटमी-सोनार, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर-चांपा
12. मिट्टी का किला – मल्हार, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर
13. पातालेश्वर महादेव मंदिर (सन्निपस्थ अवशेष सहित) – मल्हार, तहसील मस्तूरी, जिला–बिलासपुर
14. महादेव मंदिर – पाली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा
15. रतनपुर किला एवं आसपास का क्षेत्र – रतनपुर, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर
16. कंठी देउल मंदिर – रतनपुर, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर
17. पाली अभिलेख – रोमरसाल, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली
18. शिवरीनारायण मंदिर (परिसर स्थित भग्न मंदिर सहित) – शिवरीनारायण, जिला–जांजगीर-चांपा

19. अर्ध-भग्न केशव नारायण मंदिर – शिवरीनारायण, जिला–जांजगीर-चांपा

20. महादेव मंदिर (प्राचीन अवशेष) – तुमान, जिला–कोरबा

21. जोगीमारा गुफाएँ – उदयपुर, जिला–सरगुजा

22. सीताबेंगरा गुफाएँ – उदयपुर, जिला–सरगुजा

23. अजमेरगढ़ किला – अमनाला, जिला–गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

जगदलपुर उप-मंडल

24. दंतेश्वरी मंदिर में स्थित प्राचीन मूर्तियाँ – बारसूर, जिला–दंतेवाड़ा

25. चंद्रादित्य मंदिर – बारसूर, जिला–दंतेवाड़ा

26. गणेश प्रतिमाएँ – बारसूर, जिला–दंतेवाड़ा

27. मामा-भांजा मंदिर – बारसूर, जिला–दंतेवाड़ा

28. महादेव मंदिर – बस्तर, जिला–बस्तर

29. भैरम देव मंदिर – भैरमगढ़, जिला–बीजापुर

30. दंतेश्वरी देवी मंदिर – दंतेवाड़ा, जिला–दंतेवाड़ा

31. कामा स्मारक (उरासगट्टा स्तंभ) – दिल्मिली, जिला–बस्तर

32. मेगालिथिक स्थल – गम्मेवाड़ा, जिला–दंतेवाड़ा

33. ईंट के टीले – गढधनोरा, जिला–कोंडागांव

34. नारायण मंदिर – नारायणपाल, जिला–बस्तर

35. करली महादेव मंदिर – समलूर, जिला–दंतेवाड़ा

रायपुर उप-मंडल

36. भांड देउल – आरंग, जिला–रायपुर

37. शिव मंदिर – देववलोदा, जिला–दुर्ग

38. सीता देवी मंदिर एवं सती स्तंभ – देवरबीजा, जिला–बेगेतेरा

39. शिव मंदिर – गंडई, जिला–खैरागढ-छुईखदान-गंडई

40. महादेव मंदिर (बैरेगी मठ सहित) – नारायणपुर, जिला–बलौदाबाजार-भाटापारा

41. सूर्य मंदिर (महंतलाल दास द्वारा) – नारायणपुर, जिला–बलौदाबाजार-भाटापारा

42. राजीव लोचन मंदिर समूह – राजिम, जिला–गरियाबंद

43. रामचंद्र मंदिर – राजिम, जिला–गरियाबंद

44. सीता बाड़ी स्थल – राजिम, जिला–गरियाबंद

45. सिरपुर ग्राम जहाँ स्मारक प्राप्त हो रहे हैं एवं आरंग के पूर्व (सिरपुर गाँव के क्षेत्र)

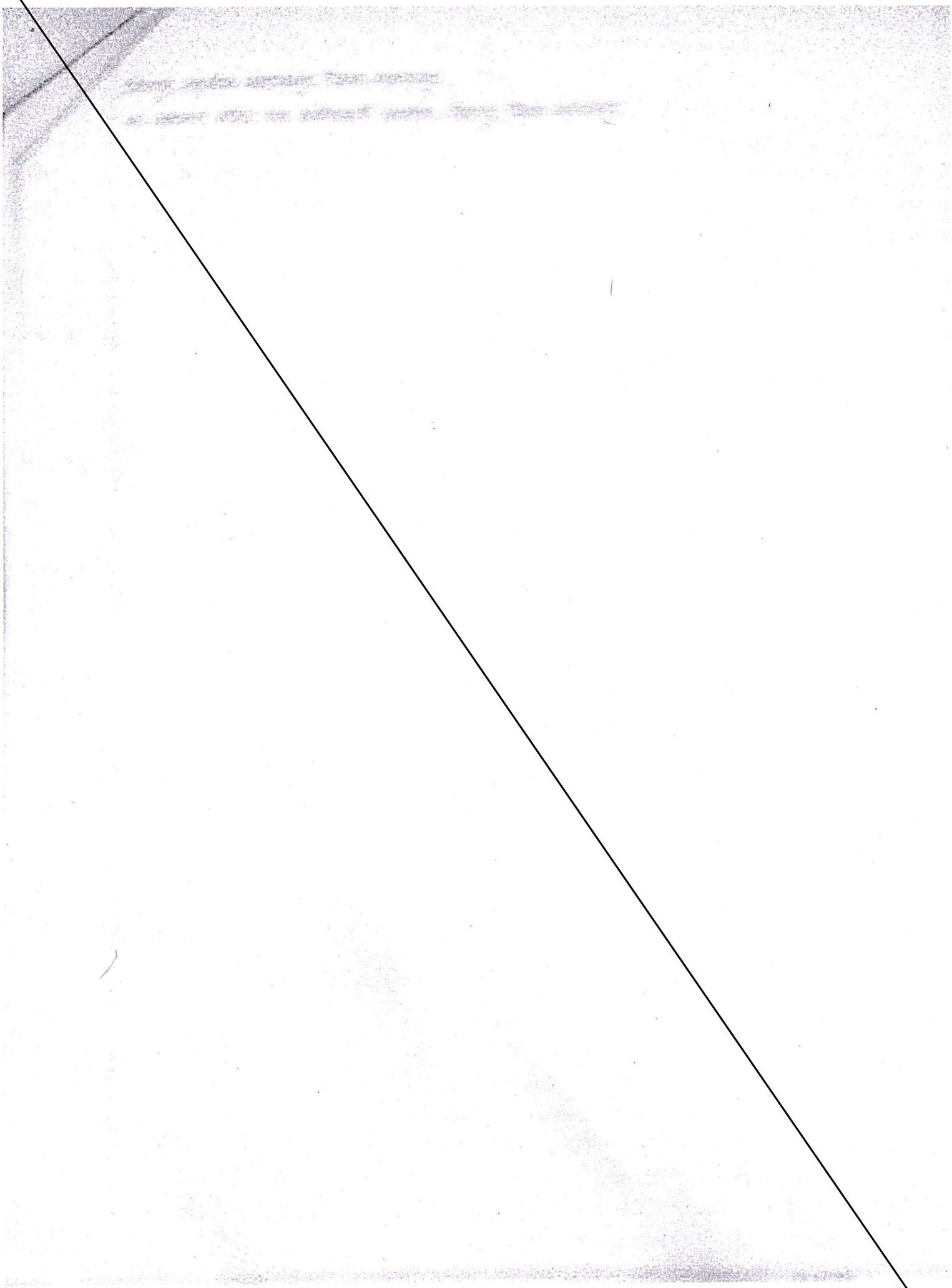

अपत्र-क

छत्तीसगढ़ के राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.	स्मारकों के नाम	स्थान	जिला
01.	कुलेश्वर मंदिर	नवागांव	धमतरी
02.	कर्णेश्वर महादेव मंदिर समूह	सिहावा	धमतरी
03.	शिव मंदिर	चन्दखुरी	रायपुर
04.	प्राचीन ईंटों का मंदिर	नवागांव	रायपुर
05.	शिव मंदिर	गिरौद	रायपुर
06.	सिद्धेश्वर मंदिर	पलारी	बलौदाबाजार–भाटापारा
07.	चितावरी देवी मंदिर	धोबनी	बलौदाबाजार–भाटापारा
08.	पाचीन भग्न मंदिर	डमरू	बलौदाबाजार–भाटापारा
09.	मावली देवी मंदिर	तरपोंगा	बलौदाबाजार–भाटापारा
10.	फणिकेश्वरनाथ महादेव मंदिर	फिंगेश्वर	गरियाबंद
11.	आनंद प्रभु कुटी विहार	सिरपुर	महासमुंद
12.	स्वास्तिक विहार	सिरपुर	महासमुंद
13.	जगन्नाथ मंदिर	खल्लारी	महासमुंद
14.	नागदेव मंदिर	नगपुरा	दुर्ग
15.	शिव मंदिर	नगपुरा	दुर्ग
16.	विष्णु मंदिर	बानवरद	दुर्ग
17.	शिव मंदिर एवं चतुर्भुजी मंदिर	धमधा	दुर्ग
18.	वहादुर कलारिन की माची	चिरचारी	बालोद
19.	महापापाणीय स्मारक	करहीभदर	बालोद
20.	महापापाणीय स्मारक	धनोरा	बालोद
21.	महापापाणीय स्मारक	कुलिया	बालोद
22.	महापापाणीय स्मारक	मुजगहन	बालोद
23.	महापापाणीय स्मारक	करकाभाट	बालोद
24.	मढियापाट (भग्न मंदिर)	डोण्डीलोहारा	बालोद
25.	प्राचीन मंदिर	डोण्डीलोहारा	बालोद
26	कुकुरदेव मंदिर	खपरी	बालोद
27.	शिव मंदिर	पलारी	बालोद
28.	शिव मंदिर	जगन्नाथपुर	बालोद
29.	कपिलेश्वर मंदिर समूह	बालोद	बालोद
30.	बजरंगबली मंदिर	राहरापुर	बेमेतरा
31.	शिव मंदिर	राहरापुर	बेमेतरा

32.	घुंघुसराजा मंदिर	देवकर	बेमेतरा
33.	शिव मंदिर	बिरखा	राजनांदगांव
34.	भोरमदेव मंदिर	चौरा	कबीरधाम
35.	छेरकी महल	चौरा	कबीरधाम
36.	मण्डवा महल	चौरा	कबीरधाम
37.	महामाया मंदिर	रतनपुर	बिलासपुर
38.	प्राचीन शिव मंदिर	किरारीगोढ़ी	बिलासपुर
39.	देवरानी–जेठानी मंदिर	अमेरी कापा (ताला)	बिलासपुर
40.	शिव मंदिर	गनियारी	बिलासपुर
41.	धूमनाथ मंदिर	सरगांव	मुंगेली
42.	लक्ष्मणेश्वर मंदिर	खरौद	जांजगीर–चांपा
43.	शैलाश्रय	सिंघनपुर	रायगढ
44.	कबीरपंथी सतगुरूओं की तीन मजार	कुदुरमाल	कोरबा
45.	गुड़ियारी मंदिर	केशरपाल	बस्तर
46.	शिव मंदिर	घुमरमुंडपारा	बस्तर
47.	शिव मंदिर	गुमडपाल	बस्तर
48.	शिव मंदिर	छिंदगांव	बस्तर
49.	प्राचीन भग्न ईंटों के मंदिर	गढ़ धनोरा	कोण्डागांव
50.	बुद्ध चैत्य गृह	भोंगापाल	कोण्डागांव
51.	बत्तीसा मंदिर	बारसूर	दंतेवाड़ा
52.	शिव मंदिर	देवटिकरा	सरगुजा
53.	देउर मंदिर	महारानीपुर	सरगुजा
54.	देवी का मंदिर (छेरिका देउर)	देवटिकरा	सरगुजा
55.	सतमहला मंदिर समूह	कलचा–भदवाही	सरगुजा
56.	भग्न मंदिर (शाला भवन के पास)	डीपाडीह	बलरामपुर
57.	भग्न मंदिर (रानी तालाब के पास)	डीपाडीह	बलरामपुर
58.	शिव मंदिर	बेलसर	बलरामपुर
59.	उत्खनित स्थल, प्राचीन टीला	तरीघाट	दुर्ग
60.	ध्वस्त मंदिर समूह निशान पखना	महेशपुर	सरगुजा
61.	आदिनाथ टीला	महेशपुर	सरगुजा

62.	शिव मंदिर परिसर एवं ठाकुरबाड़ी	महेशपुर	सरगुजा
63.	ध्वस्त मंदिर समूह कोरिया झोरकी	महेशपुर	सरगुजा

उप संचालक (उत्खनन)
पुरातत्व, संग्रहालय एवं संग्रहालय
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृष्ठ–2

प्रपत्र-स

क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	टिप्पणी
1.	2024–25	5,00,00,000.00	2,05,62,094.00	बाकी रकम पर्यटकों की सुविधाएं, केन्द्र संरक्षित स्मारकों एवं पुरावशेषों के सुरक्षार्थ नियोजित कर्मचारियों के वेतन भुगतान, उद्यान के रखरखाव इत्यादि हेतु खर्च की गयी।
	2024–25	80,00,000.00	70,83,000.00	18 राज्य संरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, अनुरक्षण, रसायनिक संरक्षण एवं परिसर विकास कार्य में खर्च किया गया।
2.	2025–26	5,90,00,000.00 (up to 03.03.2026)	1,35,31,046.00 (up to 03.03.2026)	बाकी रकम पर्यटकों की सुविधाएं, केन्द्र संरक्षित स्मारकों एवं पुरावशेषों के सुरक्षार्थ नियोजित कर्मचारियों के वेतन भुगतान, उद्यान के रखरखाव इत्यादि हेतु खर्च की गयी।
	2025–26	1,85,00,000.00	85,58,000.00	25 में से 13 राज्य संरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, अनुरक्षण, रसायनिक संरक्षण एवं परिसर विकास कार्य में खर्च किया गया। शेष कार्य प्रगति पर है।

नोडल अधिकारी (विधानसभा)
पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, रायपुर

2883

प्रपत्र-अ

NFDP के माध्यम से अब तक कबीरधाम जिले के लाभार्थियों की विधानसभावार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र	विधानसभा	विकासखण्ड	योजना का नाम	मद/कार्य का नाम	हितग्राही संख्या	प्रदाय अनुदान (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	पण्डरिया	पण्डरिया	राज्य पोषित योजना	मत्स्य बीज स्पांन संवधेन योजना	3	0.90
				मत्स्य बीज क्रय संचयन (5 वर्ष)	145	2.90
				नाव-जाल	14	1.40
				फुटकर मत्स्य विक्रय योजना	11	0.66
			केन्द्र पोषित योजना	लाईव फिस वेंडिग सेंटर (चार पहिया वाहन)	1	4.00
योग					**174**	**9.86**
2	पण्डरिया	स.लोहारा	राज्य पोषित योजना	मत्स्य बीज स्पांन संवधेन योजना	2	0.60
				जलाशयों एवं नदियों मे मत्स्योद्योग का विकास	80	2.89
				मत्स्य बीज क्रय संचयन (5 वर्ष)	68	1.36
				नाव-जाल	7	0.70
				फुटकर मत्स्य विक्रय योजना	6	0.36
योग					**163**	**5.91**
3	कवर्धा	कवर्धा	राज्य पोषित योजना	मत्स्य बीज स्पांन संवधेन योजना	3	0.90
				जलाशयों एवं नदियों मे मत्स्योद्योग का विकास	180	2.20
				मत्स्य बीज क्रय संचयन (5 वर्ष)	120	2.40
				नाव-जाल	14	1.40
				फुटकर मत्स्य विक्रय योजना	11	0.66

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

क्र	विधानसभा	विकासखण्ड	योजना का नाम	मद/कार्य का नाम	हितग्राही संख्या	प्रदाय अनुदान (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
3	कवर्धा	कवर्धा	केन्द्र पोषित योजना	लाईव फिस वैंडिग सेंटर (चार पहिया वाहन)	1	4.00
योग					**329**	**11.56**
4	कवर्धा	बोडला	राज्य पोषित योजना	मत्स्य बीज स्पांन संवधन योजना	6	1.80
				जलाशयों एवं नदियों मे मत्स्योद्योग का विकास	197	4.83
				मत्स्य बीज क्रय संचयन (5 वर्ष)	250	5.00
				नाव-जाल	28	2.80
				फुटकर मत्स्य विक्रय योजना	22	1.32
			केन्द्र पोषित योजना	लाईव फिस वैंडिग सेंटर (चार पहिया वाहन)	1	4.00
योग					**504**	**19.75**
5	कवर्धा	लोहारा	राज्य पोषित योजना	मत्स्य बीज स्पांन संवधन योजना	1	0.30
				मत्स्य बीज क्रय संचयन (5 वर्ष)	67	1.34
				नाव-जाल	7	0.70
				फुटकर मत्स्य विक्रय योजना	5	0.30
योग					**80**	**2.64**
महायोग					**1250**	**49.71362**

सही/- अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

कबीरधाम जिले में मछली पालन केन्द्र की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	मछलीपालन केन्द्र का नाम	स्थल	विभागीय/निजी
1	बोडला	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, कोष्टाबांधा	बोडला, वि.ख. बोडला	विभागीय
2		मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, शिकारीडेरा	खैरबना-कला, वि.ख. बोडला	विभागीय
3		ईमरानखान फिस फार्म, पोडी	पोडी, वि.ख. बोडला	निजी
4	स.लोहारा	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, गौरमाटी	गौरमाटी, वि.ख. स.लोहारा	विभागीय
5	पण्डरिया	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, बाघामूडा	बाघामूडा, वि.ख. पण्डरिया	विभागीय

सही/- अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-स

वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कबीरधाम जिले में मत्स्य बीज, चारा एवं उपकरण वितरण के लिए स्वीकृत एवं व्यय बजट की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना	कार्य का नाम	लाभान्वित हितग्राही संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2024-25	राज्य पोषित योजना	मत्स्य बीज उत्पादन कार्य (मत्स्य बीज)	-	7.24	7.24
			मत्स्य बीज उत्पादन कार्य (आहार)	-	3.36	3.36
2			मत्स्य बीज स्पांन संवर्धन योजना (स्पान)	13	1.95	1.95
			मत्स्य बीज स्पांन संवधन योजना (आहार)		1.95	1.95
3			जलाशयों एवं नदियों मे मत्स्योद्योग का विकास	457	9.92	9.92
4			मत्स्य बीज क्रय संचयन (5 वर्ष)	650	13.00	13.00
5			नाव-जाल	70	7.00	7.00
6			फुटकर मत्स्य विक्रय योजना	60	3.60	3.60
7		केन्द्र पोषित योजना	लाईव फिस वेंडिग सेंटर (चार पहिया वाहन)	1	4.00	4.00
योग				**1251**	**52.02**	**52.02**
1	2025-26 (प्रश्नांकित अवधि तक)	राज्य पोषित योजना	मत्स्य बीज उत्पादन कार्य (मत्स्य बीज)	-	8.00	8.00
2			मत्स्य बीज उत्पादन कार्य (आहार)	-	2.88	2.88
3			मत्स्य बीज स्पांन संवधन योजना (स्पान एवं आहार)	15	4.50	4.50

क्र.	वर्ष	योजना	कार्य का नाम	लाभान्वित हितग्राही संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
4	2025-26 (प्रश्नांकित अवधि तक)	राज्य पोषित योजना	जलाशयों एवं नदियों मे मत्स्योद्योग का विकास	457	9.91	9.91
5			मत्स्य बीज क्रय संचयन (5 वर्ष)	650	13.00	13.00
6			नाव-जाल	70	7.00	7.00
7			फुटकर मत्स्य विक्रय योजना	55	3.30	3.30
8		केन्द्र पोषित योजना	लाईव फिस वैंडिग सेंटर (चार पहिया वाहन)	3	12.00	12.00
योग				**1250**	**60.59**	**60.59**
महायोग				**2501**	**112.60**	**112.60**

सही/- अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

वर्ष 2023–24

क्र	जिला	विधानसभा क्षेत्र	कार्य संख्या	ग्राम/ग्राम पंचायत	स्वीकृत कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
	महासमुन्द	खल्लारी–41	1	ठाकुरदिया खुर्द	शीतला मंदिर जीर्णोद्धार खपराखोल	5.00
		बसना–40	2	बगारदरहा	जगन्नाथ मंदिर जीर्णोद्धार	5.00
			3	लहरौद	शीतला मंदिर जीर्णोद्धार	5.00
			4	राजासेवैया खुर्द	शीतला मंदिर जीर्णोद्धार	5.00
			5	गोपालपुर	शिवमंदिर जीर्णोद्धार	5.00
		सरायपाली	6	अवलाचक्का	शिव मंदिर उन्नयन कार्य	03.00
			7	कलेण्डा सि	शिव मंदिर उन्नयन कार्य	5.00
		महासमुंद	8	बेमचा	शीतला मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य	5.00
						योग–(38.00 लाख) (रूपये अड़तीस लाख मात्र)

परिशिष्ट - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 2891) की जानकारी

प्रपत्र–अ

प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2023 से दिनांक 20 फरवरी 2026 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत स्थित स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु प्राप्त आवेदन,

1	आवेदक का नाम	–	डॉ सम्पत अग्रवाल, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र क्रं. 40 बसना (महासमुंद)
	पत्र दिनांक	–	2025
	विषय	–	श्री श्री रणेश्वर रामचण्डी मंदिर स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने एवं रामचण्डी मंदिर तक कारीडोर निर्माण कार्य विषयक।
2	आवेदक का नाम	–	श्रीमती कुमारी धनेश्वर भास्कर, जिला पंचायत सदस्य, सभापति–स्वास्थ्य समिति जिला महासमुन्द (छ.ग.)
	पत्र दिनांक	–	16.10.2025
	विषय	–	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मामा–भांचा मेला ग्राम खोकसा को पर्यटन स्थल घोषित करने बाबत्।

प्रपत्र–ब

प्रश्नांक "क" के स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु जिला स्तर पर कराए जा रहे कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	प्रस्तावित स्थल एवं विषय	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्र.स्वी. राशि (लाख में)	जारी राशि (लाख में)
1	श्री श्री रणेश्वर रामचण्डी मंदिर स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने एवं रामचण्डी मंदिर तक कारीडोर निर्माण कार्य विषयक।	2025–26	बसना	चौपाटी निर्माण (भौतिक स्थिति, कार्य–पूर्ण)	गढ़फुलझर	45.00	33.750
2		2025–26	बसना	मानसरोवर तालाब में जल संवर्धन एवं जल संग्रहण (भौतिक स्थिति, प्रगतिरत)	गढ़फुलझर	44.970	22.485
3		2025–26	बसना	रामचण्डी मंदिर परिसर के पास उद्यान विकास कार्य (भौतिक स्थिति, कार्य–पूर्ण)	गढ़फुलझर	49.00	24.500
4		2025–26	बसना	मानसरोवर में अधोसंरचना निर्माण कार्य	गढ़फुलझर	48.000	33.000
5		2025–26	बसना	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	गढ़फुलझर	10.000	5.000
6		2025–26	बसना	मानसरोवर तालाब के पाथवे निर्माण में स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	गढ़फुलझर	20.000	10.000
				योग राशि :–		**216.970**	**128.735**

परिशिष्ट - उन्सठ

अतारांकेत प्रश्न संख्या 60 (क्र. 2895) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि रू. करोड़ में)

स. क्र.	मदों का विवरण	वित्तीय वर्ष							
		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		प्रावधानित बजट	प्राप्त बजट	प्रावधानित बजट	प्राप्त बजट	प्रावधानित बजट	प्राप्त बजट	प्रावधानित बजट	प्राप्त बजट
1	एडवेंचर टूरिज्म का विकास कार्य अनुदान 37 -5452-01-102-0101- 6620 #45-001	0.0001	0	1.00	0	2.00	1.00	5.00	5.00
2	शक्तिपीठ परियोजना 37-5452-01-102- 0101-7059- #27 -006-	–	–	–	–	5.00	1.25	5.00	5.00
Total :-		**0.0001**	**0**	**1.00**	**0**	**7.00**	**2.25**	**10.00**	**10.00**

परिशिष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 2900) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या ग्राम पंचायत का नाम एवं विकासखण्डवार जानकारी

क	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल जनसंख्या	आदिवासी जनसंख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	धौराभांठा	भाटापारा	443	443	100.00
2	मिरगी	भाटापारा	557	509	91.38
3	पथरिया	भाटापारा	739	537	72.67
4	मधुबन	भाटापारा	761	546	71.75
5	कोडापार	भाटापारा	696	469	67.39
6	खपराडीह	भाटापारा	849	546	64.31
7	खोलवा	भाटापारा	1050	631	60.10
8	गुडेलिया	भाटापारा	1232	740	60.06
9	बेंदरी	भाटापारा	764	455	59.55
10	खैरी (क)	भाटापारा	744	423	56.85
11	सिलवा	भाटापारा	972	542	55.76
12	बिजराडीह	भाटापारा	1552	842	54.25
13	अमलीडीह क	भाटापारा	673	345	51.26
14	मोपकी	भाटापारा	1399	697	49.82
15	गुडाघाट	भाटापारा	1678	819	48.81
16	कोनी	भाटापारा	460	222	48.26
17	बिटकुली	भाटापारा	2036	928	45.58
18	चिचपोल	भाटापारा	1530	684	44.71
19	सुरखी	भाटापारा	1077	453	42.06
20	टेंहका	भाटापारा	1636	673	41.14
21	सेम्हराडीह	भाटापारा	1366	551	40.34
22	खैरी (आर)	भाटापारा	1389	552	39.74
23	टोपा	भाटापारा	816	319	39.09
24	मल्दी	भाटापारा	2365	881	37.25
25	भोथीडीह	भाटापारा	1214	445	36.66
26	खपरी आर	भाटापारा	877	319	36.37
27	केसला	भाटापारा	1293	468	36.19
28	अमलीडीह	भाटापारा	1037	363	35.00
29	अकलतरा	भाटापारा	1951	659	33.78
30	खपरी एस	भाटापारा	1374	461	33.55

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

क	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल जनसंख्या	आदिवासी जनसंख्या	प्रतिशत
31	कोटमी	भाटापारा	914	293	32.06
32	गाडाडीह	भाटापारा	1072	332	30.97
33	टोनाटार	भाटापारा	2562	791	30.87
34	टिकुलिया	भाटापारा	2238	671	29.98
35	लेवई	भाटापारा	1725	493	28.58
36	रमदैया	भाटापारा	661	187	28.29
37	खैरा	भाटापारा	2158	594	27.53
38	पौंसरी	भाटापारा	941	254	26.99
39	रामपुर	भाटापारा	1113	297	26.68
40	गुर्रा	भाटापारा	2022	535	26.46
41	धनेली	भाटापारा	1953	514	26.32
42	मेकरी	भाटापारा	1327	348	26.22
43	लमती	भाटापारा	805	211	26.21
44	आलेसुर	भाटापारा	834	214	25.66
45	निपनिया	भाटापारा	2166	553	25.53
46	खोखली	भाटापारा	1884	474	25.16
47	ढावाडीह	सिमगा	846	473	55.91
48	झिरिया	सिमगा	1440	587	40.76
49	बिनैका	सिमगा	951	350	36.80
50	मुसुवाडीह	सिमगा	603	200	33.17
51	दावनबोड	सिमगा	1850	606	32.76
52	मोटियारीडीह	सिमगा	524	171	32.63
53	कामता	सिमगा	1867	531	28.44

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र "ब"

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत दो वर्षों में संचालित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	2023–24	पेवर ब्लाक कार्य (वार्ड कमांक –3) ग्राम व ग्राम पंचायत गुडेलिया, विकासखण्ड–भाटापारा	10.00
2		2023–24	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम बकुलाही ग्राम पंचायत धौराभाठा, विकासखण्ड–भाटापारा	10.00
3		2023–24	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम बकुलाही ग्राम पंचायत धौराभाठा, विकासखण्ड–भाटापारा	10.00
4		2023–24	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत गुडेलिया, विकासखण्ड–भाटापारा	10.00
5		2023–24	पेवर ब्लाक कार्य (वार्ड कमांक –8) ग्राम व ग्राम पंचायत गुडेलिया, विकासखण्ड–भाटापारा	10.00
6		2023–24	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत खैरी, विकासखण्ड–भाटापारा	10.00
			योग	**60.00**
1		2024–25	निरंक	–

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	देवगुड़ी निर्माण कार्य	2023–24	निरंक	–

1	देवगुड़ी निर्माण कार्य	2024–25	देवगुड़ी निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत निपनिया, विकासखण्ड भाटापारा	1.50
2		2024–25	देवगुड़ी निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत सुरखी, विकासखण्ड भाटापारा	1.50
			योग	**3.00**

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशिष्ट - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 2901) की जानकारी

प्रपत्र–अ

स्वीकृत कार्यों की वर्षवार जानकारी

क.	वर्ष	वि.स. क्षे.	वि.ख.	मंडी बोर्ड निधि से स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत राशि रू लाख	रिमार्क (व्यय लाख में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2023–24	-	-	-	**0.00**	**0.00**
2	2024–25	भाटापारा	भाटापारा	ग्राम खोखली सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	23.60	0.00
			भाटापारा	ग्राम गोढी–टी सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	27.56	23.26
			भाटापारा	ग्राम गोढी–एस सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	25.92	0.00
			भाटापारा	ग्राम तरेंगा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	56.30	17.95
			भाटापारा	ग्राम मल्दी सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	47.97	0.00
			भाटापारा	ग्राम मोपर सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	51.38	,7.44
			भाटापारा	ग्राम कोदवा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	32.03	0.00
			भाटापारा	ग्राम करहीबाजार सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	52.07	0.00
			सिमगा	ग्राम बछेरा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	24.10	0.00
			सिमगा	ग्राम लांजा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	26.67	0.00
			सिमगा	ग्राम अडबंधा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	23.74	21.82
			सिमगा	ग्राम केसदा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	56.16	0.00
			सिमगा	ग्राम बनसांकरा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	51.95	20.29
			सिमगा	ग्राम दरचुरा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	48.14	25.30
			सिमगा	ग्राम चौरेंगा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	49.66	43.22
				योग	**597.25**	**159.28**
3	2025–26	-	-	-	**0.00**	**0.00**
				महायोगः–	**597.25**	**159.28**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 13-03-2026 15:16:42

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मण्डी में उपलब्ध निधियों का वर्षवार, कार्यवार व्यय की जानकारी ,

क्रं.	मंडी का नाम	वर्ष	स्थापना व्यय	निर्माण कार्य पर व्यय	सुरक्षित निधि	आरक्षित निधि (मंडी बोर्ड को देय)	राज्य विपणन विकास निधि (मण्डी बोर्ड को देय)	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा	2023–24	23648866	9737752	0	16825335	107896090	5434601	163542644
2		2024–25	23333175	89480422	0	15923230	106154881	11119546	246011254
3		2025–26 (फरवरी 26 तक)	24577893	191501806	0	13726472	91509817	57989034	379305022
		योग	**47911068**	**280982228**	**0**	**29649702**	**197664698**	**69108580**	**788858920**

निधि		व्यय का उद्देश्य
1	स्थायी निधि	– स्थायी प्रकृति के जैसे–भवन निर्माण, मंडी प्रागंण के लिए जमीन खरीदी या अर्जन हेतु।
2	आरक्षित निधि	– विभागीय पेंशनरों के पेंशन, मंहगाई राहत, ग्रेज्युटी के भुगतान हेतु ।
3	मंडी निधि	– कर्मचारियों के वेतन भत्ते कार्यालयीन व्यय एवं मंडी प्रागंण अधोसंरचना निर्माण, रख–रखाव तथा मंडी क्षेत्र में सडक, गोदाम तथा अन्य कृषि संबंधित विकास कार्यो के लिए किया जाता है।
4	भविष्य निधि	– कर्मचारियों के भविष्य निधि अग्रिम, आंशिक विकर्षण एवं अंतिम विकर्षण के भुगतान हेतु किया जाता है।
5	अन्य निधि	– गोदाम, भवन अन्य किराया अनुबंधकर्ता एवं अन्य व्यक्ति/संस्थाओं से प्राप्त अमानत राशि जमा की जाती है। इस निधि में जमा राशि संबंधित को पूर्णतः वापसी योग्य होती है।

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 13-03-2026 15:15:51

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

मंडी में उपलब्ध निधियों की वर्षवार जानकारी

क्र.		वर्ष	स्थाई निधि			आरक्षित निधि			मंडी निधि			सामान्य भविष्य निधि			निराश्रित निधि	अन्य निधि (धरोहर/अमानत)		
			सावधि खाता	बचत खाता	योग	सावधि खाता	बचत खाता	योग	सावधि खाता	बचत खाता	योग	सावधि खाता	बचत खाता	योग	बचत खाता	सावधि खाता	बचत खाता	योग
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	भाटापारा	2023–24	225986792	0	**225986792**	6198636	6318733	**12517369**	363156884	110089933	**473246817**	**0**	**0**	**0**	**0**	3936853	18914311	**22851164**
2		2024–25	232382462	0	**232382462**	6639326	7418889	**14058215**	447260025	41371529	**488631554**	**0**	**0**	**0**	**0**	4200856	24588494	**28789350**
3		2025–26 (फरवरी 2026 तक)	241441580	0	**241441580**	7014949	3640984	**10655933**	380923320	15364321	**396287641**	**2540000**	**3349890**	**5889890**	**0**	4490256	0	**4490256**
		योग	**699810834**	**0**	**699810834**	**19852911**	**17378606**	**37231517**	**1191340229**	**166825783**	**1358166012**	**2540000**	**3349890**	**5889890**	**0**	**12627965**	**43502805**	**56130770**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 13-03-2026
15:14:37

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 2910) की जानकारी

प्रपत्र – अ

छात्रवृत्ति योजना पात्रता / मापदंड/आवश्यक दस्तावेज, लागू नियम, प्रदान की जाने वाली राशि की जानकारी

कक्षा	वर्ग/लिंग	छात्रवृत्ति राशि (रू. प्रतिमाह)	आय सीमा/पात्रता	आवश्यक दस्तावेज
(अजजा) राज्य छात्रवृत्ति				
3री से 5वीं	अजजा बालिका	50	कोई आय सीमा नहीं	सरपंच ग्राम पंचायत वार्ड पार्षद,नगर पंचायत,नगर पालिका नगर निगम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अधिसूचना संलग्न है।)
6वीं से 8वीं	अजजा बालिका	80	कोई आय सीमा नहीं	
	अजजा बालक	60		
9वीं से 10वीं	अजजा बालिका	100	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 2. 50 लाख से अधिक होने पर	
	अजजा बालक	80		
(अजजा) कन्या साक्षरता राज्य छात्रवृत्ति				
कक्षा 6वीं	अजजा बालिका	50	कोई आय सीमा नहीं (कक्षा 6वीं में प्रवेशित छात्राओं हेतु)	–
(अजजा) प्री मैट्रिक केन्द्र प्रवर्तित योजना				
9वीं से 10वीं	अजजा छात्रावासी	625	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 2. 50 लाख से अधिक न होने पर	आनलाईन बना हुआ जाति व आय 2.50 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र
	अजजा गैर छात्रावासी	300		
(अजज) पोस्ट मैट्रिक केन्द्र प्रवर्तित योजना				
11वीं से 12वीं	अजजा छात्रावासी	380	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 2. 50 लाख से अधिक न होने पर	आनलाईन बना हुआ जाति व आय 2.50 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र
	अजजा गैर छात्रावासी	230		

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़
रायपुर

प्रपत्र – ब

विधानसभा आतारांकित प्रश्न कमांक 2910

जिला– बालोद वर्षवार, विकासखंडवार भुगतान की जानकारी

सत्र 2023-24

क्रमांक	विकासखंड	पंजीकृत विद्यार्थी	सफल भुगतान विद्यार्थी	राशि	भुगतान हेतु शेष विद्यार्थी	भुगतान हेतु शेष राशि
1	BALOD	3362	3254	5327250	108	5327358
2	DONDI	8357	7965	12995550	392	12995942
3	DONDILOHARA	9629	8944	12799300	685	12799985
4	GUNDERDEHI	2669	2622	3565400	47	3565447
5	GURUR	2784	2672	3990350	112	3990462
कुल -		**26801**	**25457**	**38677850**	**1344**	**38679194**

सत्र 2024-25

क्रमांक	विकासखंड	पंजीकृत विद्यार्थी	सफल भुगतान विद्यार्थी	राशि	भुगतान हेतु शेष विद्यार्थी	भुगतान हेतु शेष राशि
1	BALOD	3146	3047	4460400	99	117500
2	DONDI	8227	8121	13133050	106	186950
3	DONDILOHARA	8940	8804	11655050	136	232050
4	GUNDERDEHI	2414	2375	3080900	39	61600
5	GURUR	2457	2225	3152400	232	186300
कुल -		**25184**	**24572**	**35481800**	**612**	**784400**

सत्र 2025-26

क्रमांक	विकासखंड	पंजीकृत विद्यार्थी	सफल भुगतान विद्यार्थी	राशि	भुगतान हेतु शेष विद्यार्थी	भुगतान हेतु शेष राशि
1	BALOD	2894	2156	3511850	738	892000
2	DONDI	8407	7035	12090200	1372	2094050
3	DONDILOHARA	8995	6843	10239700	2152	2491550
4	GUNDERDEHI	2440	1922	2773400	518	530300
5	GURUR	2348	1711	2717250	637	663250
कुल -		**25084**	**19667**	**31332400**	**5417**	**6671150**

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़
रायपुर

परिशिष्ट - तेरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 2911) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

बालोद जिले में संचालित आदिवासी प्री.मै./पोस्ट मैट्रिक/आश्रमों की जानकारी

क.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	प्रकार	बालक/कन्या
1	2	3	4	5
1	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बालोद	बालोद	जनजाति	बालक
2	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पीपरछेड़ी	बालोद	जनजाति	बालक
3	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अमलीडीह	बालोद	जनजाति	बालक
4	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बरही	बालोद	जनजाति	बालक
5	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बालोद	बालोद	जनजाति	कन्या
6	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास अमलीडीह	बालोद	जनजाति	कन्या
7	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बालोद	बालोद	जनजाति	कन्या
8	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बालोद	बालोद	जनजाति	बालक
9	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम अमलीडीह	बालोद	जनजाति	बालक
10	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास चिखलाकसा	डौण्डी	जनजाति	कन्या
11	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास डौण्डी	डौण्डी	जनजाति	कन्या
12	आदर्श प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्र.01 डौंडी	डौण्डी	जनजाति	बालक
13	आदर्श प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्र.02 डौंडी	डौण्डी	जनजाति	बालक
14	सूरज प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डी	डौण्डी	जनजाति	बालक
15	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास दल्लीराजहरा	डौण्डी	जनजाति	बालक
16	नेहरु प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डी	डौण्डी	जनजाति	बालक
17	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मरदेल	डौण्डी	जनजाति	बालक
18	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोटागांव	डौण्डी	जनजाति	बालक
19	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास साल्हे	डौण्डी	जनजाति	बालक
20	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गुदुम	डौण्डी	जनजाति	बालक
21	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चिखलाकसा	डौण्डी	जनजाति	बालक
22	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भर्रीटोला	डौण्डी	जनजाति	बालक
23	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बेलोदा	डौण्डी	जनजाति	बालक
24	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सुरडोंगर	डौण्डी	जनजाति	बालक
25	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास आमाडूला	डौण्डी	जनजाति	बालक
26	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मंगलतराई	डौण्डी	जनजाति	बालक
27	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नर्राटोला	डौण्डी	जनजाति	बालक
28	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बिटाल	डौण्डी	जनजाति	बालक
29	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भैंसबोड़	डौण्डी	जनजाति	बालक
30	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कुसुमकसा	डौण्डी	जनजाति	बालक
31	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास घोटिया	डौण्डी	जनजाति	बालक
32	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम आमाडूला	डौण्डी	जनजाति	बालक
33	प्राथमिक आदिवासी कन्या आश्रम कुसुमकसा	डौण्डी	जनजाति	कन्या

क.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	प्रकार	बालक / कन्या
1	2	3	4	5
34	माध्यमिक आदिवासी कन्या आश्रम डौण्डी	डौण्डी	जनजाति	कन्या
35	माध्यमिक आदिवासी कन्या आश्रम घोटिया	डौण्डी	जनजाति	कन्या
36	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास डौण्डी	डौण्डी	जनजाति	कन्या
37	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डी	डौण्डी	जनजाति	बालक
38	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास दल्लीराजहरा	डौण्डी	जनजाति	बालक
39	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कमकापार	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
40	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मंगचुवा	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
41	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बड़गांव	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
42	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास डौंडीलोहारा	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
43	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सुरेगांव	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
44	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास दुधली	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
45	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास रेंगाडबरी	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
46	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अरजपुरी	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
47	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भीमकन्हार	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
48	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भंवरमरा	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
49	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बंजारी	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
50	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास घीना	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
51	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास डौंडीलोहारा	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
52	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास खेरथाबाजार	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
53	प्राथमिक आदिवासी कन्या आश्रम बड़ेजुंगेरा	डौंडीलोहार	जनजाति	कन्या
54	प्राथमिक आदिवासी कन्या आश्रम कोड़ेकसा	डौंडीलोहार	जनजाति	कन्या
55	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम रायगढ़	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
56	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम हितापठार	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
57	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम लुरकाझर	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
58	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम दुर्गीटोला	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
59	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम कोड़ेकसा	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
60	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम धुमादाह	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
61	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास डौंडीलोहारा	डौंडीलोहार	जनजाति	कन्या
62	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मंगचुवा	डौंडीलोहार	जनजाति	कन्या
63	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास डौंडीलोहारा	डौंडीलोहार	जनजाति	बालक
64	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास अर्जुन्दा	गुंडरदेही	जनजाति	कन्या
65	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गुंडरदेही	गुंडरदेही	जनजाति	बालक
66	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भाठागांव बी	गुंडरदेही	जनजाति	बालक
67	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अर्जुन्दा	गुंडरदेही	जनजाति	बालक
68	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भाठागांव आर	गुंडरदेही	जनजाति	बालक
69	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोचवाही	गुरुर	जनजाति	बालक
70	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गुरुर	गुरुर	जनजाति	बालक

क्र.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	प्रकार	बालक/कन्या
1	2	3	4	5
71	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सोरर	गुरुर	जनजाति	बालक
72	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अरकार	गुरुर	जनजाति	बालक
73	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बड़भूम	गुरुर	जनजाति	कन्या
74	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम बड़भूम	गुरुर	जनजाति	बालक
75	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम जगतरा	गुरुर	जनजाति	बालक
76	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम बगदई	गुरुर	जनजाति	बालक
77	प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम घानापुरी	गुरुर	जनजाति	बालक
78	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास गुरुर	गुरुर	जनजाति	कन्या
79	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास गुरुर	गुरुर	जनजाति	कन्या

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

बालोद जिले में संचालित आदिवासी प्री.मै./पोस्ट मैट्रिक/ छात्रावास /आश्रमों में स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदो की जानकारी

क	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	प्रकार	बालक/कन्या	छात्रावास अधीक्षक			नियमित भृत्य			कार्यभारित आकस्मिकता निधि.		
					स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आदि.बालक आश्रम घानापुरी	गुरूर	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	-	1	3	3	-
2	आदि.बालक आश्रम बड़भूम	गुरूर	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	-	1	5	5	-
3	आदि.बालक आश्रम बगदई	गुरूर	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	-	1	3	3	-
4	आदि.बालक आश्रम कोड़ेकसा	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	-	1	5	5	-
5	आदि.बालक आश्रम हितापठार	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	_	_	5	5	-
6	आदि.बालक आश्रम रायगढ़	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	-	1	3	3	-
7	आदि.बालक आश्रम दुर्गीटोला	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	-	_	5	5	-
8	आदि.बालक आश्रम जगतरा	गुरूर	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	-	1	5	5	-
9	आदि.बालक आश्रम अमलीडीह	बालोद	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	-	1	5	5	-
10	आदि.बालक आश्रम आमाडूला	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	-	1	5	5	-
11	आदि.बालक आश्रम लुरकाझर	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	1	1	_	3	3	-
12	आदि.कन्या आश्रम घोटिया	डौण्डी	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	1	-	1	5	5	-
13	आदि.कन्या आश्रम बड़ेजुंगेरा	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	कन्या	1	_	1	1	-	1	3	3	-
14	आदि.कन्या आश्रम कोड़ेकसा	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	1	-	1	3	3	-
15	आदि.कन्या आश्रम कुसुमकसा	डौण्डी	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	1	-	1	5	5	-
16	आदि.कन्या आश्रम डौण्डी	डौण्डी	अ.ज.जा.	कन्या	1	_	1	1	-	1	5	5	-
योग					16	14	2	16	1	13	68	68	0
1	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.घीना	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
2	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.घोटिया	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	-	1	-	-	-	3	3	-
3	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.बंजारी	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
4	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.बरही	बालोद	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
5	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.बालोद	बालोद	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
6	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.बड़गांव	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
7	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.बेलोदा	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
8	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.कमकापार	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
9	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.कोचवाही	गुरूर	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
10	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.कोटागांव	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-

क	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	प्रकार	बालक/कन्या	छात्रावास अधीक्षक			नियमित भृत्य			कार्यभारित आकस्मिकता निधि.		
					स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.कुसुमकसा	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
12	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.मंगचुवा	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
13	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.मंगलतराई	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
14	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.मरदेल	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
15	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.बिटाल	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
16	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.चिखलाकसा	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
17	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.भंवरमरा	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
18	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.भीमकन्हार	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	1	-	3	3	-
19	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.भर्रीटोला	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
20	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.भाटागांव "बी"	गुण्डरदेही	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
21	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.भाटागांव "आर"	गुण्डरदेही	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
22	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.भैंसबोड़	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
23	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.पीपरछेड़ी	बालोद	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
24	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.रेंगाडबरी	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
25	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.सोरर	गुरूर	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
26	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.साल्हे	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
27	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.सुरडोंगर	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
28	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.सुरेगांव	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
29	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.डौंडीलोहारा	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
30	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.डौंडीलोहारा	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	कन्या	1	_	1	-	-	-	3	3	-
31	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.दुधली	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
32	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.दल्लीराजहरा	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
33	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.नर्राटोला	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
34	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.अमलीडीह	बालोद	अ.ज.जा.	बालक	1	1	-	-	-	-	3	3	-
35	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.अरकार	गुरूर	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
36	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.अरजपुरी	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	1	-	3	3	-
37	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.आमाडूला	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
38	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.आदर्श क्र.01 डौण्डी	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	7	7	-
39	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.आदर्श क्र.02 डौण्डी	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	-	1	-	-	-	4	4	-
40	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.अर्जुन्दा	गुण्डरदेही	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
41	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
42	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.गुरूर	गुरूर	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-

क	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	प्रकार	बालक/कन्या	छात्रावास अधीक्षक			नियमित भृत्य			कार्यभारित आकस्मिकता निधि.		
					स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.गुदुम	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	_	1	-	-	-	3	3	-
44	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.खेरथाबाजार	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	-	-	-	3	3	-
45	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.बालोद	बालोद	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	-	-	-	3	3	-
46	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.बड़भूम	गुरूर	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	-	-	-	3	3	-
47	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.चिखलाकसा	डौण्डी	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	-	-	-	3	3	-
48	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.डौण्डी	डौण्डी	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	-	-	-	3	3	-
49	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.अमलीडीह	बालोद	अ.ज.जा.	कन्या	1	_	1	-	-	-	3	3	-
50	सूरज प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.डौण्डी	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	4	4	-
51	नेहरू प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.डौण्डी	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
योग					51	26	25	0	2	0	159	159	0
1	पो.मै.आदि.बालक छात्रा.बालोद	बालोद	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
2	पो.मै.आदि.बालक छात्रा.डौण्डी	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
3	पो.मै.आदि.बालक छात्रा.डौण्डीलोहारा	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
4	पो.मै.आदि.बालक छात्रा.दल्लीराजहरा	डौण्डी	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
5	पो.मै.आदि.बालक छात्रा.गुरूर	गुरूर	अ.ज.जा.	बालक	1	1	_	-	-	-	3	3	-
6	पो.मै.आदि.कन्या छात्रावास डौण्डी	डौण्डी	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	_	_	_	3	3	_
7	पो.मै.आदि.कन्या छात्रा.बालोद	बालोद	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	-	-	-	3	3	-
8	पो.मै.आदि.कन्या छात्रा.मंगचुवा	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	-	-	-	3	3	-
9	पो.मै.आदि.कन्या छात्रा.डौण्डीलोहार	डौंडीलोहारा	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	-	-	-	3	3	-
10	पो.मै.आदि.कन्या छात्रा.अर्जुन्दा	गुण्डरदेही	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	-	-	-	3	3	-
11	पो.मै.आदि.कन्या छात्रा.गुरूर	गुरूर	अ.ज.जा.	कन्या	1	1	_	-	-	-	3	3	-
योग					11	11	0	0	0	0	33	33	0
महायोग					78	51	27	16	3	13	260	260	0

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र–अ

कृषि विभाग द्वारा जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई अंतर्गत वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में संचालित
योजनाओं की आबंटन एवं व्यय की जानकारी

(इकाई–लाख रू.)

क्र.	जिले में संचालित (केन्द्र/राज्य) योजना का नाम	वर्ष 2024–25		वर्ष 2025–26 (दिनांक 28.02.2026 की स्थिति में)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
	केन्द्र पोषित योजनाएं				
1	एन.एम.एस.ए. (रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम)	65.81	63.50	57.82	46.61
2	एन.एम.एस.ए. (स्वायल हेल्थ मैनेजमेंट योजना)	5.72	4.26	16.57	16.40
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	38.24	30.29	40.00	8.43
4	परम्परागत् कृषि विकास योजना	72.28	57.30	14.75	8.53
5	आर.एन.बी.एम. (बम्बू मिशन)	4.25	4.25	0.00	0.00
6	नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपाम एडिबल ऑयल	95.19	84.27	60.25	60.21
7	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	364.88	40.65	300.52	286.65
8	एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल योजना	25.90	25.60	5.72	0.13
9	नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग	0.00	0.00	20.00	16.76
10	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–2)	0.00	0.00	26.00	26.00
11	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–4 एवं 6)	96.00	96.00	0.00	0.00
12	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट–1)	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के तहत् अग्रिम अनुदान राशि प्राप्त नहीं होती है, अपितु कृषक द्वारा चैम्प्स प्रणाली में पंजीकृत प्रदायक से सामग्री क्रय किये जाने के उपरांत प्रदायक द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर राशि का भुगतान प्रदायक को किया जाता है।			
13	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना				

क्र.	जिले में संचालित (केन्द्र/राज्य) योजना का नाम	वर्ष 2024–25		वर्ष 2025–26 (दिनांक 28.02.2026 की स्थिति में)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
राज्य पोषित योजनाएं					
1	कृषक समग्र विकास योजना	97.99	97.95	279.28	274.17
2	किसान समृद्वि योजना	13.93	5.50	4.99	2.91
3	फसल प्रदर्शन योजना	11.20	10.87	12.65	0.00
4	जैविक खेती मिशन	56.85	55.98	50.11	49.09
5	फसल प्रदर्शन योजना अंतर्गत पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई पर अनुदान	1.13	0.90	0.90	0.90
6	शाकम्भरी योजना	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के तहत् अग्रिम अनुदान राशि प्राप्त नहीं होती है, अपितु कृषक द्वारा चैम्प्स प्रणाली में पंजीकृत प्रदायक से सामग्री क्रय किये जाने के उपरांत प्रदायक द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर राशि का भुगतान प्रदायक को किया जाता है।			
7	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना–ड्रिप				

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 13-03-2026 17:00:22

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई अंतर्गत वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में संचालित योजनाओं की आबंटन एवं व्यय की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5
1	2024–25	**राज्य पोषित योजना**		
		विभागीय फलोद्यान	9.49	3.80
		नदी के कछार/तटो पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायो को प्रोत्साहन की योजना	10.22	5.76
		सामुदायिक फेंसिंग	41.73	1.83
		पोषण बाड़ी विकास योजना	14.40	12.22
		केन्द्र प्रवर्तित योजना		
2		राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	470.83	177.16
3		सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री	20.00	8.16
4		राष्ट्रीय बांस मिशन	62.00	0.00
5		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ड्रिप/स्प्रिंकलर	73.32	62.61
6		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	-	45.53
योग			**701.99**	**317.07**
1	2025–26 (28 फरवरी 2026 तक)	**राज्य पोषित योजना**		
		समेकित उद्यानिकी विकास योजना	47.60	9.08
		केन्द्र प्रवर्तित योजना		
2		राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	256.33	197.81
3		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	40.60	40.60
4		नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयल–आयल पॉम	42.00	6.01
5		सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री	15.45	12.89
6		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ड्रिप/स्प्रिंकलर	156.28	108.90
7		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	-	35.61
योग			**558.26**	**410.90**
कुल योग			**1260.25**	**727.97**

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 13-03-2026 17:01:20

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

कृषि विभाग के योजनाओं से लाभान्वित किसानों की संख्या की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या	
		वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	69089	64604
2	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	खरीफ– 544	खरीफ– 503
		रबी– 28039	रबी–फसल कटाई प्रयोग प्रक्रियाधीन है।
3	कृषक समग्र विकास योजना (अक्ती बीज संवर्धन–बीज वितरण)	5691	14751
4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)– बीज वितरण	1230	1740
5	कृषि यांत्रिकीकरण योजना (कम्पोनेंट–1)	112	46
6	कृषि यांत्रिकीकरण योजना (कम्पोनेंट–4 एवं 6)	27	-
7	कृषि यांत्रिकीकरण योजना (कम्पोनेंट–2)	-	3
8	सिंचाई उपकरण	792	1779
9	फसल प्रदर्शन योजना अंतर्गत पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई पर अनुदान	10	15

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 13-03-2026
17:02:11

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

उद्यानिकी विभाग के योजनाओं से लाभान्वित किसानों की संख्या की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	लाभान्वित कृषकों की संख्या			
			फसल बीमा	बीज वितरण	सिंचाई उपकरण	कुल लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	2024–25	पोषण बाड़ी विकास योजना	0	1440	0	1440
2		नदी के कछार	0	536	0	536
3		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ)	951	0	0	951
4		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (रबी)	347	0	0	347
5		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ड्रिप	0	0	96	96
योग			**1298**	**1976**	**96**	**3370**
1	2025–26 (28 फरवरी 2026 तक)	समेंकित उद्यानिकी विकास योजना	0	24	0	24
2		राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	0	53	0	53
3		एडिबल ऑयल पॉम योजना	0	4	0	4
4		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ड्रिप	0	0	140	140
5		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्प्रिंकलर	0	0	11	11
6		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ)	768	0	0	768
7		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (रबी)	311	0	0	311
योग			**1079**	**81**	**151**	**1311**
कुल योग			**2377**	**2057**	**247**	**4681**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 13-03-2026
17:02:59

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ई

जिलों में उर्वरक की अनुपलब्धता होने की प्राप्त शिकायत की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	उर्वरक कमी होने की प्राप्त शिकायत		यदि हां, तो प्राप्त शिकायत का विवरण		शिकायत के आधार पर अनियमितता पाये जाने पर की गई कार्यवाही					रिमार्क
		हां	नहीं	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	नोटिस	निलंबन	निरस्त	एफ.आई. आर.	न्यायालय में प्रस्तुत	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	हां	–	श्री रूपेश वर्मा	कृषि केन्द्रों में यूरिया अधिक मूल्य एवं समितियों में यूरिया डी.ए.पी. की अनुपलब्धता।	–	–	–	–	–	संबंधित फर्म द्वारा शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार का उर्वरक विक्रय नहीं किया गया है तथा उर्वरक निरीक्षक के निरीक्षण उपरान्त संबंधित फर्म द्वारा किसी भी प्रकार का उर्वरक अधिक मूल्य में विक्रय नहीं किया जाना पाया गया शिकायतकर्ता से संपर्क करने पर संबंधित का मोबाईल नम्बर बंद पाया गया।
2		हां	–	श्री कुशल लोधी	समिति में उर्वरक की अनुपलब्धता	–	–	–	–	–	संबंधित शिकायतकर्ता को उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया दिया गया है।
3		हां	–	श्री नेमदास जंघेल	यूरिया उर्वरक की अनुपलब्धता	–	–	–	–	–	शिकायतकर्ता द्वारा सेवा सहकारी समिति पैलीमेटा मे युरिया उपलब्ध न होने संबधी शिकायत प्राप्त हुई है। संबधित समिति प्रबंधक द्वारा बयान दिया गया की शिकायतकर्ता द्वारा पुर्व वर्ष का बकाया राशी नही चुकाने के कारण डिफाल्टर घोषित हो चुका है। राशी भुगतान करते ही कृषक को खाद प्रदाय किया जावेगा।

क्र.	जिले का नाम	उर्वरक कमी होने की प्राप्त शिकायत		यदि हां, तो प्राप्त शिकायत का विवरण		शिकायत के आधार पर अनियमितता पाये जाने पर की गई कार्यवाही					रिमार्क
		हां	नहीं	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	नोटिस	निलंबन	निरस्त	एफ.आई. आर.	न्यायालय में प्रस्तुत	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	हां	–	श्री माखन लाल वर्मा	समिति में उर्वरक की अनुपलब्धता	–	–	–	–	–	शिकायतकर्ता द्वारा सेवा सहकारी समिति पांडादाह मे युरिया उपलब्ध न होने संबधी शिकायत प्राप्त हुई है। संबधित समिति प्रबंधक द्वारा बयान दिया गया की शिकायतकर्ता 3.3 एकड़ जमीन में 06 बोरी युरिया प्रदाय किया जा चुका है।
5		हां	–	श्री इच्छाराम	जालबांधा समिति में उर्वरक की अनुपलब्धता	–	–	–	–	–	शिकायतकर्ता द्वारा सेवा सहकारी समिति जालबांधा मे युरिया डी.ए.पी. एवं पोटाश उपलब्ध न होने संबधी शिकायत प्राप्त हुई है। संबधित समिति प्रबंधक द्वारा बयान दिया गया की शिकायतकर्ता 02 एकड़ जमीन में 02 बोरी युरिया 05 बोरी डी.ए.पी. 01 बोरी पोटाश प्रदाय किया जा चुका है।
6		हां	–	श्री शिवा वर्मा	अमलीडीहकला समिति	–	–	–	–	–	शिकायतकर्ता द्वारा सेवा सहकारी समिति अमलीडीह मे युरिया उपलब्ध न होने संबधी शिकायत प्राप्त हुई है। संबधित समिति प्रबंधक द्वारा बयान दिया गया की शिकायतकर्ता उक्त समिति का सदस्य नही है। वर्तमान स्थिती में समिति में 25 मि. टन युरिया समिति में उपलब्ध है।

क्र.	जिले का नाम	उर्वरक कमी होने की प्राप्त शिकायत		यदि हां, तो प्राप्त शिकायत का विवरण		शिकायत के आधार पर अनियमितता पाये जाने पर की गई कार्यवाही					रिमार्क
		हां	नहीं	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	नोटिस	निलंबन	निरस्त	एफ.आई. आर.	न्यायालय में प्रस्तुत	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	हां	–	श्री मुकेश देवांगन	जय अम्बे कृषि केन्द्र में यूरिया उर्वरक की अनुपलब्धता।	–	–	–	–	–	शिकायतकर्ता द्वारा जय अम्बे कृषि केन्द्र ठेलकाडीह मे युरिया उपलब्ध न होने संबधी शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में उक्त संस्था युरिया की कमी नही अपितु क्षेत्र में युरिया की अनुपलब्धता की शिकायत की गई है। उर्वरक कमी को पुरा करने के लिये संबधित क्षेत्र के डबल लाक सेंटर मे 270 मि.टन. युरिया का भण्डारण दिनांक 19.09.2025 को किया जावेगा।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 13-03-2026
17:03:48

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-अ

प्रदेश में 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र से बड़े जलाशयों के नाम, औसत जलक्षेत्र तथा मत्स्याखेट एवं मत्स्यपालन करने वाले हितग्राहियों तथा पट्टा अवधि की जानकारी

क्र.	जिला	जलाशय का नाम	औसत जलक्षेत्र (हैक्टेयर में)	मत्स्याखेट एवं मत्स्यपालन के लिए		
				किसे दिया गया है (पट्टाधारक)	किसके द्वारा दिया गया है	कब से कब तक के लिए दिया गया है (पट्टा अवधि)
1	2	3	4	5	6	7
1	धमतरी	माड़मसिल्ली	1387.00	श्री आसिफ इकबाल खान, पता-वार्ड क्र. 6, जंगलपारा, नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या., रायपुर	दिनांक 17.08.2016 से 15.06.2026 तक
2	गरियाबंद	सिकासार	1174.00	जय महादेव मछुआ सहकारी समिति मर्या., नरहरपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)		दिनांक 09.07.2024 से 15.06.2034 तक
3	बालोद	खरखरा	1875.00	श्री मधुकर धरमगुड़े, वार्ड न. 10, ग्राम-सेनडोंगर, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)		दिनांक 01.07.2024 से 15.06.2034 तक
4	कोरबा	दर्री (हसदेव बैराज)	1333.75	लीज पर आबंटन हेतु दिनांक 23.12.2025 तक निविदा आमंत्रित		निविदा प्रक्रिया जारी
5	बालोद	गोंदली	1118.00	श्री संदीप कटारिया, 54/352, वार्ड नं. 60, कॉलेज वार्ड, पानी टंकी के पास, डगनिया, पोस्ट-सुन्दरनगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)		दिनांक 10.02.2026 से 15.06.2035 तक
6	मुंगेली	मनियारी (खुड़िया)	1667.00	श्री शैलेन्द्र कुमार मण्डावी, 77/10 नेहरू नगर ईस्ट, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)		दिनांक 31.05.2017 से 15.06.2027 तक
7	कोरबा	हसदेव बांगो	11500.00	श्री छत्रपाल पटेल, जय मां भवानी दुर्गा मंदिर के पास, रेल्वे गेट, भरत नगर, गुढ़ियारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)		दिनांक 12.11.2024 से 15.06.2035 तक

क्र.	जिला	जलाशय का नाम	औसत जलक्षेत्र (हैक्टेयर में)	मत्स्याखेट एवं मत्स्यपालन के लिए		
				किसे दिया गया है (पट्टाधारक)	किसके द्वारा दिया गया है	कब से कब तक के लिए दिया गया है (पट्टा अवधि)
1	2	3	4	5	6	7
8	धमतरी	गंगरेल	6935.00	जलाशय में पंजीकृत 11 मछुआ सहकारी समितियों के द्वारा रायल्टी आधार पर मत्स्याखेट कार्य जारी	छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या., रायपुर	रायल्टी के आधार पर मछुआ सहकारी समितियों के द्वारा मत्स्याखेट कार्य
9	बिलासपुर	खारंग (खूंटाघाट)	2712.00	मे. गणेशा कंस्ट्रक्शन, म.नं. 69, मेनरोड, डॉ. बंशीलाल मेहतो के सामने, कोरबा (छ.ग.)		दिनांक 11.11.2022 से 15.06.2032 तक
10	राजनांदगांव	मनोहर सागर	2518.00	श्री नंदलाल निषाद, वार्ड नं. 24, चमगेदरी पारा, डोंगरगढ़, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)		दिनांक 01.07.2024 से 15.06.2034 तक
11	कांकेर	दुधावा	2511.00	श्री इरशाद खान, सिविल लाईन्स, जंगल पारा, नगरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)		दिनांक 03.05.2018 से 31.03.2028 तक
12	बालोद	तांदुला	2275.00	श्री रफीक खान, मकान नं. 207, ग्राम-किकिरमेटा, पोस्ट-बेल्हारी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)		दिनांक 02.05.2023 से 15.06.2032 तक
13	महासमुंद	कोडार	2057.00	श्री गुलशन कुमार पटेल, मकान नं. 73, वार्ड नम्बर 13, ग्राम-झलप, थाना-पटेवा, तहसील व जिला-महासमुंद (छ.ग.)		दिनांक 28.06.2023 से 15.06.2033 तक

सही/-अस्पष्ट
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.,
रायपुर (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

विगत 03 वर्षों में जलाशयों से प्राप्त राजस्व, मत्स्योत्पादन एवं कार्यरत् मछुआरों की जानकारी

क्र.	जलाशय का नाम	वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
		मत्स्योत्पादन (मेट्रिक टन में)	जलाशय से प्राप्त राजस्व (लाख में)	औसत कार्यरत् मछुआरों की संख्या	मत्स्योत्पादन (मेट्रिक टन में)	जलाशय से प्राप्त राजस्व (लाख में)	औसत कार्यरत् मछुआरों की संख्या	मत्स्योत्पादन (मेट्रिक टन में)	जलाशय से प्राप्त राजस्व (लाख में)	औसत कार्यरत् मछुआरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	माड़मसिल्ली	250.00	14.83	63	48.67	13.26	29	87.53	16.57	31
2	सिकासार	5.60	14.50	13	1.43	6.50	7	2.01	7.92	6
3	खरखरा	83.74	15.00	40	0.00	6.24	0	9.27	7.80	6
4	दर्री (हसदेव बैराज)	2.68	7.15	2	0.00	13.93	0	0.00	3.96	0
5	गोंदली	9.37	0.00	44	16.69	21.98	27	18.84	17.59	5
6	मनियारी (खुड़िया)	132.04	66.00	54	86.29	71.50	29	137.91	71.50	45
7	हसदेव बांगो	162.23	7.19	30	137.06	9.54	30	221.94	9.65	9
8	गंगरेल	107.17	85.00	13	157.51	84.60	108	196.39	60.00	89
9	खारंग (खूंटाघाट)	8.34	14.75	16	237.88	64.21	65	369.54	76.78	97
10	मनोहर सागर	41.15	8.61	61	34.99	6.62	6	15.26	10.32	3
11	दुधावा	656.97	72.00	76	685.21	72.00	149	716.10	78.01	141
12	तांदुला	8.05	50.00	63	43.08	25.22	35	15.46	17.81	88
13	कोडार	15.73	9.42	23	15.96	28.72	10	20.10	25.68	9
योग		**1483.07**	**364.45**	**498**	**1464.77**	**424.32**	**495**	**1810.34**	**403.59**	**529**

सही/-अस्पष्ट
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.,
रायपुर (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग